राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] पंचम् विधान सभा के तृतीय सत्र का 47 वां दिवस [संख्या 32

1] [2

मंगलवार,

दिनांक 3 अप्रेल, 1973.

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री लूणाराम।

शेरूणा-सूडसर सड़क पर लगे मजदूरों की मजदूरी

929. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शेरूणा-सूडसर सड़क का निर्माण कार्य जिला चूरू में क्रेश कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि 16 मार्च, 1973 से अभी तक उक्त कार्य पर लगे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान कम हो रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि जानबूझ कर लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने अधिकांश गैंगों का 7 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक का ही जनवरी, 1973 के दूसरे हफ्तों का भुगतान पास किया जिसे मजदूरों ने नहीं लिया ?

(4) उक्त कार्य पर लगे मजदूरों को 16 दिन की प्रति मजदूर को कम से कम कितनी मजदूरी बनी और दैनिक क्या मजदूरी है ?

(5) क्या यह भी सही है कि कार्य पर लगे मजदूरों तथा ग्राम पंचायत सूडसर के सरपंच ने कलेक्टर तथा एक्स० ई० एन० को पूरी मजदूरी के भुगतान के लिये लिखा है ? यदि हां, तो इस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या सरकार अब शीघ्र ही उक्त कार्य पर लगे मजदूरों का कार्य का मेजरमेंट करा कर नियमानुसार भुगतान करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(7) क्या सरकार जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वजह से मजदूरों को परेशानी उठानी पड़ रही है उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

विकास मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :

(1) जी हां।

(विकास मंत्री)

(2) जी नहीं । 16 मार्च, 73 से अब तक के मस्टररोल प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः मजदूरों को मजदूरी कम भुगतान दिये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

(3) जी नहीं। मजदूरों ने जितना कार्य किया उसके हिसाब से भुगतान पास किया है, जिसकी मजदूरों की शिकायत पर पुनः जांच की कार्यवाही की गई। पूर्व में पास किया गया भुगतान सही पाया गया । इस पखवाड़े की मजदूरों ने मजदूरी नहीं ली । भुगतान के प्रयास जारी हैं।

(4) 16 दिन की मजदूरी टास्क बेसिस पर 1.49 पैसे प्रति मजदूर बनी है। मजदूरी की दर रु० 3.11 पैसे प्रति दिन है।

(5) जी नहीं । मजदूरों एवं सरपंच ने जिलाधीश एवं अधिशासी अभियन्ता को भुगतान के लिए नहीं लिखा । अलबत्ता विकास अधिकारी, डूंगरगढ़ ने दिनांक 12-3-73 को जिलाधीश को लिखा था जिस पर पुनः नपती दिनांक 15-3-73 को कराई गई ।

(6) जी हां । दिनांक 27-3-73 से अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग की देख-रेख में विकास अधिकारी की उपस्थिति में पैमाइश फिर शुरू कराई जा चुकी है । पैमाइश का परिणाम आते ही नियमानुसार भुगतान करा दिया जावेगा ।

(7) किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा गलती नहीं की गई है, अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ मंत्री जी फर्माते हैं कि किसी ने गलती नहीं की है, दूसरी तरफ दुबारा मेजरमेंट किया गया है, जिसका रिजल्ट सामने नहीं आया है । रिजल्ट सामने आने पर किसी की गलती पायी जायगी तो क्या उसे दण्ड दिया जायेगा ?

श्री हरिदेव जोशी : अवश्य ।

श्री लूणाराम : दूसरा निवेदन था, समय काफी हो गया है इसलिए मेजरमेंट आने के बाद शीघ्रातिशीघ्र भुगतान कराया जायेगा ?

श्री हरिदेव जोशी : तीसरी बार मेजरमेंट कराया जा रहा है ।

श्री लूणाराम : तीसरा यह है, केश कार्यक्रम का जो संचालन करते हैं, वह चूरू में रहते हैं, उन्होंने रेल्वे पास बना रखा है वह सुबह दस बजे आते और पांच बजे बीकानेर चले जाते हैं । इसलिए काम में गड़बड़ी हो रही है ।

श्री हरिदेव जोशी : इसको मैं देख लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीनिवास शारदा ।

धोला पानी के पास (तहसील छोटी सादड़ी) पन्डेरिया बांध का सर्वे

930. **श्री श्रीनिवास शारदा** (निम्बाहेड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील छोटी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ के ग्राम धोला पानी के पास पण्डेरिया बांध (मीडियम सिंचाई परियोजना) की कोई सर्वे की गई

(श्री श्रीनिवास शारदा)
है ? यदि हां, तो सर्वे का कार्य कब पूर्ण हुआ और नहीं तो क्यों ? यदि सर्वे हो चुकी है और योजना लाभप्रद है तो इस की क्रियान्विति में क्योंकर विलम्ब हो रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना से उस क्षेत्र के लगभग 80 प्रतिशत आदिवासी लाभान्वित होंगे ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) (अ) जी हां ।

(ब) सर्वेक्षण कार्य जनवरी, 1972 में पूर्ण किया गया ।

(स) तखमीना बनाया जा चुका है जिसकी तकनीकी जांच की जा रही है। इसके बाद आवश्यक स्वीकृति एवं धन की उपलब्धि पर कार्य शुरू किया जा सकेगा।

(2) योजना के बनने से उसके कमाण्ड क्षेत्र के सभी काश्तकारों को लाभ होगा ।

श्री श्रीनिवास शारदा : तखमीना कितना है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : 1 करोड़ 12 लाख ।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : यह कब तक शुरू हो जायगा ? यह प्रायोरिटी फेक्टर में आना चाहिए क्योंकि आदिवासी इससे लाभान्वित होते हैं । वेस्ट पानी इकट्ठा हो रहा है, धन का अभाव तो चलता रहेगा, ज्यों ज्यों डेवलपमेंट चलता रहेगा । इसको प्रायोरिटी देंगे या नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसमें ऐसा है, कि यह मिडियम स्कीम है, मिडियम स्कीम सारी सी० पी० डब्ल्यू० सी० से मंजूर होती हैं । यहां से सारी चीजें बना कर पांचवी पंचवर्षीय योजना में उनके यहां भेज दी जायगी, उनमें से जिनको स्वीकृत कर देंगे, उनको चालू कर सकते हैं, और उसके पहले कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री श्रीनिवास शारदा : अजीबो गरीब बात है, पांच वर्ष में एस्टीमेट बने, अब मंत्री महोदय यह फरमाते हैं कि तकनीकी जांच होना बाकी है । यह तकनीकी जांच, मैं समझता हूं, आने वाले पांच वर्ष में हो सकेगी। आखिर इतनी महत्वपूर्ण योजना है जो आदिवासी क्षेत्र को लाभान्वित करती है । जो गरीबों को लाभान्वित करने का हमारा कार्यक्रम है, उस लक्ष्य की पूर्ति के अन्दर इस योजना का कार्य प्रारम्भ होना है। इतने महत्वपूर्ण कार्य को इतने विलम्ब के साथ में कार्यान्वित करना चाहते हैं इससे ऐसा लगता है कि सरकार इस बारे में ज्यादा चिन्तित नहीं है और ज्यादा गति के साथ ऐसे पिछड़े हुए इलाके को सुविधा पहुंचाने में सक्षम अपने आपको नहीं समझती है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : सरकार पूरी जागरूक है और इस प्रकार की कार्यवाही भी कर रही है लेकिन जितनी स्कीम हाथ में हैं, मैं ऐसा मानता हूं, माइनर और मिडियम स्कीम हैं, माइनर एक दो साल में पूरी हो जाय, तभी उनसे लाभ होता है। एक भी पांच साल में काम छेड़

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

दें और कभी पांच हजार, कभी दस हजार का काम हो तो उससे लाभ नहीं होता है। अभी स्कीम हमारे हाथ में हैं वह 153 माइनर और मीडियम स्कीम हैं। उनको पहले पूरा करले और पूरा करने के बाद दूसरी स्कीम को हाथ में लें। यह मीडियम स्कीम है, जैसा मैंने निवेदन किया, सी०पी०डब्ल्यू०सी० के अख्तियार में होती है, उसकी मंजूरी के बाद में शुरू कर सकेंगे। अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, जरूरी स्कीम है, फायदे की स्कीम है और बैकवर्ड एरिया की स्कीम है, उसको प्राथमिकता दें। उनकी मंजूरी होने के बाद अपने कार्यान्वित कर सकेंगे।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : तकनीकी सर्वे होने के पूर्व एस्टीमेट बनाये जाने का क्या कारण है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : एस्टीमेट पहले बनते हैं, पहले सर्वे और फिर एस्टीमेट फिर टैक्निकल फीजीबिलिटी की रिपोर्ट होती है, उसके बाद दिल्ली भारत सरकार को भेजते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री नानालाल।

श्री मीठालाल (लालसोट) : सरकार उचित नहीं समझती कि माइनर और मीडियम प्राजेक्ट दोनों साथ-साथ लिये जायं। अगर माइनर प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी देते चले जायेंगे तो मीडियम प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी में आना बड़ा कठिन है। मीडियम और माइनर समानान्तर रूप से साथ साथ लेने चाहिए। यह मिडियम प्रोजेक्ट है, मैं मानता हूं, मंत्री जी ने कहा कि उनको प्राथमिकता दी जायगी, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट हैं उनको भी हाथ में लेना चाहिए।

श्री रामचन्द्र चौधरी : माइनर प्रोजेक्ट है, यह एग्रीकलचर डिपार्टमेंट हमें देता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से पैसा मिलता है और स्कीम मिलती है, उस आधार पर करते हैं। मीडियम प्रोजेक्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं, उन सारी स्कीमों की भारत सरकार की सी०पी०डब्ल्यू० सी० से मंजूर कराना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : श्री नानालाल।

रेलमगरा तहसील में दरीबाखान का सर्वेक्षण

931. **श्री नाना लाल** (राजसमंद) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की रेलमगरा तहसील में दरीबाखान, का सर्वेक्षण किया जा चुका है ? यदि हां, तो उसमें किस किस वस्तु की उपलब्धियां कितनी कितनी मात्रा में होंगी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि दरीबाखान, राजस्थान की ताम्बा, जस्ता, शीशा आदि कई आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में अपना स्थान रखती है ? यदि हां, तो इस पर अभी तक कार्य बन्द क्यों है ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने इस महत्वपूर्ण खान का कार्य एक

Page No. 5

(श्री नानालाल)
जावर माइन्स प्राईवेट कम्पनी के हाथ में दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, खनिज (श्री जुझार सिंह) : (1) जी हां, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के प्रतिवेदन के अनुसार राजपुर-दरीबा क्षेत्र में शीशा, जस्ता के मिश्रित अयस्क उपलब्ध हैं जो कि 250 लाख टन तथा 250 लाख टन सांकेतिक मात्रा में आंके गये हैं।

(2) जी हां, इस क्षेत्र का माइनिंग लीज़ मेसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को दिया गया है और उसके द्वारा ही एक्सप्लोरेटरी माइनिंग तथा विकास किया जा रहा है।

(3) जी नहीं।

श्री नाना लाल : मैंने प्रश्न संख्या एक में सूची मांगी थी, वह प्राप्त नहीं हुई। और आपने जो उत्तर संख्या (2) में बताया है कि काम चल रहा है, वह गलत है ! अध्यक्ष महोदय, कोई काम नहीं चल रहा है और कोई मजदूर काम नहीं कर रहा है, उत्तर संख्या (3) में आपने बताया है कि जी नहीं। जावर माइन्स का आज भी उस पर अधिकार है और आपको गलत सूचना दी गई है। उस गलत सूचना देने वाले पर आपको कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री जुझार सिंह : यह सबको विदित है कि हिन्दुस्तान जिंक इसको ऑपरेट कर रहा है जो कि एक गवर्नमेंट आफ इन्डिया का कार्पोरेशन है। प्राइवेट कम्पनी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। एक्स्प्लोरेटरी वर्क अभी चल रहा है और चौथी पंचवर्षीय योजना के खत्म होने तक एक्सप्लाइटेशन भी शुरू हो जायेगा। हिन्दुस्तान जिंक भी अपनी कैपेसिटी डबल करने जा रहा है।

श्री नानालाल : यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसमें ढील नहीं करनी चाहिये। काम कब तक चालू कर देंगे ?

श्री जुझार सिंह : यह गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का कन्सर्न है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उनके हाथ में है और वह कर रहे हैं। वह काफी सीरियस हैं। हिन्दुस्तान जिंक की जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको भी वह डबल कर रहे हैं ताकि दरीबे के मेटीरियल को काम में ले सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री जवाहर मल।

श्री देवी लाल (सराडा): गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से आप क्या बात कर रहे हैं ?

श्री जुझार सिंह : हमारी बात करने का सवाल नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र पालीवाल (गंगापुर) : मिनरल तो राजस्थान का है। मंत्री महोदय को फिक्र होना चाहिये और जो वस्तु स्थिति है उससे गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को अवगत कराना चाहिये कि क्या योजना है।

श्री अध्यक्ष : श्री जवाहर लाल।

श्री जुझारसिंह : जो लेते हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनको लीज पर दिया हुआ है वे एक्सप्लाइट · ·

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया (बूंदी): एक्सप्लाइट कितने समय में किया जाएगा ? आप बार बार कह रहे हैं कि कन्सर्न उनका है।

श्री जुझार सिंह : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि किसी भी माईनिंग लीज देने के बाद में मिनरल एक्सप्लाइटेशन से पहले उसका प्रोस्पेक्टिंग होता है, बोरिंग होता है, उसकी केपेसिटी की नापतोल की जाती है उसके बाद सिस्टेमेटिक वे में एक्सप्लाइट करने के लिए समय लगता है। इसलिए उनका माईनिंग आपरेशन्स का फार्मूला होता है उसके अनुसार एक्सप्लाइटेशन हो रहा है, और भारत सरकार हिन्दुस्तान जिंक की प्रगति से संतुष्ट है, कोई देरी नहीं हो रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया: क्या होता है, क्या नहीं होता है, that we know. अगर माईनिंग लीज का एक्सप्लाइटेशन इस प्रकार से होगा तो सदन को एन्फोर्स करना चाहिए और मंत्री महोदय.....

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : Pinning down the Minister.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : हीयर, हीयर भारतीयाजी।

प्रश्न संख्या 932

श्री अध्यक्ष : श्री जवाहरमल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री विद्यासागर।

ऋषभदेव मंदिर, तहसील खेरवाड़ा के कर्मचारी

933 **श्री विद्यासागर** (खेरवाड़ा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि ऋषभदेव मंदिर, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर के इन्चार्ज व रिखबदेव फोर्स के इन्चार्ज हमेशा राज्य सरकार के पेन्शन शुदा आदमी रहे हैं और अब भी उसी श्रेणी के व्यक्ति हैं ?

(2) क्या यह सही है कि रिखबदेव फोर्स के कई आदमियों को इसलिए निकाला गया है कि वे ओवर एज हो गए थे ? यदि हां, तो ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मंदिर के इन्चार्ज व फोर्स के इन्चार्ज राज्य सरकार के पेन्शनर हैं ? यदि हां, तो फोर्स के सिपाहियों (आदमियों) को निकालने का क्या कारण है ?

देवस्थान मंत्री (श्री नारायण सिंह):

(1) ऋषभदेवजी मंदिर के इन्चार्ज के पद पर पेन्शनर, नॉन पेन्शनर तथा राजकीय सर्विस के अधिकारी डेप्यूटेशन पर रहते आए हैं। इस समय ऑफिसर इन्चार्ज नॉन पेन्शनर है।

ऑफिसर फोर्स के पद पर आर्मी के पेन्शनर रहते आए हैं। इस समय भी आर्मी के रिटायर्ड फोर्स अधिकारी हैं।

(2) जी हां, सूची सदन की मेज पर रखा दी गई है।

(श्री नारायण सिंह)

(3) मंदिर के इन्चार्ज पेन्शनर नहीं हैं। इन्चार्ज फोर्स आर्मी के पेन्शनर फोर्स के सिपाहियों की उम्र 65 वर्ष पूर्ण होने पर नियमानुसार सेवा मुक्त किए गए हैं।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री विद्यासागर : मंत्री महोदय न जो उत्तर दिया है उसमें फोर्स इन्चार्ज पेन्शनर को मंदिर का इन्चार्ज बनाया है। वह राज्य सरकार के पेन्शनर हैं, यह सही है ? तो फिर क्या वजह है कि फोर्स के सिपाहियों को वहां से निकाला जाता है जबकि पन्शनर उन्हीं लोगों को माना जाता है जो सिवस के काबिल नहीं रहे। तो मंदिर में किस तरह से वे काबिल हो गए ? फोर्स के सिपाहियों को, जो आदिवासी हैं, हमेशा मंदिर की सेवा करते आए हैं उनको किस बेसिस पर निकाला गया है ?

श्री नारायण सिंह : मंदिर के इन्चार्ज पेन्शनर इस समय नहीं है। सज्जन सिंह इस समय कार्य कर रहे ह और आफिसर फोर्स के पद पर आर्मी के चव्हान सिंह काम कर रहे हैं। अनुभव के आधार पर उनको रखा गया है। नियम यह है कि कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक तथा अन्य को 65 वर्ष की आयु तक सर्विस में रखने का प्रावधान है। उसके बाद रिटायर किया जाता है, नियमों में अगर परिवर्तन हो जाता है तो बात दूसरी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अनुभवी आदमी लगाना जरूरी है।

श्री नारायण सिंह : पहले से लगते आए हैं।

श्री अध्यक्ष : उचित हैं ?

श्री विद्यासागर : यह आदिवासियों के दिमाग में रीएक्शन है कि जबकि फोर्स के इन्चार्ज पद पर पेन्शनर वहां लगायें और सिपाहियों को निकाला जाए, यह उचित परम्परा मालूम नहीं होती। या तो पेन्शनर को हटाया जाए या सिपाहियों को वापस रखा जाए।

श्री नारायण सिंह : इस बारे में विचार किया जाएगा।

प्रश्न संख्या 934

श्री अध्यक्ष : श्री जगमोहन सिंह (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)।

श्री दलपतसिंह।

जोधपुर की जसवन्त सराय के किराए के कमरे

935. श्री दलपतसिंह (खारची) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर की जसवन्त सराय में कितने किराए के कमरों की व्यवस्था है तथा कमरों का पहले क्या किराया था और अब कितना किराया बढ़ा दिया गया है ?

(2) उक्त सराय के कमरों में स्नानागार व शौचालय की व्यवस्था है ? क्या अभी तक शौचालय को महतर से दो तीन बार साफ कराया जाता है या फ्लश सिस्टम लगा दिया गया है ?

(3) क्या उक्त सराय में किराए के कमरों में फर्नीचर व्यवस्था उपलब्ध है ? यदि हां, तो फर्नीचर की क्या हालत है ?

Page No. 8

(श्री दलपत सिंह)
क्या टूटा फूटा फर्नीचर है अथवा नया फर्नीचर लगा दिया गया है ?

देवस्थान मंत्री (श्री नारायण सिंह) : (1) जसवन्त सराय, जोधपुर में ऊपर की मंजिल में 6 कमरे तथा नीचे 30 कमरे किराए पर देने की व्यवस्था है। पहले का किराया तथा जो किराया बढ़ा है उसका मानचित्र संलग्न है।

(2) ऊपर की मंजिल के 6 कमरों में से एक कमरे के साथ में स्नानागार व फ्लश शौचालय तथा शेष 5 कमरों के साथ में स्नानागार व शौचालय बिना फ्लश के हैं। नीचे के 30 कमरों के शौचालय व स्नानागार कोमन हैं। इनकी सफाई मेहतरों द्वारा करने की व्यवस्था है।

(3) ऊपर की मंजिल के 6 कमरों में फर्नीचर की व्यवस्था है जो पुराना है किन्तु मरम्मत शुदा है और काम चलने योग्य है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री दलपत सिंह : प्रश्न यह है कि प्रश्न 1 के जवाब में जो सूचियां प्राप्त हुई हैं, एक दूसरे से काफी भिन्न हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कौनसी सूची सही है। उदाहरण के लिए 116 नं० कमरे का वर्तमान किराया 7.50 रुपया बताया गया है दूसरी में वर्तमान किराया 5.00 है। एक में वर्तमान किराया 7.50 रु० है दूसरी म 15.00। दोनों में से कौनसी सूची सही और लेटेस्ट है ?

श्री नारायण सिंह : 7.50 जो बताया गया है मानचित्र में, उसको सही मानें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : किराया कम है बढ़ाने के बारे में क्या विचार करते हैं ? यह तो आदम के जमाने का है।

श्री नारायण सिंह : किराया बढ़ाया गया। वहां पर नीचे के कमरों का एक रुपया बढ़ाया गया, ऊपर के कमरों का भी एक रुपया बढ़ाया गया। देवस्थान विभाग की प्रापर्टीज डिस्पोजल कमेटी वहां गई उन्होंने सुझाव दिया और उस पर बढ़ाया गया। अभी प्रश्न उसी किराए का है। एसिस्टेंट कमिश्नर ने बढ़ाया बिना सरकार की मंजूरी के। यह इरेग्यूलर्टी जरूर हुई।

श्री दलपतसिंह : मंत्री महोदय ने बताया कि एक कमरे के साथ में स्नानागार व फ्लश शौचालय है, और दूसरे कमरों के साथ में बिना फ्लश के हैं। इन स्नानागारों व शौचालयों की हालत खराब है। अगर एक व्यक्ति काम में लेता है तो दूसरी बार काम में लेने के पहले मेहतर की प्रतीक्षा करनी पड़ती है तो क्या फ्लश सिस्टम के शौचालय लगाय जायेंगे और हां, तो कब तक ?

श्री नारायण सिंह : सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखा है, सारी मरम्मतों के लिए और जब बजट में प्रावधान होगा तो यह भी किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल भदादा।

ग्राम सेवकों की पदोन्नति

936. **श्री भंवरलाल भदादा (भीलवाड़ा):** क्या पंचायत राज एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राज्यपाल के आदेश राजपत्र दिनांक 14 अगस्त, 1965 के अनुसार कितने ग्राम

(श्री भंवरलाल भवादा)
सेवकों को पदोन्नत किया गया है वे किस किस विभाग में किस किस प्रतिशत से ? यदि नहीं; तो क्यों नहीं और भविष्य में इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति रहने वाली है ?

पंचायत राज मंत्री : (श्री हरिदेव जोशी) : 44 ग्राम सेवकों को कृषि विभाग में कृषि प्रसार अधिकारी के पद पर एवं 12 ग्राम सेवकों को सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग के अधीनस्थ जिला मुख्यालयों पर पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जा चुका है। उक्त राज्यादेश के अन्तर्गत उद्योग, शिक्षा, कृषि तथा सहकारिता विभागों में प्रसार अधिकारियों के 10 प्रतिशत पद ग्राम सेवकों को पदोन्नत कर भरे जाने के लिए सुरक्षित हैं। सम्बन्धित विभागों के नियमों में संशोधन की कार्यवाही चल रही है। नियमों में संशोधन होने पर ग्राम सेवकों की पदोन्नति इन विभागों में हो सकेगी। पंचायत प्रसार अधिकारियों के समस्त पद ग्राम सेवकों को पदोन्नत कर ही भरे जाने का प्रस्ताव है।

श्री भंवरलाल भवादा : दूसरे विभागों का आपने जिक्र किया है। आप निश्चित तारीख बता दें ताकि संतोष हो।

श्री हरिदेव जोशी : मैं कोशिश कर रहा हूं, प्रयत्न करूंगा कि जल्दी से जल्दी हो जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह कुड़ी।

खनिज विभाग के नाकेदार

937. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खान एवं भू-विज्ञान के अधीनस्थ कितने नाकेदार हैं ? उनमें कितने अस्थाई हैं एवं कितने स्थाई हैं तथा वे कब से सेवारत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन नाकेदारों को 12 से 14 घंटे तक कार्यरत रहना पड़ता है फिर भी ओवर टाईम काम का अलग पैसा नहीं दिया जाता ?

(3) क्या यह सही है कि इन नाकेदारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित तो किया जाता है मगर उन्हें टी० ए० व डी० ए० नहीं दिया जाता है ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझारसिंह):
(1) खान एवं भू-विज्ञान विभाग के अधीनस्थ कुल 253 नाकेदार कार्यरत हैं जिनमें 95 नाकेदार रेगुलर पद पर कार्यरत हैं एवं 158 दैनिक वेतन भोगी नाकेदार कार्यरत हैं। ये सन् 1962 व उसके बाद से कार्यरत हैं।

(2) चूंकि नाकेदार से नाकों पर निर्धारित समय में ही कार्य लिया जाता है अतः ओवरटाईम एलाउन्स स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) राज्य हित में स्थानान्तरण होने पर यात्रा भत्ता नियमानुसार दिया जाता है।

श्री रामसिंह कुड़ी : मैंने पूछा था कि कितने स्थाई व कितने अस्थाई हैं ?

श्री जुझार सिंह : 95 स्थाई व 158 अस्थाई।

श्री रामसिंह कुड़ी : अस्थाई कितने दिनों तक रहेंगे ?

Page No. 10

श्री जुझार सिंह : इस बारे में विचार किया जा रहा है, उनके प्रतिनिधि मिले हैं। बात चल रही है उनके बारे में जो कुछ फैसला लिया जाने वाला है जल्दी लिया जाएगा।

श्री रामसिंह कुड़ी : आर० एस० आर० उन पर लागू नहीं होता ?

श्री जुझार सिंह : अस्थाई कर्मचारियों पर लागू नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

डी० एफ० ओ०, जोधपुर का कार्यालय

938. **श्री राम गोटेवाला** :(किशनपोल): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : (1) क्या यह सही है कि जोधपुर से डी० एफ० ओ० का कार्यालय हटाया जा रहा है ? यदि हां; तो क्यों?

(2) जोधपुर में पिछले कितने वर्षों से डी० एफ० ओ० का ऑफिस है ? इतने वर्ष वहां हैड क्वार्टर रखने के क्या कारण थे और अब हटाने का क्या कारण हैं ?

(3) यह कार्यालय किस स्थान पर ले जाया जा रहा है तथा वहां ले जाने के क्या कारण हैं ?

वन मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी नहीं।

(2) राजस्थान निर्माण के समय से प्रशासनिक दृष्टि से मुख्यालय जोधपुर रखा गया था। मुख्यालय हटाना प्रस्तावित नहीं है।

(3) कहीं नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीराम गोटेवाला : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह !

सादुलपुर, जिला चूरू के हरिजन मोहल्लों का विद्युतिकरण

श्री मोहर सिंह (चूरू) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :- (1) सादुलपुर, जिला चुरू के वार्ड संख्या 2 व 6 के हरिजन मोहल्लों के विद्युतिकरण के लिये नगरपालिका ने कब से मांग की है ?

(2) क्या उपरोक्त वार्डों के विद्युतिकरण के लिये समाज कल्याण विभाग से धन प्राप्त हो चुका है ? यदि हां; तो कितना और कब ?

(3) अब तक इन वार्डों का विद्युतिकरण न किये जाने का क्या कारण है ?

(4) अब कब तक इन वार्डों का विद्युतिकरण हो जावेगा ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : 1 एक साल पहले की थी।

(2) जी नहीं।

(3) समाज कल्याण विभाग की सिफारिश उपलब्ध न होने के कारण विद्युतिकरण नहीं किया जा सका।

(4) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री मोहरसिंह : क्या यह सही है कि वहां के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा धनराशि प्राप्त हो चुकी है।

श्री हरिदेव जोशी : यह मेरी जानकारी में नहीं है कि समाज कल्याण विभाग ने यह कर दिया है।

श्री मोहरसिंह : इसके लिये नगर-पालिका ने बार बार लिखा और बाद में यह हुआ है ।

श्री हरिदेव जोशी : अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बड़ी गलती हुई है और महत्वपूर्ण भी है ।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थासिंह ।

औषधालय निठार

940. **श्री नत्थासिंह** (नदबई) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री चन्द्रशेखर, डिप्टी डाइरेक्टर, आयुर्वेद विभाग को दिनांक 8-8-70 को औषधालय निठार, भरतपुर का चार्ज दिलाने हेतु पधारे तो उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में जो प्रतिवेदन डाइरेक्टर को दिनांक 30-9-70 को दिया में रात्रि विश्राम वल्लभगढ़ दिया है तथा विभागीय जीप में आर० जे० जेड० नम्बर 4360 है का लाग बुक में रात्रि विश्राम निठार बतलाया है तथा इसी यात्रा का जो यात्रा व्यय बिल नम्बर 404, माह अगस्त सन् 1970 से राज्य से प्राप्त किया है उस में रात्रि विश्राम जयपुर बतलाकर लिया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मामले के संबंध में वैद्य ब्रह्मानन्द शर्मा द्वारा तारीख 21-1-72 को एक शिकायत मुख्य मन्त्री, आयुर्वेद सचिव, सतर्कता आयोग तथा चीफ सेक्रेटरी और भ्रष्टाचार विभाग को की । यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

सहकारिता मन्त्री (श्री नारायण सिंह) : (1) जी हां । (2) जी हां । इस संबंध में उप-निदेशक जी से वस्तु स्थिति की टिप्पणी मांगी गई थी जो दिनांक 27-3-73 को प्राप्त हुई है । उस पर विचार किया जा रहा है ।

एक माननीय सदस्य : इस पर कब तक विचार हो जायेगा ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : (किशन पोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि श्री ब्रह्मानन्द के द्वारा तारीख 21-1-72 को एक शिकायत मुख्य मंत्री, आयुर्वेद सचिव, सतर्कता आयोग तथा चीफ सेकेटरी और भ्रष्टाचार विभाग को की, यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी । तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि उन्होंने जब भ्रष्टाचार विभाग को लिखा और उसके बाद में आपने जवाब 27-3-73 को प्रश्न को पूर्ति करने के लिये यह कर दिया ।

श्री नारायण सिंह : श्री ब्रह्मानन्द ने जो लिखा है उस पर मैंने 23-8-73 को अपनी टिप्पणी चाही और उसका जबाब 27-3-73 को प्राप्त हुआ ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस टिप्पणी पर विचार कब तक हो जायेगा ।

श्री नत्थासिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि चन्द्र शेखर, डिप्टी डाईरेक्टर आयर्वेद, दिनांक 8-8-70 को औषधालय निठार भरतपुर का चार्ज दिलाने आये तो वह जीप में आये थे उस जीप का नम्बर 4360 आर जे० जेड० है उन्होंने अपना वहां रात्रि विश्राम बताया वहां पर नहीं किया और उन्होंने

(श्री नत्थासिंह)
टी० ए० बिल्स के झूठे पैसे उठाये जिसके करीब 107 रुपये लिये थे....

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री नत्थासिंह : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बिल्कुल झूठे टी० ए० बिल उठाये हैं। 107 रुपये और 20 पैसे उठाये उन्होंने रात्रि विश्राम वल्लभगढ़ दिया है और लॉग बुक में रात्रि विश्राम निठार बतलाया है तथा इस तरह झूठी रिपोर्ट कर टी० ए० उठाया है। आप देख लें....

श्री नारायण सिंह : इन सभी अनियमितताओं के ऊपर जांच की जायेगी और उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। कई अनियमिततायें हैं। उन सब के लिये कार्यवाही की जायेगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसमें आप एक शब्द और जोड़ दें कि कार्यवाही शीघ्रतिशीघ्र की जावेगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह तो गबन का मामला बन गया है।

श्री नारायण सिंह : मैंने कहा ना कि रूल 14 के तहत उनके खिलाफ में कार्यवाही की जावेगी और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें सस्पेंड भी किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री रघुनाई बिश्नोई।

सिवाड़ा सुरक्षा सड़क से झाब मन्डी की अपूर्ण सड़क

941. **रघुनाथ बिश्नोई** (सांचौर) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सिवाड़ा सुरक्षा से सड़क झाब मन्डी तक पिछले अकाल सहायता कार्य के अन्तर्गत बनी सड़क अपूर्ण है? अगर हां, तो क्या सरकार इस सड़क को क्रेश कार्यक्रम के तहत इस वर्ष पूर्ण कराने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(2) उक्त सड़क को पूर्ण करने से क्रेश कार्यक्रम के तहत कितनी रकम की आवश्यकता होगी?

उत्तर

श्री हरिदेव जोशी (विकास मंत्री) : (1) जी हां, इस सड़क का कार्य क्रेश योजना के अन्तर्गत लिया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि 25 लाख रुपये के कार्य वर्ष 72-73 व 73-74 के लिये स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिसमें यह कार्य सम्मिलित नहीं है?

(2) ९.00 लाख रुपयों की आवश्यकता होगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इस जिले से दुबारा इस सड़क के लिये प्रस्ताव आया है और उस प्रस्ताव पर क्या राज्य सरकार विचार करने को तैयार है?

श्री हरिदेव जोशी : राज्य सरकार उस प्रस्ताव पर विचार तो कर लेगी लेकिन उसका असर बजट पर जो 25 लाख रुपये सैंक्शन किये हुए हैं उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर ज्यादा हुआ तो इसके बदले में दूसरी कोई योजना काट ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मालाराम।

प्रश्न संख्या 912

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

Page No. 13

राज्य मन्त्री, खनिज (श्री जुझारसिंह): जी हां.....

श्री अध्यक्ष : आप यह किसका जवाब दे रहे हैं ? माननीय सदस्य तो अनुपस्थित हैं । श्री शंकरलाल ।

गांव मादरलाऊ (पाली) के समीप पदमेर का सिंचाई बान्ध

943. **श्री शंकरलाल** (पाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत पाली जिले की रानी पंचायत समिति के आधीन गांव मादरलाऊ के समीप पदमेर का बान्ध सिंचाई विभाग द्वारा बनाया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही कि इस बान्ध के निर्माण होने से पाली तहसील के कई गांव ठाकुरड़ा, डेन्ड़ा, करना, बाला डिगाई, जेतपुरा, गन्द्रोज आदि करीब दस गांवों का प्राकृतिक प्रवाह का पानी रुक जाने से भारी नुकसान होने की सम्भावना की शिकायत पेश हुई है ।

(3) इस संबंध में सिंचाई विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत यह काम आरम्भ कराया गया था, परन्तु सहायता विभाग द्वारा इसे बन्द कराने के आदेश मिलने पर काम बन्द करा दिया गया ।

(2) जी हां ।

(3) कार्य बन्द करा दिया गया है ।

श्री शंकरलाल : वर्क किसलिये बन्द कराया गया ? क्या यह सही है कि उसकी ऊंचाई की वजह से गांवों को नुकसान होता था और इसलिये आपने यह फैसला किया कि यह बांध नहीं बनाया जाये ? क्या यह सरकार का अन्तिम निर्णय है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसी आधार पर तो बन्द कराया गया ।

श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी) : क्या यह सही है कि आपने एक टेक्निकल ऑफिसर भेजा है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा कि बांध बनाया जाये अथवा नहीं ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : हमने तो अकाल राहत मंत्री के कहने पर काम शुरू कराया । बाद में आठ दस गांवों ने प्रोटेस्ट किया कि इस बांध के बनने से हमारे खेत सूख जायेंगे । इस पर अकाल राहत विभाग से यह आदेश आया कि इस काम को बन्द कर दीजिये, तो हमने बन्द कर दिया ।

श्री दिनेश राय डांगी : 700 आदमियों की मजदूरी आपने वहां बन्द कर दी । अड़ोस पड़ोस में भी कोई काम नहीं चल रहा है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अकाल राहत विभाग के कहने पर ही बन्द कराया है ।

श्री शंकर लाल : मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट है कि ऐसा कोई बांध नहीं लेना चाहिये जिससे अन्य गांवों को नुकसान हो । पाली तहसील का पहले भी पानी रोका गया था और पानी नहीं होने से तालाबों में पानी नहीं जायेगा तो वहां पर पीने के

(श्री शंकरलाल)
पानी की व्यवस्था नहीं हो सकेगी। यह पानी तालाब में जाता है और उसे यदि रोक दिया गया तो बहुत परेशानी होगी। इसलिये यह बांध नहीं बनाना चाहिये।

श्री दिनेश राय डांगी : लूनी नदी में जो ट्रिब्युटरीज पड़ती है उसको ले लिया जाये, न कि छोटे मोटे बांधों को।

श्री सज्जन सिंह (सुमेरपुर) : क्या यह सही है कि यह जो काम बन्द किया गया है वह टेम्परेरी तौर से बन्द कर दिया गया है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : हमारी तरफ से तो इसको बन्द कर दिया गया।

प्रश्न संख्या 944

श्री अध्यक्ष : श्री राम प्रसाद बोहरा। (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गुरदयाल सिंह संधु।

नहरी पानी के गलत बंटवारे से फसलों की हानि

945. **श्री गुरदयाल सिंह संधु** (करणपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार कृषि विभाग की एक समिति नियुक्त कर गंग नहर क्षेत्र में इस बात की जांच करायेगी कि खरीफ 1972 में नरमें की फसल को (गंग नहर क्षेत्र में) नहरी पानी के गलत बंटवारे के कारण कपास देशी दालें व गवार आदि की फसल को कितनी हानि हुई है और प्रत्येक में काश्तकारों को क्या मुआवजा दिया जावेगा ? यदि हां, तो सरकार द्वारा यह जांच कब तक करवाई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(कुछ क्षणों तक सिंचाई मंत्री, श्री रामचन्द्र चौधरी के उत्तर न देने पर)

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : बीच में नहर टूट गई क्या ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : नहर नहीं टूटी, किसी ने मोगा खोल दिया।

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : खरीफ 1972 में गंग नहर क्षेत्र में पानी का बंटवारा सही हुआ और फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ अतः जांच के लिये किसी समिति को नियुक्त करने और मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : क्या 50 दिन तक किसी नहर के बन्द रहने से फसलों को हर्ज नहीं होगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : आपकी जानकारी के लिये मैं बता दूं कि 1969 में खरीफ की जो सिंचाई हुई है वह 329725 एकड़ हुई है, 1970 में 323439 एकड़ हुई और 1971 में 312134 एकड़ हुई। 1972 में 313546 एकड़ हुई ? तो कम कहां हुई ?

श्री गुरदयाल सिंह संधु : लेकिन वह मेचर नहीं हुई है। मैं आपको मिसाल दूं, सोमवार तारीख 16-10-72 को पानी आया, और उसके बाद फिर 4-12-72 को पानी आया। वह जो पानी बन्द रहा सोमवार को, तो जिनकी सोमवार की बारी रही होगी उनको 50 दिन के बाद पानी मिला।

Page No. 15

श्री रामचन्द्र चौधरी : अगर किसी की फसल खराब हो जाती है तो वह खेत के खराबे के लिये दरख्वास्त देता है। सन् 1972 में खरीफ में केवल 1750 एकड़ में खराबे होने की दरख्वास्तें आई जो कि आधा पर्सेन्ट भी नहीं होता है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : यहाँ तो जनरल बता रहे हैं। उसको देखा नहीं है। इरिगेशन एक्ट के रूल 32 को पढ़िये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : दरख्वास्त पर दी जाती है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : 42 दिन सन्डेवाला का बन्द रहा यह मेरे आंकड़े सही हैं। 3.12 को छोड़ा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : किस न्याय पर है? सैकड़ों माइनर्स हैं। सन्डेवाला पर पूरी तरह बन्द रहेगा तो क्या सब का खराबा होगा?

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : 10 फीसदी पानी ले रहे हैं, उसका एक उदाहरण नरमें की फसल का मैंने दिया। यदि यह मेरे आंकड़े सही हैं तो क्या आप उस नहर की चैकिंग करवायेंगे और हानि मानते हैं या नहीं?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जांच कराने के लिये दरख्वास्त दीजिये। जांच करवा लूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न का तात्पर्य यह है..

श्री अध्यक्ष : इनका तात्पर्य बता रहे हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न का तात्पर्य यह है कि आपका जो रोटेशन रहा है उससे 70 से 72 तक 12 हजार कड़ का वेरियेशन हुआ है। विभिन्न नहरों की शाखा और विभिन्न माइनर्स हैं। ऐसा कोई आप चार्ट बना कर प्रूव करेंगे?

श्री रामचन्द्र चौधरी : एक्स० ई० एन० रोटेशन पानी का करता है। कन्सलटेटिव कमेटी बनी हुई है। वे लोग बैठ कर तय करते हैं कि कौनसी चलेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कन्सलटेटिव कमेटीज के सामने यह तथ्य आये हैं कि कोई नहर 20 दिन कम चली और कोई 25 दिन कम चली।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसकी जांच करायेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वेरियेशन्स क्यों हैं और इनको कैसे दूर किया जा सकता है?

प्रश्न संख्या 946

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनारायण!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री चेतराम।

सवाई माधोपुर भूमि बैंक के अध्यक्ष

947. **श्री चेतराम** (टोडाभीम) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सच है कि सवाई-माधोपुर भूमि बैंक के अध्यक्ष, श्री हंसराज की सदस्यता पातरी बहुधन्धी सहकारी समिति, पातरी (करौली) ने समाप्त कर दी

(श्री चेतराम)

है और इस कारण उनकी सदस्यता सहकारिता से समाप्त हो गयी है ?

(2) क्या यह सच्च है कि पातरी बहुधंधी सहकारी समिति से उनकी सदस्यता समाप्त हो जाने के कारण (वे सदस्य न रहने के कारण) बैंक के अध्यक्ष पद से स्वतः ही मुक्त हो जान चाहिये थे परन्तु सरकार उन्हें अध्यक्ष पद से नहीं हटा पाई है ?

(3) क्या यह सच है कि पूर्व में भी सरकार ने ऐसे मौकों पर लोगों को पद से हटाया है ? इसके उदाहरण भूतपूर्व अध्यक्ष एपेक्स, बैंक के श्री नत्थीसिंह हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार नियमानुसार उन्हें हटा कर इस अवैधानिकता को दूर करेगी ?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री जुझारसिंह):

(1) जी नहीं। श्री हंसराज भूमि विकास बैंक सवाई माधोपुर के अध्यक्ष नहीं हैं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी नहीं। श्री नत्थीसिंह जी स्वतः ही पद से हटे थे। राज्य सरकार द्वारा नहीं हटाय गये थे। सवाई माधोपुर भूमि विकास बैंक के लिये प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजन नाथ आचार्य।

हनुमानगढ़ जिले के पास स्थित वन विभाग की नर्सरी

948. श्री केदारनाथ (गंगानगर): [श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) की अनुपस्थिति में]

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ जिले के पास स्थित वन विभाग की नर्सरी की जमीन दो मुरब्बा अथवा इससे अधिक की जिसको वन विभाग ने सन् 1971 में कोलोनाइजेशन विभाग में लिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जमीन कुछ समय पश्चात् अलवर के किसी व्यक्ति के नाम आवंटित करा दी गई जो अन्त में एक अन्य व्यक्ति को बेच दी गई ?

(3) यदि हां, तो जिसे आवंटित की गई एवं अन्त में जिसे बेची गयी, उनके नाम एवं बेची जाने की रकम बताने की कृपा करेंगे ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की नीति अथवा नियम के अनुसार कालोनाइजेशन विभाग द्वारा आवंटित की गई जमीन को 7 वर्ष पूर्व किसी को भी बेचने का अधिकार नहीं है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी):

(1) जी हां। तीस बीघा जमीन चक 17 एच० एच० एम० एच० वन विभाग की, सन् 1971 में ली गई।

(2) जी हां।

(3) (क) श्री मंगतूराम वल्द उदाराम को 25 बीघा भूमि आवंटित की गई।

(ख) श्री बनवारीलाल, ओम प्रकाश, नौरंगलाल व दीनदयाल मिसरान, रूपलाल अग्रवाल हिसारिया साकिन हनुमानगढ़ व

(श्री सिंचाई मंत्री)
श्री जगदीश राय, राजेन्द्रकुमार व राजकुमार पिसरान गंगाकिशन जाति अग्रवाल हिसारिया सा० हनुमानगढ़ को 80,000 रुपये में बेच दी।

(4) जी हां।

श्री केदारनाथ : यह जो जमीन की नेचर बदली किस विभाग से बदली ? वन विभाग से ली। क्लासिफिकेशन चैन्ज किया इसका क्या कारण है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : राजस्थान केनाल में वनों के लिये काफी जमीन रखी हुई है। फोरेस्ट के लिये अलग से प्रोविजन कर दिया है, इसलिये है।

श्री केदारनाथ : पार्ट 2 में अलाटमेन्ट किया है वह किस कारण से किया है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मृतक सैनिक के पिता को डिसएबल्ड एन्ड किल्ड इन एक्शन उसके नाते दिया है।

श्री केदारनाथ : जमीन बेचने के लिये उसने राज्य सरकार से इजाजत ली ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : कलेक्टर से ली।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह कैसा आवंटन है ? उसने अपनी जमीन बेच दी और राजस्थान सरकार ने उसको जमीन आवंटित कर दी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : एक सैनिक मारा गया। उसके बाप की यह जमीन डिसएबल्ड एन्ड किल्ड इन एक्शन की दृष्टि से अलॉट की। खुद की जमीन नहीं थी इसी जमीन को बेचा है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : यह नर्सरी तो भाखरा प्रोजेक्ट के लिये है। राजस्थान कैनाल की अलग नर्सरीज है। वे तो राजस्थान कैनाल एरिया में सिचुएटेड है। भाखरा कैनाल को प्रोवाइड करने के लिये कौनसी नर्सरी है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अलग अलग नर्सरी बनी हुई है। हनुमानगढ़ से फोरेस्ट के कई हजार एकड़ के वन है।

प्रश्न संख्या 949

श्री अध्यक्ष : श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 950

श्री मीठालाल मीणा

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखिये)

श्री केशरीमल।

ब्यावर शहर से विद्युत लाइन

951. **श्री केशरीमल** (ब्यावर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ब्यावर शहर से राजियावास, कालीजर, जवाजा, सूरतपुरा, तारागढ़ से जस्सा खेड़ा तक और भीम से बनजारा, बड़ा खेड़ा, बराखण्ड की तरफ तथा ब्यावर, जालिया, कांटरा, काबरा होते हुए भाटियों के बाड़े के पास जवाजा की तरफ ले जाई जाने वाली विद्युत लाइन से जोड़ने का कार्य राज्य सरकार शुरू कर रही है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा करा दिया जावेगा ?

विद्युत मंत्री (हरिदेव जोशी) : जी नहीं। ऐसी कोई योजना नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री केशरीमल : माननीय मंत्री महोदय, जवाजा पंचायत समिति ने चाहा है वहां तक बिजली ले जाने के लिये। उस स्थान को बिजली देने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : यह अलग प्रश्न है। आपने यह पूछा है कि अलग लाइन देने की कोई योजना नहीं, तो कोई योजना है। आप चाहते हैं कि अमुक जगह बिजली दी जाय तो सर्वे करवा कर दे सकते हैं।

श्री केशरीमल : यह बता दिया गया था कि पंचायत समिति ने एक दो स्थान छांटे थे कि वहां पर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था की जाय उसमें यह आता है इसलिये इसको लम्बा करके पूछा।

श्री हरिदेव जोशी : आपने यह पूछा है कि अमुक लाइन खींचने की व्यवस्था की है या नहीं ? मैंने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री केशरीमल : इन गांवों को बिजली देने की व्यवस्था कर रहे हैं क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : अभी कोई स्कीम बनी नहीं है इसलिये मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल।

जयसमन्द बांध से सिंचित भूमि

952. श्री देवीलाल (सराड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत वर्ष सन् 1972 में उदयपुर जिले में स्थित जयसमन्द बांध से कितनी भूमि सिंचित हुई थी ?

(2) इस वर्ष सन् 1973 में रबी की फसल में जयसमन्द बांध से कितनी भूमि सिंचित हुई ?

(3) सन् 1972 के मुकाबले 1973 में कम भूमि सिंचित होने का क्या कारण है ?

(4) क्या यह सही है कि जयसमन्द बांध में चितौड़गढ़ जिले की बागल नदी का पानी डाल कर जयसमन्द फीडर बनाने की योजना राज्य सरकार ने स्वीकृत की थी व इस कार्य का प्रारम्भ तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय ने करीब दो वर्ष पूर्व किया था ? यदि हां, तो इस कार्य को वापस बन्द क्यों कर दिया गया ?

(5) क्या जयसमन्द फीडर का कार्य राज्य सरकार द्वारा पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हां, तो इस पर कितनी रकम लगेगी व कार्य कब तक समाप्त होगा ?

उत्तर

सिंचाई मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) गत वर्ष सन् 1971-72 में जयसमन्द बांध से 17,148 एकड़ भूमि सिंचित हुई।

(2) इस वर्ष सन् 1973 में रबी की फसल में 3474 एकड़ भूमि सिंचित हुई।

(3) वर्षा न होने के कारण बांध में पानी नहीं आने के कारण सन् 1972 के मुकाबले में 1973 में सिंचाई कम हुई।

Page No. 19

(श्री सिचाई मंत्री)

(4) जी नहीं। तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय द्वारा शिलान्यास करीब दो वर्ष पूर्व किया गया था। परन्तु योजना की स्वीकृति न हो पाने के कारण इस पर काम नहीं कराया जा सका।

(5) योजना की स्वीकृति के बाद ही इसे आरम्भ कराया जा सकेगा। इसकी अनुमानित लागत 194 लाख रु० है।

श्री देवीलाल : यह स्वीकृत कब तक होगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह तो सी० पी० डब्ल्यू० डी० करायेगी। मिडियम प्रोजेक्ट है वहां भेजा जावेगा। वहां से स्वीकृति आने पर काम कराया जा सकेगा।

श्री देवीलाल : कब तक भेजी जावेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यहां से हम भेज देंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : शिलान्यास का क्या रखा है वह भी योजना के साथ है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शिव शंकर भगवान का मन्दिर बना दिया जाय।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसकी मन्जूरी तो वहां से लेनी पड़ती है। उसके पहले शिलान्यास हुआ। नहीं होना चाहिये था वह हो गया। इसको वहां पर भेजेंगे और स्वीकृति आने पर हम इसको शुरू करायेंगे।

श्री विद्यासागर : इसको जल्दी करवाने की इच्छा है या नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इच्छा तो सब की है। उसको पूरा करायेंगे।

श्री नानालाल : ऊपर वाले बनायें चाहे आप बनायें, बनायें जरूर।

प्रश्न संख्या 953

श्री अध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 954

श्री रामसिंह विश्नोई !

(अनुपस्थि, कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी !

भूतपूर्व जागीर कर्मचारियों की राज्य सेवा में नियुक्ति

955. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्तमान तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार पद पर कितने ऐसे अधिकारी नियुक्त है जिन्हे बतौर भूतपूर्व जागीर कर्मचारी राज्य सेवा में नियुक्त किया ? सूची सदन की मेज पर रक्खें।

(2) ऐसे अधिकारियों को सर्व प्रथम कब और किस पद पर नियुक्त किया गया ? कृपया नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) ऐसे अधिकारी किस किस भूतपूर्व जागीर के कर्मचारी थे और उन्हे राज्य सेवा में किन प्रमाणों के आधार पर नियुक्त किया गया था ? कृपया नामवार सूची सदन की मेज पर रक्खें।

(श्री भगराज चौधरी)

(4) ऐसे अधिकारियों की वरिष्ठता तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार पद पर किस किस क्रम पर अंकित है और उनकी वरिष्ठता किन नियमों के अधीन निर्धारित की गई है।

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) तहसीलदार 5 नायब तहसीलदार 15 सूची संलग्न है।

(2) वांछित सूचना संलग्न सूची के कॉलम 4 व 5 में उपलब्ध है।

(3) जिन जागीरों में से ये कर्मचारी लिये गये हैं उनके नाम संलग्न सूची के कालम 2 में अंकित हैं। जागीरदारों से प्राप्त प्रमाण-पत्रों में अन्तिम वेतन प्रमाण पत्रों एवं उनके सेवा सम्बन्धी अन्य रिकार्ड के आधार पर उनको राज्य सेवा में नियुक्ति दी गई थी।

(4) वरिष्ठता का क्रम संलग्न सूची के कालम 3 में अंकित है। उनकी वरिष्ठता राजस्थान लैण्ड रिकार्डस एवं जागीर रिजम्पशन (समावेषण जागीर कर्मचारी) नियम, 1954 के नियम 5 एवं राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम के नियम 32 के अन्तर्गत निर्धारित की गई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एसे कौनसे ठोस प्रमाण थे जिनके आधार पर इनको भूतपूर्व जागीर एम्पलोयी मानकर तहसीलदार और नायब तहसीलदार बनाया गया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह मैं अपने उत्तर के भाग तीन में निवेदन कर चुका हूं।

श्री भगराज चौधरी : नायब तहसीलदार की क्रम संख्या में क्रम संख्या 13 पर पदमसिंह है, क्रम संख्या 5 पर श्री रूपसिंह है, एवं क्रम संख्या 12 पर गणपतसिंह है। वे मेरी स्वयं की जानकारी में है कि जिन तारीखों में इन्होंने जागीर में नोकर होना बताया है उन दिनों में ये कॉलेज में विद्यार्थी थे या बोर्डिंग हाउस में सुपरिण्टेण्डेन्ट थे। झूठे सर्टीफिकेट पेश करके इन्होंने राजस्थान सरकार को धोखा दिया है। क्या राज्य सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करके उचित कार्यवाही करने को तैयार है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : बिल्कुल। आप लिखित में सारी जानकारी देंगे तो अवश्य जांच करा ली जावेगी।

श्री भगराज : इसी तरह तहसीलदार डूंगरसिंह कतई जागीरदार के एम्पलोयी नहीं थे। इसलिये निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार इस बारे में विजिलेन्स कमीशन से जांच करवाए और अगर यह मालूम हो कि ये वास्तव में जागीरदारों के एम्पलोयी नहीं थ तो इनको सेवा से तुरन्त टर्मिनेट किया जावे।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने जैसे निवेदन किया आप लिखित में जानकारी देंगे तो जांच करवा लूंगा और उस पर जरूर कार्यवाही करूंगा। इसमे शक नहीं करें।

श्री भगराज : मंत्री महोदय, सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ले कि जो तथ्य मैंने पेश किये हैं उनके आधार पर वे जानकारी करेंगे और जांच भी करावेंगे ?

श्री अध्यक्ष : कर लिया न।

श्री भगराज : निष्पक्ष बाडी से ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : तीन बार तो कह दिया ।

श्री भगराज : अध्यक्ष महोदय, मैंने जांच की मांग विजिलेन्स कमीशन के द्वारा की है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चौथी बार और मांग की है ।

श्री भगराज : I wish that an enquiry should be held so that the matter is investigated imparti ally and thoroughly. The government should be clear in this regard that this enquiry will be conducted by the vigilence commission only.

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसकी पूरी जांच मैं करवा लूंगा । निष्पक्ष करवा लूंगा ।

श्री भगराज : किससे करवा लेंगे ? मुझे भय है कि आप इसकी जानकारी और जांच रेवेन्यू बोर्ड से करवाएंगे, तब तो सच्चाई कभी सामने नहीं आवेगी क्योंकि उसने भी इसमें इनके साथ काफी तरफदारी बरती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मामला गम्भीर है ।

श्री भगराज चौधरी : मेरी मांग है कि विजिलेन्स कमीशन से इसकी जांच करवाई जावें ।

श्री अध्यक्ष : This cannot be fixed here.

श्री भगराज : मेरे प्रश्न का स्पेसिफिक जवाब नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : This cannot be possible here.

श्री नाथूराम ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12-3-73)

बांसवाड़ा जिले के मार्गों पर चलने वाली बसें

432. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बांसवाड़ा जिले में किस किस मार्ग पर कितनी कितनी बसें चल रही हैं तथा उनके परमिट किस किस के नाम हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि इन बस मालिकों द्वारा सरकार को देय टैक्स आदि नियमित रूप से जमा नहीं कराये जाते है ? यदि हां, तो वसूली के लिए कब कब, क्या क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो गत तीन वर्ष में प्रत्येक बस पर कितना कितना रोड टैक्स, आर० पी० जी० टी० टैक्स असेस किया और उसकी कितनी कितनी वसूली कब हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह सत्य है कि इन मार्गों पर दिये जाने वाले परमिटों में व्यक्ति विशेष को संरक्षण दिया जा रहा है और नये उत्साही चालकों की उपेक्षा की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो विगत 5 वर्षों में किस किस मार्ग पर किस किस ने आवेदन पत्र दिये और किस किस को परमिट मिले ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

Page No. 22

(श्री नाथूराम)

(4) क्या यह सत्य है कि बांसवाड़ा जिले में श्री मणीलाल स्वर्णकार के परिवार के सदस्यों के नाम सर्वाधिक बसें हैं और इन बसों में से रूट पर चलाने के बजाय कुछ बसें लम्बी यात्राओं में चलाई गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो विगत दो वर्षों में यात्राओं के लिए इन्हें कितनी कितनी बसों के परमिट कब कब दिये गये और कितनी कितनी अवधि के ?

(5) क्या यह सत्य है कि डूंगरपुर-बांसवाड़ा, बांसवाड़ा-गलियाकोट एवं कुशलगढ़-बांसवाड़ा आदि रूट पर चलने वाली श्री मणीलाल स्वर्णकार एवं इसके परिवार के सदस्यों की बसों के कर्मचारियों का आम यात्रियों के साथ व्यवहार ठीक नहीं होने की आम शिकायतें पेश हुई हैं, चालान भी हुए हैं ? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही हुई तथा उसके परिणाम क्या रहे ?

यातायात मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं। अधिकतर बस मालिक समय पर ही टैक्स जमा कराते हैं । जो नहीं कराते उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है और ऐसे मामलों में की गई कार्यवाही के बारे में सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है। गत तीन वर्षों में प्रत्येक बस पर कितना कितना रोड टैक्स, पैसेन्जर टैक्स असेस किया गया और कितनी कितनी वसूली हुई की सूची (ग) और (घ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं । सूची (ड) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, यह मणीलाल स्वर्णकार के नाम की काफी बसें चल रही हैं और इनमें से अधिकतर बस रूट छोड़कर चार चार महीनों के लिये यात्रा के लिये ले जाई जाती हैं तो क्या सरकार की यह नीति है कि एक व्यक्ति को दो तरह के परमिट दिये जावें ।

श्री हरिदेव जोशी : नियमानुसार परमिट दिये जाते हैं । इसमें कहीं कोई ऐतराज की बात नहीं है।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, एक परिवार के नाम पर इतनी बसों के परमिट क्यों दिये जाते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : अभी तक कानून में यह लिखा नहीं है । इसलिये मैं इस बारे में कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, गये साल भी यह प्रश्न आया था इस परिवार के बारे में। यात्रियों के साथ इसके कर्मचारियों का व्यवहार भी अच्छा नहीं है कई बार इसके चालान हुए । पर सरकार की ओर से एक में भी सजा नहीं मिली ?

श्री हरिदेव जोशी : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इस नीति पर सरकार पुनर्विचार कर रही है कि एक ही आदमी के हाथ में इतना धन्धा इकठा न होने पावे ?

श्री हरिदेव जोशी : अब किसी को नया परमिट देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री नाथूराम : क्या यह सरकार की समाजवादी नीति है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह कह नहीं सकता क्योंकि ये परमिट पहले से दिये हुए हैं ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इनका बंटवारा क्यों नहीं कर दिया जाता ?

श्री हरिदेव जोशी : इन सबका नेशनेलाइजेशन किया जा रहा है ।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 23-3-73)

प्रतापगढ़ में यूरिया खाद का वितरण

706. **श्री हरलाल मीणा** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ महालक्ष्मी क्रय-विक्रय सहकारी समिति के मैनजर श्री चाँदमल लोढ़ा ने यूरिया व अन्य खाद प्रतापगढ़ के किसानों को नहीं देकर मंहगे भाव से मन्दसौर, मध्यप्रदेश में बेचा गया है ? यदि हां, तो कब और कितनी बोरी बेची गई ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि इसी समिति के एक सदस्य ने यूरिया व अन्य खाद मध्यप्रदेश में बेचने के सम्बन्ध में मैनेजर के खिलाफ मय सबूत के एक लिखित शिकायत पत्र तारीखं 8-2-73 को जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ और उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उदयपुर को दिया है ? यदि हां, तो उक्त शिकायतपत्र की क्या जांच हो गई है ? यदि हां, तो कब ?

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री जुझार सिंह) : शिकायत-पत्र दिनांक 8-2-73 की जांच उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उदयपुर से कराई जा रही है ।

श्री हरलाल मीणा : यह जांच कराई जा रही है या हो गई ?

श्री जुझारसिंह : जांच के लिए दी हुई है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है । जांच कर रहे हैं ।

श्री हरलाल मीणा : फरवरी में दी गई जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं आने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 23-3-73)

मिलिटरी में डेपूटेशन पर भेजे गये डॉक्टर

710. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर): क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान सरकार के अधीन कार्य करने वाले कितने डॉक्टर मिलिटरी में डेपूटेशन पर समय समय पर सेवा करने के लिये भेजे गये हैं और उनमें से कितने वापिस राज्य सेवा में आ गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि डेपूटेशन से वापिसी पर कुछ डॉक्टरों की तनख्वाह का फिक्सेशन नहीं हुआ है और बिना फिक्सेशन डॉक्टरों को तनखा मिलना बन्द हो गई है ?

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(3) यदि हां, तो ऐसे कितने डाक्टर हैं और उनका फिक्सेशन न होने के क्या कारण हैं और अब उनको कब तक तनख्वाह मिल जावेगी ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) 67 डॉक्टर मिलिटरी में डेपूटेशन पर भेजे गये थे। उनमें से 19 राज्य सेवा में आ गये हैं।

(2) जी हां, सिर्फ एक डॉक्टर की तनख्वाह नहीं मिल रही है।

(3) 6 डॉक्टरों का फिक्सेशन नहीं हुआ है। यह सत्य नहीं है कि उनको वेतन नहीं मिल रहा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक डॉक्टर को तनख्वाह मिलना बिल्कुल बन्द हो गया है फिर यह कौन देखेगा ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं देख रहा हूं।

श्री बद्रीप्रसाद : जल्दी कर दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : बहुत ठीक।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 23-3-73)

प्रश्न संख्या 732

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल जोशी,

प्रश्न संख्या 932

श्री जवाहरमल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 934

श्री जगमोहनसिंह

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 942

श्री मालाराम

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 944

श्री रामप्रसाद बोहरा

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 946

श्री शिवनारायण

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 949

श्री जय किशनलाल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 950

श्री मीठालाल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 953

श्री हरिश्चन्द्र

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 954

श्री रामसिंह

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न संख्या 732

श्री गोपाल जोशी

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न समाप्त हुए।

Page No. 25

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

रामथलिया बांध (जिला भीलवाड़ा) के डूब में आई जमीन का मुआवजा

932. **श्री जवाहरमल जाट (सहाड़ा):** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(1) क्या यह सही है कि तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा में निर्मित रामथलिया बांध की डूब में (पेटे) आई अधिकांश जमीन का उनके स्वामी काश्तकारान को अब तक राज्य सरकार ने मुआवजा की रकम अदा नहीं की है और न उन्हें बदले में जमीन ही दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त बांध की डूब में किन-किन काश्तकारों के कितने कुए आये हैं व उन्हें कितना मुआवजा दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम धांगडास, जो तीर पर स्थित है, बांध भरने पर उसका पानी बहुत से मकानों के अन्दर प्रवेश कर जाता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उन्हें अन्य कहीं बसाने के लिये सोच रही है ? यदि हां, तो वह कहां और कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, क्योंकि अधिकांश काश्तकारान उनके खाते में ही जमीन रखना चाहते हैं ।

(2) सूची संलग्न है । मुआवजा अभी नहीं दिया गया है ।

(3) जी हां । मुआवजा देने की कार्यवाही जारी है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

छबड़ा से सालपुरा कवांई रोड़ पर अंधेरी नदी पर पुल

934. **श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(1) छबड़ा से सालपुरा कवाई रोड़ पर अंधेरी नदी पर पुल बनाने का कितने रुपये ऐस्टीमेट है और अब तक इस पुल के निर्माण पर कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि छबड़ा कस्बा, जो सब-डिविजनल हैड क्वार्टर है, को जिले से जोड़ने हेतु यह एक मुख्य पुल है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस वर्ष के बजट में इसे बनवाने के लिए वांछित धन राशि एलॉट करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) 7 लाख रुपये का एस्टीमेट है । अर्थाभाव के कारण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ?

(2) जी, हां ।

(3) वर्ष 73–74 में 90,000) रु० का प्रावधान किया गया है ।

मावण्डा खुर्द, तहसील नीम का थाना के पास पत्थर की खान

942. **श्री मालाराम** (नीम का थाना): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मावण्डा खुर्द, तहसील नीम का थाना से बनाई खेतड़ी रोड के उत्तर में सड़क के सहारे किसी पत्थर की खान चालू है ? यदि हां, तो वह किसके नाम से व कितने साल से चालू है ?

(2) उपरोक्त खान कितनी गहरी खुद चुकी है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त खान गहरी होने के बावजद भी कोई बिजली, हवा व प्राथमिक चिकित्सा का कोई साधन नहीं है ? यदि हां, तो क्या ऐसी स्थिति में सरकार खतरनाक खान को बन्द कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। खान चालू नहीं है।

(2) सड़क के पश्चिम में जो पिट है उसकी गहराई 45 फीट है तथा जो पिट सड़क के पूर्व में है उसकी गहराई 62 फीट है।

(3) खान में कार्य बन्द होने से बिजली, हवा व प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था आवश्यक नहीं होती।

रायपुर वन श्रमिक सोसायटी लि०, जिला झालावाड़

944. **श्री राम प्रसाद बोहरा** (झालरा पाटन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रायपुर वन श्रमिक सोसायटी लि. तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ को तारीख 12-4-70 से बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों और किस की आज्ञा से ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सोसायटी घाटे में चल रही है ? यदि हां, तो कितना कितना कर्जा किस किस पर है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उक्त सोसायटी की प्रापर्टी कितनी है और उसकी कीमत अभी कितनी है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सोसायटी से 250 व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा था ? इसके बन्द हो जाने से ये लोग बेकार हो जावेंगे ? यदि हां, तो सरकार इसे चालू क्यों नहीं करना चाहती ?

(स्थगित किया गया)

बारां से मांगरोल सड़क की मरम्मत

946. **श्री शिवनारायण** (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बारां से मांगरोल सड़क की मरम्मत पिछले कितने वर्षों से नहीं कराई गई है ?

(श्री शिवनारायण)

(2) क्या यह सत्य है कि सड़क की दशा इतनी खराब हो चकी है कि बारां से मांगरोल 16 मील तक बस, को पहुंचने में 3 घंटे का समय लगता है ?

(3) क्या यह सत्य है कि गत बारिश में 22 दिन तक इस रूट पर कोई बस नहीं जा सकी और बसों को पास करने हेतु कोयला रूट पर पड़ी हुई मिट्टी को खड्डों में डलवाकर 5 मील घंटा की रफ्तार से बस चल सकने की हालत में करवाया गया ?

(4) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार आगामी बारिश से पूर्व ही इस सड़क को ठीक करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) साधारण मरम्मत प्रति वर्ष की जाती है।

(2) छः मील खराब है। बारां से मांगरोल तक बस द्वारा समय लेने की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(3) साधारण मरम्मत कर सड़क बस यातायात चालू करवा दिया था।

(4) वर्ष 73-74 में उपलब्ध धनराशि अनुसार मरम्मत कार्य कराया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत मोहनपुरा के गांवों का विद्युतिकरण

949. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, बस्सी जिला, जयपुर की ग्राम पंचायत मोहनपुरा के अन्तर्गत तीन गांवों की अनुसूचित जाति/जन-जाति की बस्तियों में विद्युतिकरण के लिए कोई कार्यवाही चली थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम मोहनपुरा, मोम्याला एवं श्यामपुरा में इस वर्ग की बस्तियों में विद्युतिकरण का एस्टीमेंट तैयार करने के लिए विद्युत विभाग को लिखा गया है ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त गांवों में आबादी क्षेत्र के समीप खेती के कुओं में विद्युतिकरण हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त वर्ग की बस्तियों में विद्युतिकरण करने में विद्युत विभाग को क्या आपत्ति है ?

(4) क्या सरकार उक्त गांवों में इस वर्ग के लोगों की आबादी को ध्यान म रख कर सरकार कुटीरधन्धों में जान लाने की दृष्टि से विद्युतिकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह विद्युतिकरण कब तक हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। कुछ कुओं को पड़ौस के स्वीकृत गांवों के ट्रांसफार्मर्स से कनेक्शन दिये गये हैं। ये गांव विद्युतिकरण के लिये नियमित रूप से स्वीकृत नहीं ह, इस कारण इन गांवों की बस्तियों में बिजली नहीं दी गई है।

(4) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

सवाई माधोपुर व जयपुर जिले के बांध

950. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर व जयपुर जिले में राजस्थान के निर्माण से पूर्व के कुल कितने सिंचाई बांध हैं जो सरकार जयपुर स्टेट के भूतपूर्व शासकों से संभाले थे ?

(2) उक्त बांधों से सरकार को अब तक कुल कितनी आमदनी हुई ?

(3) आज तक अलग अलग कितना धन सरकार ने उक्त बांधों के विकास, सुधार, आदि कार्यों पर खर्च किया ? पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सच है कि सवाई माधोपुर जिले के मोरासागर बांध व लालसोट तहसील के विनोरी सागर पर सरकार ने विकास व सुधार हेतु कोई खर्च नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर के 74 बांध व जयपुर जिले के 102 बांध भूतपूर्व शासकों से संभाले थे ?

(2) इन बांधों से अब तक क्रमशः 21.07 लाख व 26.49 लाख रुपये की आमदनी हुई ?

(3) इन बांधों पर अब तक क्रमशः 51.76 लाख रुपया व 33.57 लाख रुपया खर्चा किया गये ।

(4) जी नहीं । खर्चा किया है ।

तहसील गंगापुर में तालाब बनिया वाला का पेटा का आवंटन

953. **श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) उदेह कला, तहसील गंगापुर, जिला सवाई माधोपुर में खसरा नम्बर 403/1 तालाब बनिया वाला का पेटा सम्वत् 2025 में किन किन व्यक्तियों को आवंटित हुआ था ?

(2) क्या यह सच है कि उक्त खसरा दुबारा आवंटित न होकर पूर्व आवंटित व्यक्तियों द्वारा ही काश्त किया जाता रहा और लगान भी उनसे ही वसूल हुआ ?

(3) क्या यह सच है कि यह आवंटन हरिजनों को किया गया था और उनकी फसल काटकर कुछ व्यक्तियों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार हरिजनों के साथ की जा रही गैर कानूनी कार्यवाही को किस प्रकार रोकने की सोचती है ?

उत्तर

(1) व्यौरा संलग्न सूची में अंकित है ।

(2) जी हां, यह सत्य है ।

(3) आवंटन अनुसूचित जाति के सदस्यों को किया गया था । फसल काट कर अन्य व्यक्तियों द्वारा परेशान करने सम्बन्धी मामला न्यायालय मुंसफी, सवाई माधोपुर में चल रहा है ।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

राजस्थान के गांवों का विद्युतिकरण

954. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के कितने गांवों का 1972-73 में विद्युतिकरण किया गया? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष जोधपुर जिले की पंचायत समिति बिलाड़ा-मंडोर-लूनी-शेरगढ़-बालेशर-फलौदी के एक गांव को भी विद्युतिकरण में नहीं लिया गया? यदि हां, तो किसी गांव में बिजली दिये जाने का क्या मापदण्ड है?

(3) क्या इस वर्ष जोधपुर जिले के गांवों का विद्युतिकरण करने का राज्य सरकार विचार रखती है? अगर हां, तो क्या 1972-73 की कमी 1973-74 में पूरी की जा सकेगी?

उत्तर

(1) वर्ष 1972-73 में (फरवरी, 73 तक) राजस्थान में कुल 716 गांवों का विद्युतिकरण किया जा चुका है। जिलेवार सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) गांवों के विद्युतिकरण के आंकड़े पंचायत समितिवार विद्युत मण्डल में नहीं रखे जाते हैं। जोधपुर तहसील के 4 गांवों का और बिलाड़ा तहसील के 14 गांवों का विद्युतिकरण इस वर्ष (72-73) में किया जा चुका है। तहसील शेरगढ़ व फलौदी के किसी भी गांव को इस वर्ष विद्युतिकरण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जा सका है। नये गांवों को विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत करने का आधार उसकी विद्यमान उप-प्रसारण प्रणाली से निकटता, पर्याप्त मात्रा में कृषि सम्बन्धित भार का होना व उसका जिला कृषि उत्पादन समिति द्वारा अनुमोदित होना, धन की उपलब्धि व स्कीम का तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से साध्य होना आवश्यक है।

(3) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 23-3-73)

पी. बी. एम. हास्पिटल, बीकानेर में वातानुकूलन की व्यवस्था

732. **श्री गोपाल जोशी** (बीकानेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बीकानेर पी. बी. एम. हास्पीटल में वातानुकूलन व्यवस्था आपरेशन थियेटर आदि के लिए कब से शुरू की गई?

(2) इसके लिए वातानुकूलन यूनिट कहां से, कब, कितने में खरीदा गया?

(3) उक्त यूनिट चालू करने के बाद कितने दिन तक चालू रहा और फिर कब खराब हुआ? यदि खराब हुआ तो क्यों हुआ? इसकी मरम्मत कब करवाई गई? मरम्मत पर कितना खर्च हुआ और पुनः कब चालू किया गया तथा कितने दिन फिर चालू रहा? अभी चालू है या बन्द है?

(4) उपरोक्त वातानुकूलन यूनिट कितनी क्षमता का है, वह किस मेक का

(श्री गोपाल जोशी)

है ? क्या इस यूनिट में गर्म रखने की भी व्यवस्था है ? यदि है तो क्या इसे कभी चालू भी किया गया ?

उत्तर

(1) दिनांक 4 जून, 1970 को ।

(2) मेसर्स बोम्बे अमोनिया, नई दिल्ली से 2,20,612·70 रु० में दिनांक 22-2-66 को खरीदा गया ।

(3) यूनिट चालू किए जाने के बाद गर्मी की ऋतु में बराबर कार्य किया । तकनीकी गड़बड़ी के कारण कुछ दिन के लिए बन्द रहा । फिर अप्रेल, 1971 से चालू किया गया और 25 दिन तक चालू रहा । इसके बाद इसमें तकनीकी गड़बड़ी पैदा होने लगी । कम्पनी के इन्जिनियर को गड़बड़ी देखने बुलाया गया । लेकिन उनके द्वारा गड़बड़ी ठीक नहीं की जा सकी । यूनिट की खराबी की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी गठित की है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है ।

(4) किर्लोस्कर मोडल के० के० 20×110 का है। जिसकी क्षमता 53·7 टी० आर० है ।

जी हां, मशीन की खराबी के कारण चालू नहीं किया जा सका ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भारत-पाक युद्ध अपाहिज सैनिकों को सहायता एवं सुविधा

578. **श्री निरन्जननाथ आचार्य** (मावली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सन् 1971 के भारत–पाक के युद्ध में राजस्थान के कौन कौन से सैनिक मारे गये और उनकी राज्य सरकार को कब कब सूचना प्राप्त हुई है ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन मृतक एवं अपाहिज सैनिकों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कब कब, किस किस प्रकार की, क्या क्या सहायता एवं सुविधा प्रदान की गई है ? कृपया इसकी भी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) उपरोक्त सहायता एवं सुविधा इन सैनिकों को प्राप्त हो गई है इसकी जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा किस प्रकार की व्यवस्था की गई है और उस व्यवस्था के अन्तर्गत अब तक किन किन सैनिकों एवं सैनिक परिवारों से राज्य सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(4) इन शिकायतों पर राज्य सरकार द्वारा कब कब, क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) भारत–पाक युद्ध 1971 के युद्ध में मारे गये सैनिकों संबंधी सूचना की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है जिसमें पूरा ब्यौरा उपलब्ध है ।

(2) यह सूचना सदन की मेज पर रखी तालिका में उपलब्ध करा दी गई है ।

(3) सचिव, राजस्व (सैनिक कल्याण विभाग) के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या एफ 11(7) राज/ग्रुप–7/ एस० डब्ल्यू० । 71 दिनांक 31-5-72 के द्वारा समस्त जिला

(राजस्व मंत्री)

धीशों को निर्देश दिये गये थे कि वे सैनिकों की विधवाओं तथा विकलांग, घायल सैनिकों को मिलने वाली सहायता एवं सुविधायें तुरन्त उपलब्ध करावें तथा किसी पदाधिकारी को इस कार्य के लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनायें । यदि सचिव, जिला सैनिक मंडलों की सेवाओं की आवश्यकता हो तो उनका लाभ उठावें । इस व्यवस्था के अन्तर्गत किसी पदाधिकारी के विरूद्ध कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई । अलबत्ता कुछ लोगों की ओर से भूमि के आवंटन के संबंध में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई कि उन्हें राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आवंटन न किया जाकर जिले में ही भूमि आवंटन की जावे । कुछ लोगों ने केवल 12-1/2 बीघा सिंचित भूमि आवंटन के संबंध में आक्षेप किया जबकि नियमानुसार यही उचित है । कुछ शिकायत जनरल टाईप की ऐसी प्राप्त हुई हैं कि जिन मामलों में सैनिक कल्याण विभाग अन्य विभागों को केवल अपनी सिफारिश ही कर सकता था और वह की गई । इनमें पेन्शन की रकम दिलवाना, मकान हेतु प्लॉट दिलाना तथा सहायतार्थ वित्तीय अनुदान दिलाना आदि शिकायतों का दिनांक उपरोक्त तालिका में उपलब्ध है ।

(4) यह ब्यौरा तालिका में उपलब्ध करा दिया है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्कालय में रखी गई ।)

जयपुर नगर की 12 मील की परिधि क्षेत्र में पुन: सर्वे व पुनः अभिलेख कार्य

579. **श्री हनुमान सहाय** (बैराठ): **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर की 12 मील की परिधि क्षेत्र में कार्य पुन: सर्वे एवं पुन: अभिलेख कराने के लिये राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 106 और 107 की विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र में कराया जाना आवश्यक था ।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर नगर के 12 मील क्षेत्र में आने वाले समस्त ग्राम पूर्व में ही सर्वेक्षित व अभिलेख थे ?

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ समय पूर्व उस क्षेत्र के लिये पुन: सर्वे व पुन: भू-अभिलेख कार्य बन्द कराये जाने की विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई है ? यदि हां, तो किस किस धारा के अन्तर्गत ?

(4) क्या यह भी सही है कि अभिभावकों द्वारा इस बाबत निवेदन किये जाने पर धारा 107 के तहत कार्य बन्द नहीं कराया गया है ? अत: उज्रदारी सुनी जावे ? यदि हां, तो उज्रदारी का कार्य क्यों बन्द किया गया ? क्या राज्य सरकार पेंडिंग उज्रदारियों की सुनवाई की व्यवस्था कर जनता को राहत देने की कार्यवाही करेगी ? गरीब जनता को जो हानि एवं कठिनाई हुई उसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है ।

(2) जी हां ।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी हां।

राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 106 व 107 के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। धारा 106 के अन्तर्गत जारी की गई विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र में दिनांक 8-2-73 को हो चुका है। तथा धारा 107 की विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को दिनांक 24-3-73 को भेजी जा चुकी है।

(4) यह सही नहीं है। उजरदारी सुनाई कार्य जिस स्तर पर है, प्रारम्भ है। जब पेंडिंग उजरदारियां जिस स्तर पर हैं सुनवाई का कार्य चालू है, तो पेंडिंग उजरदारियों की सुनवाई की व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

छः माही नहरों का बारहमासी नहरों में परिवर्तन

580. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गंगनहर क्षेत्र में मोतीराम कमेटी की सिफारिशों के अनुसार लालगढ़ व समेजा छः माही नहरों को कब बारहमासी नहरों में परिवर्तित किया जा रहा है तथा करनी जी व सुनेजा नहरों को राजस्थान नहर के साथ कब जोड़ा जा रहा है और गंग नहर क्षेत्र में कितनी असिंचित भूमि को सिंचित कब तक बनाया जावेगा? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(अ) पोंग बांध पूरा हो जाने पर ही यह कार्य किए जाने हैं।

(ब) इस रिपोर्ट के अनुसार गंगनहर क्षेत्र की 58,000 एकड़ असिंचित भूमि को पोंग बांध के पूरा हो जाने के बाद सिंचित घोषित किया जाने की सिफारिश है।

तहसील पिड़ावा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त स्थान

581. श्री हाजी जान मोहम्मद (पिड़ावा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

तहसील पिड़ावा (जिला झालावाड़) में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने स्थान कब से रिक्त हैं और इन स्थानों को क्यों नहीं भरा जा रहा है? क्या यह सही है कि उक्त रिक्त पदों के लिये कितने व्यक्तियों ने नौकरी हेतु आवेदन-पत्र दिये है? यदि हां, तो किस किस ने? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

तहसील पिड़ावा में मार्च सन्, 1972 से जुलाई, 1972 तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल 6 स्थान रिक्त थे जो सरकार द्वारा प्रतिबन्ध होने से एवं एन० ए० सी० (अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र) जारी न होने से नहीं भरे जा सके। नौ उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुये जिनकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये।)

मोगे की तबदीली

582. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चक 18 एल० जी० डब्ल्यू०

(श्री गुरदयालसिंह संधु) भाखड़ा क्षेत्र जिला गंगानगर का मोगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि मोगे की तबदीली के कारण 18 मुरब्बों की आबपाशी में कमी आई है ?

(3) उक्त क्षेत्र की जिस भूमि पर आबपाशी कम हुई है उसका क्या कारण है और इस कमी को कब तक पूरा किया जायेगा ? गत 5 वर्षों की आबपाशी का विवरण सदन की मेज कर रखें ।

उत्तर

(1) चक नं० 18 एल० जी० डब्ल्यू० के पश्चिमी भाग के काश्तकारों एवं चक 16, 17, 20 एल० जी० डब्लू० व चक 9 और 10 एस० जी० आर० के कुछ काश्तकारों की शिकायत थी कि उनको उनके संबंधित मोगों से पानी ठीक नहीं लगता अतः उनकी मांग के औचित्य पर चक 18 एल० जी० डब्लू० के दो मोगे 'ए' और 'बी' पत्थर लाईन 13.8 व 20 पर उपरोक्त चकों के कुछ मुरब्बे एक चक से दूसरे चक में बदल कर रबी 71-72 से मंजूर कर दिये गये ताकि सिंचाई अच्छी हो सके ।

(2) जी नहीं ।

(3) सिंचाई कम नहीं हुई । गत पांच वर्षों की सिंचाई की सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

गंगनहर क्षेत्र की बारानी भूमि

583. **श्री गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

मोतीराम कमेटी की सिफारिश के अनुसार गंगनहर क्षेत्र के बी० बी० माईनर पर कितना असिंचित क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लिया जा रहा है और चक 1 डी० डी०, चक 2 डी० डी० व चक 24 बी० बी० को कितनी बारानी भूमि को सिंचित क्षेत्र में सम्मिलित किया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें । यदि इस क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया जा रहा है तो क्यों तथा इसे कब तक सम्मिलित किया जावेगा ?

उत्तर

श्री मोतीराम कमेटी की सिफारिश अनुसार कुल 58,000 एकड़ असिंचित भूमि को पोंग डैम पूरा होने के बाद सिंचित घोषित करने की सिफारिश है । इसका अभी तक चक वार ब्यौरा तैयार नहीं किया गया इसलिये यह बताना संभव नहीं है कि किस किस चक में कितने कितने असिंचित क्षेत्र को सिंचित घोषित किया जावेगा ।

तहसील पिड़ावा के किसानों के जमीन संबंधी विचाराधीन मुकदमें

584. **श्री हाजी जान मोहम्मद** (पिडावा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि तहसील पिड़ावा (जिला झालावाड़) के किसानों के मुकदमे, जिनकी एक की जमीन दूसरे खातेदार के

(श्री हाजी जान मोहम्मद)
सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा बांध दी, गई एस० डी. ओ., झालावाड़ की अदालत में चल रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे मुकदमें कितने हैं और किन किन के ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

जी हां, इस प्रकार के 10 मुकदमें चल रहे हैं जिनकी सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

भरतपुर जिले का खनिज सर्वेक्षण

585. श्रीमती उषा प्रकाश (वैर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भरतपुर जिले का खनिज सर्वेक्षण कब करवाया गया ? सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) सर्वेक्षण में कौन कौन से खनिज बहुत मात्रा म उपलब्ध होने की संभावनाएं प्रकट की गई ?

(3) राज्य सरकार द्वारा इन संभावनाओं का विस्तृत विवरण तैयार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

(4) वर्तमान में किन किन स्थानों पर खनिज भंडारों की मात्रा आदि का पता लगाने हेतु माइनिंग ऑपरेशन चालू किये गये हैं ?

उत्तर

(1) भरतपुर में राज्य सरकार द्वारा सन् 1953 में बैराईटिज, 1964 में सीसा धात तथा 1970-71 में शोरा (साल्ट पिटर) तथा 1972-73 में ताम्बा इत्यादि के लिये सर्वेक्षण किया गया । सन् 1953 व 1964 के सर्वेक्षण की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है ।

(2) सर्वेक्षण के आधार पर इस जिले में सेन्डस्टोन बैराईटिज, रेड ओकर और सिलिका सेन्ड व ताम्बा इत्यादि प्राप्त होने की सम्भावना है ।

(3) खनिज समस्या की सम्भावनाओं के लिये प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार ारा खोज की योजनाओं के अन्तर्गत भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाता है ।

(4) राज्य सरकार ने महुआ, अलीपुर और वल्लबगढ़ में चीनी मिट्टी और बैराईटीज के लिये तथा कानखेरा में ताम्बा के लिये प्रारम्भिक रूप से सर्वेक्षण आरम्भ किया है ।

(सूची विस्तृत होने के कराण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

झामर कोटडा रॉक फॉसफेट की खानें

5੪7. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झामर कोटड़ा रॉक फॉसफेट की खानों में खनिज के उतखनन, ग्राइंडिंग व ट्रान्सपोटशन के लिये बीकानेर जिप्सम लिमिटेड कम्पनी के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों अथवा फर्मों को ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो किस किस कार्य के लिये किस किस को, किस किस दर पर और कितने कितने समय के लिये ?

(2) उपरोक्त ठेकों के लिये कब कब

(खनिज मंत्री)

नोटिस निकाले गये और किन किन के किन किन दरों के निविदा प्राप्त हुए और किस किस के निविदा कितने कितने समय के लिये किस किस दर से स्वीकृत हुए ? कृपया प्राप्त निविदाओं की एक तुलनात्मक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) यह निविदा किस अधिकारी द्वारा आमन्त्रित किये गये और किस किस अधिकारी द्वारा कब खोले गये ?

(4) किस किस अधिकारी ने प्राप्त निविदाओं में से किस किस निविदा को स्वीकार करने हेतु किन किन कारणों से क्या सिफारिश की हैं और अन्तिम रूप से किस स्तर पर किस किस का निविदा स्वीकार किया गया ?

(स्थगित किया गया)

खनिज पट्ट एवं इकरारनामों पर काउन्टर सिग्नेचर

587. **श्री हनुमान सहाय (बैराठ) :** क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा खनिज पट्टों एवं इकरारनामों पर काउण्टर सिग्नेचर संचालक खनिज विभाग, उदयपुर के होने का कानून में प्रावधान है ? यदि हां, तो काउण्टर सिग्नेचर होकर कागजात सम्बन्धित पार्टियों को वापिस करने में कितना समय लगता है ?

(2) क्या यह सही है कि इन कागजातों को शीघ्र नहीं लौटाने पर राज्य सरकार को आर्थिक हानि होती है ? यदि हां, तो क्या इस विलम्ब के कारण दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है ?

(3) खनिज पट्टे जारी किये जाने के क्या नियम हैं ? क्या इन नियमों का पालन किया जाता है ?

(4) काउण्टर सिग्नेचर एवं स्वीकृति हेतु किस किस की कितनी कितनी दरख्वास्तें तथा इकरारनामें माइनिंग इन्जिनियर जयपुर, संचालक, खनिज विभाग, उदयपुर तथा राज्य सरकार के पास पैंडिग हैं और किस किस तारीख से ?

उत्तर

जी हां।

काउण्टर सिग्नेचर का अधिकार संयुक्त निदेशक (प्रशासन) अथवा संयुक्त निदेशक (तकनीकी) को भी दे दिया गया है।

काउण्टर सिग्नेचर होकर कागजात सम्बन्धित पार्टियों को लौटाने का समय, अगर कोई कमियां नहीं हो तो, लगभग 7 से 15 दिन है।

(2) जी हां। अगर संविदा (एग्रीमेन्ट) में कोई खामी अथवा कमी होती है तो हो सकता है। अन्यथा कोई विलम्ब नहीं होता है। यदि किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी द्वारा देरी की जाती है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

(3) खनिज पट्टे जारी करने के निम्नलिखित नियम हैं :

(अ) प्रधान खनिज रियायत नियम 1960।

(श्री खनिज मंत्री)

(आ) प्रधान खनिज रियायत नियम, 1959 । इन नियमों का पूर्ण पालन किया जाता है ।

(4) काउण्टर सिग्नेचर के एग्रीमेन्ट एवं स्वीकृति हेतु दरख्वास्तें जो खनि अभियन्ता, जयपुर व निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर एवं राज्य सरकार के पास पेंडिग है और किस किस तारीख से पेंडिग है उनकी सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

जिला बून्दी की खानें

588. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बून्दी में राजस्थान माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स के अन्तर्गत कुल कितने खनन् पट्टे वर्तमान में चल रहे हैं ?

(2) प्रत्येक पट्टेधारी के पास किस किस खनिज का पट्टा है ? पट्टेधारी की फर्म का नाम व उसके भागीदार अथवा मालिक का नाम की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) उक्त पट्टेधारियों पर किस तिथि से खनिज विभाग की रायल्टी व डेडरेन्ट की कितनी राशि बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) उक्त बकाया राशि के लिये किस किस पट्टेधारी को कब कब वसूली के लिये नोटिस जारी किये ? विगत बताने का कष्ट करें ।

(स्थगित किया गया)

डाइरेक्टर माइन्स के विरुद्ध शिकायतें

589. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डाइरेक्टर, माईन्स श्री सेठी के खिलाफ भ्रष्टाचार, गबन, विभागीय, घोटाले आदि के कई चार्ज हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त मुद्दों पर श्री सेठी के खिलाफ जांच की गई ? यदि हां, तो जांच अधिकारी कौन हैं, ये जांच कब से चल रही है अब ये जांच किस स्तर पर है, इसका निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

(3) श्री सेठी कितने वर्ष से डाइरेक्टर, माइन्स हैं क्या सरकार के पास ऐसे भी कोई नियम हैं कि अमुक समय के बाद एक व्यक्ति उसी पद पर हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट नहीं रह सकता है ? यदि ऐसे नियम नहीं हैं, तो क्यों ?

(4) श्री सेठी की क्या शैक्षणिक योग्यता है ? क्या इनसे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अन्य कोई व्यक्ति इस विभाग में है ? यदि हां, तो उसकी सूची मय शैक्षणिक योग्यता दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) संलग्न आरोप पत्र के अनुसार चार्जेज हैं ।

(खनिज मंत्री)

(2) अनियमितताओं की जांच पर श्री सी०एस०गुप्ता, सदस्य, राजस्व मंडल जांच अधिकारी है। यह जांच 24-7-70 से चल रही है और अभी भी चालू है। जांच प्रतिवेदन आने पर अग्रिम कार्यवाही संभव है।

(3) श्री सेठी दिनांक 18-6-49 से डाईरेक्टर हैं। तकनीकी विभाग में जो हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट एक बार स्थायी हो जाता है वह रिटायरमेंट तक बना रहता है।

(4) बी०एससी० (माईनिंग), बनारस हिन्दु विश्व विद्यालय व मास्टर इंजिनियर ऑफ माइन्स, कोलोरेडो स्कूल ऑफ माइन्स है। इस क्वालिफिकेशन का खान विभाग में कोई अन्य अधिकारी नहीं है।

(कृपया परिशिष्ठ 9 देखिये)

झामर कोटड़ा रॉक फासफेट की खानों का मलबा

590. **श्री गुमानमल लोढ़ा** (जोधपुर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झामर कोटडा रॉक फासफेट की खानों के संबंध में राज्य सरकार एवं बीकानेर जिप्सम लिमिटेड कम्पनी के बीच हुए करार के खण्ड (2) के उप-खण्ड (ii) के अनुसार निर्धारित स्थान पर मलबा नहीं डाला गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि ऐसे मलबे की तादाद लगभग 10 लाख टन है? यदि हां, तो इसके निर्धारित दाम पर डलवाने पर अनुमानत: कितना खर्च होगा और यह खर्च किसको करना पड़ेगा?

(3) निर्धारित स्थान पर मलबा डालने की शर्त की अवहेलना किन किन अधिकारियों की लापरवाहियों के कारण हुई है और इन अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) जी हां, अंशत: सही है। कम्पनी ने कुछ मलबा तो खान की सड़क बनाने में एवं पास के क्षेत्र को लेवलिंग में काम में लिया है। और कुछ मलबा निर्धारित स्थान से अन्यत्र डाल दिया है।

(2) जी नहीं। अक्यूमिलेटेड मलबे की सही मात्रा आंकी जा रही है। उसके पश्चात् ही उसको हटाने के अनुमानित खर्च का हिसाब लगाया जा सकता है। यह खर्च, अगर करना पड़ा तो मैसर्स बीकानेर जिप्सम लिमिटेड ही करेगी।

(3) इस संबंध में राज्य सरकार के किसी अधिकारी की लापरवाही का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि अधिकारी वर्ग ने इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

झामर कोटड़ा रॉक फासफेट प्रोजेक्ट के संबंध में करार के अनुसार रेमूनरेशन में परिवर्तन

591. **श्री गुमानमल लोढ़ा** (जोधपुर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झामर कोटड़ा राक फास्फेट प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में हुए राज्य सरकार

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

एवं बीकानेर जिप्सम कम्पनी लि० के बीच हुये करार के खण्ड 7 के उप-खण्ड (3) के अनुसार क्या कोई रेमूनरेशन में कोई परिवर्तन हुआ है? यदि हां, तो कब और किस आधार पर?

(2) करार के खण्ड 7 के उप–खण्ड (4) के अनुसार अब तक राज्य सरकार द्वारा वर्किंग कान्ट्रक्टर को कब कब और कितने कितने टन माल के लिये कितने कितने रुपयों का भुगतान किया गया है? उसकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें?

(3) क्रॉशिंग प्लाट तथा रेलवे स्टेशन पर पड़े स्टॉक का उपरोक्त भुगतान के लिये किस प्रक्रिया से किस किस अधिकारी द्वारा अनुमान लगाया गया?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) कोई भुगतान नहीं किया गया।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मावण्डा रेल्वे फाटक के पास पत्थर की खान

592. **श्री मालाराम** (नीम का थाना): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या नीम का थाना से खेतड़ी सड़क पर मावण्डा रेलवे फाटक के पास श्री नन्दलाल व श्री बनवारीलाल आदि की डोलोमाईट पत्थर की खान चालू है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त खान सड़क के दोनों किनारों के पास व रेलवे लाइन के पास 20 फुट के अन्दर है?

(3) क्या इस सम्बन्ध में खनिज अभियन्ता, जयपुर को शिकायत की गई थी कि उक्त खान में सुरंग लगाने से पत्थर सड़क पर पड़ते हैं व यात्रियों व वाहनों को भारी कष्ट एवं खतरा उत्पन्न हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त खान को बन्द कराने की कोई कार्यवाही की तथा अब तक कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं?

(4) क्या सरकार ने खनिज अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) श्री बनवारीलाल के नाम एक खनन पट्टा स्वीकृत है। जिसमें कार्य चालू है।

(2) जी नहीं। जहां कार्य चालू है वह पिट सड़क से तथा रेलवे फाटक से 50 मीटर से अधिक दूरी पर है।

(3) 50 गज के अन्दर कार्य करने की शिकायत सितम्बर, 67 में आई थी ऐसे खड्डों में कार्य बन्द करवा दिया गया था। अब ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

श्री द्वारकाधीशजी का मन्दिर, अलवर

593. **श्री मीठालाल** (लालसोट) एवं **श्री मनोहरलाल**: क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अलवर में महल चौक स्थित श्री द्वारकाधीशजी के मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समय से ही श्री वल्लभदासजी मंदिर के अधिकारी नियुक्त

(श्री मीठालाल एवं श्री मनोहरलाल) किये थे और उन्होंने आयु पर्यन्त मंदिर की सेवा-पूजा की और उनके निधन के पश्चात् लगभग 75 वर्ष से श्री अम्बालाल मुखिया जो वयोवृद्ध हैं इस मंदिर की सेवा-पूजा में हैं ?

(2) क्या यह सही है कि मंदिर की सेवा-पूजा और खर्चे के निमित मात्र रुपये 78 मासिक श्री अम्बालाल को दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या विशाल मंदिर की सफाई, सफेदी तथा जल व बिजली के व्यय, भोग और मुखिया के जीवनयापन के लिये उक्त राशि नगण्यसी है ? क्या मंदिर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और उसकी मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(3) क्या उक्त मंदिर महाराज श्री कांकरोली, जिनके कि अधीन सैंकड़ों मन्दिर हैं, के अधीन है और देवस्थान विभाग के अधीनस्थ मंदिरों के पुजारियों/मुखियाओं के वेतन और प्राइवेट मंदिरों के मुखियाओं के वेतन में काफी अन्तर है ? यदि हां, तो यह असमानता क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि लगभग दो शताब्दी से सेवा–पूजा करते आ रहे है एक परिवार की सेवाओं को नजर अन्दाज कर महाराज कांकरोली द्वारा इस मंदिर की पूजा अन्य बाहरी व्यक्ति को थोपने का प्रयास कर रहे हैं ? क्या सरकार उनकी इस अप्रजातांत्रिक, अमानवीय एवं समय विरोधी कार्यवाही पर नियंत्रण की दृष्टि से कोई प्रजातांत्रिक हल ढूंढने का विचार रखती हैं ?

(5) क्या देवस्थान विभाग के भूतपूर्व आयुक्त ने कांकरोली के प्रमुख अधिकारी को विभागीय पत्र संख्या 820, दिनांक 26-8-71 द्वारा निर्देश दिये थे:—

(क) मुखिया का वेतन बढ़ाया जाय।

(ख) मंदिर एवं सम्बन्ध भवनों की मरम्मत करवाई जाय।

(ग) मंदिर का उठने वाला किराया सब मुखियाओं को दिलवाया जाय ताकि सेवा–पूजा एवं मंदिर की उपयुक्त व्यवस्था हो सके।

(घ) मुखिया को उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार दिया जाय।

(6) क्या सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपना कर प्राइवेट मंदिरों के उक्त पुश्तैनी मुखियाओं, जिनका कि जीवनयापन का एक मात्र आधार यह साधारण वेतन है, के हितों की रक्षा हेतु मालिकाना हकूक दिलाने का विचार रखती है और सभी ऐसे मंदिरों को देवस्थान विभाग के अधीन लेने हेतु उचित वैधानिक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) श्री वल्लभ दास जी को अधिकारी नियुक्त करने संबंधित रेकार्ड उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में श्री अम्बालाल सेवा पूजा करते हैं जिनको गोस्वामी जी, कांकरोली ने रखा है।

(2) जी हां। 78 रु० मासिक सहायता के अतिरिक्त कुछ किराये की आय भी वे लेते हैं। मंदिर की हालत ठीक है।

(3) इस मंदिर पर देवस्थान विभाग का सीधा नियन्त्रण नहीं होने से वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(देवस्थान मंत्री)

(4) इस मंदिर में पुजारी को रखने व हटाने का संबंध गोस्वामीजी, कांकरोली से है।

(5) निर्देश न देकर केवल सुझाव दिये गये थे।

(6) पुश्तैनी मुखियाओं को मालिकाना हक देने का इस समय राज्य सरकार के समक्ष कोई विचार नहीं है और इसी प्रकार ऐसे मंदिरों को विभाग के अधीन लेने का प्रश्न भी विचाराधीन नहीं है।

औषधालय, निठार

594. **श्री नत्था सिंह (नदबई) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–**

(1) क्या यह सही है कि श्री चतुर्वेदी, डिप्टी डाइरेक्टर, आयुर्वेद विभाग ने दिनांक 9-8-70 को श्री रामदेव वैद्य को औषधालय, निठार का चार्ज अवकाश पर रहते हुये वैद्य ब्रह्मानन्द का ताला तुड़वा कर दिलवाया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि श्री रामदेव वैद्य के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही भी चल रही थी ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री चतुर्वेदी उस अवधि में अवकाश पर थे। तथा निठार, औषधालय के चार्ज की कार्यवाही श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उप-निदेशक द्वारा की गई। वैद्य श्री ब्रह्मानन्द स्वेच्छा पूर्वक अनुपस्थित थे और औषधालय बन्द पड़ा हुआ था। ऐसी स्थिति में औषधालय की व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह कार्यवाही आवश्यक थी।

(2) जी हां। चेतावनी दी गई।

जैसलमेर-खुड़ी मियाजलात सड़क के निर्माण का ठेका

595. **श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—**

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर-खुड़ी मियाजलात सड़क 0 माइल से 20 माइल तक के निर्माण का ठेका मेसर्स अचल सिंह भाटिया को दिया गया था ? यदि हां, तो कब और कितने रुपयों का ?

(2) इस कम्पनी को अब तक किन किन तारीखों में कितना कितना भुगतान किया जा चुका है और इसमें एक्स्ट्रा आइटम्स का कितना भुगतान किया गया है ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि एक्स्ट्रा आइटम्स के भुगतान करने से पूर्व उपर्युक्त अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी ? यदि नहीं, तो किस किस भुगतान के लिये ऐसी स्वीकृति प्राप्त करली गई थी और कब कब ?

(4) क्या यह सही है कि एक्स्ट्रा आइटम्स का भुगतान स्वीकृत दरों से अधिक दर पर किया गया ? यदि हां, तो किस किस आइटम्स का तथा क्यों ?

(5) क्या ऐसे अनधिकृत भुगतान के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कोई

Page No. 41

कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि एक्स्ट्रा आइटम्स के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा उनके उच्च अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं किया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ।

(7) ठेकेदार को ठेके की शर्तों के अतिरिक्त कितना कितना एडवान्स तथा अन्य प्रकार का कितना कितना सामान एवं सुविधा कब कब दी गई ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) इस कार्य का ठेका मैसर्स अचलसिंह भाटी को दिनांक 26-6-70 को 5,03,367) रु० का दिया गया था

(2) भुगतान की सूची संलग्न है । एक्स्ट्रा आइटम्स की सूची संलग्न है ।

(3) जी नहीं । अन्तिम भुगतान से पूर्व ही सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी ।

(4) जी, नहीं ।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(6) जी, नहीं ।

(7) हायर परचेज के रूप में एक जीप भी दी गई थी, जिसका मूल्य 22,884) रु० था जिसकी वसूली मय ब्याज के ठेकेदार से कर ली गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

सीमा सड़क परियोजना के अन्तर्गत जीपों की मरम्मत पर व्यय

596. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1970-71 व 1971-72 सीमा सड़क परियोजना के अन्तर्गत किस खण्ड की किस किस नम्बर की जीपों की मरम्मत पर कितना कितना रुपया खर्च किया गया ?

(2) इस मरम्मत के लिये कहां कहां पर किस किस मूल्य के पार्ट्स खरीदे गये ?

(3) इन जीपों की मरम्मत पर अब तक कितना कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

(4) किस किस जीप की मरम्मत के लिये उपयुक्त अधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करली गई थी ?

(5) इन जीपों में से अब कौन कौन से नम्बर की जीप अनसर्विसेबल है ?

(स्थगित किया गया)

सीमा सड़कों के निर्माण में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच का परिणाम

597. **श्री निरंजन नाथ आचार्य** (मावली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)
की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सीमा सड़कों के निर्माण में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आग्रह पर केन्द्रीय सरकार ने कोई जांच करवाई है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ? कृपया जांच प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

जी हां । जांच प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

सवाई माधोपुर-रणथम्भोर सड़क

598. **श्री फारूक हसन** (सवाई माधोपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर से रणथम्भोर रोड कब प्लान में ली गई थी?

(2) यह सड़क कितनी बन चुकी है ?

(3) यह सड़क कब तक पूर्ण बनकर तैयार हो जावेगी ?

(4) इस वर्ष इस सड़क पर कितना रुपया खर्च किया जावेगा ?

उत्तर

(1) वार्षिक योजना 71-72 में स्वीकृत की गई थी । वर्ष 72-73 में स्पेशल एम्पलायमेंट योजना के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है ।

(2) मिट्टी कटाई व भराई का कार्य 5 से 10 किलोमीटर तक पूर्ण हो गया है । किलोमीटर 13 में घाटी कटाई का कार्य प्रगती पर है ।

(3) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

(4) वर्ष 72-73 के अन्त तक 35,000) रुपये व्यय का अनुमान है ।

चूरू जिले में सड़क निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

599. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग नम्बर 11 में कितने किसानों को कितने बीघा भूमि पथ के नीचे आई है व कितनी कितनी राशि किसानों को मुआवजे की तय की गई तथा कितनी कितनी चुकाई गई ? किसानवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त किसानों को बकाया राशि का आज तक भुगतान न करने का क्या कारण है तथा कुल कितनी राशि अभी तक भुगतान योग्य बाकी है तथा वह कब तक चुकादी जावेगी ?

(3) क्या उक्त भूमि को राजस्व रेकार्ड में किसानों के नाम से हटा दिया गया है ? यदि नहीं, तो अब कब तक हटवा दिया जायगा ?

(स्थगित किया गया)

धनूर तक जाने वाली सड़क का कार्य

600. **श्री मनफूलराम** (केसरीसिंहपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने

(श्री मनफूल राम)
की कृपा करेंगे :–

तहसील श्री करनपुर; जिला श्री गंगानगर के क्षेत्र केसरीसिंहपुर के 'बी' हैड से जो पक्की सड़क धनूर तक 1971-72 में मंजूर हुई थी वह आज तक क्यों नहीं पूरी हुई ? अब इस सड़क का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

उत्तर

यह रोड स्टेट प्लान में निरस्त करदी गई है ।

कार्य पूर्ण होने का प्रश्न नहीं उठता ।

डूंगरगढ़ से झूपा सड़क निर्माण म आई भूमि का मुआवजा

601. **श्री लूणाराम सारण (डूंगरगढ़):** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) डूंगरगढ़ से झूंपा, जिला चूरू से गुजरने वाले राष्ट्रीय पथ में कितने किसानों को कितने बीघा भूमि पथ के नीचे आई है व कितनी कितनी राशि किसानों के हिस्से में मुआवजा की तय की गई तथा कितनी कितनी राशि मुआवजा के रूप में चुकाई गई ? किसानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बकाया राशि का भुगतान आज तक नहीं करने का क्या कारण है तथा कुल कितनी राशि अभी तक भुगतान होनी बाकी है तथा वह कब तक चुकादी जावेगी ?

(3) क्या उक्त भूमि का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में किसानों के नाम से हटा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक हटा दिया जावेगा ?

(स्थगित किया गया)

क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत अजमेर जिले को केन्द्र से प्राप्त राशि

602. **श्री केसरीमल (ब्यावर) :** क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत अजमेर जिले को केन्द्र से कितनी राशि 1971 और 1972 में प्राप्त हुई है ?

(2) इस जिले की प्रत्येक पंचायत में सन् 1971 व 1972 में कितना कितना पैसा इस प्रोगाम में खर्च किया ? पंचायतवार लिस्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या इस मद में मिला पैसा हर वर्ष काम में लिया गया या पैसा बिना खर्च किये लेप्स हो गया ? यदि लेप्स हुआ तो कितना और किस अधिकारी की वजह से और इस अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सन् 1971-72 में 12.50 लाख एवं 1972-73 में 23.50 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई ।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) वर्ष 1971-72 में 12.55 लाख व 1972-73 में 24.17 लाख रुपये व्यय हुए । कोई रकम लेप्स नहीं हुई ।

(परिशिष्ट 10 देखिये)

रेलमगरा व राजसमन्द तहसीलों के चिकित्सक

603. **श्री नानालाल** (राजसमन्द) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा की सुविधाएं जनसंख्या के आधार पर दी जाती हैं ? यदि हां, तो चिकित्सा हेतु किस आधार को अपनाया हुआ है ?

(2) उदयपुर जिले की रेलमगरा तहसील में कितने चिकित्सक हैं तथा तहसील राजसमन्द में कितने चिकित्सक हैं ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की आधारित नीतियों के अनुसार इन तहसीलों में चिकित्सा सुविधा नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक देने का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

(2) रेलमगरा तहसील में दो चिकित्सक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेलमगरा पर नियुक्त हैं इनमें से एक मेडिकल पक्ष में एवं एक परिवार नियोजन पक्ष में हैं।

राजसमन्द तहसील में 5 चिकित्सक नियुक्त हैं। जिनमें से एक राजकीय चिकित्सालय, कांकरोली, एक राजकीय चिकित्सालय, केलवा एवं दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजसमन्द पर व एक परिवार नियोजन केन्द्र, राजसमन्द में कार्यरत हैं ।

(3) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

जसवन्तपुरा एवं रानीवाड़ा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

604 **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि जालौर जिले की पंचायत समितियों जसवन्तपुरा एवं रानीवाड़ा के मुख्यालयों पर अभी तक सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना नहीं की गई है ? यदि हां, तो अब कब तक करदी जावेगी ?

उत्तर

जी हां, पर जालौर जिले की पंचायत सिमिति, जसवन्तपुरा के अन्तर्गत मण्ड़ोली नगर व पंचायत समिति, रानीवाडा के अन्तर्गत बडगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है ।

एक पंचायत समिति के अन्तर्गत एक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है । यह आवश्यक नहीं है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पंचायत समिति मुख्यालय पर ही स्थित हो ।

जिला सवाई माधोपुर के ग्रामों का विद्युतिकरण

605. **श्री भरतलाल** (रानीवाड़ा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर जिले में 1971-72 व 1972-73 में किन किन गांवों को कृषि उपयोग हेतु विद्युत दी गई व 1973-

(श्री भरतलाल)
1974 में कितने और कौन कौन से गांवों को कृषिकार्य के लिये विद्युत दी जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि विद्युत विभाग ने जिला उत्पादन समिति की शिफारिश के अनुसार गांवों का विद्युतिकरण नहीं किया है ?

(3) सवाई माधोपुर जिले में कौन कौन से गांवों को रजत जयन्ती के उपलक्ष्य में विद्युतिकरण हेतु लिया गया है व इनका कब तक विद्युतिकरण कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में वर्ष 1971-72 व 1972-73 में (फरवरी, 73 तक) जिन गांवों का विद्युतिकरण किया जा चुका है उनकी सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि किन किन गांवों का विद्युतिकरण वर्ष 1973-74 में किया जायगा।

(2) जी नहीं, उक्त ग्रामों का विद्युतिकरण जिला उत्पादन समिति, सवाई माधोपुर द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए ही किया गया है।

(3) विकास विभाग द्वारा सवाई माधोपुर जिले में जिन 20 गांवों को रजत जयन्ती कार्यक्रम म सम्मिलित किया है उनकी सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है। इनमें 5 गांवों का विद्युतिकरण पहले ही हो चुका है, उनके नामों के आगे दर्शाया गया है। शष गांवों के बारे में अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों से प्राप्त प्रस्ताव व ऐतराज पर निर्णय

606. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों का वर्गीकरण सही ढंग से नहीं होने के कारण भिन्न-भिन्न पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों से प्रस्ताव एवं ऐतराज विभाग को प्राप्त हुये ? यदि हां, तो जिन-जिन पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों से ऐतराज आये उनकी हैं सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रस्तावों पर कब-कब क्या-क्या निर्णय लिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अब भी वर्गीकरण में दुरुस्ती करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(स्थगित किया गया)

जालौर जिले के जंगलात से काश्तकारों को सुविधाएं

607. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जालौर जिले के जंगलात जसवंतपुरा, सूंडामाता और डोरड़ा में किन-किन ग्रामों के काश्तकारों को क्या-क्या सुविधाएं—चराई, घास लाने, कृषि यंत्रों के लिए लकड़ी काटने आदि की कब-कब से दी जा रही है ?

(2) उक्त सुविधाएं किस आधार पर ी जा रही ह ? क्या सरकार अन्य पड़ौसी ग्राम रामसीण, चांदूर आदि को भी

(श्री भगराज चौधरी)

उक्त सुविधाएं शीघ्र देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जालौर जिले के जंगलात जसवंतपुरा में ग्राम उस्मत के काश्तकार प्रथम दर्जे के हकदार हैं। अत: इनको काश्त के लिए कबाड़ा, घास तथा चराई की नि:शुल्क सुवधिा दी जाती है। सुंडामाता वन खण्ड' में ग्राम चेकला, जाविया कंबिला, गोलाणा व रानी का बास के काश्तकार द्वितीय दर्जे के हकदार हैं। अत: इनको काश्त के लिए कबाड़ा तथा घास नि:शुल्क दिया जाता है तथा गाय व बळों की चराई के लिए निर्धारित दर से 3/4 रकम वसूल की जाती है। ग्राम मनोहरजी का बास व गोलाणा के काश्तकार तृतीय दर्जे के हकदार हैं अत: इनको काश्त के लिए नि:शुल्क कबाड़ा तथा घास दिया जाता है एवं इनको चराई दर में 12.50% रियायत दी जाती है। ऊंट, भेड़ व बकरी के लिए किसी भी दर्जे के हकदार को कोई रियायत नहीं दी जाती है।

जंगलात दोरडा के अधीन भी हकदारों को रियायत दी जाती है। दोरड़ा वन खंड के हकदारों-गांव दोरडा दर्जा 2 (दो) के हकदार हैं तथा पावटी पैंदाणी, सणदारा, आम्बातरी व पावती के दर्जा तीन के हकदार हैं। अत: दर्जा दो के हकदारों को जोधपुर स्टेट के वक्त से ही चराई में दर्जा 2 के चराई दर से 3/4 रकम वसूल की जाती है तथा दर्जा तीन के हकदारान को चराई दर में प्रति एक रुपया दो आने की छूट है। यह सिर्फ गाय व भैंस की चराई में रियायत है। ऊंट, भेड़ व बकरी की चराई में कोई रियायत किसी को नहीं दी जाती है। क्योंकि इनके चराई की इजाजत सन् 1956 से ही हुई है। घास परमिट कटाने पर नि:शुल्क दिया जाता है। कृषि यंत्रों के लिए लकड़ी भी परमिट कटाने पर नि:शुल्क दी जाती है।

उक्त ग्रामों में इन रियायतों के दिए जाने पर द्वितीय दर्जे के हकदारों से रुपया 1-50 पैसे प्रति वर्ष मावली तथा तृतीय दर्जे के हकदारों से रुपया 2.25 पैसे प्रति वर्ष प्रति मावली ढीमड़ा फीस वसूल की जाती है। उक्त ग्राम वालों को यह सुविधायें भूतपूर्व जोधपुर स्टेट के समय से ही जैसा फोरेस्ट सेटिलमेन्ट के अनुसार है दी जा रही है।

(2) उक्त सुविधाएं जोधपुर स्टेट के समय से जब फोरेस्ट सेटलमेन्ट हुआ था, उसके आधार पर दी जा रही हैं। ग्राम रासीन व चान्दुर आदि को सेटिलमेन्ट के अनुसार कोई हक प्राप्त न होने से उक्त सुविधायें नहीं दी जा रही हैं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6-3-73 व 20-3-73)

झामर-कोटड़ा से ट्रकों द्वारा राक-फॉस्फेट का ट्रांसपोर्टेशन

5. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :—

झामर-कोटड़ा से निम्नलिखित रजिस्ट्रेशन नम्बर के ट्रक्स द्वारा अब तक किस-किस माह में कितने-कितने टन

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)
राक-फास्फेट का ट्रान्सपोटेशन किया गया हैं :—

(1) आर. जे. वाई. 4538
(2) आर. जे. वाई. 37 2
(3) आर. आर. एल. 2355
(4) आर. आर. एल. 4449
(5) आर. आर. एल. 2898
(6) आर. आर. एल. 1661
(7) आर. आर. एल. 4811

कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

राक-फासफेट ट्रान्सपोर्टेशन के ठेके समय-समय पर नियमानुसार विभिन्न ठेकेदारों को दिये जाते रहे हैं तथा ठेकेदार ही आवश्यकतानुसार ट्रक काम में लेते रहे हैं। अतः ट्रकों से सम्बन्धित सूचना विभाग में नहीं है । फिर भी भूतपूर्व व वर्तमान ठेकेदारों से आवश्यक सूचना भेजने का अनुरोध किया गया था परन्तु उनसे पूर्व जानकारी प्राप्त नहीं हुई । ठेकेदारों के साथ हुए कान्ट्रेक्ट के अनुसार वे यह जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं हैं ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 2-3-1973)

मेजर व माइनर मिनरल रूल्स के अन्तर्गत खनन पट्टे

123. **श्री भानुकुमारी शास्त्री** (उदयपुर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा माइनर मिनरल रूल्स के अन्तर्गत राज्य भरमें जितने खनन पट्टे दे रखे हैं कि अपटू-डेट नियमों के साथ सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

(2) मेजर मिनरल रूल्स के अन्तर्गत प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा जो खनन पट्टे दिये गये हैं उनकी अपटूडेट नियमों के साथ सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत की जावे ।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9-3-73)

राज्य विद्युत् मण्डल के ट्रान्सफार्मर्स

190. **श्री केशरीमल** (ब्यावर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राज्य विद्युत् मण्डल के पास प्रयोग में लाये जा रहे कुल कितने विद्युत् ट्रान्सफार्मर्स हैं ?

(2) जो ट्रान्सफार्मर प्रयोग में नहीं आ रहे हैं उनमें से नये कितने हैं तथा पुराने कितने हैं ।

(3) प्रयोग में नहीं आ रहे पुराने ट्रान्सफार्मर्स में मरम्मत के लिये कितने हैं ।

(4) जो ट्रान्सफार्मर मरम्मत के लिए हैं उनकी खरीद के समय मूल्य क्या था और अब उनकी मरम्मत पर कितना खर्च आयेगा तथा वे मरम्मत के योग्य हैं या नहीं ?

(स्थगित किया गया)

Page No. 48

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि :-

(1) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने गेहूं का थोक व्यापार सरकार द्वारा हाथ में लेने के फलस्वरूप राजस्थान के खाद्यान्न व्यापारियों द्वारा मोटे अनाज का व्यापार बन्द कर देने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) सर्व श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, केसरी मल और रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा जयपुर में आज से तथा समस्त राजस्थान में सात अप्रेल से भूख हड़ताल पर बैठने के निर्णय के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा ने नगर पालिका, अजमेर द्वारा पानी की सप्लाई कम कर देने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(4) सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, अजीत सिंह और गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री के श्रमिकों को शुद्ध पेय जल उपलब्ध न कराने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय पर कल प्राप्त हुए एक स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और इस पर भी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् निर्णय लिया जावेगा।

(5) सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, अजीत सिंह और गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान के राजकीय मुद्रणालय की हड़ताल के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस प्रश्न पर सदन में राज्य सरकार की ओर से आज एक वक्तव्य दिया जा रहा है अत: मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(6) सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, अजीत सिंह और गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने सुन्दरा नामक सीमान्त गांव में अकाल राहत कार्यों पर केवल 40 पैसे मजदूरी मिलने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। सदन में आज राज्य की अकाल की स्थिति पर चर्चा हो रही है। इस प्रश्न को उस चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है अत: मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(7) सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, अजीत सिंह, गिरधारीलाल भार्गव और केसरीमल, सदस्य, विधान सभा राजस्थान राज्य में बिजली की कटौती से विद्यार्थियों की परीक्षा की तैयारी में रुकावट पड़ने, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में इन्जीनियरों के बेरोजगार हो जाने और महालक्ष्मी मिल, ब्यावर के मजदूरों के काम के घंटे कम हो जाने से उन्हें कम रोजगार दिये जाने के संबंध में तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। सदन में कल दिनांक 4 अप्रेल को विद्युत् मण्डल के बजट पर बहस होने वाली है। अत: माननीय सदस्य इन प्रश्नों को उस समय उठा सकते हैं। मैं इन स्थगन प्रस्तावों की सूचना देने में असमर्थ हूं।

(8) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा, ने तहसील जमवारामगढ़ की

Page No. 49

(श्री अध्यक्ष)

एक महिला पर कुछ व्यक्तियों द्वारा घातक हमला करने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है और मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(9) सर्व श्री गमानमल लोढ़ा, अजीत सिंह व गिरधारीलाल भार्गव सदस्य विधान सभा ने जोधपुर में पुलिस द्वारा ठेला मजदूरों के शोषण तथा 7 अप्रेल से की जाने वाली भूख हड़ताल के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रश्न किसी निश्चित् घटना से सम्बन्धित नहीं है और भावी आशंका पर आधारित है तथा अविलम्बनीय लोक महत्व का भी नहीं है, अतः इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव } अध्यक्ष महोदय
श्री रामानन्द अग्रवाल } मेरे स्थगन......

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव के बारे में निवेदन करना चाहता हूं बेरोजगार इंजीनियर्स जिनको कि राज्य सरकार ने हन्ड्रड पर्सेंट लोन बिना किसी प्रकार की गारन्टी के दिया है, उनको जमीन दी है, उनको ट्रेनिंग दी है और राजस्थान वित्त निगम से उनको लोन मिला है। उन्हीं बेरोजगार इंजीनियर्स को राज्य सरकार द्वारा सहायता कर देने से विश्व कर्मा इंजीनियरिंग उद्योग....

श्री अध्यक्ष: डिसकस हो रहा है, कल बहस हो रही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह बहस हो रही है पर महत्वपूर्ण प्रश्न है वह इसलिये कि केवल दो महाशयों ने मशीनरी फिट की है वह मशीनरी भली प्रकार चली नहीं है और चल जाती तो ऐवरेज कायम हो जाता। केवल टेस्टिंग हो रहा है और अभी उसका ऐवरेज बना नहीं है। पिछले दो माह में कितनी बिजली खर्च की, केवल दो माह में दो यूनिट बिजली खर्च की है। यदि उसकी आधार मान लें तो उनका उद्योग चलेगा कैसे और उद्योग नहीं चलने से ...

श्री अध्यक्ष: एक बात मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं। जिन विषयों पर कल डिसकस हो रहा है, कल जिसको ऐजेन्डा में रखा है वे मुद्दे कल भी उठाये जा सकते हैं। कल डिसकस होने वाला है। सारे सदन की कार्यवाही को मुन्तकिल करके आज लिया जाय, यह उचित नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं तो एक निवेदन कर रहा हूं इस तरह 5-6 लोगों को जो लोन दिया है वह, वापिस करना मुसीबत का काम हो जायगा और वे लोन का ब्याज भी नहीं दे पायेंगे। बिजली नहीं दे पाने से वे फिर बेरोजगार हो जायेंगे। मूल रकम छोड़कर ब्याज चुकाना भी मुश्किल हो जायगा। टेम्परेरी जो कनेक्शन दे रहे थे, उनको स्थायी करना चाहिये था। स्थायी करने के बजाय आप कनेक्शन काटने जा रहे हैं जिन लोगों ने मार्च, 73 तक पैसे जमा करा दिये थे। जिन नये बेरोजगारों को, इंजीनियर्स को राज्य सरकार ने पैसे स्वीकार किये हैं, उनको बिजली का कनेक्शन नहीं देने के कारण बेरोजगार हो जायेंगे इसलिये मेरा निवेदन है इंजीनियर्स को जो राज्य सरकार ने बिजली दी है, जमीन दी है, ट्रेनिंग दी है वह सब बेकार हो जायगी। अभी तक दो यूनिट खर्च हुई है। वे वापिस बेरोजगार

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हो जायेंगे । इस सम्बन्ध में पुनः विचार करना चाहिये ।

दूसरा स्थगन प्रस्ताव आजकल परीक्षायें चल रही है और बिजली की……

श्री अध्यक्ष : यह भी कल कह सकते हैं । आज भी कहना चाहिये और कल भी ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बिजली की कटौती हो गई, मिट्टी का तेल मिलता नहीं । विद्यार्थियों को परीक्षा देने में मुसीबत खड़ी हो जायगी और इधर चोरियों का तांता बढेगा । पुलिस में केस ज्यादा रजिस्टर होंगे । बिजली की कटौती बाद में कर लेते तो गरीब विद्यार्थी पढ़ तो सकते थे, अब बेचारा गरीब विद्यार्थी पढ़ भी नहीं पायेगा अतः बेरोजगार इंजीनियर्स को और विद्यार्थियों को जिनको एग्जामिनेशन देना है पुनः विचार करके जो बिजली की कटौती की गई है, इस पर पुनः विचार करें ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय……

श्री अध्यक्ष : Yours is no adjournment motion.

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव के बारे में निवेदन करना चाहता हूं – मोटे अनाज का व्यापार थोक व्यापारियों द्वारा और दूसरे व्यापारियों द्वारा बन्द कर दिया गया है और कल जो दिल्ली में आल इंडिया फूड ग्रेन डीलर्स का सम्मेलन हुआ है । उन्होंने 7 मई से सारे हिन्दुस्तान में ग्रेन व्यापारियों ने बन्द करने का निर्णय लिया है । अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यह मूव इन तबकों द्वारा गवर्नमेंट को ब्लेक मेल करने के लिये और जो राष्ट्रीय नीति है और जो व्हीट का व्यापार गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया है, उसको असफल बना रहे हैं, रोड़े अटकाने की दृष्टि से किया जा रहा है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक केवल वालिन्टरी तरीके से करना चाहिये था, वह कर रहे हैं बल्कि जो लोग इस व्यापार को करना चाहते हैं, उन पर रुकावटें डाली जा रही हैं, उनको फोर्स किया जा रहा है । गोविन्दगढ़ कस्बे में एक मार्केटिंग सोसायटी है····

श्री अध्यक्ष : डिटेल में क्यों जा रहे हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, वे हड़ताल में शामिल नहीं हुये हैं लेकिन बड़े व्यापारियों ने व्यापार बन्द कर दिया है । उन्होंने यह फैसला किया है कि कोई बोली नहीं लगायेगा । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी स्थिति पर गवर्नमेंट की तरफ से वक्तव्य आना चाहिये साथ में गवर्नमेंट ने थोक व्यापार की नीति की घोषणा की है । सदन में अवसर मिलना चाहिये ताकि उस पर विचार कर सके । यह निवेदन करूंगा आप इसके बारे में गवर्नमेंट को आदेश दें, मौका दें सदन में और तुरन्त यह बात होने जा रही है । कन्जूमर्स को अनाज खरीदने में दिक्कत आ रही है और प्रोड्यूसर्स को बेचने में दिक्कत हो रही है । इसका तुरन्त समाधान किया जाना आवश्यक है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माननीय अध्यक्ष महोदय, रोडवेज एम्पलाईज यूनियन और राज्य सरकार के बीच में एक समझौता दिनांक 23-3-72 को हुआ था । आपने मेरा स्थगन प्रस्ताव जानकारी के लिये माननीय मंत्री महोदय के पास भेज दिया, मैं इससे सन्तुष्ट नहीं हूं । यह एक ऐसा प्रश्न है – रोडवेज और राज्य सरकार के बीच।

श्री अध्यक्ष : नहीं भेजना चाहिये ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : नहीं साहब, उनको स्टेटमेंट देना चाहिये । मैं स्टेटमेंट से ही सन्तुष्ट होऊंगा ।

श्री अध्यक्ष : वह बाद की स्टेज है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह एश्योरेन्स मिल जाय एक दो दिन में, कब माननीय मंत्री स्टेटमेंट देंगे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जानकारी आ जाय, सदन तीन दिन चलने वाला है । वर्क लोड ज्यादा है – एक एक दिन में चार चार, पांच पांच आइटम्स हैं । मैं यह समझता हूं यह चाक आउट हो जाय । राजस्थान का सारा रोडवेज बन्द होने वाला है । सरकार के बीच और रोडवेज के बीच समझौता हुआ है । आज सरकार की अरनेस्ट ड्यूटी है । जिन शर्तों पर समझौता हुआ है उनको राज्य सरकार लागू करती है लेकिन राज्य सरकार की अनेक शर्तें जो लागू नहीं की हैं, विशेषकर जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, उस प्रश्न को सोल्व नहीं किया । आज रोडवेज को 20 लाख का प्रॉफिट होने जा रहा है । राज्य सरकार 8.33% बोनस देकर उनको टरकाना चाहती है जब कि उनका अधिकार सीधे सीधे 20 प्रतिशत पर होता है । जहां मेडीकल एड का प्रश्न है और जहां पर ड्राइवर्स और कन्डक्टर्स हथेली पर जान लेकर चलते हैं....

श्री अध्यक्ष : After this statement, you don't need Government's statement, I think ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : नहीं अध्यक्ष महोदय, ऐसी मेरी जानकारी है कि राज्य सरकार कमिट्टेड है....

श्री अध्यक्ष : इतना तफसील में बयान दे रहे हैं इसका मतलब यही समझते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माननीय मंत्री महोदय खुद इसका बयान दें । अध्यक्ष महोदय, रोडवेज एम्पलाइज यूनियन के प्रतिनिधि मुख्य मंत्री से बात कर चुके हैं दिसम्बर के महीने में और माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बात कर चुके हैं, उनकी मांगों के बारे में चर्चा हो चुकी है । आज उस समझौते को एक वर्ष का समय हो गया है और वह समझौता इम्प्लीमेंट साईड में लेगबिहाइन्ड कर रहा है, लागू नहीं किया जा रहा है । आज रोडवेज एम्पलाईज को एडहाक रूप में साढ़े पांच रुपया मेडिकल रीएम्बर्समेंट किया जा रहा है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जब कि दूसरे लोगों को टोटल मेडिकल रीएम्बर्समेंट किया जाता है । कोई कारण समझ में नहीं आता कि रोडवेज एम्पलाईज को यह क्यों नहीं किया जाता है ?

इसी प्रकार आज डेपुटेशन का ऐसा प्रोसेस रोडवेज में चल रहा है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

राज्य सरकार इसके लिए कमिटेड है कि राज्य सरकार की तरफ से डेपुटेशन का, ट्रांसफर्स का जो प्रोसेस है वह समाप्त किया जाना चाहिए । जो लोग रोडवेज के अन्दर परमानेंट हैं उनके पे फिक्सेशन के सारे केसेज लटके हुए हैं ।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, जोधपुर, कोटा और अजमेर डिवीजन और गंगानगर डिपो के अन्दर राज्य सरकार ने इस समझौते

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

के बाद भी रोडवेज एम्पलाईज के कार्यकर्त्ताओं के ट्रांसफर किए हैं और उनको सस्पेंड किया है, उनको रिमूव किया है। और अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद भी....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिए अब।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : समाप्ति पर आ रहा हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ये तो समाप्त करके ही समाप्त करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं तो समाप्त नहीं होऊंगा, काफी को समाप्त करके समाप्त होऊंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट के डिसिजन को आज रोडवेज का विभाग नहीं मानता और कण्टेम्प्ट आफ हाई कोर्ट कर रहा है। आज हाई कोर्ट की दुहाई देने वाले कैलाशचन्द्र के केस में.....

श्री अध्यक्ष : The High Court will look after its contempt itself.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : It is our holy duty.

हमारे रूल्स को ...

श्री अध्यक्ष : He has taken enough time.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक कैलाशचन्द्र के केस में हाई कोर्ट ने डिसिजन दे दिया कि जो डिपार्टमेंट्स लेबर लॉज से गाईड नहीं होते उनके ट्रांसफर लेबर लॉज के अन्दर नहीं हो सकते। लेकिन इस प्रकार के ट्रांसफर किए गए हैं। इस प्रकार का डिसिजन होने के बाद भी 70 80 केसेज पेंडिंग हैं जिससे लोगों में ग्रिवेंन्स होता है। गवर्नमेंट को इस प्रकार व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे यह स्थिति पैदा नहीं हो। आज मंत्री महोदय ने सारे मोटर मालिकों को चेतावनी दे दी है कि उनके परमिट रिन्यू नहीं होंगे होशियार हो जाओ। सारे राजस्थान में लोगों को बता दिया गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

राष्ट्रीयकरण होने वाला है रोडवेज का और आज रोडवेज कारपोरेशन प्रोफिट के पथ पर आगे बढ़ रहा है, हम राष्ट्रीयकरण के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस मसले पर गौर करें और ऐसी स्थिति पैदा न करें कि सारे राजस्थान के रोडवेज राष्ट्रीयकरण के आगे बढ़ते हुए हमारे चरण रुक जांय और चक्के जाम हो जांय।

श्री अध्यक्ष : शुक्रिया है आपका।

(व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : हाउस एडजोर्न होने से पहले इस पर स्टटमेंट होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद है आपको भी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : स्टेटमेंट तो होना चाहिए, अध्यक्ष महोदय। आखिर हजारों .....

श्री अध्यक्ष : I had told him in the very beginning but he did not take my advice.

Page No. 53

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय मंत्री महोदय सहमत हैं, आप उनसे पूछ लीजिये, वे तैयार हैं स्टेटमेंट देने के लिये और बात के लिए भी तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : If he had left it to me, he would have gained something.

श्री केसरीमल : अध्यक्ष महोदय, जो महालक्ष्मी मिल्स के बारे में एडजोर्नमेंट मोशन रखा है उसका केवल महालक्ष्मी मिल्स से ही ताल्लुक नहीं है बल्कि जितने उद्योग हैं जितनी बिजली की कटौती की गई है और मजदूर बेकार हो रहे हैं उनसे ताल्लुक रखता है।

श्री अध्यक्ष : आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। कल ही बात होने वाली है।

श्री केसरीमल : एक बात की तरफ ध्यान दिला दूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कह दीजिए।

श्री केसरीमल : यह जो उद्योग है महालक्ष्मी मिल का यह सरकार ने इसलिए चालू किया था कि यह बीमार उद्योग है और यहां पर लोगों को काम मिल जाय, वह सारी मंशा नाकामयाब हो रही है। पहले ही वह मिल आठ घण्टे चलती है, अब चार घण्टे चलेगी। पहले से मजदूरों को 56 रुपया महावार कम मिल रहा है, अब इससे सौ रुपये में से आधी तनख्वाह 40–50 रुपये मिलेगी जो कि फैमिन में काम करने वालों से भी कम तनख्वाह होगी। मेरा निवेदन है कि मजदूरों को पहले से ही 56 रुपये कम मिल रहे हैं और इससे और कमी हो जाएगी, इसलिए इस मिल को विशेष तौर पर बिजली देने की व्यवस्था की जावे।

इसी तरह से अजमेर को पानी की सप्लाई के बारे में जानकारी चाहूंगा। आपने उसके बारे में जानकारी चाही है। इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आज अजमेर जिले में पेय जल की हालत गम्भीर हो रही है। आधा घण्टे पानी दिया गया है। ऐसी हालत अभी तक कभी नहीं हुई है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पानी की व्यवस्था करावें और यह रोज 2 इस तरह से अजमेर जिले में जो पानी की किल्लत हो रही है उसका स्थायी हल करने का प्रयास करें और कोई योजना बना कर लागू करने की कोशिश करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : मैंने एक एडजोर्नमेंट मूव श्रीमान् के सम्मुख राजकीय मुद्रणालय के हड़ताल के बारे में रखा है और आज ही माननीय मंत्री महोदय उस पर वक्तव्य देने वाले हैं। मैं उस हड़ताल के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं लेकिन इसके पहले कि माननीय मंत्री वक्तव्य दें, मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके नेता जेलों में डाल दिए गए हैं, उनसे उनकी मांगों के बारे में बातचीत नहीं हो रही है. इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि उनकी जो बेसिक मांगें हैं और मुख्य रूप से जो मांग राणावत आयोग द्वारा जो वेतनों की श्रृंखलाएं दी गई और उसमें यह शर्त लगा दी कि वह सुबह से शाम तक काम करेंगे, एक घण्टे को छोड़ करके, प्रातः काल 8 बजे से लेकर सायंकाल सात या छः बजे तक, इसके बारे में जो विवाद है इस विषय के ऊपर मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय पुनर्विचार करें कि वह शर्त अमानवीय है, अनावश्यक है और अनावश्यक

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

तौर पर उनके बीच में आक्रोश पैदा करती है और कठिनाई पैदा करेगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हड़ताली नेता जेलों में हैं, हड़ताल इल्लीगल डिक्लेयर की जा चुकी है, उनसे बातचीत नहीं की जा रही है और इस डेडलाक में वक्तव्य देंगे तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि पहले उनसे बातचीत कर लें अथवा उनकी जायज मांगों को स्वीकार कर लें, उनके हड़ताल के समय के वेतन को किसी प्रकार एडजस्ट कर लें और उनके नेताओं को रिलीज कर दें और सारी स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास करें । उनके वक्तव्य में इस प्रकार की अपेक्षा सदन में और सदन के बाहर की जा रही है । इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और स्थगन प्रस्ताव है जिसके बारे में आपने व्यवस्था दी है कि अकाल की चर्चा के समय इस प्रश्न को उठाया जा सकता है । वैसे आपकी व्यवस्था मान्य है और इसके लिए मैं विवाद करने खड़ा नहीं हुआ हूं । लेकिन मेरे पास में अभी 2 तार आया है बाड़मेर जिला के सुन्दरा सीमान्त गांव से:–

"भूख प्यास से मृत्यु अनाज पानी नहीं । गरीबों को तीन रुपये के बजाय चालीस पैसा, वह भी नहीं । सब दल व सरकार मौके पर ध्यान करें । करीमखां । हरसानी गांव से ।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मंत्री अकाल राहत इस पर वक्तव्य देंगे, इस बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । वैसे तो चर्चा के अन्दर सारी बातें आई हैं और आयेंगी, लेकिन विशेष तौर से उन्होंने अपने नोट के अन्दर तीन रुपये प्रति व्यक्ति मजदूरी देने के बारे में लिखा है और मैंने जो अकाल के बारे में नोट प्रसारित किया है उसमें दिए गए आंकड़ों के परिशिष्ट 6 और परिशिष्ट 5 में जो संख्या दी गई है जो भुगतान किया गया है फरवरी 73 तक का, बड़ी ही सावधानी के साथ में मैंने उन आंकड़ों को जोड़ा तो, माननीय अध्यक्ष, मुझे यह पता लगा कि उनके स्वयं के आंकड़ों के अनुसार जो यह नोट दिया है"

श्री अध्यक्ष : Is it connected with adjournment motion ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : अकाल के सम्बन्ध में ही नोट दिया है ।

श्री अध्यक्ष : उसका एडजोर्नमेंट मोशन से सम्बन्ध है क्या ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : उसका इसलिए सम्बन्ध हो गया है, अध्यक्ष महोदय, कि जो चालीस पैसे देने का सम्बन्ध है और इसी सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें एवरेज यह आया है, अध्यक्ष महोदय, कि ढ़ाई करोड़ व्यक्ति सब मिला करके और फरवरी 73 तक अक्टूबर 72 से काम पर लगाए गए ....

श्री हरिदेव जोशी : ढ़ाई करोड़ व्यक्ति ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : ढ़ाई करोड़ वर्किंग डेज । मैंने उनको 30 दिन से मल्टीप्लाई किया है जितने लोग काम पर लगे थे और इसके हिसाब से मेटिरियल कम्पोनेंट भी शामिल है और उसके आधार पर जोड़ा तो वह करीब 2 करोड़ 60 लाख के करीब आया है, उसमें मेटिरियल कम्पोनेंट निकाल दिया जाय

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि इससे आपको नीतिं निर्धारण में सहायता मिले, जो 15 परसेंट मेटिरियल कम्पोनेंट जो शामिल है उसको निकाल दिया जाय तो लगभग 85 पैसे एक व्यक्ति का प्रतिदिन अकाल के समय में आता है और यह आपके स्वयं के नोट के अनुसार है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि यह बहुत गम्भीर है, अकाल राहत मंत्री स्पष्टीकरण कर देंगे कि क्या स्थिति है। जो नोट प्रसारित किया गया है उसके अनुसार जो एवरेज आता है अक्टूबर, 72 से फरवरी, 73 के बीच में जो मजदूरों को पैसा दिया गया है उसके अनुसार 85 पैसा मजदूरी मिली है। यह आपके आंकड़ों से साबित होता है। तो यह बात बड़ी चिंतनीय है और इसलिये यह जो तार आया है कि चालीस पैसे मिले वह टास्क के नाम पर या कैसे भी लेकिन यह बहुत ही अहम मसला है, गम्भीर विषय है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज के युग में ऐसी अकाल की स्थिति के अन्दर जब धान मिलता ही नहीं है, पानी मिलता नहीं है, पानी पांच पांच मील दूर से आता है, गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे समय में 70 पैसे, 80 पैसे, 85 पैसे देकर हम उनसे यह चाहें कि वह अकाल राहत पर काम करें और इन पैसों पर अपने परिवार का निर्वाह करें तो यह बिल्कुल असम्भव है। महाराष्ट्र में चार रुपया एक व्यक्ति को मिनिमम वेज कर दिया गया है जब कि पहले तीन रुपया था। आज वहां पर 30 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। ये आंकडे शिन्दे साहब के हैं। मैं यहां पर इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, केवल मात्र संकेत करना चाहता हूं, क्योंकि यह राजस्थान की ढ़ाई करोड़ जनता का प्रश्न है जिसमें से करीब 7 लाख अकाल राहत के काम पर लगे हुए हैं, उनका सीधा संबंध इससे है और हमारी नीति का प्रश्न है। इसलिए इस पर जब आप वक्तव्य दें तो इसके बारे में भी स्पष्टीकरण करें।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि सवाल अजमेर के पानी का है जो यहां पर पेश किया गया है। वहां की जनता करीबन तीन लाख है। पानी की जो स्थिति आज हुई है, आज से पचास वर्षों से ऐसी स्थिति नहीं हुई है जो आज हो गई है। अभी तार आया है लोगों का और यह लिखा है कि वहां बहुत संकट में हैं। वहां के मजदूर लोग जो कि रेल्वे के कारखाने में काम पर जाने वाले हैं, सवेरे सात बजे से शाम को 5 बजे तक कारखाने में रहते हैं उनको पानी भरने के लिए रात भर जागना पड़ता है। यह प्रश्न इतना महत्व का है कि अगर राज्य सरकार इसमें इस गर्मी में कुल पांच लाख रुपये की राशि लगा कर टेम्प्रेरी अरेंजमेंट कर दे जिससे चार कुएं खोद कर उस यार्ड से पानी दे दिया जाय तो यह समस्या हल हो सकेगी क्योंकि पानी की निकासी 32 मील दूर है। उनकी स्थिति क्या है यह इस सदन को मालूम है। पानी की कमी से लोग बाग दुखी हो गए हैं। अब करीबन 16 लाख रुपया खर्च किए जा रहे हैं और टैंकरों से पानी लाया जा रहा है। तो जिस प्रकार से इतना पैसा वहां खर्च किया जा रहा है अगर वहां पर पांच लाख रुपया और लगा कर इस काम को करा दिया जाय तो वहां पर लोगों को राहत मिलेगी। इसलिए मैं यह अर्ज कर रहा था।

दूसरा यह निवेदन है सरकार कि मेरे अजमेर जाने पर मेरा घेराव होगा। घेराव

(श्री माणकचन्द सौगानी)

से तो मैं इतना डरता नहीं लेकिन अगर आपके बंगले पर ही एक कमरा दे दिया जाय और वहां पर ही घेराव कर लें। यह चीज बहुत गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष : आपका सदैव स्वागत है।

विधायी कार्य

विधेयकों का पुरः स्थापन

राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1973

श्री अध्यक्ष : विधेयकों का पुरःस्थापन।

श्री हरिदेव जोशी (चिकित्सा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1973 पुरःस्थापित करता हूं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय...

श्री रामानन्द अग्रवाल : On point of order, sir.

एक माननीय सदस्य : अभी तो मूव हुआ ही नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पोइन्ट आफ आर्डर है।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1973

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति संबंधी

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा पोइन्ट आफ आर्डर है और यह निवेदन है कि राजस्थान इम्पोजीशन आफ सीलिंग ओन एग्रीकल्चर होल्डिंग बिल, जो इस सदन ने पिछली 26 फरवरी को पास किया था, अभी तक उस बिल को असेंट जो कि आवश्यक है......

श्री हरिदेव जोशी : मिल गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कब मिली है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : 28 तारीख को मिल गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह असेंट हाउस को कन्वे की जानी चाहिए वह असेंट अगर मिल गई है तो..

श्री हरिदेव जोशी : जो भी टैक्निकलीटीज पूरी होनी चाहिए थीं वह सब पूरी हो चुकी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा निवेदन है कि असेंट ली गई तो कौन सी तारीख को..

श्री रामचन्द्र चौधरी : 28 तारीख को मिल गई है।

Page No. 57

श्री लक्ष्मणसिंह : अनकण्डीशनल नहीं है, कण्डीशनल है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उसमें कोई कण्डीशन नहीं है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : Is it for reconsideration? Is the assent given conditionally? What is the correct position?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा यह निवेदन है कि असेंट किस रूप में मिली है, कब मिली है वह इस सदन को बताई जानी चाहिए । जहां तक हमारी जानकारी है, यह जो संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है यह संशोधन दर असल....

श्री हरिदेव जोशी : इन संशोधनों से आपको एतराज है क्या?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह चाहता हूं, मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं और मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं यह नहीं चाहता कि....

श्री हरिदेव जोशी : इसकी स्टेज तो आने दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : इस स्टेज पर आपका टेक्निकल ओब्जेक्शन हो वही कहें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोई इर्रेगुलरिटी न हो, आप कहते हैं वह तो ठीक है लेकिन हमारा भी देखने का काम है । We have to see...

श्री हरिदेव जोशी : हम जिम्मेदारी लेते हैं कि कोई इर्रेगुलेरिटी नहीं है । प्रेसीडेंट की असेंट मिल गई है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I will draw your attention to rule 94. "Reconsideration of Bills returned by the Governor.

श्री अध्यक्ष : मैं सरल कर देता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह हाउस को भी पूरी तरह से कोंफिडेंस में लेना चाहिये कि जिस तरह से असेंट मिलनी चाहिए वह असेंट मिल गई तो फिर अमेंडिंग बिल के रूप में आ सकता है । अगर वह असेंट कण्डीशनल है या जिसको रीकंसीडरेशन के लिए कहा है, अगर रीकंसीडरेशन के रूप में मिली है तो फिर यह बिल के रूप में न आकर और रीकंसीडरेशन जो ओरिजिनल बिल है उस रूप में आना चाहिये । यह सदन इसको रीकंसीडर कर सकता है और जो अमेंडमेंट सजेस्ट किए हैं प्रेसीडेंट महोदय ने उन अमेंडमेंट्स को यह हाउस स्वीकार कर सकता है । मेरा निवेदन है कि हम इन अमेंडमेंट्स का विरोध नहीं करना चाहते हैं बल्कि वे अमेंडमेंट हैं जिनको हमने इस हाउस में पहले भी चाहा था और, अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है कि उसमें जो भी रिकमण्डेशन हैं उनके मुताबिक यह अमेंडमेंट बिल नहीं है । इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि जो भी इस सम्बन्ध में गाईड लाईन्स हैं, जो रीकंसीडरेशन के लिए भेजा है वह भी इस सदन के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए । क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार न केवल यह बल्कि तीन अमेंडमेंट और हैं और राजस्थान केनाल क्षेत्र पर भी सीलिंग लागू की जानी चाहिए, यह भी सिफारिश है, जो कि इस बिल के अन्दर नहीं है । तो मेरा निवेदन है कि....

Page No. 58

श्री अध्यक्ष : मैं सरल कर दूंगा आपका काम ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा यह निवेदन करना है कि यदि असेंट मिल गई है तो गवर्नमेंट आफ इण्डिया की तरफ से यह अमेंडमेंट लाने के लिए कोई गाईड लाईन मिली हो, जिस प्रकार की गाईड लाईन या रिकमण्डेशन मिली हों उनको इस सदन के पटल पर माननीय मंत्री द्वारा रखी जानी चाहिए ।

दूसरा जब असेंट हुई तो वह असेंट किन शब्दों में है, किस रूप में है, इसके लिए इस हाउस को कोंफिडेंस में लिया जाना चाहिए । यदि यह असेंट न होकर के और रीकंसीडरेशन के रूप में है तो मैं यह समझता हूं कि यह प्रोसीजर गलत होगा और इस कानून के अन्दर फिर उसमें लीगल डिफेक्ट रह जायेंगे और फिर आर्टिकल 200 कांस्टीटयूशन के तहत अगर रीकंसीडरेशन के लिए है तो हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अन्दर जो प्रोविजन है रूल 94, इसके तहत the President may direct the Governor to return the Bill to the House for re-consideration.

इसलिए मेरा सबमीशन यह है, अध्यक्ष महोदय, कि अगर यह रिकन्सीडरेशन के लिए है तो यह फिर अमेन्डिंग बिल के रूप में नहीं आ सकता है । यह कोई एक्ट नहीं है और आपके जरिए जो रिकमन्डेशन आई है वह रखी जानी चाहिए । इसलिए स्थिति का स्पष्टीकरण जरूरी है क्योंकि इस हाउस को अभी तक यह इन्फोर्मेशन नहीं है कि कोई ऐसा एक्ट है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी यही पाइंट ऑफ ऑर्डर रेज करना चाहता था । स्थिति यह है कि संविधान की धारा 201 के अनुसार:

"When a Bill is reserved by a Governor for the consideration of the President, the President shall declare either that he assents to the Bill or that he withholds assent therefrom.

Provided that, where the Bill is not a Money Bill, the President may direct the Governor to return the Bill to the House or, as the case may be, the Houses of the Legislature of the State together with such a message as is mentoned in the first proviso to Article 200 and, when a Bill is so returned, theHouse or Houses shall reconsider it accordingly within a period of six months from the date of receipt of such message and, if it is again passed by the House or Houses with or without amendment, it shall be presented again to the President for his consideration."

अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि यह तो हमें विदित है कि इस सदन ने इसको पारित किया था और पारित करने के बाद विधान सभा अध्यक्ष ने अंतिम रूप से माननीय राष्ट्रपति महोदय को इसकी स्वीकृति के लिए भेज दिया है । जहां तक राजस्थान राज-पत्र निकलता है उसके अनुसार ही पता लगता है कि इस बिल की असेन्ट आ गई है और यह बिल अब कानून बन गया है । जहां

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

तक मेरी नालेज है, हो सकता है कि कल रात में यह निकल गया हो राजस्थान गजट में, इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जोत की सीमा के बारे में एक बिल पारित किया गया था। क्या उस पर मान्यवर राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकृति दे दी है। इसके अभाव में, अध्यक्ष महोदय, आप क्षमा करेंगे हमारे लिए यह सोचना स्वाभाविक है, इसमें यह जो एक्ट वर्ड यूज किया गया है, जो यह बात बतायी गयी है इसके अन्दर "This Act may be called the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings (Amendment) Bill 1973.

A Bill to amend the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 (Act No. 11 of 1973)" तो अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक, 1973 जहां तक मेरी जानकारी है, सूचना है राजस्थान राज-पत्र में एक्ट के रूप में प्रकाशित नहीं हुआ है और राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति इसको नहीं मिली है। अब प्रश्न यह है कि यदि राज्य सरकार के पास में स्वीकृति आ गई है तो उसको प्रकाशित करने में कोई विलम्ब हुआ है, किन्हीं कारणों से यह हो सकता है। प्रेस की स्ट्राइक के कारण से भी यह हो सकता है तो इसके बारे में सदन को कॉन्फीडेन्स में लेना चाहिए कि यह राष्ट्रपति महोदय को स्वीकृति है और अनकन्डीशनल असेंट है। असेंट पर कोई कन्डीशन है तो वह बताना चाहिए वरना यह संविधान के साथ अन्याय होगा, कान्स्टीट्यूशनल प्रोप्राइटी को अपहोल्ड करना होगा और इस कारण से निवेदन करूंगा कि माननीय राष्ट्रपति के द्वारा जो भी स्वीकृति, कन्डीशनल या अन-कन्डीशनल, अस्वीकृति जो भी दी गयी हो वह सदन के सामने पढ़कर बता दी जाए और इस सदन को कान्फीडेन्स में लिया जाए कि यह एक्ट बन गया है तब कोई अमेंडमेंट की बात सोची जा सकती है। तब इसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। यह सैद्धान्तिक विवाद का प्रश्न नहीं है। यदि असेंट आ गई है, पब्लिकेशन हो गया है तब तो यह ठीक है। यदि यह गजट में प्रकाशित नहीं हुआ है तो तब तक यह एक्ट के रूप में नहीं आ सकता है। इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था चाहिए। क्या राजस्थान विधान सभा ने जो बिल पारित किया था वह राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित हो गया है और एक्ट बन गया है और उसमें कोई अमेंडमेंट लाने की बात आप कर रहे हैं अथवा यह बिल जो कंसीडरेशन में है उसके ऊपर रिकंसीडरेशन के लिए हमारे पास आ रहा है अथवा वहां से कुछ हिदायत के साथ वापिस भेजा है? यह सब सदन के अन्दर बताया जाना चाहिए और इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक यह सीलिंग का प्रश्न है, यहां आज आपका बहुमत है। आज आप चाहें जैसे इसको पास करवा सकते हैं। जो व्यवस्था आप चाहें लागू कर सकते हैं लेकिन जहां तक प्रोसीजर का प्रश्न है मेरे खयाल में इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो तरीका आप अपना रहे हैं वह असाधारण तरीका है। इसमें कोई कानूनी खामी न रहने पावे। इस विषय को आपकी जानकारी के लिए मैं

(श्री लक्ष्मणसिंह)

डिपार्टमेंट को रेफर करना चाहिए। अगर यह बिल पास हो गया और प्रेसीडेन्ट से स्वीकृति हो गई है तो फिर अमेंडमेंट लाने की क्या जरूरत है? अगर वहां से अमेंडमेंट के साथ कन्डीशनल असेंट आयी है तो यह सारा प्रोसीजर ऐसा है जिस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। ऐसा न हो कि विधान की अवहेलना हो। ऐसा न हो कि अवहेलना कर के जो हम करना चाहते हैं वह न कर पावें। मेरा यह निवेदन है कि इस सम्बन्ध में गंभीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात् आप इस सदन को कॉन्फीडेन्स में लें। यह आपकी मर्जी है। नहीं लेना चाहें तो आपको मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन why do you make us a party to this unsavoury affair?

हम इसकी एक पार्टी बन यह भी अशोभनीय बात है। अगर आपके सीलिंग बिल के अन्दर अमुक मुद्दे ऐसे हैं जो कि सरकार की नीति, गवर्नमेंन्ट ऑफ इंडिया की नीति के विपरीत हैं और इसलिए आप इसके अन्दर यह संशोधन ला रहे हैं तो यह सीधी बात कहिये। कम से कम यह तो कहिये कि इन कारणों से यह जो बिल पास किया गया था, उसमें वापस यह संशोधन ला रहे हैं। इसलिए यह सब विचारणीय हो गया है और आपको इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और उसके बाद ही इसको सदन के समक्ष लाना चाहिए।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : अब कोई बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री केदारनाथ : लीगेलिटी का सवाल तो सामने आ गया है। इसी के साथ साथ प्रोप्राइटी का सवाल भी स्ट्रेस करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : यह इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर नहीं होना चाहिए.....

श्री केदारनाथ : अभी यह बिल इन्ट्रोड्यूज कर रहे हैं। मान्यवर यह जो चीज है, लीगेलिटी के साथ प्रोप्राइटी की चीज, कि यह एक दो दिन पहले इन्ट्रोड्यूज होना चाहिए। जो राष्ट्रपति की असेंट है वह कन्वे नहीं हुई है। अभी तक हमारे पास कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर आया है तो वह पढ़कर सुनाया जाना चाहिए ताकि सेटिसफाइड हो जावें।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदय की असेंट है। हाउस को कॉन्फीडेन्स में लेने या न लेने का कोई प्रश्न नहीं है। क्योंकि हाउस की बिना कन्सेंट के कोई काम नहीं हो सकता है और कोई ऐसा सीक्रेट भी नहीं है जिसको हम छिपाना चाहते हैं। जहां तक प्रेसीडेन्ट की असेंट का सवाल है, जो बिल पहले पास किया गया था उस पर प्रेसीडेन्ट की असेंट मिल चुकी है और उसको उसी प्रकार से गंभीरतापूर्वक सदन के सामने रख रहा हूं और थोड़ी ही ही देर में इसको सेक्रेटेरियेट में दे दी जाएगी। अब रही बात अमेंडमेन्ट की। प्रेसीडेन्ट ने इसको वापिस नहीं भेजा है। उन्होंने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है।

अध्यक्ष महोदय, यह एक तथ्य है कि हमारी पार्टी ने सर्टेन अमेंडमेन्ट इस पर सजेस्ट किए हैं और उनको हम इम्पलीमेंट करना चाहते हैं, और कर रहे हैं। प्रेसीडेन्ट की ओर से कोई ऐसी चीज नहीं है। उन

(श्री हरिदेव जोशी)
इसको विदहोल्ड नहीं किया है। प्रेसीडेन्ट की असेंट मिल चुकी है इसलिए यह जो बिल हमने यहां पर पास किया था वह एक्ट बन चुका है और इस एक्ट को फरदर अमेंड करना है। इसको ऐसे ही इम्पलीमेंट करेंगे तो वह गलत होगा इसलिए अरलिएस्ट पासिबल इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी: क्या इसकी स्वीकृति की सूचना आपके पास है ?

श्री हरिदेव जोशी: मैं कह तो रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी: क्या अध्यक्ष महोदय के पास इसकी सूचना है ? क्या सरकार ने विधान सभा अध्यक्ष को इसकी सूचना दे दी है ?

श्री शंकरलाल: स्वीकृति मिल गई है तो अमेंडमेंट आ सकता है।

श्री केदारनाथ: स्वीकृति मिल गई है तो कन्वे होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था के प्रश्न के रूप में यह उठाया गया है। सदन के समक्ष कृषि जोतों के संबंध में सीलिंग का बिल जो सदन में पहले आया था और इसको सदन ने पास किया उस पर प्रेसीडेन्ट की एसेन्ट आई या नहीं आई, या उन्होंने बिल को रिटर्न किया क्या स्थिति है ? अगर बिल स्वीकृत हुआ है तो उसमें एमेंडमेंट आ सकता है एक्ट बन जाने के बाद, और अगर रिटर्न किया है तो ओरीजिनल कन्सीडिरेशन में आयेगा। जो पोजीशन आपने रखी है कि अगर एसेन्ट आ गई तो एक्ट बन गया है और एक्ट बन गया है तो एमेंडमेंट आयेंगे और बिल के फार्म में आया है तो एमेंडमेंट का सवाल नहीं आता है फिर तो ओरीजिनल कन्सीडिरेशन में आयेगा। लीगल पोजीशन तो यह है और जो मुद्दा आपने उठाया है वह ठीक है।

अब प्रश्न है कि फेक्चुअल पोजीशन क्या है ? आया वह रिटर्न हुआ है या एसेन्ट उसमें आ गई है यह सदन के उप-नेता ने अभी बताया है लेकिन पहले जब बिजिनेस कमेटी ने····

श्री हरिदेव जोशी: अध्यक्ष महोदय, एक टेलीग्राम और सारी चीज आपके सामने रख दी गई है।

श्री अध्यक्ष: कल जब कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग थी और उसमें यह ख्याल करने की बात थी उससे पहिले मैंने नेता महोदय से इस बात की जानकारी चाही थी कि इसकी एसेन्ट आ गई तो उन्होंने मुझे इस बात का इत्मिनान दिलाया कि स्वीकृति प्रेसीडेन्ट की आ गई है और बिल सारा एक्सेप्टेड है। इस एश्योरेन्स के आधार पर कल के एजेन्डे के लिये इसको फिक्स किया था। दो दिन पहले वाली बात थी सर्क्यूलेट करने की तो उसको सर्क्यूलेट कर देते तो पाबन्द नहीं थे कि सदन में कल ही सर्क्यूलेट कर देते। कल सर्क्यूलेट करा भी गया है।

तो इसमें इतनी बात जरूर है कि हाउस को भी कॉन्फीडेन्स में लिया जाना था। हाउस को सूचित किया जाना चाहिये था कि स्वीकृति आ गई है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि एक तो वह स्वीकृति जो है राजस्थान में गजट में छपा दी गई है और वह गजट जो वह 29 मार्च का है। मैं पढ़कर सुना देता हूं—

राजस्थान राज्य विधान मण्डल का निम्नांकित अधिनियम जिसे राष्ट्रपति

Page No. 62

(श्री अध्यक्ष)

की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 1973 को प्राप्त हुई एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is all right.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : सिर्फ कमी इस बात की रही है सारे मामले में कि उनको यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से इस सचिवलाय में लिखित रूप में स्वीकृति की सूचना नहीं दी गई। इसके ऊपर कोताही तो रही है। इसका गजट में पब्लिकेशन हो गया है और यहां हाउस में यह बात कही है कि इसकी स्वीकृति की सूचना अभी टेलिग्राम जो वहां से प्राप्त हुआ है वह भी आया है। तो यह बात कि स्वीकृति आ गई है सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये सर्क्यूलेट कर देंगे ताकि सब को जानकारी मिल जाय। इसका गजट में पब्लिकेशन हो गया है तो इसका ऐसा मतलब होता है कि वह एनाउन्स कर दिया गया है। यह बात एनाउन्स की जाय कि इसकी स्वीकृति मिल गई है इसकी कोई जरूरत नहीं है कि सर्क्यूलेट हो। गजट नोटिफिकेशन आ गया है। लिखा हुआ ओरीजिनल रेकॉर्ड हमारे पास आ गया है कि स्वीकृति आ गई है इसलिये एनाउन्स कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट के आधार पर कि उसकी स्वीकृति राष्ट्रपति की आ गई है।

इसलिये अब प्रश्न यह रहता है कि इस बिल को, विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापित किया गया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता था कि यहां पर कल आर० एस० ई० बी० पर डिसकशन है और उसमें बजट लिया जाता है लेकिन उसका बजट हमको नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : विद्युत मण्डल का बजट सर्क्यूलेट हो गया है।

श्री पी० के० चौधरी : वह एब्स्ट्रेक्ट बजट है, डिटेल्ड बजट नहीं है। जैसा कि रेग्युलर बजट होना चाहिये वह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : That you can object tomorrow. About the budget you can object tomorrow.

श्री पी० के० चौधरी : डिटेल्ड बजट हमको मिलना चाहिये। इसलिये यह निवेदन किया है।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि 71-72 की ऑडिट रिपोर्ट अभी तक सर्क्यूलेट नहीं हुई है। जब प्रतिवर्ष यह रहता है कि बजट के डिसकशन के पहले वह सर्क्यूलेट की जाती है। 71-72 की कम से कम ऑडिट रिपोर्ट जो है प्रति वर्ष की तरह सर्क्यूलेट होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, ऑडिट रिपोर्ट से बहुत कुछ जानकारी माननीय

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
सदस्यों को मिलती है इसलिये ऑडिट रिपोर्ट को सर्क्यूलेट नहीं करना यह वास्तव में माननीय सदस्यों को जानकारी से वंचित करना है। मैं निवेदन करूंगा कि इसके बारे में गम्भीरता से राज्य सरकार को निर्देश दिये जायं और हमेशा की परम्परा की तरह ऑडिट रिपोर्ट को सर्क्यूलेट किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर घोषणा की थी कि छंगाणी कमीशन की रिपोर्ट बड़े नेताओं को ही नहीं, सभी को दी जायगी। 6 तारीख से इस सत्र का समय समाप्त होने की सम्भावना लगती है और अभी तक छंगाणी कमीशन की रिपोर्ट किसी को नहीं मिली है। हम चाहते थे कि उसको पढ़कर उसके बाद में मालूम करते कि राज्य सरकार भी उसमें किसी प्रकार का तथ्य मानती है या नहीं और इस हाउस में डिबेट करते वर्ना कमीशन का एपाइंटमेंट फॉर्स हो जाता है। कमीशन की रिपोर्ट अगर वह नहीं मिले और माननीय मुख्य मंत्रीजी घोषणा कर दें उसके बाद भी 10-15 रोज हो गये हैं और वह नहीं मिली है, तो अध्यक्ष महोदय, आसन की ओर से माननीय सदस्यों को संरक्षण दिया जाना चाहिए यह मेरी प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष: जो आश्वासन सदन में दिया गया है उसकी क्रियान्विति अवश्य की जानी चाहिए। मैं गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं। नेता महोदय से पूछूंगा ऑडिट रिपोर्ट के बारे में और उसके बारे में गवर्नमेंट से कहने जा रहा हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जयपुर शहर में मिट्टी के तेल व कोयले के अभाव के सम्बन्ध में

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत जयपुर शहर में मिट्टी के तेल एवं कोयले के अभाव से उत्पन्न स्थिति की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार से हैं:–

केरोसीन तेल जो कि पेट्रोलियम पदार्थ है केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटन किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थों की तरह इसकी सप्लाई भी रेल द्वारा राज्य के विभिन्न भागों में दिसम्बर, 1972 से बन्द करदी गई। रेलवे वेगनों की कमी के कारण और बन्दरगाहों पर खाली वेगन्स अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान राज्य के तीन शहरों को जयपुर, जोधपुर और उदयपुर डिपो के लिये विशेष रेल द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ भेजने का निर्णय किया। यह नई प्रणाली सम्पूर्ण देश के लिए लागू की गई है केवल राजस्थान के लिये ऐसा नहीं किया गया है। अत: रेलवे वेगनों की कमी के कारण यातायात कठिनाइयों में वृद्धि हुई है और इसी वजह से केरोसीन यहां पहुंचने में विलम्ब होता रहा है।

हाल ही फरवरी के अन्तिम सप्ताह में केन्द्रीय सरकार ने यह बतलाया कि देश के बहुत से भागों में सूखा पड़ने के कारण और विद्युत की सामान्य कमी हो जाने के कारण उसके उत्पादन कार्य हेतु हाई स्पीड डीजल तेल और लाइट डीजल तेल की मांग बहुत बढ़ गई है जिससे हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल का उत्पादन बढ़ाने हेतु केरोसीन के उत्पादन में कमी की गई है। दूसरी ओर दुनिया के दूसरे देशों से ऊंची कीमत पर भी पेट्रोलियम

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

पदार्थ आयात द्वारा प्राप्त करना कठिन हो गया है। केन्द्रीय सरकार ने बतलाया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति दो माह के पश्चात् सामन्य हो जायेगी।

इस संबंध में जो पत्र पेट्रोलियम एवं केमिकल मिनिस्ट्री द्वारा प्राप्त हुआ है वह निम्न प्रकार है:–

"Owing to drought conditions in large parts of the country and also the general shortage in power output the demand for high speed diesel oil and light diesel oil has gone up very sharply. On the other hand, the world supply situation has become difficult and even on enhanced prices it is not possible at the present juncture to secure adequate imports to meet the additional requirements of diesel oils. The international oil situation is expected to normalise in about two months' time, i.e. soon after the passing of the present acute winter conditions in several parts of Europe and U.S.A. In the meanwhile, it is of the utmost importance to ensure that there is no shortfall in the availability of diesel oil for agriculture.

As a very temporary measure therefore, we have to reduce the production of kerosene oil at our refineries and correspondingly increase the production of diesel oils. Consequently there will be a temporary reduction in kerosene availability all over the country."

वर्तमान समय में जो केरोसीन की कमी हुई है वह रेलवे वेगनों की कमी, बंगला देश में रसद पहुंचाने की व्यवस्था और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम पदार्थ नहीं मिलने के कारण उत्पन्न हुई है। उपरोक्त स्थिति के कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान राज्य को 8,907 टन केरोसीन की जगह 8,016 टन्स केरोसीन मार्च, 1973 के लिये आवंटित किया गया है।

जयपुर जिले में 17 मार्च, 73 तक केरोसीन सामान्य रूप से सप्लाई किया गया है और केरोसीन पहुंचने में विलम्ब होने के कारण 13 मार्च, 73 को मैसर्स भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने सब जिलाधीशों को यह बतलाया कि उनके केरोसीन के कोटे में 50 प्रतिशत कमी हो जाने के कारण वह जिलों में सप्लाई होने वाले केरोसीन की आधी मात्रा ही अब सप्लाई कर सकेंगे। इसी के फलस्वरूप भारतीय तेल निगम ने अचानक जयपुर को दिये जाने वाले केरोसीन की मात्रा 1,380 किलो लिटर से घटाकर 650 किलो लिटर प्रतिमाह कर दिया। जैसे ही राज्य सरकार को यह सूचना प्राप्त हुई जिला व्यवस्थापक मैसर्स भारतीय तेल निगम को 24 मार्च, 73 को पत्र लिखकर तैयार तेल जयपुर शहर के लिये सप्लाई करने को कहा गया। जिलाधीश, जयपुर ने भी केरोसीन की कमी को ध्यान में रखते हुए तुरन्त प्रवन्ध किये और जिले के लिये उपलब्ध केरोसीन को देखते हुए केरोसीन को प्रत्येक राशन कार्ड पर 3 लिटर तेल दिए जाने की व्यवस्था की

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

है जिससे कि सब नागरिकों को बराबर केरोसीन उपलब्ध कराया जा सके। अन्य कम्पनियों को भी कहा गया है कि वे रिजर्व कोटा का 50 प्रतिशत जयपुर शहर के लिये रखें।

उपरोक्त विषय में केन्द्रीय सरकार का भी ध्यान आकर्षित किया गया और पेट्रोलियम एवं रसायन मंत्री, केन्द्रीय सरकार को भी अ० शा० पत्र द्वारा आवंटन बढ़ाने के लिये निवेदन किया गया है। इस संबंध में ऑयल कम्पनीज से केरोसीन के समुचित प्रबन्ध करने हेतु बातचीत करली गई है व जयपुर में आज ही से इस स्थिति में सुधार आने की पूरी आशा है।

राजस्थान के लिये पर्याप्त मात्रा में वेगनों की चलन (मूवमेंट) नहीं होने के कारण कोक/कोल की कमी रही है। इसका मुख्य कारण वेगनों की कमी होना है। राजस्थान का अधिकतम भाग मीटरगेज पर स्थित है और मीटरगेज ट्रांसशिपमेंट पर अधिक भार होने के कारण अधिकतर चलन के लिये प्रतिबन्ध रहता है, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में वेगन नहीं मिल पाते एवं समय पर सप्लाई नहीं मिल पाती है राजस्थान के अधिकतम भाग व जयपुर में आगरा ईस्ट बैंक के जरिये माल आता है और उस पर अधिकतर रेजिस्ट्रेशन रहता है। पिछले 6 महीनों में राजस्थान को जो कोयले के वेगन का कोटा मिला है वह पर्याप्त था परन्तु उचित मात्रा में वेगन नहीं मिल पाते हैं।

राजस्थान सरकार ने रेलवे मंत्रालय को समय समय पर इस स्थिति से अवगत कराया है। संयुक्त निदेशक 24 अक्टूबर, 72 व 7, 8 व 9 फरवरी, 73 को कलकत्ते गये थे और संयुक्त निदेशक, यातायात कलकत्ता से व्यक्तिगत बातचीत कर कोयले के वेगनों के आयात व कमी के विषय में विचार व्यक्त किये थे। इसके अलावा पिछली फरवरी में एक अ० शा० पत्र संख्या एफ० 2 (1) एस० पी०/कोल पी./73/6430, दिनांक 28 फरवरी 73 के जरिये कुछ जिलों को हार्ड व सोफ्ट कोक दिलाने के लिये अतिरिक्त वेगन (मूवमेंट) हेतु लिखा गया है। सचिव, उद्योग ने भी 8 मार्च, 73 को संयुक्त निदेशक (कोल) रेलवे मंत्रालय, कलकत्ता को स्थिति की गंभीरता बतलाते हुए ज्यादा से ज्यादा कोल वेगन्स राजस्थान राज्य को भिजवाने के लिए निवेदन किया था। ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत को हल करने के लिए भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं रसायन मंत्रालय द्वारा मुख्य मुख्य स्थानों पर कोयले के डम्प स्थापित करने की व्यवस्था कर रही है।

राजस्थान राज्य के लिये कोल/कोक को सीलिंग भिजवाने का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया हुवा है:-

	वर्ष 72	वर्ष 73	
औद्योगिक कार्य हेतु स्टीम कोल	750	900	प्रतिमाह
2 ईंट के भट्टों के उपयोग हेतु स्लेककोल	500	500	"
3 डिपो से विक्रयार्थ			
हार्ड कोक	250	325	"
सोफ्ट कोक	240	300	"
स्टीम कोल	200	100	" (औद्योगिक में बढाये)

इसके अतिरिक्त राजस्थान नहर परियोजना के लिए तीन रेक (35 बॉक्स

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

वेगन्स का एक रेक) और एक रेकसार्वजनिक निर्माण विभाग के लिये रखा गया है जो उपरोक्त राज्य के कोटे के अलावा है जिसके लिए संबंधित अधिकारी सीधा कोल मंगाने के लिए अधिकृत किये गये हैं।

पिछले माह 14 मार्च, 73 को केन्द्रीय सरकार के रेल मंत्रालय की मीटिंग में निदेशक, उद्योग ने भाग लिया था जिसमें राजस्थान राज्य को राजस्थान नहर परियोजना के लिए उदारतापूर्वक कोल आवंटन करते हुए पांच रेक प्रतिमाह देने के लिये निवेदन किया गया जिसे केन्द्रीय सरकार ने पूर्ण करने के लिए आश्वासन दिया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित किया गया नया प्रोग्राम मई, 1973 के प्रारम्भ से चालू होगा और उस वक्त तक देश के कई भागों में यातायात कठिनाइयों को कम करने के लिए कोयले के भण्डार भी स्थापित कर दिये जायेंगे, जिससे कठिनाइयां नहीं के बराबर हो जायेंगी। मीटिंग में यह प्रस्ताव निदेशक, उद्योग द्वारा रखा गया कि राजस्थान के अधिकतम भागों में आगरा ईस्ट बैंक के जरिये जो कोक/कोल आता है वह अब सवाई माधोपुर–भरतपुर स्थित बड़ी लाइन से छोटी लाइनों के लिए सप्लाई भेजने का प्रबन्ध किया जावे। केन्द्रीय सरकार द्वारा यातायात साधनों में सुधार किये जाने की जांच की जारही है और कोल भण्डार स्थापित करने की योजनाएं इत्यादि बनाई जारही हैं। पहले बड़ी लाइन से छोटी लाइन पर रेक्स भिजवाने का ही कार्य (जिसमें कि 35 बोक्स वेगन होते हैं) किया जाता था वह बदल कर अब विभिन्न स्टेशनों की मांग को ध्यान में रखते हुए अलग अलग वेगनों में प्रत्येक जगह कोल भिजवाना संभव हो सकेगा और आगरा की जगह सवाईमाधोपुर-भरतपुर की बड़ी लाइनों से सप्लाई भिजवाना प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

जयपुर में कोल की कमी का मुख्य कारण आगरा पर अधिकतर रेस्ट्रक्शन रहने की वजह से यातायात कठिनाइयां के कारण रहता है। जयपुर शहर के लिए कोल/कोक का कोटा निम्न प्रकार निश्चित किया हुआ है।

औद्योगिक कार्य हेतु स्टीम कोल	160	वैगनस प्रतिमाह
ईंट के भट्टों हेतु स्लेक कोल	70	"
ढलाई कारखानों हेतु हार्ड कोक	56	"
चूने के भट्टों आदि के लिए (स्टीम कोक)	132	"
डिपो वालों के लिए (स्टीम, हार्ड और साफ्ट)	190	"

गत नवम्बर दिसम्बर, 1972 में 19 वेगनस के कोटे हेतु जिलाधीश, जयपुर ने 102 पार्टियों के नाम सिफारिश किये थे और उसी के अनुसार यह कोटा वितरण किया गया परन्तु वर्ष 1973 के लिए जिलाधीश, जयपुर ने 206 पार्टियों को बहुत अधिक मात्रा में कोल देने की सिफारिश की। अतः 190 वैगनस के कोटे से सभी पार्टियों को संतुष्ट करना संभव नहीं हो सका।

रेल मंत्रालय की चिट्ठी इस प्रकार है :

"You are no doubt aware of the shortage of coal in many parts of the country primarily due to bottlenecks in transportation. The Central Government had been considering the question of setting up coal dumps at important locations. The setting up of such dumps will make it possible to

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

move coal by rail in complete rakes, resulting in improved utilisation of wagons which are in short supply."

यातायात कठिनाइयों के होते हुए भी संयुक्त निदेशक, यातायात (कोल), कलकत्ता को निवेदन कर तदर्थ कोल वेगनस जयपुर के लिए माह फरवरी में (12 बोक्स वेगनस कोक) दिलवाये गये हैं इसके अतिरिक्त कोल का चूरा भी काफी तादाद में जयपुर में प्राप्त हुआ है जिससे कली उत्पादकों को बहुत राहत मिली है। बरोनी एवं समस्तीपुर जंकशन पर कुछ डिपो होल्डरों का कोल। कोक पड़ा हुआ था उसे जयपुर में लाने के लिए सचिव, रेलवे बोर्ड से 100 वेगनस अतिरिक्त देने हेतु विचार विमर्ष कर भिजवाने के लिए अनुरोध किया गया जिससे कोल/कोक उपभोक्ताओं को राहत मिल सकेगी।

ईंट भट्टों हेतु तीन रेक इस वर्ष में अब तक आगये हैं और एक रेक निकट भविष्य में जल्दी ही आने वाला है। एक रेक 88 वेगनस (चार पहियों वाले) स्टीम कोल का भी कली उत्पादकों के लिए यहां (जयपुर) प्राप्त हुआ है और एक रेक की संयुक्त निदेशक, यातायात, कलकत्ता ने स्वीकृति प्रदान करदी है और आशा की जाती है कि यह भी जल्दी ही यहां प्राप्त हो जावेगा। औद्योगिक इकाइयों का पीस मील में चलन (मूवमेंट) हो रहा है लेकिन लगातार रेस्ट्रीक्शन व वेगनों के अभाव में संतोषजनक चलन नहीं हो रहा है। उपरोक्त परिस्थितियों में यह विदित होगा कि राज्य सरकार इन कठिनाइयों को हल करने में निरन्तर प्रयत्नशील रही है और हर संभव तरीके से अतिरिक्त चलन द्वारा ज्यादा से ज्यादा माल यहां लाने के कदम समय समय पर उठाती रही है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : इसी प्रश्न के साथ मेरा एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था कि कृषि के क्षेत्र में किसानों को सीमेंट नहीं मिल रहा है। उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : "वह अलग से है, यह पूछने का नहीं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, आज लोगों को अनाज मिल नहीं रहा। कोयला नहीं मिल रहा, बिजली में भी सरकार ने कटौती कर दी, जो लोग हवा से पेट भरते थे, अब उनको वह भी नहीं मिलेगी। आज जयपुर शहर में जौहरी बाजार या और कहीं भी पधारें, विभिन्न गलियां और मोहल्लों में रात्री के दस और ग्यारह बजे तक लोगों की मिट्टी के तेल के लिये क्यु लगे हुए मिलेंगे। बिजली की आपने कटौती कर दी, तो अब रोशनी करने के लिये तेल ही काम में लेंगे दिया जलाने के लिए। लेकिन बड़े खेद की बाद है कि आज जयपुर में मिट्टी का तेल नहीं मिलता, कोयला नहीं मिलता। जयपुर शहर में मिट्टी के तेल की बिक्री के लिये इन्डियन ऑइल कम्पनी के चार दुकानदार हैं, तीन बर्मा शेल के हैं, पांच एस्सो के हैं और एक कैलटेक्स का है।

श्री अध्यक्ष : There can be lot of information with you. It is not necessary that you should give all the information to the hon. Minister.

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इन दुकानदारों के पास तेल के बड़े बड़े भंडार

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हैं । इनमें से तेल का 1/3 हिस्सा बाकी के दुकानदारों द्वारा और 2/3 हिस्सा इन्डियन ऑइल कार्पोरेशन के द्वारा वितरित किया जाता है । सरकार की देख रेख इंडियन ऑइल कोर्पोरेशन की केवल चार दुकानों के ऊपर है, बाकी जितनी दुकानें हैं 12, उन पर नियंत्रण नहीं है । मैं निवेदन करना चाहूंगा, बाकी की जो दुकानें हैं उन पर सरकार नियंत्रण रखे । उन दुकानों पर कितना तेल बेचना अनिवार्य है— इस प्रकार की व्यवस्था करे । मैं प्रार्थना करूंगा, इस सम्बन्ध में प्रशासन बिल्कुल शिथिल रहा है । प्रशासन की अकर्मण्यता के कारण जयपुर के अन्दर मिट्टी के तेल का अभाव है । एक उदाहरण दुकान का मैं देना चाहूंगा, इंडियन ऑइल कोर्पोरेशन की चार दुकानों में से एक है राठी ब्रॉदर्स । इसका उदाहरण देने से स्थिति स्पष्ट हो जायेगी, 990 किलो लिटर तेल जयपुर के लिए दिया जिसमें से 130 किलो लिटर तेल मार्च में ले लिया और 160 किलो लिटर उठाने के बाद सरकार ने 17 मार्च को कटोती का

(12.51 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नोटिस दे दिया कि जयपुर शहर में तेल कम बेचा जाय । यह कटौती क्यों हुई ? कटौती होने के बाद में इंडियन ऑइल कोर्पोरेशन की दुकानें जो हैं राठी ब्रॉदर्स, घूत ब्रॉदर्स, नाथानी ट्रेडिंग कोर्पोरेशन, अग्रवाल एण्ड सन्स, सहकारी समिति, रामगंज बाजार – इसको हर प्रकार का तेल दिया जाता है । मेरी जानकारी के अनुसार कुल स्वीकृति जयपुर के लिए है इंडियन ऑइल कोर्पोरेशन ने 90 हजार किलो लिटर तेल दिया है । परिणाम यह निकला, स्थान स्थान पर बैलगाड़ियों के द्वारा तेल बेच सकेंगे । एक बैलगाड़ी में 38 किलो लिटर तेल आता है, और 330 राज्य सरकार उससे पर्चे कटाती है । अब 330 के पास वह पहुंचा या नहीं– यह प्रश्न है । इन दुकानों के ऊपर लोग जाते हैं, कहते हैं तेल दो, तो तेल होने पर भी तेल नहीं दिया जाता है । इससे उपभोक्ताओं को बड़ी कठिनाई है । आपने यह व्यवस्था भी की है कि एक राशन कार्ड पर तीन लिटर तेल दिया जायगा । एक परिवार में पन्द्रह आदमी हैं, एक में बीस आदमी हैं । राशन कार्ड यदि एक व्यक्ति का है तो उसको भी तीन लीटर तेल मिलेगा और अगर परिवार में पचास साठ आदमी हैं तो भी तीन लिटर तेल मिलेगा । इस प्रकार से भेदभाव की व्यवस्था रखी गई है । यह आपने समाजवाद का आधार तय कर दिया (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) कि एक व्यक्ति को भी तीन लिटर तेल और पन्द्रह बीस आदमियों के लिए भी तीन लिटर तेल .....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय के स्टेटमेंट से भी आपका भाषण लम्बा हो गया ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन करना चाहूंगा, कौन व्यापारी कितना तेल बेचेगा, इस प्रकार की सरकार ने व्यवस्था नहीं की है । आज गरीब और मामूली आदमियों को तेल मिले इसके लिए आपने राशन की व्यवस्था करने की बात कही है । मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं स्पष्टीकरण मांगता हूं उद्योग मंत्री से, मिट्टी के तेल के वितरण की व्यवस्था बड़ी दुकानों के द्वारा की है, तेल राशन कार्ड पर मिलेगा । लेकिन कइयों के पास में राशन कार्ड नहीं है, कइयों के पास में डुप्लीकेट राशन कार्ड हैं (समय

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

समाप्ति-सूचक घंटी) इसका परिणाम यह होगा कि लोग तेल को स्टोर करेंगे, लोग तेल का ब्लेक करेंगे और गरीब लोगों को मिलेगा नहीं। मेरा निवेदन है कि राशन कार्ड में मिट्टी के तेल का खाना होना चाहिए क्योंकि राशन कार्ड पर कोई इबारत दुकानदार ने नहीं लिखी तो वह दूसरी दुकान से ले आयेगा और अगर लिख दी तो उसको वह डेस्ट्रोय कर देगा। इसलिए यह वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं है। इसको आप ठीक करने का आश्वासन दें।

कोयले के बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा, अभी 8 मार्च को आपने रेलवे मंत्रालय को लिखा है कि कोल वेगन्स की कमी है। आपने स्वयं ने यह माना है, उसका परिणाम यह है कि कोयले की कमी है····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जो पाइन्ट पूछना चाहते हैं उस पॉइन्ट पर निवेदन करें। मैं डिबेट अलाऊ नहीं करूंगा। इसका नियमों में प्रावधान नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं स्पष्टीकरण ही पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि कितने जयपुर में डिपो बढे हैं। वह डिपो केवल सूची में बढ़ सकते हैं। 206 डिपो हैं, यह बात निराधार है। जयपुर में कोल सप्लाई करने वाले दस डिपो हैं, बाकी के लोग सारी फर्जी कार्यवाही कर रहे हैं, वह लोग बाला बाला सरकारी अधिकारियों से मिल कर कोयले का कोटा लेकर लखपति बन गये हैं और कोयला सप्लाई नहीं करते हैं, वह नकली ठेकेदार बने हुए हैं इनकी चैकिंग करनी चाहिए। हार्ड कोल हलवाइयों के काम में आता है, उसका भाव 135 रुपये टन है, 13 रुपये 50 पैसे क्विन्टल की दर है लेकिन जयपुर में चालीस रुपये क्विन्टल के हिसाब से बिक रहा है। कहां 13.50 पैसे, कहां 40 रुपये, कितना ज्यादा मुनाफा है। आप नकली ठेकेदारों की चैकिंग करें नहीं, रेलवे वेगन्स की व्यवस्था करें नहीं और तीन चार ईमानदार लोग हैं उनको परमिट नहीं दे रहे हैं। इस कारण से अव्यवस्था फैल रही है। इसी तरह से साफ्ट कोल की दर है, 7 रुपये 30 पैसे क्विन्टल, लेकिन वह जयपुर में 28 रुपये क्विन्टल के हिसाब से मिलता है। कहां 7 रुपये 30 पैसे और कहां 28 रुपये। स्टीम कोक फैक्ट्री और भट्टों के काम में आता है, वह चालीस रुपये टन है, यानि 4 रुपये क्विन्टल है, जयपुर में 25 रुपये, 30 रुपये क्विन्टल के हिसाब से बेचा जा रहा है। मेरा निवेदन है कि बोगस डिपो की जांच होनी चाहिए और मंत्रियों को और बड़े बड़े ऑफिसरों की चापलूसी करके लाखों रुपये जो कमा रहे हैं, जो बोगस डिपो हैं उनको बन्द करना चाहिए और सरकार उनको परमिट नहीं दे। वास्तव में जयपुर शहर में, जैसा निवेदन किया था, कोल के 68 व्यापारी ईमानदारी से डिपो चला कर बेचने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको परमिट दें और सरकार उनके लिए यह व्यवस्था करे कि यातायात के साधन मिल जायं, रेलवे वेगन मिल जायं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) ट्रक मिल जायं। आज ट्रक उनको नहीं मिलने के कारण हालत यह है कि ट्रान्सपोर्टेशन के चार्जेज ट्रक के उनको काफी देने पड़ रहे हैं, जिससे जयपुर शहर में कोयला मंहगा मिल रहा है। मैं निवेदन करूंगा, जयपुर का जन जीवन मिट्टी के तेल और कोयला नहीं मिलने से अस्त व्यस्त हो गया है····

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर चुका

(श्री उपाध्यक्ष)
हूं स्पीच की आवश्यकता नहीं है ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जयपुर में जन जीवन की बहुत हालत खराब है । मैं उद्योग मंत्री को जन जीवन की हालत बता सकता हूं। इसलिए आप मिट्टी के तेल और कोयले के वितरण की सही व्यवस्था करें और राशन आसानी से मिल जाय – इसकी व्यवस्था करें ।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री अजीतसिंह से) आपको कुछ कहना है ? इन्होंने जो कहा है इसके अलावा कुछ कहना है ? यह आवश्यक नहीं है कि सब माननीय सदस्य बोलें । ध्यानाकर्षण का कौनसा पॉइन्ट रह गया है ।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, गांवों के बारे में स्पष्टीकरण हो जाय। गांवों में मिटटी के तेल की व्यवस्था करने की कोशिश की जाय । गांवों में मिटटी के तेल का संकट पैदा हो गया है । वहां पर बिजली है नहीं तेल का आसरा है जिससे रोशनी हो सकती हैं । मंत्री महोदया बतायें कि गांवों के लिए क्या व्यवस्था करेंगे। शहरों के लिए बताया है, वह ठीक है लेकिन गांवों की व्यवस्था के बारे में बता दें ।

टोंक के अन्दर कोयले की सप्लाई हुई नहीं है, इसलिए खाना बनाना भी दुश्वार हो गया है । न कोयला है, न मिट्टी का तेल है । इसलिए इसकी व्यवस्था की जाय ताकि भोजन की व्यवस्था तो हो सके ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस सम्बन्ध में था...

श्री उपाध्यक्ष : जिन तथ्यों पर स्पष्टीकरण चाह रहे हैं, वह बता दें ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मैं एक तो यह कहना चाहता हूं कि खास तौर से जयपुर शहर में मिट्टी के तेल की कमी है, उसके संबंध में मंत्री महोदया ने बताया कि बैगनस की कमी है, इसकी वजह से खास तौर से अव्यवस्था हुई । मैं इस संबंध में, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा, सही बात यह है कि जो बड़े डीलर जयपुर में बैठे हुए हैं, उन डीलर को 65 पैसे प्रति लिटर के हिसाब से जो तेल वितरित किया जाता है, असल में स्थिति इस वजह से बिगड़ रही है कि वह डीजल और पैट्रोल के अंदर इस मिट्टी के तेल को मिला कर इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इस मिलावट के अंदर बड़े बड़े लोगों का, बड़ी बड़ी एजेंसियों का हाथ है, जिनके पास में गोदाम बहुत सारे हैं। एक तरफ जो मिट्टी का तेल उन्हें मिल रहा है वह डीजल में मिला रहे हैं, पेट्रोल में मिला रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी, जिसको सही मायने में तल मिलना चाहिये, उसको नहीं मिल रहा है। आज दो हजार आदमियों की कतार बाइस गोदाम में तेल के लिये लगी हुई है। मैं मंत्री महोदया को बता सकता हूं, अभी भी मौका देखने चलें, तो बाइस गोदाम पर अभी भी लाइन लगी हुई है, और बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां खड़े हैं। मैं निश्चित तौर से मान कर चलता हूं, वितरण व्यवस्था में राशन कार्ड दिखाने की बात है तो एक आदमी एक स्थान पर राशन कार्ड दिखा देता है और तेल ले लेता है, लेकिन जिन लोगों की बड़ी फेमिली हैं, उनको राशन कार्ड के आधार पर तीन लिटर तेल दिया जाता है। यह व्यवस्था निश्चित तौर से गलत है। इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी पूछना चाहूंगा, क्या कुछ डीलर के ऊपर सप्लाई ऑफिसर ने कुछ चालान किये हैं। मेरी जानकारी में है

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

कि पांच डीलर का सप्लाई आफिसर ने चालान किया है जो कि मिट्टी के तेल को डीजल और पेट्रोल में मिला रहे थे। मुझे ऐसा लगा है कि जिन पर चालान पेश किए हैं उनको भी आज किसी बड़े अधिकारी वर्ग के लोग रफादफा करने में लगे हुए हैं क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टीज पहुंच गई, मुझे शंका है कि अगर उनके हौसले बढ़ जायेंगे तो तेल को डीजल और पट्रोल में मिलाते रहेंगे और शहर में तेल की कमी बनी रहेगी। राज्य सरकार ने क्या नारायणदास व श्यामसुन्दर नाथ ट्रेडींग कंपनी, राम नारायण, धूत ब्रदर्स और नवल किशोर एण्ड कम्पनी, इन लोगों पर चालान किए हैं तो क्या साबित हुए हैं? या नहीं जांच हुई तो कहां तक साबित हुआ है? क्या राज्य सरकार इनके लाइसेंसेंज कैंसिल करने के लिए भारत सरकार को लिख रही है या अपने स्तर पर कार्यवाही कर सकती है तो कहां तक कर रही है क्योंकि पट्रोल और डीजल को मिला कर एक तरफ गलत काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ शहर में इस कारण तेल की कमी हो रही है कि वैगन्स की कमी है, जितने आने चाहिए वे नहीं आ रहे हैं? लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की कार्यवाही करना अनुचित है। ऐसे गलत जो काम कर रहे हैं उन पर जांच कर रहे हैं, क्या चालान पेश हुए हैं, क्या कैंसिल करने के लिये उनको क्या क्या रिकमेंड कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : (श्री श्रीराम गोटेवाला के खड़े होने पर) आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मंत्री महोदय का स्टेटमेंट हो चुका मुझे उस बारे में सवाल पूछने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दे सकता। सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : कई माननीय सदस्यों ने जयपुर में उत्पन्न कोयले की कमी मिट्टी के तेल की स्थिति के बारे में काफी विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं तो सिर्फ एक ही प्रश्न उद्योग मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि एक तरफ वैगन्स की शार्ट सप्लाई की बात हो रही है कोयला लाने के लिये दूसरी तरफ 65 पैसे प्रति लीटर का मिट्टी का तेल लोगों को एक एक टिन एक रुपए डेढ़ रुपए प्रति लिटर के हिसाब से कहां से उपलब्ध हो जाता है। दूसरी बात कोयले के अभाव के बारे में मुझे निवेदन करना है कि जब कोयले की कमी है तो फिर वह कोयला ऐसे लोगों को जो 50 रु० प्रति क्विंटल के भाव में दे सकते हैं, कहां से कोयला मिल जाता है। मैं इन शंकाओं का समाधान करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ एक प्रश्न और जुड़ा था ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ••

श्री उपाध्यक्ष : सीमेंट के बारे में नहीं है।

श्री शकुन्तला श्रीवास्तव : तो इन दोनों प्रश्नों के लिये सरकार अपनी तरफ से इस बात के लिये आश्वस्त करे। एक तरफ बिजली की कटौती कर दी, रात को लाइट नहीं जलती, बच्चे पढ़ने के लिये परेशान हैं। इसके साथ साथ मिट्टी का तेल भी ग्रामीण क्षेत्र में दिया जलाने के लिए नहीं मिले तो जयपुर क्षेत्र के साथ साथ····

श्री गिरधारी लाल भार्गव : दीपक की शरण में आ जायेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : दीपक तो बुझ चुका।

Page No. 72

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दीपक तो आपके मर जाने के बाद भी आपकी छाती पर 12 दिन जलता रहेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अपनी छाती पर जला देना मुझे तसल्ली हो जाएगी उपाध्यक्ष महोदय-जो मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया कोयले के बारे में। मैं जानना चाहता हूं कि जो कोयला राजस्थान में आया और जयपुर में आया, कोयला जयपुर में बिका। मैंने और छंगाणी ने एक पत्र लिखा था मंत्री महोदय, को पूरे तथ्य दिए थे कि राजस्थान का कोयला हरियाणा में जाकर बिका है और राजस्थान के लोग बिना कोयले के छटपटा रहे हैं। कोयले की स्थिति यह है कि लोगों को आधे आधे माइल की लाइन लगाकर कोयला खरीदने के लिए खड़ा होना पड़ता है, उद्योग धंधे बंद हैं जो एक्चुएल यजर्स हैं उनको नहीं मिलता है। मिट्टी के तेल के बारे में निवेदन है कि अगर वैगन्स की कमी है तो आज जो टैंक्स ट्रक्स पर फिट होते हैं••

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

प्रश्न एलॉट होते हैं, आज तक की परम्परा रही है ...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने फर्जी कम्पनियों की लिस्ट दी थी। गंगानगर में अरविन्द कोल कम्पनी की फर्जी लिस्ट दी थी और मंत्री महोदय ने विश्वास दिलाया था कि वह इसकी जांच करेंगे। अब दुबारा अग्रवाल कंपनी ने 200 से अधिक फर्जी कंपनियों के नाम पर कोयले का कोटा लिया। और दुबारा गंगानगर में इजाजत दे दी गई, पी० डब्ल्यू० डी० ने भी दे दी, कलक्टर ने भी दे दी और आज अजंता कोल और गुप्ता कोल कम्पनी के नाम से वहां सबसे बड़े ठेकेदार जिसको ब्लेक लिस्ट किया जा चुका है कुलदीपसिंह, उसके कोलोबोरेशन में वे काम कर रहे हैं। इन कम्पनियों के संबंध में जांच की, क्या नतीजा हुआ, उन्होंने क्या कदम उठाए और आज दुबारा इन कम्पनीज को क्यों इस कोयले की मोनोपोली दी गई ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो विवरण सदन के सामने पेश किया उसमें केरोसिन ओइल से संबंधित जो कमी है उस बारे में स्पष्ट तौर पर बताया है कि न सिर्फ वैगन्स के मूवमेंट की दिक्कत के कारण कमी पैदा हुई है बल्कि इस देश में जो अकाल की स्थिति बनी और उस अकाल स्थिति के साथ साथ में जो बिजली की कमी हुई उसको मीट आउट करने के लिए हाई स्प्रिट डीजल और लाइट ओइल डीजल उसकी ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ी इसलिए रिफाइनरीज में वर्तमान में केरोसिन ओइल न बनाया जाकर उसके मुकाबले में डीजल ओइल को बनाना ज्यादा शुरू किया इसलिए विशेषतौर से केरोसिन ओइल की दिक्कत पैदा हुई और यह दिक्कत जैसे मैंने निवेदन किया है सिर्फ डेढ़ दो माह की है। उसके बाद में यूरोपियन देशों में जो दिक्कत है वह खतम हो जाएगी और जो टैंकर्स की व्यवस्था है वह भी हो सकेगी और उसके साथ साथ में जब बारिश होने का अवसर आएगा उसके कारण पावर शार्टेज भी थोड़े समय के बाद हल हो सकेगी। उसके कारण से जो केरोसिन में कमी हुई है वह कमी राष्ट्रीय स्तर पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, सिर्फ राजस्थान के स्तर पर ही नहीं है। उसके

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
परिणाम स्वरूप राजस्थान में कटौती हुई है, उसके कारण हमें कमी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जितनी कमी हुई है उसके परिणामस्वरूप जिस जिस जगह पर जितना जितना केरोसिन का कोटा एलॉट हुआ है उसका एकुइटबुल वितरण कन्ज्यूमर्स के अंदर किया जा सके, इस बात की तमाम जिलों में व्यवस्था की गई है और जयपुर शहर में जैसे मैंने निवेदन किया, जो कम्पनीज के पास रिजर्व्ड कोटा है उसमें से 50 प्रतिशत रिजर्व करा लेने की व्यवस्था की गई है और आज से उस रिजर्व्ड कोटा में से जयपुर शहर को कुछ केरोसिन ओइल मिला है और एक दो दिन में स्थिति सुधर जाएगी।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : ब्लैक में केरोसिन ओइल मनमाने ढंग से...

श्री उपाध्यक्ष : पहले सुन लीजिए।

श्रीमती कमला बेनीवाल : पहले मैं जवाब दे दूं।

श्री गुमानमल लोढा : सारे राजस्थान का प्रश्न है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने निवेदन किया, राजस्थान का ही नहीं सारे अंतर्राष्ट्रीय जगत का है। जहां तक कोयले का सवाल है...

श्री श्रीराम गोटेवाला : गहलोत साहब ने मिलावट की बात कही।

श्रीमती कमला बेनीवाल : पहले सुन लीजिए।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप फिर कहेंगे कि हम पूछ नहीं सकते। मैंने इसमें लिखा है कि मिलावट हो रही है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं तमाम बातों का उत्तर दूंगी, आप तसल्ली रखें तो अच्छा रहेगा। जहां तक कोयले का सवाल है कुछ समय से वैगन्स के मूवमेंट में काफी वृद्धि हुई है। अक्टूबर नवम्बर में सिर्फ 25 प्रतिशत कोयले वैगन्स के मूवमेंट की स्थिति थी। आज हम 40 प्रतिशत तक कोयले के मूवमेंट की स्थिति को ले आए हैं और जैसा मैंने कहा भारत सरकार के मंत्रालय के पत्र का जिक्र किया। मीटिंग बुला रहे हैं 10 तारीख को कोटा में, 14 को दिल्ली में। डम्प स्टेशन्स कायम करेंगे जिसके जरिए ट्रांस्पोर्टेशन की दिक्कत दूर हो जाएगी तो पिछले समय के मुकाबले में इस समय कोल मूवमेंट में काफी तरक्की हुई है, आवागमन भी ज्यादा हुआ है और उसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं की खपत के लिए ज्यादा उपलब्ध होना चाहिए। आप कहते हैं कि पहले के मुकाबले में कोयला कम आया है, हो सकता है उसके इम्पलीमेंटेशन के स्टेज पर कोई कमजोरी की बात हो।

यहां पर केरोसीन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कहा गया है और यह भी कहा गया है कि उनके डिपोज के एजेन्ट्स द्वारा ब्लैक किया जा रहा है और इसका राशनिंग क्यों नहीं कर दिया जाय। इसके लिये मैं आपसे निवेदन कर देना चाहती हूं कि इसके इम्पलीमेंटेशन के लिये राज्य सरकार प्रयत्नशील है। और इसका जल्दी से इम्पलीमेंटेशन किया जायेगा। तथा जैसा कि यहां सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि वहा पेट्रोल के डिपो वाले गड़बड़ियां कर रहे हैं उसके लिये मैं यही निवेदन करना चाहती हूं कि उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। जिन माननीय सदस्यों ने जिन जिन इलाके के डिपो के बारे में शिकायत की है जिन जिन एजेन्ट्स

(श्रीमती कमला बेनीवाल) को नाम बताया है उसकी अभी तक मेरे को जानकारी नहीं है लेकिन जैसाकि यहां कहा गया है उनके विरुद्ध शिकायत आने पर उनके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय मैंने जो प्रस्ताव दिया है उसमें साफ साफ लिखा है कि 22 गोदाम के एरिया में जहां पर यह गड़बड़ी विशेष रूप से हो रही है और वहां पर स्थानीय एजेन्ट्स केरोसीन की कृत्रिम स्केअरसिटी पैदा करके उससे ब्लैक से पैसा कमा रहे हैं और उस एरिया की जनता को परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा वहां के एजेन्ट्स डीजल में केरोसीन मिलाकर मिलावट करके उसे जनता को बेच रहे हैं और बार बार शिकायत करने पर भी राज्य सरकार उन एजेन्टों के खिलाफ में कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। मैंने इस बारे में अपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में साफ साफ कहा है और राज्य सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय सप्लाई विभाग के आफिसर को शिकायत की उन्होंने जाकर इन्क्वारी की लेकिन आज तक उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और इस प्रकार की ढिलाई बरती जा रही है और जनता को बुरी तरह से परेशान किया जा रहा है। इधर तो एजेन्ट्स पैसा जनता से ब्लेक करके लूट रहे हैं उधर जनता जयपुर शहर में बुरी तरह से परेशान हो रही है। एक तरफ एजेन्ट पेट्रोल के बदले डीजल आईल के साथ केरोसीन मिलाकर बेच रहे हैं दूसरी तरफ जनता हाय हाय कर रही है। इसलिये राज्य सरकार को इस तरफ गम्भीरता से सोच कर जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करके उन्हें सजा दी जाने की व्यवस्था करनी चाहिये।

श्रीमती कमला बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि जो स्थानीय एजेन्ट्स गड़बड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ तत्काल और शीघ्रता से जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जायेगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय आज मिट्टी का तेल बाजार में नहीं मिल रहा है। इधर सरकार के अनाज का थोक व्यापार एक अप्रेल से हाथ में लेने से अनाज नहीं मिल रहा है और सरकार ने सस्ते अनाज की दुकानें अभी तक खोली नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय इस तरह आखिर कब तक काम चलेगा।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसका जवाब मैंने दे दिया है कि राज्य सरकार इस बारे में प्रयत्नशील है।

श्री उपाध्यक्ष : सहकारिता मंत्रीजी।

(कई सदस्य एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर अश्रव्य)

ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज। सहकारिता मंत्री जी।

श्री नारायणसिंह (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय उसके पहले कि मैं अपना वक्तव्य दूं मैं सदन को यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुद्रणालय के कर्मचारियों का शिष्टमण्डल यहां पर मेरे से मिलने आया हुआ है और हो सकता है कि उनकी स्ट्राइक आज ही समाप्त हो जाय और मैं यह भी साथ में निवेदन करना चाहूंगा कि शायद

(श्री नारायण सिंह)
यह बहुत ही अच्छे और सही ढंग से समाप्त हो जायेगी। इसलिये अगर वह नहीं हो सकी तो मैं तीन बजे अपना वक्तव्य दे दूंगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यह बहुत ही अच्छा है। बहुत ही सराहनीय बात है अगर स्ट्राइक समाप्त हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय अगर स्ट्राइक समाप्त भी हो जाय तो भी मंत्री महोदय को अपना वक्तव्य देना चाहिये।

श्री केशरनाथ : अच्छा है कोई वे आउट निकल जाय तो ठीक ही रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगर ठीक नहीं हुआ तो तीन बजे वक्तव्य दिया जायेगा।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

राज्य की अकाल की स्थिति पर विचार।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय अगर स्ट्राइक समाप्त हो भी जाती है तो भी वक्तव्य होना चाहिये ताकि हमें उसमें कुछ बोलने का मौका मिले। उपाध्यक्ष महोदय, हमें वहां डाईरेक्टर के खिलाफ में काफी कुछ कहना है, उसने सारी गड़बड़ियां कर रखी हैं उसके खिलाफ में काफी सीरियस चार्जेज हैं और हमारे पास फेक्ट्स फीगर्स हैं। उसके अनुसार इसके खिलाफ में कार्यवाही की जानी चाहिये। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि स्ट्राइक समाप्त हो यह भी जाय तो भी मंत्री महोदय का वक्तव्य होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय तीन बजे अपना वक्तव्य देंगे।

राज्य की अकाल स्थिति पर विचार

राज्य की अकाल की स्थिति पर अग्रेतर विचार

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, अकाल की स्थिति पर मेरे पहले भी कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस सदन में प्रकट किये थे। आज राजस्थान में जो अकाल की स्थिति है, राजस्थान में जो अभाव की स्थिति है उसके बारे में मैं भी अपने विचार सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान प्रान्त में करीब 34573 गांव हैं और जिसमें से करीब 18 हजार 647 गांव आज इस अकाल से प्रभावित हैं। या यूं कहिये कि राजस्थान की ग्रामीण जनता करीब 2 करोड़ 12 लाख है उसमें करीब 1 करोड़ और 35 लाख व्यक्ति अकाल से प्रभावित हैं। यह आंकड़े जो दिये गये हैं वह 24-3-73 तक के आंकड़े दिये गये हैं। उसमें यह बतलाया गया है कि करीब सात लाख 5 हजार व्यक्तियों को अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत काम दिया गया है। और राजस्थान सरकार इस अकाल की स्थिति का मुकाबला कर रही है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय कि एक करोड़ और 35 लाख लोग जहां अकाल-ग्रस्त हैं और जैसा काम राज्य सरकार को करना चाहिये वह नहीं कर रही है। आज महाराष्ट्र में भी अकाल है गुजरात में भी है, मध्यप्रदेश में भी अकाल है लेकिन जैसी भयंकर स्थिति राजस्थान में अकाल की है वैसी स्थिति इन प्रदेशों में नहीं है। राजस्थान में अकाल की स्थिति बहुत ही भयंकर है और इसके लिए राज्य सरकार को केन्द्र से जो मदद लेनी चाहिए थी वह राज्य सरकार प्राप्त करने में सर्वथा

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

असमर्थ रही है। हमारे मुख्य मंत्रीजी और अकाल राहत मंत्रीजी ऐसी स्थिति केन्द्र सरकार के सामने नहीं बना सके कि उन्हें समुचित धनराशि अकाल के लिये दी जाय। आज हमारे यहां पर जितने अकाल राहत कार्यों पर लोगों को काम पर लगाया है वह बहुत ही कम है मैं मेरे जिले के बारे में कहना चाहता हूं कि बाड़मेर में और जैसलमेर जिले में जो कि रेगिस्तानी इलाका है जहां पर वर्षा हमेशा से ही कम होती और आज करीब पिछले दस सालों में लगातार अकाल पड़ रहा है इसमें कुछ गांव तो ऐसे हैं जो कि पिछले 6–7 सालों से भयंकर अकालग्रस्त हैं कुछ गांव ऐसे भी हैं जिनमें तीन चार साल से अकाल पड़ा है। इस प्रकार अकेले बाड़मेर जिले में 852 गांव में से 582 गांव अकालग्रस्त हैं। और राज्य सरकार ने करीब ओक्टोबर से ही वहां अकाल राहत कार्य जो कि चालू रहने चाहिये थे बन्द कर दिये। मेरे समझ में नहीं आता है कि राज्य सरकार जानती है कि वहां पर वर्षा नहीं हुई है और पिछले कई सालों से अकाल की स्थिति है फिर भी उन्होंने ओक्टोबर में अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये। चाहिये तो यह था कि ओक्टोबर में अकाल राहत कार्य बन्द नहीं किये जाते। उसके बाद में भी जब उन्हें पता लग गया कि अकाल की स्थिति बन गयी है फिर भी उन्होंने नवम्बर में काम शुरू नहीं किया, दिसम्बर में काम शुरू नहीं किया और जहां पर काम शुरू किया वहां पर बहुत कम शुरू किया। बहुत कम मजदूरों को काम मिला। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ सरकार अकाल की और ओक्टोबर नवम्बर तक ध्यान नहीं देती है और बाद में जब राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया तो मजदूरों को मेटिरियल कोम्पोनेन्ट की बात करते हैं। कभी मनचन्दा कमेटी की रिपोर्ट की बात करते हैं उसमें स्पष्ट कर दिया कि मेटिरियल कोम्पोनेन्ट नहीं दिया जाय। मेटिरियल कोम्पोनेन्ट प्राप्त नहीं होने से राज्य सरकार अकाल राहत काम नवम्बर में नहीं चला सकी। दिसम्बर महीने में काम नहीं चला और जनवरी में फिर बाद में शुरू हुआ। 30 परसेंट मेटिरियल कम्पोनेन्ट तय किया गया। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में 30 परसेंट मेटिरियल कम्पोनेन्ट से रोड्स का वर्क्स लिया ही नहीं जा सकता है इसलिये कार्य नहीं चला। नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी में भयंकर अकाल था कुछ गांवों में वहां पर कोई राहत कार्य नहीं खोले इससे वहां की जनता को बहुत कष्ट उठाने पड़े। और राज्य सरकार ने कतई परवाह नहीं की। राज्य सरकार की यह स्थिति थी कि केन्द्रीय सरकार ने मेटिरियल कम्पोनेन्ट नहीं देने का निर्णय लिया और राज्य सरकार ने मेटिरियल कम्पोनेन्ट के लिये अमाउन्ट प्रोवाइड करके जनता के लिये कोई कार्य नहीं किया।

अब मैं बताना चाहता हूं कि कौन कौन से जिलों में जहां मजदूर लगाये जा रहे हैं वहां की कितनी पापुलेशन इफेक्टेड है।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो मेम्बरों के पास है सारी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं नक्शा खींच कर बाड़मेर जिले के बारे में कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ पांच जिले जो रेगिस्तानी जिले हैं उन्हीं पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा और यह चाहूंगा कि जो जोधपुर जिला है जहां 7½ लाख आदमी इफेक्टेड हैं वहां पर सिर्फ

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

120914 मजदूर ही काम कर रहे हैं। 6 मेम्बरों के पीछे एक मेम्बर कार्य पर लगा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: यह जानकारी तो मंत्री महोदय ने प्रसारित कर दी है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: मेरे कहने का मतलब यह है कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में जितने लोग प्रभावित हैं वहां पर 25 सदस्यों के बीच में एक सदस्य को अकाल राहत कार्य पर लिया गया है। किन्ही गांवों में पांच पांच साल से अकाल है, किन्हीं में दो साल तीन साल से अकाल है। इसलिये जो काम पर आदमियों की संख्या ली गयी है बहुत कम है। अधिक आदमी काम पर लिये जाने चाहियें। कुछ गांवों में स्थिति अच्छी है। 270 गांव ऐसे हैं जिनको अकाल ग्रस्त नहीं घोषित किया गया है और वहां अच्छी हालत है। जहां पर रुपये में 16 आना खराबा है, 12 आना है, 14 आना है, दस आना खराबा है वहां पर ऐसे गांवों में अभी तक भी राहत कार्य नहीं खोले गये हैं। लोगों को राहत कार्य में लगाया नहीं गया है। उनकी बड़ी विषम स्थिति है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अकाल राहत कार्य अधिक से अधिक खोलें। ऐसे भी गांव हैं जहां से एक भी व्यक्ति काम पर नहीं लगाया गया है। जहां कि बड़ी विषम परिस्थिति है। ऐसे भी गांव हैं जहां के पांच परसेंट और दस परसेंट ही लोगों पर लगे हुए और बाकी 90 और 95 परसेंट बिना काम के बैठे हैं। इसलिये अकाल में मजदूरों की संख्या बढ़ा कर कम से कम 70 हजार शुरू में लिये जाने चाहिये और बाद में संख्या बढ़ानी चाहिये। डेढ़ लाख की संख्या तक बढ़ाया जाना चाहिये। तब जाकर लोगों को राहत मिल सकती है।

राज्य सरकार ने टास्क बेसिस का निर्णय लिया है। मैं उसका स्वागत करता हूं। जो रेट्स हैं उनके अन्तर्गत 70 परसेंट उनसे काम कराया जावेगा और 30 परसेंट का रिलेक्सेशन किया है। मैं चाहता हूं कि पचास परसेंट का रिलेक्सेशन हो। जो कार्य करने वाले हैं वे स्किल्ड लेबर नहीं है। पी० डब्लयू० डी० की जो स्किल्ड लेबर लगायी जाती है वैसी लेबर नहीं है। मजदूरी उन्होंने की नहीं लेकिन और कोई उनके पास चारा नहीं। 50 परसेंट जो रेट है, काम की उससे कम लिया जाना चाहिये। पहले 60 की गेंग काम करती थी। मैं समझता हूं कि 50 की गेंग बनायी जानी चाहिये और जो कार्य उनको असेन किया जाता है वहां पर उसका पूरा सुपरविजन रहना चाहिये। स्थिति यह होती है कि कुछ लोग तो काम नहीं करते और कुछ लोग सम्पूर्ण काम कर देते हैं। जो तीन रुपये की रेट रखी है वह कुछ लोग तो सम्पूर्ण काम कर देते हैं और कुछ लोग बिलकुल नहीं करते। 75 परसेंट गेंग के वर्क का प्रपोर्शन आता है। तो डेढ़ रुपया का प्रपोर्शन आ जाता है। इसलिये सरकार को और स्ट्रिक्ट सुपरविजन की व्यवस्था करनी चाहिये। और जो काम नहीं करते है उनको हटा दिया जाना चाहिये ऐसे तत्व हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी हैं जो अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। वे काम नहीं करते हैं और बराबर मजदूरी लेना चाहते हैं। ऐसे मजदूरों को मजदूरी पर नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से दूसरे लोगों को जो पूरा काम करते हैं उनको कम मिलता है।

परिवार को परिचय पत्र देने का निर्णय किया गया यह सूझ बूझ का निर्णय है। फेमिन डिस्ट्रिक्टस में ये परिचय-पत्र बांट-

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

दिये गये है। पांच में से दो आदमियों को आप प्रत्येक परिवार में से लगाइये। 12 फेमिली मेम्बर्स जिस परिवार में हैं उनके यहां से यदि 1 आदमी को काम पर लगाया जाता हैं तो कैसे काम चलेगा। चार आदमियों को लगाया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिये कि इतनों को न लगायें। परिचय-पत्र होने से और टास्क बेसिस पर काम होने से भ्रष्टाचार में कमी आयी है। हम राज्य सरकार की इसके लिये सराहना करते हैं।

पानी के बारे में खास तौर से जिक्र करूंगा कि अभी जो अकाल रहात कार्यो में हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो पानी सप्लाई किया जाता हैं, उसको सात आठ मील से लाना पड़ता है और एक ऊंट एक पखाल ला पाता है। 75 की गेंग हो गयी। 75 व्यक्तियों की गेंग हुई और उनके लिये 32 गैलन पानी। दो ऊंट उनके लिये नियुक्त कर दिये जांय तब भी 64 गैलन पानी अपर्याप्त है। एक व्यक्ति को कम से कम चार गैलन पानी मिलना चाहिये अकाल राहत कार्यों पर। गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और उस समय में भी इन मजदूरों को चार गैलन पानी सप्लाई नहीं कर सके यह राज्य सरकार के लिये उचित नहीं रहेगा। इसलिये राज्य सरकार को प्रयास करना चाहिये। पहले टेंकरों से पानी सप्लाई करते थे अब ऊंटों के द्वारा सप्लाई कर रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि पानी के लिये पूरी तरह से व्यवस्था करें ताकि लोगों को पर्याप्त पानी मिले। कम से कम चार गैलन पानी उनको मिलना चाहिये।

पानी के लिये और भी जिक्र करना चाहूंगा। जिन गांवों में पानी का अभाव है और टेंकरों से सप्लाई किया जाता है वहां पर भी इस प्रकार की स्थिति है कि एक गैलन पानी मिल रहा है। यह बहुत ही अपर्याप्त है। आधुनिक युग में, इस जनतन्त्र के युग में इस जनता के राज्य में सिर्फ एक गैलन प्रति व्यक्ति पानी सप्लाई करें और टेन्करों से पानी सप्लाई करें, यह कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जनता आन्दोलन नहीं करती है, किसान आन्दोलन नहीं करता है और मजदूर छोटे छोटे मुद्दों पर आन्दोलन करता है परन्तु किसान आन्दोलन नहीं करता है। उनकी जो वाजिब मांगे हैं, उनकी कद्र करनी चाहिये और राज्य सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उन्हें भी पांच गैलन प्रति व्यक्ति पानी सप्लाई किया जाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब मैं राज्य सरकार ने जो जिला सलाहकार समितियां बनाई हैं और जिसको 25 हजार रुपये तक के पावर्स दिये हैं, मैं चाहता हूं वह अधिकार 50 हजार रुपये तक हो तो जिला सलाहकार समितियां सही तरीके से काम कर सकती हैं। 25 हजार का वर्क हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही कम है इसलिये जो अधिकार दिये गये हैं उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। मैं यह चाहता हूं हमारा डेजर्ट का डिस्ट्रिक्ट है उनको 50 हजार का अधिकार दें और एक लाख का अधिकार देते हैं तो और भी उचित रहेगा।

भू-संरक्षण के कार्य में जो राज्य सरकार ने 50 प्रतिशत लोन और 50 प्रतिशत सबसिडी दी है उसको बढ़ा कर 75 प्रतिशत सबसिडि का निर्णय लिया है, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। असहाय लोगों के बारे में जो राज्य सरकार ने कदम उठाया है वह भी प्रशंसनीय है। पति और पत्नी दोनों बीमार हैं तो भी

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

कलेक्टर को मदद देने का निर्णय लिया है; यह राज्य सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो थोड़ा सा ही बोला हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी तरफ से बहुत ज्यादा हो गया है। 15 मिनिट हो गये हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : पांच मिनिट में बोल दूंगा।

केन्द्रीय सरकार की ओर से अध्ययन दल आया है। उन्होंने प्रथम रिपोर्ट दी है, दूसरी रिपोर्ट....

श्री उपाध्यक्ष : यह कई बार डिस्कस हो चुका है। कई बार आप कह चुके हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं यह चाहता हूं जो दूसरी रिपोर्ट है, वह जल्दी से जल्दी प्रस्तुत करने की राज्य सरकार को केन्द्र की सरकार पर दबाव डालना चाहिये। और यह जो राशि है, बहुत ही कम उपलब्ध हो रही है, इसके कारण कम कार्य खुल रहे हैं इसकी ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिये। राज्य सरकार का ध्यान जब तक अकाल का स्थायी हल न हो, गवर्नमेंट नहीं निकालती है, तब तक इन डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। अभी पंचम पंचवर्षीय योजना का जो अप्रोच पेपर रखा गया है उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया है। यह डेजर्ट का काम हमारे औकात का नहीं है इसलिये राज्य सरकार अब केन्द्रीय सरकार पर वजन डालती है। कोई प्रोजेक्ट स्कीम राज्य सरकार तैयार नहीं करती है, कोई एक्सपोर्ट नहीं है, कोई सेल्स नहीं है जिसमें एक्सपोर्ट हो और स्कीमस प्रस्तुत करे और स्कीम प्रस्तुत नहीं करने के कारण राज्य सरकार केन्द्र सरकार से भी राशि प्राप्त नहीं कर सकती है। इसलिये मैं चाहता हूं 10 जिले जो फेमिन अफेक्टेड हैं – तीन बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, दूसरी भी स्कीम तैयार करे और केन्द्र पर दबाव डाले, वर्ल्ड बैंक से मदद ले। राज्य सरकार को कुछ न कुछ प्रावधान करना चाहिये। सिर्फ केन्द्र सरकार पर ही जिम्मेदारी डालने से काम नहीं चलेगा और राजस्थान नहर के लिये भी कोशिश करनी चाहिये। यह नहर रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट तक आती है। पहले जो स्कीम थी काण्डला तक पहुंचनी चाहिये और पूरा सर्वे कराना चाहिये।

नर्मदा के बारे में प्रश्न आता है जालौर डिस्ट्रिक्ट में सांचोर तक नर्मदा का पानी आ सकता है। परन्तु अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। राज्य सरकार को केन्द्र सरकार पर दबाव डालना चाहिये और कोशिश करनी चाहिये। यह कार्य भी जल्दी से जल्दी शुरू हो। इसलिये राजस्थान नहर का कार्य, नर्मदा का कार्य, सभी कार्य......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जल्दी से जल्दी शुरू करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पशु विकास के बारे में

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन स्कीम्स को लेकर और फोडर बैंक के बारे में निर्णय लेते रहेंगे लेकिन कहीं फोडर बैंक की स्थापना नहीं की। अभी बाड़मेर जिले में फोडर इकट्ठा

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन) . . . .

किया जा सकता था लेकिन राज्य सरकार ने स्थापना नहीं की। फोडर बैंक की स्थापना की जानी चाहिये। सीकर में वैल्स के लिये, मैं चाहता हूं डेजर्ट एरिया में लोगों की डिफिकल्टी है टांकों के निर्माण के लिये इन्डीवीज्युअल को लोन मिलना चाहिये। जो गरीब और पिछड़े हुये लोग हैं उनको टांकों के निर्माण के लिये 50 प्रतिशत लोन और 50 प्रतिशत सबसिडी देनी चाहिये अगर टांकों की योजना फेमिन में बनेगी तो उन लोगों को बहुत ही मदद मिलेगी और पानी की समस्या का हल हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहनलाल छंगाणी।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी): उपाध्यक्ष महोदय, कल से औपचारिक बहस अकाल के बारे में हो रही है। मैंने भी अकाल के बारे में भाषण सुने पर जो मुद्दे उठाये गये हैं, जिलेवार काम करते हैं, रिलीफ वर्क...

श्री उपाध्यक्ष: आप मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्ट कर लें। सब्जेक्ट विस्तृत है।

श्री मोहनलाल छंगाणी: मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जल्दी ही खतम करूंगा। मेरा खयाल है जिन माननीय सदस्यों ने उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर आदि जिलों के आंकड़े उठाये कि यहां ज्यादा आदमी काम करते हैं, यहां कम आदमी काम करते हैं, यहां आदमी को रिलीफ कम मिलता है, यहां आदमी को ज्यादा रीलीफ मिलता है। मैं उन माननीय सदस्यों को नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा जो सतत अकाल ग्रस्त क्षेत्र हैं, उनका दौरा करें और देखें कैसे अकाल होता है। यह दुर्भाग्य है कि उन क्षेत्रों में अकाल पड़ गया और उन लोगों को शिकायत का मौका मिला। मैं उन क्षेत्रों का जिक्र करूंगा और जहां ऐसे ऐसे गांव है कि बच्चा 10 साल का हो गया लेकिन उसने बादल तक नहीं देखे। जो माननीय सदस्य शिकायत करते हैं कि हमारे यहां रोजगार नहीं है राज्य सरकार को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने चाहिये लेकिन मैं उन माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा उनको यह नहीं पूछना चाहिये वहां ज्यादा है, यहां कम है। मेरा निवेदन है सतत उन क्षेत्रों का दौरा करें और जायजा लें कि वहां और कौनसा काम खोल सकते हैं। मैं तो यह कहूंगा वे अपनी जिम्मेदारी लें तब हम कहेंगे हमारे क्षेत्र में यह काम करवाना है। जो वहां की कन्डीशन्स हैं, उसको देखें, उसकी वाकफियत करें। उसके बाद निर्णय करें तो कुछ बात बनेगी। उपाध्यक्ष महोदय जहां पीने का पानी नहीं है। 5–5 7–7 मील से पानी लाया जाता है और जिन साधनों से पानी लाया जाता है आज वे साधन भी समाप्त हो चुके हैं। हमारा सारा पशुधन नष्ट हो चुका है। 25–30 साल पहले पशु और आदमियों का रेशो बराबर था, मैं केवल दुधारु पशुओं की बात कर रहा हूं दूसरे तो अलग हैं किन्तु आज वन इजटू फोर का है। यह स्थिति आज बाड़मेर-जैसलमेर की हो गई है। रेगिस्तान का मेरा खयाल है खुद का स्वरूप होता है और उसके अनुरूप काम किया जा सकता है।

आप अगर इस फेमिन रीलीफ प्रोग्राम में, मैं कहता हूं जो प्रायोरिटीज वर्क है – माईनर इरिगेशन, सोइल कन्जरवेशन हमारे एरिया में एप्लीकेबल नहीं है। जो प्रायोरिटीज सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने तय की और जो रीलीफ कमेटी में तय हुई उसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा इतना जबरदस्त सोइल का ट्रान्सपोर्टेशन

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

इतनी तेजी से होता है इसलिये न सोईल में काम होता हैं और न इरिगेशन में काम होता हैं, रोड बिल्डिंग पर काम करना पड़ता हैं। राज्य सरकार आज तक उन कामों में फेल हुई है न राज्य सरकार उन एरिया में इन्फ्रास्ट्रक्चर कर पाई। मुझे राज्य सरकार से शिकायत है मेरी फलौदी तहसील में 25–26 हजार मजदूर काम करते हैं — आज एक लाख 32 हजार की आबादी है जिसमें 30 हजार फेमिली आती है। एक फेमिली में से दो आदमी को काम पर लगायें तो 60 हजार तो होने चाहिये। आज उनकी स्थिति यह है कि खाने को अन्न नहीं है, आज उनकी कोई परचेजिंग पावर नहीं हैं। आज बाजरे का भाव 100 रु० क्विन्टल है, कौन खरीद सकता है ? किस भयंकर मंहगाई से वे गुजर रहे हैं, इसका अन्दाजा लगायें। इधर दुकानदारों की साजिश से एक तोला अनाज नहीं मिलता है। काम कौनसे हो सकते हैं, आज माइनर इर्रिगेशन और जो रीलीफ वर्क हैं, उनके लिये कह सकते हैं, वे हो सकते हैं प्रायरिटि देनी चाहिये पर ये हमारे यहां हो ही नहीं सकती है। इतनी सेन्ड्युन्स हैं कोई डवलपमेंट का प्रोग्राम प्रायोरिटीज के आधार पर हो, वह लागू नहीं होता है।

जब तक आप बड़े पैमाने पर इस डेजर्ट एरिया में एन्फ्रा स्टक्चर क्रीएट नहीं करेंगे, पावर, रोड और वाटर की पूरी फेसीलिटीज प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक यह एरिया अकाल के चंगुल से स्थायी रूप से बचाया नहीं जा सकता। इस तथ्य को हम सभी को स्वीकार करना चाहिये।

आज रिन्युअल एग्रीकल्चर पोटेन्शियेलिटी की बात इस क्षेत्र के लिये कही जा रही है वह कहां तक उचित है इसको सरकार देखे और गम्भीरता से इस पर सोचे, इस पर एक्सपर्टों की राय सरकार के पास है, उसकी छानबीन करे कि वास्तव में क्या खेती बाड़ी इस एरिया में होनी चाहिये अथवा नहीं। अगर आप साइन्स और टेक्नोलोजी की चेतावनियों को नहीं सुनेंगे तो हमारी कठिनाइयों का अन्त नहीं आने वाला है आज की एडवान्स्ड साइन्स और टेक्नोलोजी के हिसाब से आपको इस एरिया में खेती बाड़ी बन्द करनी पड़ेगी, काफी अर्से तक। इसके बिना न इस एरिया का अफोरेस्टेशन हो पावेगा, न लैंड डवलप हो सकेगी, ना फोडर बैंक आपके फल फूल सकेंगे। स्लोगन और नारे आप कितने ही देते जावें, इस रेगिस्तानी एरिया का डवलपमेंट नहीं हो सकेगा।

आज जो राजस्थान के ऐसे एरिया में एग्रीकल्चर पोटेन्शियेलिटी की बात कहते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं इस एरिया में। इस में सात आठ साल में एक बार खेती पकती है।

यहां तो पशु धन है। वहां की गायें, भैंसे, ऊंट, भेड़ सभी अच्छी नस्ल की हैं। इसको देखते हुए इस एरिया में एनीमल हस्बेण्डरी का आप क्या क्या डवलपमेंट करना चाहते हैं, इसके बारे में आप विचार करें। योजनाओं को इंम्पलीमेंट करें, फाइनल डिसीजन लेकर चलें। अगर इस को हमने डवलप कर लिया तो यह एरिया भी डवलप हो जावेगा और राजस्थान ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान को हम दूध सप्लाई कर सकेंगे।

सैकड़ों सालों के अकाल के द्वारा शोषण के बाद यह पूरा क्षेत्र आज जिस विनाश के कगार पर खड़ा है वह अत्यन्त चिन्तनीय

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

है। राज सरकार को अब इस पर सोचना होगा और शीघ्र ही सोचना होगा। आज तक हम फेमीन पड़ने पर मानव और पशुधन को भूख से बचाने का ही प्रयास करते आये हैं, इस सम्बन्ध में अकबर के युग से भी हम पिछड़े हुए हैं आज।

एक बात की मैं बधाई दे दूं सरकार को। अकाल राहत मंत्रीजी सितम्बर–अक्टूबर में काफी छटपटा रहे थे काम शुरू करने के लिये पर पैसा नहीं था। इधर उधर दौड़ धूप करके दबाव डाल कर अक्टूबर–सितम्बर से रिलीफ के काम शुरू किये। ये काफी बड़े पैमाने पर शुरू हुए हैं और लोगों को इससे राहत मिली है। दूसरा बड़ा इम्प्रूवमेंट जो इस बार हुआ है वह यह है कि इस राहत काम में भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे एरिया में तो नहीं है यह तो मैं कह सकता हूं। दूसरों की बात मैं नहीं करता। उधर के लोग बतावेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मूल में प्रश्न आता है कि आज जो फेमिन रिलीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास है क्या ? सिवाय इसके कि जब फेमिन पड़ता है तो रिलीफ के पैटर्न को आरगनाइज कर देते हैं बस। इसके सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। न अण्डरग्राउण्ड वाटर बोर्ड पर इनका नियन्त्रण है कि जिसको कह कर ये वहां वाटर फेसीलिटी बढवा सकें, न एग्रीकल्चर विभाग जिसके आधार पर वहां एग्रीकल्चर को डवलप करा सकें या बड़ी-बड़ी मशीनरी लगवा सकें और न वे वहां सड़कें आदि ही बनवा सकते हैं। सड़क बनवानी हो तो पी० डब्ल्यू० डी० विभाग को लिखो, नाड़ियां खुदवानी हैं तो रेवेन्यू विभाग को कहो। तो हिस्टोरिकली इस माने में वे अकबर के युग से भी आज पिछड़े हुए हैं। होना तो कहीं बहुत आगे चाहिये था आज के विज्ञान के और एडवान्स्ड टेक्नोलोजी के युग में पर ऐसा कुछ नहीं है। अकबर ने फेमिन का मुकाबला करने के लिये उस युग में एक निर्धारित नीति बनाई थी कि जिसमें सबसे बड़ा अफसर था फेमिन कमिश्नर, जिसको वे नियत कर देते थे जिसमें वह जो वहां खेती होती थी उसका दसवां हिस्सा लेकर वह अनाज राज के कोष में जमा करा देता था और फेमिन के वक्त वही अनाज वहां के लोगों को बंटवा दिया जाता था। आज इस नीति में कितना परिवर्तन हुआ, क्या हुआ कुछ मालूम नहीं होता। कुछ थोड़ा बहुत अन्तर आया हो तो आया हो बाकी वही स्थिति आज भी है। आज भी वही प्रोगाम उसी ढंग का माहौल। इसके बाद अंग्रेजों का युग आया। इसमें भी कोई बुनियादी नीति नहीं बन पाई। यहां तक कि 1888 में और 1890 में भयंकर अकाल पड़ा तो एक कमेटी बनाई थी। उसमें यह था कि जो हिन्दुस्तान में जो इन्सफीसियन्सी ऑफ फूड रहती है उसका जायजा लिया जावे। बंगाल में यह किया गया। राजस्थान का भी जायजा लिया गया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस जायजे में यह साबित हुआ कि यहां की 44 प्रतिशत जनता इन्सफीसियन्सी ऑफ फूड से ग्रसित थी। आज भी मैं चाहूंगा कि अकाल राहत मंत्रीजी इस बारे में भी जायजा लें कि राजस्थान में कितने लोग भूखे सोते हैं। अभी सेन्ट्रल टीम यहां की हालत देखने आई थी। तो उसने भी देखा कि परिवार के परिवार मक्का की राब दिन भर में एक बार पी कर किसी तरह गुजर-बसर कर रहे थे और खुले में भयंकर सर्दी में वे पड़े हुए थे। नीचे धरती और ऊपर आसमान ही उनका घर था।

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

तो आज जो यह फेमिन रिलीफ डिपार्टमेंट हम कहते हैं उसे रिलीफ डिपार्टमेंट ही नहीं बन कर रहना है बल्कि उसे ग्रोथ डिपार्टमेंट भी बनना है, डवलपमेंट डिपार्टमेंट का भी काम करना है। पूरे एरियों में इन्फ्रा-स्ट्रक्चर क्रीएट करके वहां की इकोनॉमी को दिशा दें ताकि वहां के लोग बराबर पड़ने वाले अकाल की चपेट से बच सकें। अकाल की निरन्तर पड़ने वाली स्थिति बदलें। हम हिम्मत करके आज तक चली आई परम्परा को तोड़ना पड़ेगा। आजादी के बाद तो इस क्रम को हमें तोड़ना ही होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस रेगिस्तान के बारे में कई योजनाएं बनीं। टेक्निकल दृष्टि से आज हम यह तो दावे से कह सकने की स्थिति में हैं कि रेगिस्तान को कन्ट्रोल किया जा सकता है। इसे आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, उस एरिया को सरसब्ज किया जा सकता है। 1956 में वर्ल्ड बैंक ने एक टैक्निशियन को भेजा था। उसने पश्चिमी रेगिस्तानी भाग का दौरा किया। केन्द्रीय सरकार को फिर अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि आज की सूरत में इस डेजर्ट में कोई आपका इन्वेस्टमेंट रेम्यूनेरिटिव हमेशा रहेगा इसलिये पहला काम तो यह किया जाय कि दस साल तक इस एरिया में कोई भी खेती-बाड़ी करने का काम बन्द किया जाय। फिर अफोरेस्टेशन का ग्रास को डवलप करने का और अण्डर-ग्राउण्ड वाटर रिसोर्सेज को टेप करने का काम हाथ में लिया जाय। इतना करने से दस साल के अन्दर-अन्दर आप यहां पर ग्रीन रिवोल्यूशन तो नहीं, पर मिल्क रिवोल्यूशन करने में कामयाब हो जावेंगे। मटन भी काफी मात्रा में सप्लाई कर सकेंगे। और योजनाबद्ध तरीके से इस राजस्थान के रेगिस्तानी हिस्से का रूप बदलने में आप कामयाब हो सकेंगे।

पर राजस्थान सरकार ने इस रिपोर्ट को देखा ही नहीं, ऐसा लगता है।

सेन्ट्रल एरिड जोन आर्गेनाइजेशन बना। उसकी उपलब्धियों का यह हाल है कि आज यूक्लिप्टिस के पेड़ मर रहे हैं। 52 से 60 लाख का बजट नष्ट हो रहा है। वे आपस में ही लड़-झगड़ रहे हैं। उनका भी बड़े पैमाने पर प्रयोग हो नहीं रहा है।

अकाल राहत मंत्रीजी उस क्षेत्र के एक एक हिस्से से वाकिफ हैं पूरी तौर से। उनकी जानकारी भी गहरी है। वे सोच समझ कर ऐसी कोई नीति इन वैज्ञानिक रिपोर्टों और उनकी उपलब्धियां की पृष्ठभूमि में तै करें कि हमें बार-बार अकाल का नाम लेकर सदन में आने से छुट्टी मिल जावे और यह कहने की नौबत अब कभी न आवे कि हमारे यहां इतने आदमी लगाओ, इतना काम खोलो लोगों के पानी की, चारे की व्यवस्था करो। कम से कम इससे तो छुटकारा मिले। इस बारे में सोच समझकर राजस्थान सरकार पहल नहीं करेगी तो केन्द्र भी ध्यान नहीं देगी। यह निश्चित बात है। आज फलौदी की बात लीजिए। चीलिंग प्लान्ट वहां पर नहीं है। हालांकि फलौदी में इसकी अच्छी व्यवस्था है। उपाध्यक्ष महोदय मैंने यहां पर अन्डर ग्राउन्ड वाटर रिसोर्सेज के बारे में सवाल उठाया है। यह सवाल मैं चाहूंगा कि मैं नहीं उठा कर के मंत्री महोदय इस सवाल को उठावें और उसके अनुरूप जितना रेगिस्तान एरिया है उसके बारे में योजना बनावें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं टास्क के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। यह रोज़गारी

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

की बात है। जो टास्क इस फेमीन रिलीफ वर्क के लिए बनाया है उससे मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। जो पहले का टास्क था उससे यह टास्क ढाई गुना, तीन गुना हो गया है। यह वर्क फिजिकली पोसिबल [illegible] है। एक भूखे आदमी [illegible] इसको कम्प[illegible] करना संभव नहीं है। इसलिये इस टास्क को आप 30 परसेंट कम कर के [illegible]मेन्ट करेंगे। इससे भ्रष्टाचार कम हुआ है, यह सही बात है परन्तु इससे मजदूरों को जो मजदूरी मिल रही है वह आठ-आठ आने, चार चार आने और छः-छः आने से अधिक नहीं मिल रही है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं। फलोदी में टास्क वेजेज से 30 परसेंट कम कर देने के बाद भी मजदूरों को आठ-आठ आने से ज्यादा मजदूरी नहीं मिल पा रही है। इसलिये फेमिन रिलीफ वर्क में इस टास्क को कम्पलीटली हटा देना चाहिये। इस टास्क के कारण भूखे आदमी को अनाज नहीं मिल पारहा है, उसको भोजन नहीं मिल पारहा है। यह जो आपका ब्युरोक्रेटिक एप्रोच है उससे इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आज कितनी खराब हालत है। हमारे क्षेत्र के बच्चे, औरतें और शिड्यूल कास्ट के लोगों के जो दुःख है उनको आप देख नहीं सकते हैं। पीने का पानी नहीं है, पहिनने के लिये कपड़ा नहीं है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो टास्क का फार्मूला है उसको आप कोमर्शियल काम में अवश्य एप्लाय करिये परन्तु जहां फमिन रिलीफ के काम हो रहे हैं कम से कम मिनीमम वेजेज आप तय कर दें। ढाई रुपया, दो रुपया, तीन रुपया जो भी हो वह तय कर दें और इस टास्क को हटावें। इसके कारण पेमेंट भी नहीं हो पाता है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि अनाज की समस्या बहुत ही भीषण हो गई है। इसके लिये पहले भी कहा गया है। हमारे यहां पर जो कैम्प लगे हुए हैं, जितने मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिये राशन की पूरी व्यवस्था की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पानी के बारे में भी कहूंगा। एक दो पखाल जिसमें 8 से 10 घड़े हों एक पखाल से ज्यादा पानी का इन्तजाम नहीं किया जाता है। पीने का पानी नहीं है। जो वहां पर काम करते हैं उनके बच्चे प्यासे मरते हैं। इसके लिये तो टास्क कौन सी है? जितने भी आदमी वहां पर काम करते हैं उनके बाल-बच्चे उनके साथ रहते हैं। कम से कम उनको पानी तो मुहैया कराया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो फीडर बैंक की बात चलती है। मेरे ख्याल से फीडर बैंक की बात काफी अर्से से चल रही है। जैसलमेर में कम से कम 80/90 ट्यूब वैल ऐसे हैं जहां पर पानी बहुत है परन्तु आज तक उनका उपयोग नहीं हो पाया है। इन ट्यूब वैल्स की जो टरबाइन खराब हो जाती है वह ठीक होने के लिये जोधपुर लाई जाती है। ऐसे 80/90 ट्यूब वैल है और 2/4 फलौदी में भी है परन्तु इनका पूर्ण फायदा नहीं उठाया गया है। इनको संगठित रूप से, सुनियोजित रूप से फोडर के उत्पादन के कार्यक्रम में लिया जाना चाहिये और उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा करने में मेरे खयाल में हम पशुधन का बचाव कर पाएंगे। अगर पशुधन मर गया तो जो हमारी इकोनोमी है वह तहस नहस हो जाएगी। फेमीन रिलीफ का कार्य आज ही नहीं हर साल हो रहे हैं परन्तु इसको पेश करने के लिये हमने कोई प्रोग्राम चालू नहीं किया है। असेम्बली में आएंगे और हर साल फेमीन

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

की बात कहेंगे और रिलीफ ले जाएंगे और इससे वहां की जो स्थिति है वह गिरती जाएगी। जिस तरह से पशुधन कम हुआ है उसी तरह से वहां पर जो उनका उद्योग था वह तहस नहस हो रहा है। जो दूसरे उद्योग थे वे भी नष्ट हो गए हैं। रेगिस्तान के बारे में अलग से सोच विचार कर के कोई कदम नहीं उठाएंगे तो यह फेमीन रेकरिंग फेमीना ही रहेगा और हम फेमीन से लड़ नहीं पाएंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा फेमीन के बारे में परमानेन्ट सोल्यूशन के बारे में, रेगिस्तान को सर सब्ज बनाने में फेमीन मिनिस्टर को सब से पहले राजस्थान कैनाल को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिये और राजस्थान कैनाल को फलौदी जैसे सूखे क्षेत्र में भी ले जाया जाए। इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए जो उनकी जरूरत की चीजें हैं, अनाज, रोटी, कपड़ा ये चीजें उनको दी जाएं और वे आपको दूध देंगे, मटन देंगे। यह तभी होगा जब यह एरिया पूरा का पूरा सरसब्ज होगा और इस प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, हम इस एरिया में मिल्क रिवोल्यूशन कर पाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंह कुड़ी।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल की समस्या के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं केवल सदन के सम्मुख कुछ ऐसी चीजें रखना चाहूंगा जिनका समाधान सरकार की ओर से अवश्य ही होना चाहिए।

जहां तक सरकार की नीति का सवाल है, सरकार यह चाहती है कि अकाल पीड़ितों को मदद की जाए मगर जिस तौर तरीके से मदद की जाती है उसमें मदद होने के बजाय लोग पीड़ित हो जाते हैं। पहले तो अकाल पीड़ित हैं और फिर मदद पीड़ित और हो जाते हैं। ऐसा आज महसूस किया जा रहा है आज आप किसी भी अकाल राहत कार्य को ले लीजिए पहले यह गांव अकालग्रस्त है। या नहीं यह देखा जाएगा। फिर वहां पर अकाल राहत कार्य स्वीकृत है या नहीं यह देखा जाएगा। स्वीकृति हो जाने के बाद काम शुरू किया जाएगा। चालू कर के उसको बंद कर दिया जाएगा। इस बार परिचय-पत्र बांटे गए हैं। इसके बाद पी० डब्ल्यू० डी० का सरक्यूलर आ गया कि एक रोज में 500 से अधिक मजदूर नहीं लगाये जाएं। काम सेंक्शन्ड है, मजदूर उपलब्ध है, परिचय-पत्र मौजूद हैं फिर भी उनको काम पर नहीं लगाते हैं। और फिर चाहे मिट्टी उठाने का काम हो उसको बंद कर देते हैं। इसी तरह से पेमेन्ट में देरी होती है। नापने वाला व्यक्ति है उसके जिम्मे यह रहता है कि कितना काम किया है उसकी रिपोर्ट करे। इस तरह से बदमाशियां होती हैं और चेकिंग नहीं हो पाती है। मैंने इसकी शिकायत की थी। चीफ इंजीनियर साहब भी आए थे। उनको मिस्त्री साहब ने जो लिख दिया वह मान लिया और चले गए। हालांकि वहां पर काम हो गया है। मिट्टी पड़ी हुई है परन्तु उसको भी नाप नहीं रहे हैं। तो यह मिस्त्री राज जब तक कायम रहेगा तो यह जो अकाल सहायता सरकार कर रही है वह सहायता पीड़ित है। इस तरह से जो काम, दूसरे काम खोले जाते हैं, उसमें इस तरह की नापने की काम की दुविधाएं लोगों के सामने आती हैं इसलिये इनको विशेष तौर से हल किया जाना चाहिये।

अब भू-संरक्षण के काम आज चालू करते हैं और भू-संरक्षण के काम का कुछ समय

Page No. 86

(श्री रामसिंह कुड़ी)
निश्चित होता है। उनका तारतम्य नहीं होता है। इसलिये एक कैम्प 15-20 दिन में बंद हो जाता है और मजदूर बेकार हो जाते हैं। दूसरा काम जो शुरू होता है वह 20 मील दूर होता है तो 7 दिन में, 25 दिन में वह मजदूर जाता है तो पेमेन्ट नहीं मिल सकता है और फिर कहते हैं कि पेमेन्ट जमा करा दिया। आपकी हिदायत यह है कि अगर पेमेन्ट नहीं हो तो रकम जमा करा दो। बाकी की रकम जो जमा हो जाती है उसकी स्वीकृति होने में मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से कई लोग घूमते रहते हैं। यदि वह काम उसका हो गया तो पेमेन्ट आ जायेगा तो कब आजायेगा ?

तो यह पेमेन्ट का जो तरीका है उसमें बड़ी भारी कठिनाई है। सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि तहसील में स्टाफ बहुत कम है और तहसीलदार जो है वह दूसरों का विश्वास नहीं करना चाहता। कई जगह ऐसी हैं जैसे नागौर जिले की अर्ज कर रहा था कि जायल में हाल में 1,50,000 रु० का चैक चला गया और बैंक ने चैक सिकारने से इन्कार कर दिया । इस तरह से पेमेन्ट में देरी हो गई। इस तरह की असुविधाएं जिला लेवल पर हल की जानी चाहिये।

दूसरी बात मैं नागौर जिले की अर्ज कर रहा था, चाहे एतराज करें या न करें हमारे यहां पर 10 लाख का खर्चा हुआ, और राजस्थान में यह दूसरे नम्बर का जिला है जिसमें कि अकाल पीड़ित जनता ज्यादा है। नागौर में 11 लाख है और उदयपुर में 21 लाख। बाकी सब जिलों की कम आबादी पीड़ित है, परन्तु वहां पर 10 लाख रुपया खर्चा हुआ। इसका कारण क्या है? इसके विभिन्न कारण हैं। सरकार इसमें दोषी जरूर है।

दूसरी बात जहां तक सांडों और अपाहिजों को सहायता करने का प्रश्न है मैं बिल्कुल यकीनन तौर पर कह सकता हूं कि 20 तारीख तक तो किसी अपाहिज को एक पैसा भी पूरे जिले के अंदर नहीं दिया गया है। अपाहिजों को पैसा दे रहे हैं और आपने कहा कि नवम्बर की पहली तारीख से मंजूरी दे रहे हैं लेकिन आज 20 मार्च तक तो नहीं दिया गया है तो न तो अपाहिज ही रहेंगे और न आपकी सहायता रहेगी।

दूसरी बात सांडों की सहायता की है तो सांडों को जो सहायता दी गई है वह इस साल मार्च में दी गई है जब कि अकाल की घोषणा जनवरी में हो गई थी तो कम से कम जनवरी से तो दी जानी चाहिये थी। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा आपकी मार्फत उपाध्यक्ष महोदय, कि कम से कम सांडों की राशि जल्दी से दी जाय जिस दिन से आपने अकाल की विधिवत घोषणा कर दी उस दिन से।

दूसरे अकाल की समस्या को...

एक माननीय सदस्य: सांडों की लिस्ट बना दी होगी।

श्री रामसिंह कुड़ी: लिस्ट तो आपके पास होगी। हमारे यहां तो सांडों का भंडार है।

दूसरी बात जो कह रहा था कि अकाल की विचित्र समस्या है वह है कि नाज की जो समस्या है उस समस्या का समाधान कुछ नहीं हो पाया है। इसलिये कम से कम ऐसा करें कि जहां अकाल राहत के काम चालू हैं और कैम्प हैं उन कैम्पों में चाहे भुगतान से पैसा काटकर अकाल राहत कामों को अनाज दे दें तो लोगों को कुछ राहत मिल सकती है।

(श्री रामसिंह फुड़ी)

और जो कुछ नाज की कमी है इसलिये इसको इस तरह से भी किया जा सकता है कि जिलाधीश और दूसरे अधिकारी कुछ परिवारों को छांट लें जिनके पास नाज है उनको नाज नहीं दें और जिनके पास नाज नहीं है उनको नाज दें तो कुछ सहायता की व्यवस्था ठीक हो सकती है। मेरा सुझाव है कि जिन लोगों के पास नाज नहीं है खाने को उनको प्राथमिकता के नाते नाज दिया जाना चाहिये। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) गेहूं का सरकारी व्यापार है इसलिये गेहूं वह दे सकती है वह अधिक से अधिक दे और दूसरा धान जो आज नहीं मिल रहा है उनको कम से कम बाजार से खरीद कर दे दें। बाजार में तो मिलता है बाजरा और कोटे की ज्वार मिलती है, लेकिन वह व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसलिये कम से कम यह व्यवस्थाएं तो कर दी जांय

दूसरी बात फूड कार्पोरेशन की है। सारे नागौर से धान लेने वहां नागौर में आये करीब 40 रिटेलर्स। वह वहां पर बैठे थे और जिलाधीश से तीन दफे मिल गये। कोई ऊंट का छकड़ा ले कर गये थे, कोई ट्रक लेकर आये थे। इन्सपेक्टर से कहा कि आज दे दो तो कहा कि नहीं देते हैं। चार दिन से वह फूड कार्पोरेशन के गोदाम और तहसील के चक्कर खा रहे हैं और इन्सपेक्टर किसी कि परवाह नहीं करता है। वह तोलता नहीं है और बोरियां लेनी हो तो ले जाओ कई बोरियों में तो 18-18 किलो के भाटे आये हैं। 18-18 किलो पत्थर निकले हैं उन बोरियों में जो कि फूड कार्पोरेशन ने दी हैं। 18 किलो पत्थर कलेक्टर के सामने तुलवाये हैं। 10 बोरियों में पत्थर निकले हैं। तो यह फूड कार्पोरेशन वाले मनमानी करते हैं। नाज नहीं तोलते हैं और समय पर नहीं देते हैं। जिसको मन में आया उसको दे दिया वर्ना चार-चार दिन से लोग बैठे हैं, बरबाद हो रहे हैं लेकिन नाज नहीं दे रहे हैं। कैम्पों में तनख्वाहें बंटती हैं और वहां पर नाज नहीं गया तो जो तनख्वाह उनको मिलती है वह वैसे ही खराब हो जाती है। इसकी व्यवस्था के बारे में सरकार को विचार करना चाहिये। यह जो फूड कार्पोरेशन वाले हैं उनकी कोई न कोई रोक होनी चाहिए नहीं तो बड़ा भारी सिर दर्द जनता का हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले में और विशेष तौर से बाड़मेर जिले का जो हिस्सा जैसलमेर जिले से मिला हुआ है वहां पिछले 8-9 वर्षों से लगातार अकाल पड़ता रहता है। इस क्षेत्र में 10 साल पहले ऐसे परिवार थे। जो घर आये 20-20 अतिथियों के लिए खाने-पीने की और ठहरने की व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन आज उस क्षेत्र में चाहे कोई भूतपूर्व जागीरदार का घर हो, चाहे वह कोई चौधरी या महाजन का है, घर आये 2-4 महमानों के लिए खाने की सारी व्यवस्था करने में वह समर्थ नहीं हैं। भूतपूर्व जागीरदारों और कई चौधरियों की तो ऐसी स्थिति है कि वह अपने लड़कों को सरकारी नौकरी में—कोई मास्टर या क्लर्की की नौकरी नहीं बल्कि चपरासी की नौकरी दिलाने के लिए भी मारे-मारे फिरते रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, देखते ही देखते इस क्षेत्र की कितनी जल्दी से एक सभ्यता नष्ट होती आ रही है कि अगर कोई विश्वविद्यालय का छात्र जो सोशियोलाजी, हिस्टरी ज्योग्राफी में दिलचस्पी रखता हो और इस प

(श्रीमती मदन कौर)

कोई थिसिस लिखना चाहे तो बाड़मेर का इलाका उसको बड़ी ही उपयोगी सामग्री प्रदान करेगा। सिन्धु घाटी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता किस प्रकार से नष्ट हुई है अगर उसका कोई जीता-जागता उदाहरण देखना चाहे तो बाड़मेर जिला और जैसलमेर का जिला वह प्रदान करता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह वर्तमान समाज इस सदी में जब कि सभी प्रकार के वैज्ञानिक साधन हमारे पास उपलब्ध हैं एक क्षेत्र की सभ्यता को नष्ट होता हुआ देखता जा रहा है। दुःख तो इस बात का है कि यह समाज ही नहीं [illegible] प्रशासन उस क्षेत्र की सभ्यता को नष्ट होते हुए देख कर भी उदासीन है।

आज राजस्थान सरकार द्वारा अपनाया यह फेमीन कोड, आउट ऑफ डेट हो चुका है। किसी क्षेत्र को अभाव ग्रस्त या अकालग्रस्त घोषित करने के लिए कोई वैज्ञानिक आधार हमारे पास नहीं है। किस क्षेत्र को अकालग्रस्त या अभावग्रस्त घोषित किया जाये यह एक पटवारी की शुभ और अशुभ दृष्टि पर निर्भर करता है। एक पटवारी इस बारे में कितना निष्पक्ष हो सकता है, यह भी उसके लालच और दबाव पर निर्भर करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित किया जाये, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हर एक व्यक्ति जो पश्चिमी राजस्थान में रहता है, अकाल या अभाव की स्थिति घोषित कराना चाहता है। अकाल या अभाव की स्थिति जहां घोषित हो जाती है, वहां राज्य की वसूली में ढील मिलती है। सरकारी कर्जे की वसूली में ढील मिलती है। अकाल राहत के कार्य मिलते हैं। सस्ती दर पर खाद्यान्न की व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार की सहूलियत अकालग्रस्त और अभावग्रस्त क्षेत्र को मिले और जनसाधारण अपने क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित कराना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह वहां के लिए आवश्यक है। यह मैं मानती हूं कि हमारे क्षेत्र का प्रत्येक कोना स्वतः ही कुछ न कुछ अकालग्रस्त घोषित रहता है। पड़ोसी राज्यों में छोटे से छोटा इलाका भी अकालग्रस्त घोषित करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगी, हमारा क्षेत्र भी अकालग्रस्त घोषित होना चाहिए। सरकार की ओर से विभिन्न कार्य खोले जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि यह तय किया गया है कि जिन इलाकों में दो-तीन वर्षों से लगातार अकाल की स्थिति रही है, वहां पर राहत कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन मुझे दुःख होता है कि यह कागजों तक ही सीमित है। व्यवहारिकता में काम में नहीं लिये जाते हैं। मैं यह पहले ही निवेदन कर चुकी हूं, बाड़मेर जिले का क्षेत्र, जैसलमेर जिले की पचपदरा तहसील और बाड़मेर के कुछ गांव आते हैं, वहां की स्थिति बहुत ही दर्दनाक हो चुकी है। वहां लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है। राहत कार्य खोले नहीं गये हैं। फरवरी माह में कुछ कामों की मंजूरी हुई थी लेकिन जितने स्तर पर काम होना चाहिए था, जितने शिविर लगाये जाने चाहिए थे, वह शिविर आज तक नहीं लगाये गये हैं। मैं यह भी समझती हूं कि जिले का प्रशासन और प्रदेश का प्रशासन, और अकाल राहत मंत्री उस क्षेत्र के दर्द से परिचित हैं। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि अभी तक उस क्षेत्र में राहत कार्य नहीं किये गये हैं। राहत कार्य नहीं किये हैं, इस

(श्रीमती मदनकौर)

सम्बन्ध में राज्य सरकार की कठिनाई से मैं परिचित हूं। केन्द्रीय सरकार ने राहत कार्यों के लिए कुछ प्राथमिकतायें तय कर रखी हैं। सिंचाई के काम लिये जायें। भू-संरक्षण के काम लिये जायें। रक्षा के कार्य लिये जायें। सड़क के कार्यों को लिया जाये। इसके साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, इन राहत कार्यों पर खर्च किया जाये वह किया गया व्यय 50% से अधिक सड़कों पर व्यय नहीं किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, इस प्रकार से जो भारत सरकार ने नार्म्स तय किये हैं, वह हमारी राज्य सरकार के लिए किसी भी तरह से काम में नहीं आ सकते हैं। वहां इस प्रकार के नार्म्स हमारे राज्य के लोगों के लिए काम देने के लिए बहुत बड़े रोड़े हैं। सड़कों के काम के लिए केन्द्रीय अध्ययन दल और सरकार की रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के कार्य बिल्कुल अनुत्पादक कार्य हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों का कार्य अनुत्पादक कार्य में आता है या नहीं, मैं इस पर विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहती हूं। लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में वह काम सीधा सुरक्षा से सम्बन्ध रखता है। ऐसी स्थिति में सड़कों के कार्य को भारत सरकार द्वारा अनुत्पादक कामों में लेना अनुचित है। इसके अतिरिक्त 50% मेटीरियल कम्पोनेण्ट की सीमा निकाली है। जो सबसे ज्यादा रेतीला इलाका है, उसमें किसी भी तरह से अकाल राहत नहीं मिल सकेगी। कहा गया है कि 50% से 20% खर्चा काफी होता है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : 15% है।

श्रीमती मदनकौर : यह तो और भी अनुचित है।

उपाध्यक्ष महोदय, राहत कार्यों में भू-संरक्षण का कार्य भी हैं। सड़कों के काम खोले जा सकते हैं। सड़कों पर मिटटी बिछाई जाये तो कुछ होने वाला नहीं है। पिछले साल लोगों को मजदूरी मिली, राहत मिली। लेकिन दुर्भाग्य से आंधियों के कारण वह काम जैसे के तैसे रह गये हैं। इसी प्रकार से केवल मिट्टी की सड़क बनाई जाये तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी सड़क बनायें, पक्की सड़क बनायें। ग्रेवल की सड़क बनायें तो ग्रेवल और पानी काफी दूर से लाना पड़ता है। इससे 50% से अधिक मेटीरियल कम्पोनेन्ट व्यय होता है। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार पर जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से राज्य सरकार दबाव डाले कि जो 50% मेटीरियल कम्पोनेन्ट की सीमा निर्धारित की गई है, वह तोड़ी जाये। इतना समझ सकते हैं कि पूरे राजस्थान का खर्चा है, उससे ओवरहाल 50% माना जाये। तो वह बात फिर भी प्रभावित होगी। इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान, हमारे बाड़मेर जिले के कुड़ा रेवेन्यू सर्किल में जो गांव आते हैं, वहां 1969 में खारे पानी के कारण बड़े पैमाने पर बीमारी फैली थी। और, उसके कारण बड़ी संख्या में वहां मृत्युएं हुई थीं। मैं राज्य सरकार को यह याद दिलाना चाहती हूं कि वह इलाका आज भी जैसे का तैसा पड़ा है। वहां कसाऊ, धमाऊ, कबाऊ और फोकसर में बड़ी संख्या में मृत्युएं हुई थीं। बालोतरा जाने का सीधा रास्ता नहीं है। 1970-71 में इन गांवों के लिए एक नई योजना मंजूर की गई है। कुड़ नलकूप योजना। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने उस समय अकाल की स्थिति समझते हुए और गांवों की स्थिति

(श्रीमती मदनकौर)

समझते हुए एक नल कूप योजना मंजूर की थी। जहां-जहां नल योजना पहुंची है, पीने के पानी की समस्या हल हुई है। लेकिन फिर भी इस क्षेत्र के बहुत से गांव ऐसे हैं जो आज पीने के पानी के लिए तड़प रहे हैं और शायद मई-जून के महीने में उनको पीने के लिए पानी नहीं मिले तो उनकी शक्ति क्षीण होगी और शायद आन्त्र शोथ की बीमारी भी बड़े पैमाने पर फैले। तो मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगी (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इन गांवों को राहत कार्यों के सम्बन्ध में ज्यादा प्राथमिकता दें।

उपाध्यक्षजी, अभावग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न की स्थिति भी बड़ी विकट है। यहां इस बात की चर्चा है कि बाड़मेर जिले में बहुत ही वर्षा ठीक हुई है पिछले वर्षों से। कुछ वर्षा मैं मानती हूं कि ठीक हुई है लेकिन एक वर्षा और दूसरी वर्षा के बीच में समय की दूरी इतनी अधिक रही है, जो भी फसल उगी थी, वह जल गई। कुछ गांवों में तीन तीन बार बोयी थी लेकिन उसके बाद भी अनाज का दाना तक नहीं मिल सका। आज सारे बाड़मेर जिले में चारे की तो विशेष समस्या नहीं है लेकिन प्रत्येक गांव में अनाज की कमी है। और खाद्यान्न का वितरण इस प्रकार हुआ है कि गत दिसम्बर से मार्च महीने तक एक पंचायत समिति क्षेत्र में केवल पचास क्विन्टल मक्का अभी तक पहुंची है और पचास क्विन्टल मक्का चार महीने में एक पंचायत समिति क्षेत्र की आबादी के लिए पूरा है या नहीं—इसका अन्दाज सदन और मंत्री महोदय आसानी से लगा सकते हैं। यह पचास क्विन्टल मक्का में से सब पंचायत क्षेत्र में मिली हो — ऐसी बात नहीं है। इस लिए बाड़मेर जिले के प्रत्येक गांव में खाद्यान्न की व्यवस्था खास तौर से दो तीन महीने में की जानी चाहिए। अब तक जो काम खोले, जो कुछ राहत सरकार के साधनों से हुई, वह तो ठीक थी, वह समय इतना खराब नहीं था लेकिन आने वाले दो तीन महीने सरकार के लिए परीक्षा के महीने हैं। इन दो तीन महीनों में सरकार ने राहत के प्रयासों को युद्ध स्तर पर नहीं लिया तो मैं स्पष्ट शब्दों में सदन में कहना चाहती हूं कि सरकार चाहे कितनी ही घोषणायें करती रहे कि लोगों को भूख से नहीं मरने दिया जायगा, लोग भूख से मरेंगे और कलेक्टर इस बात का प्रमाण देगा कि भूख से नहीं मरे हैं, लेकिन आने वाला इतिहास यह बतायेगा कि यह लोग भूख से मरे थे। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, भले ही चूरू और जोधपुर जिले की प्रभावित जनसंख्या के अनुपात में बहुत बड़ी संख्या में मजदूरी पर लोग लग, राहत कार्य खोले—उसमें मुझे ऐतराज नहीं है, चाहे उदयपुर जिले में राहत कार्य खोलिये, अजमेर जिले में राहत कार्य खोलिये, भीलवाड़ा जिले में राहत कार्य खोलिये, कहीं भी राहत कार्य खोलते हैं तो लोगों को राहत मिलती है। हमें उससे ऐतराज नहीं हो सकता लेकिन इसके साथ साथ बाड़मेर जिले की लगभग 5 लाख 20 हजार जनसंख्या के ऊपर भी अकाल से निरन्तर रूप से पीड़ित हैं, लेकिन मजदूरों की संख्या केवल 20 हजार लगी हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस अप्रेल, मई, जून के महीने में अगर बाड़मेर जिले में पर्याप्त संख्या में लोगों को मजदूरी पर नहीं लगाया गया तो वहां की हालत बहुत ही खराब हो जायेगी और राज्य सरकार के इतने प्रयासों के बावजूद एक कलंक

(श्रीमती मदन कौर)
का टीका हमारे सिर पर लगेगा कि कांग्रेस का इतना बड़ा बहुमत था, इतने बड़े बहुमत से कांग्रेस सरकार केन्द्र में है, राजस्थान में है, उसके बावजूद गरीब लोग, जो राजस्थान के कौनों में बसे हुए हैं, वह अकाल से पीड़ित हैं, भूख से मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं पुनः मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि इन गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की जाय, जिलाधीश को इस बात का आदेश दिया जाय कि पीने के पानी की व्यवस्था खुले दिल से करें और खाद्यान्न की व्यवस्था भी यहां से की जानी चाहिए, और जो राहत कार्य आज हमारे यहां खोले गये हैं, उनसे कहीं ज्यादा राहत कार्य खोले जाने चाहिए। 5 लाख 20 हजार प्रभावित जन-संख्या की कम से कम एक चौथाई जनसंख्या को फेमिन के कामों में लगाना है अन्यथा दो महीने में बड़ी स्थिति खराब होगी और यह क्षेत्र उजड़ भी गया तो आश्चर्य की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनराज।

श्री मोहनराज (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, पाली जिले में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी भयंकर अकाल है। यह अकाल पिछले लगातार पांच-छः वर्षों से पड़ता आ रहा है और वास्तव में कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर पानी, अनाज, चारा—इन सबकी ऐसी भयावह स्थिति हो गई है कि लोग यह सोचने को मजबूर हो गये हैं कि यह एक बार मारवाड़ का हरा भरा कहा जाने वाला इलाका किस स्थिति में पड़ गया है। लेकिन जो भी हालत इस वक्त है, और मंत्री महोदय को समय समय पर इन हालात से अवगत कराया गया और जिस रुचि से उन्होंने वहां पर अकाल राहत कार्य खोले जाने की तजवीज की, मेरे खयाल से जिला प्रशासन ने उतनी रुचि नहीं दिखाई और उतनी तत्परता नहीं दिखाई। इस कारण राज्य सरकार के आदेशों का पालन समय पर नहीं हो पाया और आज भी पाली जिले में जिन लोगों को काम मिलना चाहिये, जितनी संख्या में जितने स्थानों पर राहत कार्य खोले जाने चाहिये थे उतने नहीं खोले हैं। एक सबसे बड़ी बात, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं मंत्री महोदय तक यह पहुंचाना चाहूंगा कि जो भी राशि अकाल राहत कार्य हेतु राज्य सरकार की ओर से जिला प्रशासन को आवंटित की गई है, आज उसका पचास पर्सेन्ट के लगभग ही उपयोग हो पाया है। अब अनुमान लगाया जा सकता है कि जो रुचि और तत्परता यहां पर दिखाई गई है उससे आधी भी जिला स्तर पर नहीं दिखाई गई है। मैं सोचता हूं, अगर यह स्थिति वहां पर और आगे कायम रही तो यह जो आगामी महीने हैं, उनमें एक क्रिटिकल पीरियड हमारे सामने आ रहा है। उसके अन्दर जो राहत पहुंचाने की तजवीज की जा रही है, वह आम लोगों तक नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से भुखमरी की विकट समस्या वहां पर उपस्थित हो जायेगी। यह जरूर सोचा गया कि जिस पैमाने पर इस समय बड़ा भयंकर अकाल पड़ा है और वक्त पर हम अगर सहायता और राहत कार्य की पूरी तजवीज नहीं कर पाये तो लोगों में बड़ी बेचैनी होगी और इस बात को लेकर लोगों में बड़ी बेचैनी फैली हुई है कि वास्तव में जब जब केन्द्रीय सरकार से और अधिक धन मांगा जाता है तो केन्द्रीय सरकार कभी तो यह कह कर टाल देती है कि वहां पर जो काम लिये जा रहे हैं वह इतने अनोत्पादन

(श्री मोहनराज)

हैं, और पूरे, उस ढंग के नहीं हैं कि जिनको पैसा दे सकें। कभी सेन्ट्रल स्टडी टीम यहां आती है; वह अपनी रिपोर्ट में मेटीरियल कम्पोनेन्ट के आधार पर अथवा दूसरे कामों को देख कर जो सही स्थिति है उसका मूल्यांकन नहीं कर पाती है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी लोक सभा में केन्द्रीय मंत्री शिन्दे साहब ने जवाब दिया था कि हम राज्य सरकार को पैसा दे रहे हैं लेकिन हम ऐसे कामों के लिये पैसा नहीं दे सकते, जो काम योजनाबद्ध या विकास के काम नहीं हैं, पूरी तरह से तकनीक में खरे नहीं उतरते हैं और उपयोगी नहीं हैं—उनके लिए पैसा नहीं दे सकते। मैं सोचता हूं पाली जिले का सवाल है, एक एक काम वहां पर ऐसा लिया गया है, एक एक काम इस ढंग से, जो हमारी योजनायें हैं, उनके आधार पर चयन करके लिया गया है, जो विकास में बहुत उपयोगी है और आगामी वर्षों में कभी भी कुदरत के प्रकोप के कारण पड़ने वाले अकाल के दिनों में पानी का सुख लोगों को उपलब्ध हो—इस खयाल से लिए गये हैं। इतनी तजवीज करने के बाद काम हाथ में लेते हैं, फिर भी हमारे यहां के, राजस्थान के मामले में इस प्रकार कह कर टाल दिया जाता है। यह सचमुच गम्भीर बात है। मैं सोचता हूं, वे स्वयं आयें या नुमायन्दे को भेजें, जो काम हमारे यहां हो रहे हैं, उनको देख कर जायें कि वास्तव में यह काम कितने उत्पादक हैं, कितनी उत्पादक शक्ति बढ़ाने वाले हैं, कितनी राहत पहुंचाने वाले हैं और साथ ही उनसे विकास में कितनी सहायता होने वाली है। ये सारी चीजें ऐसी हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि राजस्थान का जो केस है बिल्कुल कमजोर नहीं है और मैं पुरजोर शब्दों में इस काम के बारे में कहूंगा कि अधिक से अधिक पैसा हासिल करके हाथ में लिया जाना चाहिये ताकि हमारे सामने जो आगामी महीनों में बड़े भयंकर महीने आ रहे हैं, उस समय में ऐसे लाखों लोग सामने आयेंगे जिनको रोजगार मुहैया करना जरूरी हो जायगा। उस समय यदि हमने समय पर रोजगार देने में कोताही की, समय पर अनाज पहुंचाने में हम विफल रह गए या पीने के पानी की समस्या के समाधान में अगर हम विफल रह गये या घास—चारा मवेशियों तक नहीं पहुंचा पाए तो राजस्थान की ऐसी क्षति होगी कि आने वाले कई वर्षों तक उसकी पूर्ती नहीं हो पायेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को इस मामले में केन्द्र पर दबाव डालकर, जो भी सहायता इन आगामी महीनों में दे सकते हैं, अधिक से अधिक प्राप्त किए जाने की कोशिश करनी चाहिये।

साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि पाली जिले में इस समय तमाम राहत कार्यों पर, जो करीब 180 के लगभग स्वीकृत हुए हैं उन पर कुल मिलाकर सिर्फ 38 हजार मजदूर काम पर लगे हैं यह संख्या बहुत कम है। हो सकता है कि राज्य सरकार यह सोचे कि वहां सिर्फ इतने ही मजदूर काम करना चाहते हैं तो वह सही नहीं है। मैं जानता हूं अपने वाली क्षेत्र की बात करता हूं जहां पर राहत कार्य चल रहे हैं, वहां पर मिस्त्री पी० डब्ल्यू० डी० के या सिचाई विभाग के ओवरसियर्स, एसस्टिंट इंजीनियर्स हैं उन्होंने जहां बहुत बड़ा काम है वहां पर उनके जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनको कह रखा है वे इतने ही मस्टर रोल देते हैं जितने के लिए उन्होंने कह रखा है। हम कहते हैं कि ये बेरोजगार हैं, इनको काम पर लीजिए, आखिरकार अकाल के

(श्री मोहनराज)

अंदर जो जरूरतमंद हैं उनको मजदूरी नहीं मिलेगी तो राहत कार्य खोलने का तात्पर्य क्या रहेगा। लेकिन वे कहते हैं कि हमें तो इतनों के लिए ही आदेश हैं, हमारे पास मस्टर रोल्स ही इतने हैं। जब मस्टर रोल की तलाश करते हैं तो सप्ताह लग जाते हैं। तो वास्तव में मजदूरों की संख्या कम इसलिए है कि जो मौके पर काम करना चाहते हैं उन्हें नहीं लेते हैं। हम कहते हैं कि 20 मील की सड़क अकाल राहत कार्य के अंदर स्वीकृत हुई है, आपने एक जगह शुरू किया, राज्य सरकार के पास रिपोर्ट आ जाती है लेकिन 20 मील के फासले पर अगर एक कैम्प खोला, 200-250 मजदूरों को काम पर लगा दिया और फिर चुपचाप बैठ गए कि राहत कार्यों पर काम चल रहे हैं तो रास्ते में आने वाले 10-15 गांव हैं। क्योंकि काम स्वीकृत हो चुके हैं इसलिए दूसरे काम खुलेंगे नहीं, वहां पर मजदूरों की संख्या नहीं बढ़ सकती। तो जहां बड़े काम हैं, ज्यादा काम खोले जायं, तमाम इच्छुक मजदूरों को काम पर लगाया जाए, किसी मजदूर को मनाहीं न की जाए, इस प्रकार के आदेश दिए जायं। मंत्री महोदय ने हिदायत की है लेकिन मौके पर जो लोग हैं बारबार टालम-टोल करते हैं, मजदूरों को काम पर नहीं लेते हैं। इसलिए जहां पर इच्छुक मजदूरों को काम पर न लेने की शिकायत है चाहे ओवरसियर या चाहे एसिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ वहां उनको दंडित करें, उन्हें सस्पेंड किया जाए, वहां से ऐसे अधिकारी को हटाया जाए, तब जाकर इस तरह का वातावरण पैदा होगा कि मौके पर अधिकारी गल्ती करता है तो तत्काल उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही होगी तो लोगों को हौसला आएगा। राज्य सरकार कहती है कि किसी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने देंगे तो आखिरकार उद्देश्य यह है कि हरेक को मजदूरी का मौका देंगे जिससे वह गुजर कर सके। अगर यह सुविधा उसको नहीं देते हैं तो हमारी घोषणायें कागज पर ही रह जायेंगी।

दूसरी बात भू-संरक्षण कार्यों पर जो 25 प्रतिशत लोन और 75 प्रतिशत अनुदान के रूप में नई घोषणा की है, वह निस्संदेह स्वागत योग्य है। लेकिन पाली क्षेत्र आदिवासी भीलों व मीणों का इलाका है वहां भू-संरक्षण कार्य हो सकते हैं और आदिवासी जो वहां लकड़ी काटकर लाकर गुजर करते हैं, उनसे 25 प्रतिशत लोन के रूप में वसूल किया गया। चाहे किश्तें भी आपने बांधीं तो भी पूरी जिंदगी भर नहीं चुका सकेगा। सहकारी समितियों के लाखों रुपए वहां पर इसी तरह से डूबत खाते में रह गए। तो इस गलती को दोहराना नहीं चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत ऋण की राशि अनुदान में बदलनी चाहिए और वहां पर सारे का सारा भू-संरक्षण का कार्य सरकारी अनुदान से ही कराया जाना चाहिए।

अकाल राहत कार्यों को पूरा करने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता है उस पर आपने जो 30 प्रतिशत का बैन लगाया है उससे सचमुच जिन कामों को परमानेंट बनाना चाहते हैं उनमें सफलता नहीं मिल सकती। पाली जिले में हर सड़क पर 50 प्रतिशत की राशि स्वीकृत नहीं की गई है मेटीरियल काम्पोनेन्ट के लिए। इसलिए 50 प्रतिशत की राशि मंजूर की जाए तभी जाकर जो अधूरे काम हैं, वे पूरे हो पायेंगे और परमानेंट नेचर के काम बन सकेंगे।

अभी जो प्रगति विवरण अकाल सहायता विभाग की ओर से प्रकाशित हुआ है, उसमें चारे के डिपोज खोले जाने के लिए कई जगह

(श्री मोहनराज)
केन्द्र स्थापित करने की बात कही है लेकिन बाली क्षेत्र में आज भी चारे की कमी होते हुए भी एक भी बिक्री केंद्र नहीं खोला गया है। इसलिए नाणा, बेड़ा, मुंडारा व फालना–चारों जगह तत्काल डिपोज खोलने की व्यवस्था करें ताकि उस इलाके के मवेशियों का पोषण हो सके और पशुधन को बचा सकें। वहां पर वन विभाग के जो ग्रास फार्म्स हैं, वहां पर घास मौजूद है और इसलिए दूर से ट्रांस्पोर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी, नजदीक से घास बिक्री डिपोज पर पहुंच जायेंगे और वह घास साधारण तौर पर बेचेंगे तो बड़ी राहत उन लोगों को मिल जाएगी ।

पाली जिले में पशु-पोषण केन्द्र नहीं हैं। पिछले साल में बाली में अकाल सहायता समिति की स्थापना की गई थी और वहां के कुछ लोगों ने धनराशि चंदे के रूप म इकटठी करके गायों के लिए अपना कैम्प चलाया था और वहां पर गायों की हिफाजत करते थे और सरकार से भी अनुदान मिलता था। अभी भी बाली सेवा समिति काम करने को तैयार है। आप इसके लिए शीघ्र स्वीकृति दें तभी जाकर यह काम जल्दी पूरा हो सकता है ।

बाली में मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट की स्वीकृति के कारण जो सिंचाई के एनीकट्स और छोटे-छोटे काम स्वीकृत किए गए थे, सारे काम रुक रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि 31 मार्च को मंत्री महोदय को मैंने लिस्ट दी थी जिसके अंदर उसी इलाकों के कुछ गांवों में तालाब स्वीकार करने की बात कही थी जैसे तुदांडा, चिमनपुरा, झटून, बीरावल, सरली बरली, गांवई, चान्डेरी, गांवाई तालाब डूंगली, माडल तालाब माणा, गांवई तालाब चेट, गांवाई तालाब दूदने। इन सभी गांवों में जो काम हैं वह जल्दी से जल्दी स्वीकृत करावें ताकि वहां के लोगों को राहत मिले। पहले भी राज्य सरकार के सामने मैंने कई बार निवेदन किया था। अगर राज्य-सरकार मेरे कहने के अनुसार उन क्षेत्रों में तालाब बनवाने का काम शुरू कर दे तो लोगों को मजदूरी भी मिल जायेगी और आयन्दा के लिए वहां पर पानी की समस्या भी कम होगी। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय हमें भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें आपको भी मौका मिलेगा ।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में एक तरफ तो भयंकर अकाल पड़ा हुआ और जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया है दूसरी तरफ हमारे राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी दिल्ली में रजत जयन्ती मना रहे हैं। बड़े दुःख की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, आज के वैज्ञानिक युग में दुनिया में कई प्रकार की उन्नति हुई है। उससे खारे से मीठा पानी बना रहे । आज दूसरे विदेशों में लोगों ने जहां पर पानी बिल्कुल खारा था उसका मीठा पानी बना कर जनता को दे दिया और पानी की समस्या का हमेशा के लिए अन्त कर दिया। आज दुनिया के दूसरे लोग चन्द्रलोक में जा रहे हैं और अन्य उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं वहां हमारे राजस्थान के अन्दर जनता अकाल से त्राहि-त्राहि कर रही है। लोगों को पीने का पानी नहीं है, खाने का अनाज नहीं, पहनने

Page No. 95

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

को कपड़ा नहीं, ऐसी विषम परिस्थिति बन गयी है कि जनता त्रस्त हो गयी है। लेकिन हमारे मुख्य मन्त्रीजी के पास इतना ही समय नहीं है कि वह उन क्षेत्रों का दौरा करें और हमारे प्रान्त के अकालग्रस्त क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं का हल निकालें। उनमें प्रधान मन्त्री से लड़ने की हिम्मत नहीं है और न ही उनमें अकाल से लड़ने की कोई हिम्मत है। वरना दिल्ली में जाकर प्रधान मन्त्री के सामने तथ्य प्रस्तुत करके उन्हें बाध्य करते कि हमें आप मदद दो। आज हमारा राजस्थान पूरा अकाल से ग्रस्त है पर कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे मुख्य मन्त्रीजी जाकर दिल्ली दरबार में बैठ जाते हैं लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि प्रधान मन्त्रीजी के सामने चूं भी करें। आज राजस्थान का वयोवृद्ध राज्यपाल अकालग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने जाता है, वहां के लोगों की हालत का निरीक्षण कर रहा है लेकिन हमारे राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी ऐसे वक्त में अकालग्रस्त क्षेत्रों का दौरा नहीं करेंगे और नई दिल्ली में जाकर लोगों के लिए अनाज, पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे। आज हमारे यहां के लोगों के पहनने को शरीर पर कपड़ा नहीं है उसके लिए केन्द्र से मदद लाकर उनकी समस्या का हल ही करते हैं। आज उनको चाहिए राजस्थान के गांव-गांव में जाकर, अकालग्रस्त क्षेत्रों में लोगों के झोंपड़ों में जाकर उनकी समस्याओं का अध्ययन करें। पर इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि राजस्थान का मुख्य मन्त्री इन सभी बातों से अनभिज्ञ है। आज यहां पर हर साल अकाल पड़ता है और राज्य सरकार इस पर हर साल लाखों रुपय खर्च करती है लेकिन राजस्थान सरकार ऐसे कोई उपाय नहीं निकालती है जिससे कि अकाल का कोई स्थायी हल निकल सके। मैं स्पष्ट रूप से सदन में कह देना चाहता हूं कि राजस्थान का प्रशासन राज्य की अकाल की स्थिति पर काबू पाने में सर्वथा असफल रहा है। आज महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री जाकर केन्द्रीय सरकार से लड़कर, अकाल की स्थिति का वर्णन करके 80 करोड़ रुपये ले आते हैं जहां कि राजस्थान के मुकाबले में अकाल की मात्रा बहुत ही कम है तो क्या हमारे राजस्थान के मुख्य मन्त्री जाकर केन्द्र से धन प्राप्त नहीं कर सकते? मैं सदन में स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार केन्द्र के आगे अपने तथ्य पेश करने में सफल नहीं हो सकी। उनके पास कोई अकाल को स्थायी रूप से हल करने की योजना नहीं है। अभी राज्यपाल महोदय वहां आये तो उन्होंने कहा था कि हमें केन्द्र से पैसा लाना चाहिए। क्योंकि आज अकाल की स्थिति राजस्थान में बहुत ही गम्भीर है। इधर आपके केन्द्र के मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि हमें अकाल के अन्दर ऐसे कार्यों को हाथ में लेना चाहिए जिससे उत्पादक शक्ति बढ़े, जिससे कि लोगों को काम भी मिले और राज्य में उत्पादक शक्ति बढे। इसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा आपको रेलवे लाइन का काम हाथ में लेना चाहिए। आपको चाहिए कि आप झामर कोटड़ा जो कि उदयपुर में है, उस को रतलाम से मिला दीजिये। उससे हमारा जो झामर कोटड़ा में रॉक फॉस्फेट है वह मध्य प्रदेश की तरफ जायेगा और हमें लाभ होगा। उपाध्यक्ष महोदय, झामर कोटड़ा के राक फॉस्फेट से हमें विदेशी मुद्रा भी काफी प्राप्त होती है और इस लाइन का काम खुल जाने से हजारों श्रमिकों को आप काम दे सकेंगे। इसके अलावा मैं यह भी

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर एक देवास योजना बनायी गयी थी। उपाध्यक्ष महोदय, उसका सर्वे भी हो चुका; उस पर लाखों रुपये खर्च हुए। उपाध्यक्ष महोदय, अगर उस योजना को राज्य सरकार हाथ में ले लेती है तो हमारे यहां के इलाके में काफी विकास हो सकता है। लेकिन पता नहीं इतना खर्च होने के बाद भी राज्य सरकार ने उस देवास वाली योजना का कार्य क्यों नहीं शुरू करवाया। इसी प्रकार गोवर्धन विलास का भी सर्वे हो चुका है इन स्कीमों पर राज्य सरकार के करोड़ों रुपये खर्च हो गये पर अभी तक इन योजनाओं को हाथ में लेने की कोशिश राज्य सरकार ने नहीं की। अगर इन योजनाओं को राज्य सरकार हाथ में ले लेती है तो अकाल का हमारे उदयपुर जिले में हमेशा के लिए अन्त हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार आज वहां पर लकड़ियां काट कर लोग अपना पेट पाल सकते थे तो उसमें भी राज्य सरकार ने यह आदेश दे दिया कि लकड़ियां काटने का काम सहकारी समितियों द्वारा किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, अकेला व्यक्ति वह भी नहीं कर सकता। आज सहकारी समितियों में लाखों रुपयों का घोटाला है। जो खर्चा होता है उसका पूर्ण रिटर्न नहीं मिलता इधर जंगलों का नाश ठेकेदारों द्वारा कर दिया गया है। जहां पर कोई जमाने में उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाडा के इलाकों में बहुत ही घने जंगल थे जहां कोई जमाने में हाथी, शेर और चीते वगैरह की बहुतायत थी उन जंगलों में वह सब समाप्त हो गया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन जंगलों के कट जाने से आज वर्षा कम हो रही है और उदयपुर में अकाल पड़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जहां पर इतना भीषण अकाल पड़ा हुआ है वहां पर आपने जो काम लोगों को दिये हैं वह उनकी संख्या को देखते बहुत ही कम हैं। पहले तो अकाल कार्य ही बहुत देर बाद शुरू हुआ और उसके बाद में आपने यह किया कि हर परिवार के सदस्यों में से इतने सदस्य ही काम पर लगाये जा सकेंगे। इसके अलावा आपने टास्क बेसिस पर जो पेमेन्ट करने की बात की है उसके अनुसार तो लोगों को भुगतान जो हुआ है वह 80 पैसे और 90 पैसे ज्यादा नहीं हुआ। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिनको कि एक रुपया, डेढ़ रुपया मिला हो। आज वहां पर भूखे पेट आप उम्मीद करते हैं कि जितना आपने काम लेने की सोचा है उतना काम भूखे पेट एक इन्सान कर सकता है। जिस प्रकार आपने अधिक से अधिक की सीमा रखी है उसी प्रकार कम से कम लोगों को तीन रुपये तो देने चाहिए और आपको उनके रोजगार के पैसे बढ़ाने चाहिए। इसके अलावा जो पांच सदस्यों के परिवार में दो व्यक्तियों को काम दिया जाता है वह कम है उसमें सुधार होना चाहिए। इधर आप यह घोषणा करते हैं कि हम अकाल में भूख से नहीं मरने देंगे किसी भी व्यक्ति को, दूसरी ओर आप लोगों को काम नहीं दे रहे हैं। लोगों को खाने को पूरा नाज नहीं मिल रहा है; लोग घास की रोटियां खा-खा कर काम चला रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। ऐसी भयंकर स्थिति आपने पैदा कर दी है। फिर भी आप यह कह रहे हैं कि किसी को भी भूख से नहीं मरने दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुद वहां जाकर आया हूं, बहुत ही भयंकर हालत है। लोगों को खाने को एक दाना नहीं है। आप यहां कह रहे हैं कि हमने वहां फेअर प्राइस शोप खोल रखी हैं। मैं आपसे

Page No. 97

(श्री भानु कुमार शास्त्री)
निवेदन करूं कि वहां भी अनाज नहीं, मार्केट में अनाज नहीं। आपने अनाज का राष्ट्रीयकरण कर लिया है तो आपको मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा फेअर प्राइस शोप्स खोलकर जनता को राहत दिलाने की व्यवस्था करावें। आज वहां पर किसी भी बात का तालमेल नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब एक और महत्वपूर्ण बात की ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वह यह है कि मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि आपने अकाल राहत काम उदयपुर डिविजन में कब खोले और कौनसे महीने में खोले? इसके अलावा वहां पर आपने कितने लोगों को काम दिया? वहां पर आज कितने श्रमिक काम कर रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर जैसे राज्य सरकार ने आंकड़े दिये हैं वह सभी झूठे हैं। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर के महीने तक काम नहीं खोले गये। तो राज्य सरकार से यह मैं पूछना चाहूंगा कि आपने अकाल के नाम पर वहां पर कितने श्रमिकों पर कितना खर्चा किया? आप बता रहे हैं कि अक्टूबर से 20,166 मजदूर काम कर रहे हैं। क्या ऐसी बात तो नहीं है कि किसी को एक बार नौकर कर दिया उसके बाद में कुछ दिन बाद उसको आपने निकाल दिया और फिर आपने मल्टीप्लाई करके इतने बता दिये। आज आप करीब 54 हजार श्रमिक काम करते हुए बता रहे हैं और उस पर करीब दो करोड़ 61 लाख रुपया खर्च किया बता रहे हैं। उस हिसाब से तो लोगों को बहुत ही कम पैसा आज तक मिला। इसके अलावा आप यह कहते हैं कि मेटिरियल काम्पोनेन्ट 15 पर्सेन्ट काट लेते हैं तो फिर बाकी तो 85 पर्सेन्ट रह गये। अगर एक व्यक्ति को आप टास्क बेसिस पर काम करने पर एक रुपया देते हैं तो उसमें से 15 पर्सेन्ट मेटिरियल काम्पो-नेन्ट को निकालें तो मेरे खयाल से एक श्रमिक को एक रुपये से ज्यादा नहीं मिलेगा। मुझे यह बतायें कि तीन रुपया हम कहां से दे रहे हैं? उनके आकड़ों के हिसाब से ही देख लीजिये। यह तो उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। आप उनको दे रहे हैं 85 पैसे और घोषणा कर रहे हैं तीन रुपया। टास्क बेसिस पर जो पैसा दिया वह हमारे पास है। टोटल अमाउन्ट खर्च किया वह भी हमारे पास है। आप स्वयम् ही महसूस कीजिये और देखिये कि वाकई आप क्या उनको तीन रुपया दे रहे हैं या केवल 85 पैसे दे रहे हैं। आप केवल उनको 85 पैसे दे रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं तीन रुपये की। सब आंकड़ों को मिला कर देखा जाय तो 85 पैसे से अधिक नहीं आता है। आप ही आपके हिसाब को जज करके बता दें कि तीन रुपया कैसे आता है? अकाल राहत के नाम पर देना है तो तय करिये कि तीन रुपये ही देंगे। कम नहीं देंगे। टास्क पर कितना होगा, मेजरमेंट कितना होगा, कितनी शक्ति होगी यह आप हिसाब लगाइये। टास्क बेसिस पर इतना तो दीजिये कि प्रत्येक को तीन रुपया मिल सके। परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण हो सके इतना तो उसको दीजिये। टास्क बेसिस पर काम हो और पैसा भी उसको पूरा न दिया जाय तो फिर कहां से परिवार का भरण-पोषण होगा, शरीर की शक्ति भी उस व्यक्ति की वह नहीं है और पूरे तौर पर खाने को मिलने के अभाव में उसकी शक्ति और भी कम होगी। काम कम होगा तो पैसा उसको दूसरे

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

कम मिलेगा। तीसरे दिन उसको और शक्ति कम होगी। कम खायेगा तो कम मिट्टी खोंदेगा और पूरा उसको पैसा नहीं मिलेगा। न तो खुद का पेट भर सकता है और न ही, परिवार का पेट भर सकता है और न ही उस शक्ति को लेकर अकाल राहत के कार्य कर सकता है। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि तीन रुपये एक श्रमिक को मिले प्रतिदिन, ऐसी व्यवस्था आप करें। यह जो आपने आंकड़े दिये हैं उसके हिसाब से 85 पैसे प्रति व्यक्ति को मजदूरी मिलती है।

माननीय मंत्री महोदय आरामतलबी छोड़ कर गांव-गांव झोंपड़े झोंपड़े में जाकर ढाणी-ढाणी पर जाकर अकाल का, उनकी हालत का दिग्दर्शन करें तब ही आप इसका मूल्यांकन कर सकेंगे। दूसरे कैबिनेट के सदस्य भी इस में भाग लें। मुख्य मंत्रीजी का वहां न जाना एक जघन्य अपराध है। राज्य के अन्दर रहने वाले लोगों को अनाज नहीं दे सकें, पशुओं को चारा नहीं मुहैया करा सकें उस राज्य सरकार का बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

चारे के डिपो खोलने की घोषणा की। मैंने पूछा कि कितना बेचा है? कहने लगे कि बेचा नहीं खोल रखा है। अभावग्रस्त में यह नहीं आते हैं। उदयपुर में कई ऐसी गौशालायें हैं, दुग्ध वितरण शालाएं हैं जिन्होंने डेरी फार्म चला रखे हैं, वहां पशुओं के लिये कहां से चारा लावेंगे? सरकार ने कहा कि सरकारी डिपो से उनको नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में, बोम्बे में ऐसी व्यवस्था है। महाराष्ट्र सरकार ने एक क्वान्टिटी बना दी है उसके आधार पर हर पन्द्रह दिन में वह क्वान्टिटी दे देते हैं। कार्ड बने हुए हैं। अभावग्रस्त गांव हैं, शहर हैं जहां-जहां पर भी मवेशी उपलब्ध हैं उनके जीवन की रक्षा करने की व्यवस्था करेंगे तो हमारे मवेशी बच पायेंगे वरना हमारा डिपो निरर्थक हो जायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(2.47 म० प०)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

इन्हीं शब्दों के साथ फिर निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार से कि उदयपुर जिले को राज्य सरकार की ओर से 18 लाख की पोपूलेशन पर केवल 4 हजार टन अनाज मिलता है, म यह नहीं कहता कि किस जिले को कितना दें, जितनी आवश्यकता हो उतना सबको, किन्तु जो दूषित वितरण व्यवस्था है उसके लिये निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर जिले की 6 लाख की पोपूलेशन है वहां पर $4\frac{1}{2}$ हजार टन अनाज देते हैं। क्या पांती आवेगा 18 लाख की पोपूलेशन में 4 हजार टन और क्या खायेंगे लोग इस पर राज्य सरकार चिन्तन करें। अकाल के लिये सरकार कोई स्थायी योजना बनाये। मैं सुझाव देता हूं कि झामड़ कोटड़ा के पास बड़ी रेल्वे लाइन लगा कर राज्य सरकार उस उद्योग को एक व्यवसाय के रूप में चलाये। एक पूंजीपति चलाता है और वह जो कमाता है वह राज्य सरकार कमायेगी और इससे मजदूर भी काफी संख्या में काम पर लगेंगे। इन सुझावों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: श्री प्रतापसिंह।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : सभापति महोदय, अकाल के सम्बन्ध में जुलाई से और अगस्त से निरन्तर सदन में आवाज उठायी जा रही थी और राज्य सरकार इस ओर सक्रिय होने की अनेक बार घोषणा कर चुकी परन्तु इतनी लम्बी अवधि के बाद में यदि मैं यों कहूं कि अकाल के वर्ष का दो-तिहाई भाग बीत जाने पर भी हमारे राज्य की अकाल से प्रभावित जो जनसंख्या है उसके लगभग 6.7 प्रतिशत व्यक्तियों को ही राज्य सरकार रोजगार उपलब्ध करा सकी है तो मैं समझता हूं कि इसमें कहीं न कहीं बड़ी कमी रही है। और कमी का उल्लेख जब मैं करता हूं और इस पर विचार करता हूं तो मैं यह स्पष्ट, देखता हूं कि जिन अधिकारियों के द्वारा राज्य सरकार ने तिथि निश्चित की है उनके माध्यम से राज्य सरकार को यह पता नहीं लगा, न राज्य सरकार के पास कोई योजना थी कि 1 करोड़ 35 लाख के करीब जो अकाल से ग्रसित जनता है उसके 60 प्रतिशत अथवा 75 से 80 प्रतिशत को राहत कार्यों पर लगाने के लिए कितने स्टाफ की आवश्यकता होगी और कितने उपकरणों की आवश्यकता होगी—ऐसा कोई भी आंकड़ा राज्य सरकार ने जो प्रतिवेदन टिप्पणी प्रस्तुत की है उसमें नहीं बताया है। उसमें कहीं यह नहीं मिलता है कि राज्य सरकार ने कोई योजना बनाली हो जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अकाल पीड़ित जनता को पूरी तरह से राहत देने के लिए राज्य सरकार के पास कोई कन्सोलिडेटेड योजना हो, ऐसी, कोई योजना सरकार के पास नहीं है। जब कि राजस्थान लगभग दस वर्ष में प्राय: 5 या 6 वर्ष तक इस अकाल की चपेट में आता रहा है फिर भी इस ओर सरकार के द्वारा जितना ध्यान देने की आवश्यकता है उतना ध्यान नहीं दिया गया है, मेरी ऐसी मान्यता है।

(3.00 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आज इस आधार पर हम केवल अकाल से पीड़ित कुल व्यक्तियों में से छ:-सात प्रतिशत को ही काम दे पाये हैं और वह भी सुचारु रूप से नहीं। काम पहले तो स्वयं देर से स्वीकृत होते हैं, फिर उनकी स्वीकृति नीचे तक पहुंचते-पहुंचते काफी समय लग जाता है। फिर काम समय पर चालू नहीं होते। अधिकरण के आदेश देर से मिलते हैं। मस्टर रोल नहीं पहुंचते। इसमें फिर देरी हो जाती है। मस्टर रोल पहुंच जाते हैं तो ये नौकरशाही के पुर्जे नाम लिखने में देर लगाते हैं। इसमें वे कई प्रकार की बाधाएं खड़ी करते रहते हैं। वे अपने को मिनिस्टर से कम महसूस नहीं करते। इस तरह सरकार ने भले ही घोषणाएं कर दी हों, पर सरकार की यह भ्रष्ट और काहिल मशीनरी अपना ढर्रा नहीं छोड़ती। आपने भले ही कुछ भी नार्म्स तै कर दिये हों पर उनकी क्रियान्विति में ये नौकर कदम-कदम पर रोड़े अटकाते हैं, देर करते हैं। राज्य सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि उसके आदेशों का तत्परता से पालन हो।

इसके लिए अगर मन्त्री महोदय कड़ाई से काम लें और प्रति दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट बराबर इन लोगों से मांगते रहें तो सम्भव है ये लोग कुछ सुस्ती छोड़कर काम कर सकते हैं। अन्यथा तो बिना कड़ी चैकिंग के ये लोग काम नहीं कर सकते। अपने मन से तत्काल सरकार के आदेशों की क्रियान्विति

(श्री प्रतापसिंह)

[करने की आशा करना इन लोगों से बालू से तेल निकालने जैसा है।

अकाल की घोषणा करने में भी सरकार का अपना तरीका है। केवल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही घोषणा कर दी जाती है। शिकायत होने पर और तहसीलदार और नायब तहसीलदार की रिपोर्ट के पश्चात् भी राज्य सरकार कुछ नहीं करती।

पटवारी ने किसी क्षेत्र के लिए छ: आना खराबा ही अंकित किया है और तहसीलदार और नायब तहसीलदार गिरदावरी की चैकिंग करके कहते हैं कि वास्तव में खराबा कम अंकित किया है। वास्तव में वह आठ आने से अधिक है। पर फिर भी नियमानुसार इसे डिक्लेयर नहीं किया जाता। मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करूं कि चाकसू तहसील में तीतरिया गूजरान का गांव है। वहां की हालत के बारे में तहसीलदार की टिप्पणी की एक लाइन सदन में पढ़ कर सुनाता हूं: "नुकसान असिन्चित रकबे में 8 से 10 आना है। पटवारी द्वारा छ: आना ही खराबा दिखाया गया है।"

इसको नहीं माना गया। और वे गांव आज तक भी अकालग्रस्त घोषित नहीं हुए। मैं इस बारे में चाहूंगा कि सरकार देखे और इसका खुलासा करे। और साथ ही यह भी चाहूंगा कि ऐसे पटवारी के खिलाफ उचित कार्यवाही की जावे।

जहां तक मजदूरी का प्रश्न है, पिछले अकाल में एक सौ फीट मिट्टी का या जो भी कोई कार्य किया जाता था उसके संबंध में आपने एक पुरुष, स्त्री और बच्चे के लिये अलग अलग, नार्म्स तय कर रखे थे तो वे अधिक वास्तविकता के आधार पर थे। पर आज जो टास्क बेसिस आपने कर दिया है इसमें वास्तव में वृद्ध आदमियों के लिए कठिनाई उत्पन्न हो गई है। इतना काम वे दे नहीं पाते और इसलिए मजदूरी पूरी मिलती नहीं, तो उससे पेट भरने जितना अन्न वे जुटा नहीं पाते, इस तरह भूखों रहना पड़ता है। तो अकाल के समय इतने काम की अपेक्षा उनसे करना अव्यवहारिक है। इसलिए इस पर भी आप पुनर्विचार करें। इससे पैनल्टी और कटौतियों से भी ये बचेंगे। आपके इतने काम करने के लिए वे बराबर सक्षम बने रहें इसलिए भी यह जरूरी है कि कम से कम उनको इतना अवश्य मिल जाय कि वे पेट भर कर आपका काम करते रहें, पेट नहीं भरा तो आपका काम भी वे अधिक नहीं कर सकेंगे। इस दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि इस पर फिर से विचार किया जाकर जो इस दृष्टि से उचित हो वह मजदूरी उनको दी जाय। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी इस बारे में काफी कहा है। कटौतियों से और कम पैसा मिलने से उनकी अनाज क्रय करने की शक्ति घट जाती है। वे पूरा पेट भर सकें और यह संकट का समय निकाल सकें इस लायक उनको बना रहने दें।

अब मैं थोड़ा पशुधन के बारे में निवेदन करूंगा। इसमें चारे के बारे में जो उल्लेख है आपके नोट में उसमें 8 वेराइटीज का चारा उपलब्ध कराने की बात आपने कही है। पर इनमें से एक केवल घोसा घास ही उपलब्ध हो पाई है अभी तक तो। बाकी लूंग, पाला, तूडी आदि उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। पशुधन की रक्षा के लिए बाकी वेराइटीज का चारा भी उपलब्ध करा दें तो बड़ा लाभदायक होगा।

(श्री प्रतापसिंह)

यह भी उल्लेख किया गया है कि वनों के लूंग, बाजरा आदि घासों का चीजों का नीलाम नहीं किया जावेगा। पर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि नीलामियां अभी भी हो रही हैं। इससे किसानों को और पशुपालकों को काफी कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा है। पैसा जमा कराने के बावजूद भी समय पर लूंग, बाजरे का उपयोग करने से उनको वंचित रखा गया है। उदाहरण के तौर पर सुसरा काबिया बीड की नीलामी के बारे में निवेदन करूंगा कि नीलामी हुई है और नीलामी के बाद भी पूरी तरह से लूंग, बाजरी का लोगों को उपयोग नहीं करने दिया। इस संबंध में भी ये जो आदेश आपने प्रसारित किये हैं उसकी पालना कहां तक हुई है, यह देखें।

आगे आपने जो गर्भवती महिलाओं के लिये मेडिकल सहायता का प्रावधान किया है वह भी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। न प्रभावशाली तरीके से इस बारे में काम किया जा रहा है। इस संबंध में भी निवेदन करूंगा कि इसको भी आप सही तरीके से इम्पलीमेंट करावें।

शासकीय वक्तव्य

राजकीय मुद्रणालय के कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मुद्रणालय मंत्रीजी।

श्री नारायणसिंह (मंत्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय मुद्रणालयों में जो हड़ताल चल रही थी उसके बारे में वक्तव्य देने के लिये समय दिया गया था। उस समय निवेदन किया था कि मुद्रणालयों के कर्मचारियों का शिष्ट मंडल आया हुआ है और उनसे वार्ता चल रही है। अगर समझौता हो जाता है तो इसके बाद में सदन को सूचना दूंगा और आशा तो यह है कि इसके बाद में वक्तव्य की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रसन्नतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि उस वार्ता का फल अच्छा निकला है और जो हड़ताल हो रही थी उसको वापिस ले लिया गया है। लिखकर भी दे दिया गया है जो मैं पढ़कर सदन को भी सुना देता हूं:

"राजस्थान के राजकीय मुद्रणालय के कर्मचारियों की दिनांक 23-3-73 से चली आ रही हड़ताल आपके विश्वास पर आज से वापिस लेते हैं। हमें आशा है कि हमारे साथ पूर्ण न्याय होगा।"

तो इस विषय को लेकर उनके साथ में समझौता हो गया है। हमने भी आश्वस्त किया है कि जितने भी क्रिमिनल केसेज कर्मचारियों पर हुए हैं और पद मुक्ति कार्यवाही हुई है वह वापिस ले ली जावेगी और सभी को रिहा भी कर दिया जावेगा। इसके अलावा जो स्ट्राइक पीरियड है उस पीरियड को अर्न्ड लीव के अगेन्स्ट एडजस्ट कर लिया जावेगा और इसके अंदर भी क्षति नहीं पहुंचेगी। बाकी जो समस्याएं थीं उनको पहले ही कह चुका था।

माननीय गफ्फार अली स्वयं भी वहां उपस्थित थे और मैंने उन को भी वह स्पष्ट कर दिया था कि राणावत पे कमीशन की सिफारिशें जो हैं उनके लिये विभागीय तौर पर पूर्ण सिफारिश हमने सरकार को की है कि उनको भी उसी तरह से मिलनी चाहिये व उसको हमने कैबिनेट में भी रखा

(श्री नारायणसिंह)

है। 24 तारीख को ही यह केबिनेट में चला गया था जिस वक्त कि दुर्भाग्य से हड़ताल शुरू हो गई थी। हड़ताल दूसरे विषयों को लेकर शुरू हुई। आशा है बहुत ही शीघ्र केबिनेट के स्तर से इसको निकलवा सकूंगा और यथायोग्य निर्णय इस विषय में मैं करवा सकूंगा।

इसके अलावा भी इस समय मेरे पास सबोर्डिनेट सर्विसेज का जो मसला है उसे निपटाने का शीघ्रता से प्रयत्न करूंगा। इसके अलावा जो दूसरी बात थी, वह छुट्टियों के बारे में, यूनिफार्म रूल्स की थी। वह भी करीब करीब फाइनेंस डिपार्टमेंट से तैयार हो गई है और जब बन जायगी तो मुझे पूर्ण आशा है कोई प्रकार की शिकायत नहीं रहेगी। आज की बात में भी मैंने उनको आश्वस्त किया है। ये तीनों बातें होने पर मुझे नहीं लगता है कोई और चीज रहेगी। इसलिये इस वक्तव्य के साथ निवेदन करना चाहता हूं मुद्रणालय के कर्मचारियों की हड़ताल बन्द हो गई है।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली एवं श्री जनार्दन सिंह गहलोत के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : पहले मेरी सुन लीजिये। आप (श्री जनार्दन गहलोत) भी तशरीफ रखिये और आप (श्री मोहम्मद गफ्फार अली) भी तशरीफ रखिये।

This is Rules of Procedure & Conduct of Business in Rajasthan Legislaive Assembly. I draw your attention to rule 131.

उसकी तरफ मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

"There shall be no debate on such statement at the time it is made."

इसके बारे में अभी स्टेटमेंट दिया है और पब्लिक इम्पारटेन्स का जो मेटर है वह किसी प्रकार समाप्त हो गया है इसलिये मैं फरदर क्वेश्चन......

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, हम इस रूलिंग को मानने को तैयार है लेकिन लोगों को नाजायज तौर से घर जा जा कर पुलिस ने परेशान किया है। पहले ही सरकार बात कर लेती तो यह घटना क्यों होती। सरकार की देरी से यह यह काम हुआ है। आज भी सरकार ने माना। आज जब नाजायज तौर पर पुलिस ने कर्मचारियों के घर घर जाकर परेशान किया है तब जाकर यह माना है, पहले ही मान लेते। डाइरेक्टर के रूप में ओंकार सिंह बैठा है, माननीय मंत्री महोदय को जो बताता है...

(मा० योगेन्द्र नाथ हाण्डा के बोलने से अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : On a point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप फरमाइये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह जो धारा 131 का वर्णन किया है इसमें है, प्रश्न नहीं पूछे जायं लेकिन क्लेरिफिकेशन पूछे जा सकते हैं और आज तक इस सदन की परम्परा रही है। मंत्री महोदय के स्टेटमेंट के बाद क्लेरिफिकेशन पूछे जा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अव्वल तो हम अच्छा वाकेयात समझते हैं, जो एन्ड हुआ है उसकी प्रसन्नता है। लेकिन हमको सिर्फ यह स्पष्टीकरण चाहिये था कि····

श्री उपाध्यक्ष : आपको प्रसन्नता है···

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इसके साथ ही कुछ स्पष्टीकरण की भी जरूरत है। मेरी बातचीत हुई थी····

श्री उपाध्यक्ष : आपकी मौजूदगी में जो बातचीत हुई वह····

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: वह भी नहीं है। अभी जो बात हुई है उसके बारे में अर्ज करना है। हमें कोई पिछली हिस्टरी को नहीं दोहराना है। मैंने पहले भी स्पष्टीकरण चाह था। वे लोग यह चाहते हैं उन पर सिविला सर्विस रूल्स लागू किये जायं। सन् 57 से पहले के हैं, उन पर लागू हैं। मैंने यह सजेस्ट किया था जो दूसरे रूल्स हैं, उनकी मर्जी के खिला लागू नहीं कर सकते हैं। इसलिये जब तक वे रूल्स नहीं बनें तब तक सिविल सर्विस रूल्स लागू कर दीजिये। उनको ऑप्शन देना होगा कि हम किस रूल्स में गवर्न होना चाहते हैं। वे चाहते हैं आपके गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स जैसा उनको भी समझा जाय। गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि दूसरे रूल्स लागू करे। जो किया है, आपने बहुत अच्छा किया है, जो राणावत कमीशन की रिपोर्ट है, उसके आधार पर रूल्स बनाये जांय। आपने अश्योर किया था, दुर्भाग्य है यह क्यों हुआ। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं सिविल सर्विस रूल्स अप्लाई कर दिये जायं और इस बारे में स्पष्टीकरण कर दिया जाय कि गवर्नमेंट तैयार है या नहीं। वे यह चाहते हैं हम पर यूनिफार्म रूल्स लागू किये जाय और 57 से पहले के लोगों पर जो लागू हैं, उन पर लागू किया जा चुका है, वह दूसरों पर भी लागू किया जा सकता है। इस बारे में स्पष्टीकरण दें, क्या यह सम्भव है। 57 के पहले जो सिविल सर्विस में हैं उनको दूसरे रूल्स से गवर्न कर सकते हैं ? और फिर यही एक चीज रह जाती है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, जो पहले समझौते की बात चल रही थी उसमें आज विशेष परिवर्तन है क्या ? जो पहले मान सकते थे उसमें····

(श्री केदारनाथ के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ !

श्री केदारनाथ : जो सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स लागू हैं, इसके बारे में क्या राज्य सरकार ने एडवोकेट जनरल या लीगल रिमेम्ब्रेन्सर से राय ली है ? दूसरी बात प्रमोशन के बारे में मेन्शन नहीं किया। तीसरी बात मान्यवर, जो फैसला किया है अच्छा है, इसका इम्पलीमेंटेशन हो। नम्बर एक आइन्दा जो ग्रिवेन्सेज हो उनके लिये एक मिली-जुली कमेटी बना दें तो इसके जो नुमायन्दे हों····

श्री नारायणसिंह : इस विषय में भी मने उनको कहा है और मैं सोच रहा हूं। दूसरा जो रूल्स के बारे में फर्माया। मैंने गफ्फार साहब, एम० एल० ए० से भी निवेदन किया था। छुट्टियों के मामले में समान रूल्स लगाने की बात को सोचने के लिये लॉ डिपार्टमेंट को केस भेज रखा है। कई सर्विसेज में विभिन्न प्रकार के रूल्स लगे हुये हैं। इसी प्रकार से सन् 1957 के बाद फैक्टरी एक्ट लागू होने के कारण यह गड़बड़ हुई है और तीन-तीन प्रकार के रूल्स से गवर्न हों-यह बड़ी विडम्बना है, मैं खुद मानता हूं।

Page No. 104

(श्री नारायणसिंह)

तो इस विडम्बना को दूर करने के लिये राज्य सरकार पूर्णतया जागरूक होकर और केवल इन सर्विसेज के लिये ही नहीं बल्कि जितनी भी दूसरी सर्विसेज हैं, जिनके ऊपर इस प्रकार विभिन्न प्रकार के सर्विस रूल्स लगते हैं, उन के लिए यूनिफार्म रूल्स बनाने की चेष्टा कर रही है जो मेरे विचार से करीब करीब आर० एस० आर० की तरह ही होंगे और उसी प्रकार से सर्विसेज गवर्न होंगी। जहां तक पॉवर्स ऑफ वर्क का संबंध है और दूसरे जो मुद्दे रखे गए हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं होगी और मैं आशा करता हूं कि शायद ऐसा कोई निर्णय भी उभर कर नहीं आयेगा जिससे आपको विशेष असंतोष का अवसर मिले।

राज्य की अकाल स्थिति पर अग्रेतर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्षजी, आज अकाल के संबंध में, राजस्थान में जो अकाल है उसके बारे में सदन में विचार का यह दूसरा दिवस है और कई माननीय सदस्यों ने राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आर्कषित किया है। उपाध्यक्षजी, मैं भी राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आर्कषित करना चाहता हूं कि जिला जालौर में करीब 75 प्रतिशत से ज्यादा गांव अकाल-ग्रस्त हैं। यहां पहले इस बारे में सदन में विचार हुआ था और यह जो फेमिन कोड बहुत पुराना बना हुआ है उसका संशोधन करने के लिये कमेटी बनी थी। मेरे खयाल से राज्य सरकार को रिपोर्ट भी प्रेषित हो गई परन्तु इस कमेटी की रिकमण्डेशन के आधार पर इस फेमिन कोड का संशोधन करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया है अभी तक। इस बारे में राज्य सरकार को, जो फेमिन कोड बहुत ही पुराने टाइम से चला आ रहा है और जिसकी वजह से राज्य सरकार को जनता को रिलीफ····

(3.00 म० प०)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

देने में कठिनाई आती है। लोगों को टाइमली रिलीफ नहीं दी जाती है, कागजी कार्यवाही में समय लगता है। ऐसी हालत में फेमिन कोड का कमेटी की रिकमण्डेशन के आधार पर संशोधन करके और उस मुताबिक कि आज की जो आवश्यकता है उन चीजों को देखते हुए जनता को रिलीफ दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्षजी, जालौर जिले में कुछ गांव तो लगातार दो सालों से फेमिन अफेक्टेड हैं। तो मैं राज्य सरकार का ध्यान आपके जरिये इस ओर आर्कषित करना चाहता हूं कि कुछ गांव ऐसे हैं जो लगातार दो सालों से अकाल-ग्रसित हैं, उन गांव में काफी काम नहीं खुले हुए हैं। ऐसे गांवों में अविलम्ब अकाल राहत कार्य खोले जायं और ऐसे लोगों को जिन्हें दूसरी जगह दूर-दूर तक जाना पड़ता है, पांच–पांच, सात–सात मील तक जाना पड़ता है, वहां पर काम भी बहुत कम है····

श्री चतुर्भुज : यहां एक भी मंत्री नहीं है। यहां अकाल पर बहस हो रही है और एक भी मंत्री यहां पर मौजूद नहीं है। मंत्रीजी को यहां रहना चाहिए।

श्री सभापति : ठीक है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति महोदय, इस बारे में आपके जरिये राज्य सरकार का ध्यान आर्कषित करना चाहूंगा कि जिला

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जालौर में अभी तक 42 के पीछे एक श्रमिक लगाया गया था, अभी जो राज्य सरकार की तरफ से नोट दिया गया है उसका अध्ययन करने से यह पता लगता है कि कुछ जिलों में तो श्रमिक ज्यादा हैं परन्तु जालौर जिले की जनसंख्या जो करीब छः सवा छः लाख की जनसंख्या है, वहां अभी तक करीबन 14 हजार के आस-पास लेबर लग पायी है। मैं आपके जरिये राज्य सरकार का इस ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य सरकार की ओर से जहां तक काम का मामला है अक्टूबर-नवम्बर में न तो टेस्ट वर्क हुए हैं और उसके बाद माननीय मंत्रीजी एक दिन वहां पधारे जरूर थे और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच कुछ खींचतान होकर उसके फलस्वरूप कुछ लेबर लगायी गई थी लेकिन काम की संख्या को देखते हुए फिर भी मैं राज्य सरकार का विशेषतौर पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां की मशीनरी जो एक्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, पी० डब्ल्यू० डी. इरिगेशन और वहां के कलेक्टर उनमें आपस में समन्वय नहीं होने के कारण जो कार्य तत्परता से शुरू किए जाने चाहिये वह समय पर नहीं हो रहे हैं। आप ही के आंकड़ों से पता लगेगा कि कब तो टेस्ट वर्क मंजूर हुए और कितने वर्क कितने समय बाद शुरू हुए। जो आपने स्थानीय अधिकारियों के नार्म्स बनाए थे, पांच के ऊपर एक ओवरसियर वगैरह इस बारे में कठिनाई जरूर थी और मजदूर स्टाफ की कमी के कारण वहां पर काम पर नहीं लग सके।

दूसरी डिफिकल्टी मेटिरियल कम्पोनेंट की थी। पी० डब्ल्यू० डी० विभाग को उस बारे में माननीय मंत्री महोदय ने जरूर वह स्वीकार कर दिया और उसके बावजूद जिस ढंग से लेबर लगाये जाने की आवश्यकता थी, वह नहीं लगी। इस बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह आज जो कोऑर्डिनेशन स्थानीय अधिकारियों में होना चाहिए, कौनसा काम किस तरह से लिया जाना चाहिए, वह नहीं है। हम बार बार वहां जाकर पूछते हैं, कोई मिलता नहीं हैं। कलेक्टर कहता है कि हमारी मानते नहीं हैं। जो भी काम-काज पिछली 16-17 तारीख को मंजूर करके भेजे थे राज्य सरकार ने उनको मंजूर भी कर दिया है जो कलेक्टर ने भेजे हैं परन्तु यह जानकर आपको ताज्जुब होगा कि अभी तक काम शुरू नहीं हुए हैं। 16 तारीख की बात है जब कि डिस्ट्रिक्ट फमिन रिलीफ कमेटी ने ये काम मंजूर किए थे लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुए हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि ये काम कब शुरू किए गए और कितनी लेबर लगाई गई मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज काम मंजूर होते हुए भी काम शुरू नहीं किए जावें और लेबर नहीं लगाई जावे तो यह मशीनरी की गफलत है और इस बारे में जो एक्जीक्यूटिव एजेंसी हैं, पी० डब्ल्यू० डी०, इरिगेशन उन सबसे आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि इस बारे में किसकी शिथिलता रही है, किसकी वजह से काम शुरू नहीं हो पाये हैं– इस बारे में जानकारी देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, इस बारे में अभी यूटिलिटी के काम हाथ में लेने की आवश्यकता है। यटिलिटी के कामों में सोइल कंजरवेशन, इरिगेशन और अफोरस्टेशन, तीन विभागों के काम हाथ में लेने की आवश्यकता है। इसी पर साइन्टिफिक स्टडी टीम ने ज्यादा जोर दिया है। हम बार-बार डिस्ट्रिक्ट फेमिन

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

रिलीफ कमेटी में इन एक्जीक्यूटिव एजेंसी में इन वर्क्स की सर्वे कराने की बात कहते हैं लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। सोयल कंजरवेशन का सर्वे होकर काम का तखमीना नहीं होता। इसी तरह से इर्रिगेशन का सर्वे होकर तखमीना नहीं होता और यही बात अफोरस्टेशन के बारे में है। तो ऐसी हालत में डिस्ट्रिक्ट फेमिन रिलीफ कमेटी क्या करे और किस तरह से काम का सुझाव दे। राज्य सरकार भी उनको मंजूर नहीं कर सकती जब तक कि टेक्निकल असेसमेंट सामने नहीं आयें। इसलिये मैं मंत्री महोदय को आगाह करूंगा कि इन तीनों डिपार्टमेंट्स में सर्वे का ज्यादा स्टाफ लगाने की आवश्यकता है। और जहां पर ऐसे वर्क पोसिबल हों लगातार तीन-चार साल से अकाल चला आ रहा है तो इन विभागों ने पहले ही सर्वे करके तखमीने तैयार क्यों नहीं रखे। सोयल कंजरवेशन ऑफिसर भी हैं, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर इर्रिगशन है, इन लोगों को स्कीमें तैयार रखनी चाहिए। इसलिये, सभापति महोदय, टेक्निकल असेसमेंट के बिना वहां पर वर्क शुरू नहीं हो पाते हैं। अगर राज्य सरकार मंजूर भी कर देती है वर्क तब भी टेक्निकल असेसमेंट के बिना काम शुरू नहीं हो पाते और लेबर काम पर नहीं लग पाती है। राज्य सरकार को इस बारे में व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि वर्क डिले नहीं हों। आगे आने वाले महीने भयंकर आ रहे हैं जिसमें लोगों को काम देने की आवश्यकता है और जो आपने नार्म रखा है, पांच पर दो और आठ पर तीन और फेमिली मेम्बर को कार्ड इश्यू कर दिए गए हैं पर आज यह अप्रैल का महीना आया, ऐसी गर्मी के महीने में इस वक्त तक इस आधार पर लेबर लगा नहीं पाये हैं और राज्य सरकार कम से कम जो सर्क्यूलर जारी किए हैं उसके आधार पर लगातार वर्क स्टार्ट करके और जोब असेसमेंट करवा कर काम शुरू करावें ताकि वहां के लोग काम पर लग सकें।

सभापति महोदय, इसके अलावा दूसरा सेंट्रल स्टडी टीम जोर दे रही है रोड़ के काम नहीं लिए जावें। इस बारे में गुजरात और महाराष्ट्र में हम गए हैं और हमने स्टडी की है, हमारी यहां से कमेटी गई थी जिसमें हमने वहां पर जाकर देखा है। हजारों लेबर लगी हुई थी रोड़ साइट पर। यहां तो एक तरफ यह कहा जा रहा है कि यूटिलिटी के काम लिए जावें और वहां पर दूसरी तरह के काम लिए जा रहे हैं। हमने वहां लेबर से पूछा कि ये काम कैसे लिए गए हैं तो उन्होंने कहा कि हमारे यह मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर वहां के हैं और शिन्दे साहब वहां के हैं। वहां पर हजारों की संख्या में लोग रोडस पर काम कर रहे हैं। जब वहां पर ये काम हो सकते हैं तो हमारे यहां पर क्यों नहीं हो सकते हैं। अपने यहां से भी स्टडी टीम जावे और जाकर देखे कि वहां पर रोड्स के काम किस तरह से चल रहे हैं और वहां पर क्या वेस्ट नहीं हो रहा है। हमारे यहां पर डेजर्ट एरिया है यहां और कौनसे वर्क लिए जा सकते हैं सिवाय रोड्स के। यहां पर इर्रिगेशनल, सोयल कंजरवेशन और अफोरस्टेशन के कामों की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां पर चाहे स्टडी टीम को भेजकर दिखावें और चाहे मंत्री महोदय स्वयं जाकर वहां देखें कि कौन से काम वहां पर लिए जा सकते हैं। अगर कोई काम नहीं लिया जा सकता है तो रोड वर्क लेने पड़ेंगे। लोगों को भूख से मरने नहीं दिया जाएगा यह हमारे अकाल सहायता

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

मंत्रीजी ने कहा है। मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि लोगों को भूख से नहीं मरने दिया जाएगा। अगर केन्द्रीय मंत्रीजी यह कह रहे हैं तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि कौनसा वर्क लिया जाय वह सजेस्ट कर दे। सभापतिजी, हमारे अकाल राहत मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा है कि जो नेगलेक्टेड एरिया है जहां दूसरे वर्क नहीं हो सकते हैं वहां पर रोड़ वर्क लेना जरूरी है। पिछले साल जो इनकम्पलीट वर्क रहे हैं, उनको इस साल टेक अप किया जाय। रॉ मेटिरियल कम्पोनेन्ट की बात कही गयी है। यह हो सकता है कि मेटिरियल दूसरी जगह से आता है, परन्तु जो वर्क हो गया है 50 पर्सेंट 45 पर्सेंट, ऐसे जो काम है, उनको स्पेशली एग्जामिन करके टैक्निकल विभाग सजेस्ट करे। कुछ केसेज ऐसे हैं जिनके बारे में सरकार हार्ड और फास्ट रूल बनावें। पांच पर्सेंट ऊपर आता है तो उसको नहीं ले सकते हैं। यह नहीं होना चाहिए। सभापति महोदय, जो रोड्स इनकम्पलीट हैं, उनके लिए स्पेशल केस करके मेटिरियल कम्पोनेन्ट को रिलेक्स करके कम्पलीट कराया जाना चाहिए। जहां पर दूसरे वर्क नहीं है, मेटिरियल कम्पोनेन्ट को नेगलेक्ट करने के लिए, रिलेक्स करने के लिए स्टडी टीम को बुलाया जाय और उन क्षेत्रों की मदद की जाए।

सभापति महोदय, इसके अलावा दूसरा ड्रिन्किग वाटर का सवाल है। आज जालौर में इसका कोई अरेजमेंट नहीं है। इसलिये आपकी मार्फत मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि ड्रिन्किग वाटर के लिये स्टेप्स लिये जांए और जहां इसकी आवश्यकता हो इसका अरेंजमेंट किया जाए।

चीप ग्रन शॉप के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। लेबर केम्प चलते हैं। हमारा यह अनुभव है कि वहां पर एक दो महीने से पहिले पेमेन्ट नहीं करते हैं। माननीय मंत्रीजी के एफर्टस से यह इस बार संभव हो पाया है इसके लिये मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सब कलेक्टर्स को इन्स्ट्रक्शन देकर कि 31 मार्च के पहले पेमेन्ट किया जाए काफी पेमेन्ट कर दिया गया है। मैं भी जाकर आया हूं और बहुत ही ह्यूज स्टेज पर पेमेन्ट हो गया है। राज्य सरकार के एफर्टस से यह सब जिलों में हुआ होगा। जालौर में हो रहा है और इससे लोगों को रिलीफ मिला है। दो तीन महीने से लोग मारे-मारे फिरते थे। दो-तीन महीने से यह पेमेन्ट तो हो गया है किन्तु उनकी कटौतियां बहुत की गई हैं। 600 लेबर को चार आना पेमेन्ट किया गया है। बारह आना कटौतियां की गई है। इसमें ओवरसियर ने जानबूझकर बदमाशी की है। इसलिये इसको दुबारा इजाजत देकर मेजरमेंट करावें ताकि पेमेन्ट पूरा हो सके। मेजरमेंट और टास्क की जो शिड्यूल रेट्स हैं, डी० सी० आर० है वह ज्यादा है। पहले पौने चार रुपया एक आदमी और एक बच्चे के पीछे देते थे उससे उनको सेटिसफेक्शन रहता था। या तो इसमें एडजस्टमेंट ठीक नहीं है, मशीनरी का कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसके बारे में लोगों को नहीं बताते है कि यह कम काम हुआ है और कटौती कर देते हैं। 5/4 दिन में जितना भी काम हो गया वह उसको बताना चाहिए कि इसमें इतना कम है। अगर इसके बारे में स्टाफ की कमी है तो वह लगाया जाना चाहिये वरना झगड़े होने वाले हैं। कटौतियां ऐसी हो रही हैं कि जो पहले मिल रहा था वह नहीं मिल करके उससे कम मिल रहा है। टास्क ज्यादा लगा दिया है

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मशीनरी की गड़बड़ है। इसलिये इसके बारे में मंत्री महोदय को ध्यान देने की आवश्यकता है। कम से कम लोगों को दो, सवा दो रुपया मिल जाए यह व्यवस्था होनी चाहिये वरना महंगाई के कारण लोग गुजर नहीं कर पाएंगे। इसलिये माननीय मंत्री महोदय इसकी ओर विशेष रूप से ध्यान दें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक मिनिट।

सभापतिजी, भीनमाल और सांचोर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सीकर जिले में कुआ बनाने के लिये पांच हजार सब्सिडी और लोन के दिए गए हैं। यह स्कीम बनायी गयी है। इस तरह की स्कीम्स भी भीनमाल और सांचोर के लिये बनायी जानी चाहिये और ऐसे लोगों को लोन और सब्सिडी दी जाए जो पंपिग सेट्स लगावें और कुएं बनावें। ऐसी स्पेशियल स्कीम बनाकर राज्य सरकार लोन सब्सिडी दे तो यह काम हो सकता है। लोगों को बेनीफिट हो सकता है। इसलिये इसको भी एग्जामिन करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, सभापतिजी, जो लास्ट इयर के अनपेड वेजेज हैं, वे भी इसके साथ ही साथ दिलवा दिए जाएं। खास कर डिफिकल्टी स्टाफ और मेजरमेंट की है। इसकी ओर सरकार को ध्यान देना है और जो काम स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, उनकी ओर भी ध्यान दिया जाएं। काम के साथ मशीनरी का कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए वरना लोगों के मरने की स्थिति पैदा हो सकती है।

श्री सभापति : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : सभापति महोदय, आज अकाल की स्थिति पर चर्चा सदन में चल रही है। इस संदर्भ में नागौर जिले के बारे में आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। नागौर जिला सबसे बड़ा जिला है जहां पर कि पशु और मनुष्य दोनों ही बहुतायत में अफेक्टेड हैं। नागौर जिले में जितने व्यक्ति काम पर लग हुए बताये गये हैं उतने व्यक्ति आज के दिन काम पर नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि जो पुरानी सड़कों की मरम्मत का काम हाथ में लिया गया है, उनके लिये एक नपती का मुहर्रम है जो एक लेविल से खुदवाया गया और उस नपती के मुहर्रम को खोद कर साइड में कर दिया गया है। वह बिखर गया है और एक तरह से सड़क पर बिछाने का काम नहीं हो पाया है। इस तरह वहां पर जितनी संख्या में लेबर काम कर रही थी वह घट गयी है और दूसरे काम का इन्तजार कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि मंत्री महोदय का उदार दृष्टिकोण रहा है। जब भी टेलीफोन पर, मिल कर या किसी ने भी हमारे ज़िले में राहत कार्य चलाने के लिये निवेदन किया बड़ी उदारता के साथ उनसे सहायता बराबर मिलती रही है जिसके लिए मैं जिले की ओर से मंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं। साथ ही मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि वहां पर अधिक संख्या में काम करने वाले लोग हैं। वे ऐसा काम चाहते हैं, जो पांच-दस दिन के लिये नहीं हो परन्तु ऐसा काम हो, जब तक यह स्थिति चले, यह स्थिति न सुधर जाए लोग उस काम पर लगे रहे। लोगों को इस तरह का काम मिलना चाहिए। फिर चाहे वह सड़क का काम हो, नालियां खुदवाने का काम हो, चाहे आप और किसी तरह का काम शुरू करें, उनको काम मिलना चाहिए। बिना काम के आज उनकी क्या हालत है। एक तरह से वे आज

(श्री दीपंकर)

अपने घरवार छोड़ने के लिये तैयार हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। सभापति महोदय, जो लोग काम कर रहे थे, वहां पर काम समाप्त हो गया। पी० डब्ल्यू० डी० की तरफ से उनसे कहा गया कि काम समाप्त हो गया है। फिर भी मजदूरों का काफिला वहां से नहीं हटा है। उनको यह दुःख है कि वापिस गांव में जाएंग तो क्या खाएंगे। अच्छा हो कि उन्हें कहीं और काम मिल जाए। वे इधर उधर काम ढूंढते रहते हैं। इस तरह की हालत हो गयी है। इसमें कोई शक नहीं और हमें यह विश्वास करके चलना चाहिये कि अकाल राहत विभाग की मंशा तत्काल राहत पहुंचाने की है परन्तु अकाल राहत महकमा केवल घोषणा करने का ही अधिकारी नहीं है, काम भी उसको करवाना चाहिये। राजस्व विभाग पटवारियों के जरिये नालियां खुदवाये, तहसीलदार उनका पेमेन्ट करें। जहां असेसमेंट का काम हो तो पी० डब्ल्यू० डी० और दूसरे विभागों के जरिये यह कराया जाता है। इस प्रकार विभिन्न विभागों के जरिये अकाल राहत कार्य चलाया जा रहा है परन्तु उनका समन्वय नहीं है। वे एक दूसरे की मदद न करते हुए ईर्ष्या-वृत्ति रखते हैं। अकाल पीड़ित क्षेत्रों के लिये उन्हें मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिये परन्तु ये विभाग मानवीय दृष्टिकोण को नहीं अपना रहे हैं। इसलिये, सभापति महोदय मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर जिले के दौरे पर या दूसरे जिलों के दौरे पर जाने से पूर्व जरा पी० डब्ल्यू० डी० के ऑफिसर को समझावें और इसके लिये पूरा पहले इन्तजाम कर लें। पिछले अकाल के समय जिस तरह से लोग चर्चा करते हैं कि इतने हजार कमाए, इतना कमाया, परन्तु अबकी कमाने का कोई नाम नहीं है। ऐसा सिस्टम लगा दिया है कि लोग यह कहते हैं कि हम सरकार की बदनामी कर देंगे। सरकार को हम काम नहीं करने देंगे। यह तरीके हो गया है। इस तरीके का कोई न कोई इलाज सोचा जाना चाहिये। इसमें कोई शक नहीं है कि टास्क के शिड्यूल से मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। उनके काम को नाप करके आंका जाता है। इससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। साथ ही साथ इस प्रकार की कार्यवाहियों से राज्य सरकार के प्रति उनके मन में घृणा पैदा हो रही है। राज्य सरकार की रीति-नीति के विपरीत काम हो रहा है।

इसलिए यह सरकार की देखरेख में होना बहुत जरूरी है। यह देखरेख नहीं हो तो लोगों को करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद भी यह सरकार की निकम्मी मशीनरी इस लोक प्रिय सरकार को बदनाम कर देगी। उसके लिए हमारे पास कोई वजह नहीं है। जहां कहीं हम जाते हैं तो लोग कहते हैं काम खुलवाओ। काम खुलवाने को हरएक कहता है और जगह जगह की बातें आप को सुनने को मिलती हैं कि नाम लिखे हुए कागज लेकर घूमते रहते हैं और नाज के लिए जाते हैं तो जो एफ० सी० आई० वाले हैं वह भी घुमाते हैं। हमारे अकाल डिपार्टमेंट का ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए कि इन सब को उसकी सहमति से काम करना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अकाल राहत विभाग को दूसरे विभाग से सर्विसेज लोन में जब तक नहीं दी जायेगी और जब तक डाइरेक्ट उनके निर्देशन में चलने की व्यवस्था नहीं होगी तब तक निश्चित मानकर चलें कि अकाल राहत की गड़बड़ियां नहीं मिटेंगी।

(श्री दीपंकर)

दूसरा मैं नागौर जिले के पशुओं के बारे में निवेदन करूंगा कि नागौर जिले के पशुओं को बचाओ। बड़े बड़े मेले पशुओं के नागौर जिले में लगते हैं और वहां के बैल प्रसिद्ध हैं। उनकी आज हालत बहुत खराब है। अभी कुछ पैसा मिला है। मैं समझता हूं कि प्रत्येक तहसीलवाइज 8–10 हजार रुपये गये हैं तहसीलदार के मार्फत। एक एक तहसील में 30–40 आदमियों को 250 रुपये ज्यादे से ज्यादा और उससे कम 150 और उससे कम 100 रुपये पशुओं के संरक्षण के लिए देना चाहते हैं। काश्तकार के घर में 4–5 पशु हैं उनको राजस्थान सरकार की तरफ से जो यह पैसा दिया गया है वह मैं समझता हूं कि मात्रा कम है। गांवों में खेती के अलावा दूसरा कोई काश्तकार का आधार है तो वह पशु–पालन ही है। वहां पर स्थिति यह है कि एक एक काश्तकार के पास 20–25 पशु हैं वहां आप थोड़ा पैसा दें तो कैसे संरक्षण कर सकेगा, वह कैसे बच सकेंगे, यह एक बड़ी भारी समस्या है। इसलिये काफी बड़ीमात्रा में पशुओं की व्यवस्था के लिए रकम होना चाहिए और काफी राहत उनको पहुंचानी चाहिए। गांवों को लोग छोड़ चुके हैं और गांव उजड़ रहे हैं और लोग अपने पशुओं को छोड़ चुके हैं तो शहरों में ऐसे जानवरों की संख्या बहुत है। शहर की गली गली में बिना मालिक के पशु आपको मिलेंगे। गांव ऐसे होंगे कि वहां भी इस तरह के पशु मिलेंगे लेकिन गांव में लोग जानते हैं कि फलां का जानवर है लेकिन फिर भी वह हां नहीं भरते हैं कि किस का है। गांवों में नागौर की नस्ल को कायम रखने के लिए, जानवर जो नागौरी नस्ल को जन्म देने वाले हैं उनका संरक्षण तभी हो सकता है जब गांव गांव में नहीं तो तहसील स्तर पर इस तरह के कैम्प खोले जाने चाहिए और इनके अन्दर इस तरह से जो छोड़े हुए पशु हैं उनको इकट्ठा करके उनको बचाया जाना चाहिए। इस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जो अकाल की स्थिति है वह नागौर जिले की, सभापति महोदय, कोई नई नहीं है। इन पांच सालों में 70–71 का वर्ष अच्छी पैदावार का रहा है उस साल भी नागौर जिले के करीब 600 गांव अकाल में रहे हैं और आज 21250 गांवों में से 1036 गांव इतने पीड़ित हैं कि वहां पर कोई तरह की पैदावार हुई नहीं, न चारा हो सका और न नाज हो सका। इसलिए इस जिले के लिए काफी राशि तहसीलवाइज, पंचायत समितिवाइज रखकर स्थाई अकाल निवारण के लिए योजना बनानी चाहिए। वह बनी पड़ी है। उनकी तरफ तवज्जह दी जाय और आशा है कि उनकी क्रियान्विति के लिए सख्त प्रयत्न करते हुए इस दिशा की तरफ आप चेष्टा करेंगे। गांवों के लिए जो ट्यूबवैल क्लस्टर योजना है वह नागौर जिले में चालू है और मैं समझता हूं कि उसमें 3–5 तहसीलों के लिए 10–12 बेरे स्वीकार किये गये हैं जब कि जिले को 2 करोड़ रुपया मिला है, और साल के अन्त में हम देखते हैं कि पैसा लैप्स हो रहा है। वह सब इलाकों में नहीं है और इस बात की गुंजाइश है कि जहां पर अन्डरग्राउण्ड वाटर बोर्ड की सर्वे रिपोर्ट है और काश्तकार अपने खेतों में बेरे खुदवाना चाहते हैं, एप्लीकेशन्स दी हुई हैं, वह पंचायत समितियों से तहसील में आ गई हैं और जिलाधीश के पास उनकी

(श्री दीपंकर)

इस तरह की एप्लीकेशन्स विचाराधीन है। तो इस तरह जितनी एप्लीकेशन्स विचाराधीन हैं और जिन चार तहसीलों में– मेड़ता, डेगाना, लाडनूं और डीडवाना – जहां कहीं भी सर्वे हो कर पुरानी ऐसी स्कीमें बनी हुई पड़ी हैं जिनमें स्थाई हल सुझाये गये हैं अगर वह पूरी की जा सकती हैं तो मैं समझता हूं कि स्थाई रूप से अकाल निवारण का प्रयत्न होगा (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)।

एक स्कीम और मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि जिन काश्तकारों के पास काफी बड़ी जमीन है उनके लिए तो वर्ल्ड बैंक की यह क्लस्टर ट्यूबवैल स्कीम हैं, परन्तु वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि जो भूमिहीन हैं और जहां पर मीठा पानी हैं और जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको सरकारी ट्यूबवैल से पानी दिया जाय तो वह भी उत्पादन बढा सकते हैं। ऐसी स्कीम आई है तो ऐसी स्कीमों को नागौर जिले में आगे बढाने के लिए जो छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन लोगों में बंटी हुई है और अन्डरग्राउण्ड वाटर बोर्ड की सर्वे की रिपोर्ट है वहां ट्यूबवैल खुदवाये जाकर सिंचाई के साधन दिये जायें तो बहुत अच्छा उत्पादन बढेगा और किसी तरह से वहां के लोगों में खुशहाली आयगी। स्थाई हल के लिए यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय के समक्ष कि सरकार द्वारा ट्यूबवैल खुदवाये जाकर एक एक तहसील में जहां पर मीठा पानी एवेलेबल है वहां पर 60–70 ट्यूबवैल खोदकर एक नहर का रूप देकर नागौर जिले में पानी दिया जाय तो काश्तकार सुलभता से अपने मवेशियों को पाल सकते हैं और अपनी काश्त भी बढ़ा सकते हैं और सब तरह की खुशहाली को बढ़ा सकते हैं। निश्चय रूप से इन ट्यूब वैल्स की एक विस्तृत स्कीम ोबनी हुई है अगर उसको काम में लाया जाय तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा काम होगा। पीने के पानी के लिए काफी व्यवस्था है और अकाल के कैम्पों में पहुंचाया जाता है। तो कैम्पों में रहने वालो को तो पानी पिलाया ही जाता है परन्तु बहुत से एसे गांव हैं जो कि खारी पट्टी में रहते हैं और इन दिनों उनके लिए बड़ी कठिनाई हो जाती है तो इन दिनों में वहां पर टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता है वह व्यवस्था द्रुत गति से नहीं होती है। इसलिए एक गांव के लोग दूसरे गांव में रात–रात भर बैठे रहते हैं एक एक घड़ा पानी लेने के लिए। उस स्थिति में ऐसे कुए जल विभाग के बने हुए हैं जिनकी वित्तीय स्थिति के कारण सहमति नहीं दी गई है। हो सकता है कि अकाल का वक्त है इसलिए मंत्री महोदय इस बात की सम्बन्धित मंत्री महोदय से सहमति ले लें तो कहीं पर 40, कहीं पर 10 और कहीं पर 20 हजार के अन्दर ऐसे गांवों तक पाइप लाइन बिछाकर पानी पहुंचाया जा सकता है। पहले अकाल का वक्त था तो पीने के पानी की स्कीम्स के एस्टीमेंट पूरे हुए थे। यह पहला वक्त है इस विभाग के द्वारा उस तरफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इन्जीनियर महोदय से मालूम हुआ कि पाइप नहीं है। जिस तरह अकाल पड़ता है और सभापति महोदय, अन्न नहीं होता है तो बाहर से मंगाने की चेष्टा करते हैं, चारा नहीं हो तो बाहर से मंगाने की चेष्टा करते हैं तो क्या यह राज्य सरकार भारत सरकार को बाध्य नहीं कर सकती थी कि जहां पर पाइप लाइन बनाने वाली फेक्ट्रीज हैं वे राजस्थान को

(श्री दीपंकर)

प्राथमिकता देकर पाइप लाइन दें और यहां के पीने के पानी की समस्या को हल करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं समाप्त कर रहा हूं

वह इसलिए कि पीने के पानी की समस्या के हल की दिशा में कुछ चेष्टा की जा सकती है। जो कुछ भी इस जिले की हालत है उसके लिए मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय के समक्ष जिला राहत कमेटी ने जिसको कि 25 हजार की सेन्क्शन का आदेश है उसने लाखों की स्कीम मन्जर करके दी है। उम्मीद है कि आप उस पर गौर फर्माएंगे और जल्दी ही उनसे अपनी सहमति जाहिर करेंगे।

नागौर जिले में चार तहसीलें ऐसी हैं जहां लघु सिंचाई की स्कीम्स, कुछ बान्ध बनाने की स्कीमें हैं वह इस तरह से ली जा सकती हैं, परन्तु चार तहसीलें तो ऐसी हैं कि जहां पर बान्ध नहीं बन सकते हैं, तो, सभापति महोदय, ऐसी तहसीलों के लिए जिला राहत कमेटी ने यह तय किया है कि राज्य सरकार के समक्ष और मंत्री महोदय के समक्ष यह रखा जाय कि ऐसी तहसीलों में ग्रेवल रोड्स और खेती की नालियां और अन्य खेती के काम करवाये जायं। जैसे नालियों का काम है वह 5 दिन में खोदी गई उसके बाद बेकार हो गई तो एक साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए ताकि वह कार्यक्रम पूरा कर लें। काम कहां मिलेगा क्योंकि दिन प्रति दिन भयावह स्थिति हो रही है। आशा है कि इस तरह की जितनी भी तहसीलें हैं उनकी हालत को ध्यान में रखते हुए जो अकाल राहत कार्य शुरू किये जा रहे हैं वह आने वाले वक्त की गम्भीरता का अनुभव करके राज्य सरकार की ओर से जल्दी ही शुरू किये जायेंगे।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय ने आज तक नागौर जिले के संबंध में जब भी उनसे कभी मिले हैं या मिलते हैं तो जिस तरह का उदार दृष्टिकोण और सहानुभूति बरती है, मैं समझता हूं कि यह जिला आपको और अधिक उदारता को आमन्त्रित करता है। मैं आभारी होऊंगा यदि आप जल्दी से जल्दी वहां पर राहत कार्य शुरू करवायें।

श्री सभापति : श्री जीथिंग।

श्री जीथिंग (कुशलगढ़): सभापति महोदय, कल से राजस्थान प्रदेश में चल रहे अकाल की स्थिति पर चर्चा हो रही है। कई माननीय सदस्यों ने समूचे प्रदेश की स्थिति पर, अपने अपने क्षेत्रों की गम्भीर स्थितियों पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है मैं अपने क्षेत्र की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विशेष कर माननीय अकाल राहत मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि अभी तक हमारे इलाके में अकाल की गम्भीर स्थिति होते हुये, अकाल की व्यवस्था के लिए, लोगों को राहत देने के लिए, जो सरकार के द्वारा व्यवस्था हुई है, वह बिल्कुल अपर्याप्त है। मैं आप को क्या बताऊं। पिछले समय 29 तारीख को जब मैंने एक प्रश्न पूछा था और उसकी सूची मेरे पास में है जो मुझे मिली। पिछले अकालों में जब हम देखते हैं कि लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया लेकिन नतीजे में आया जीरो। और इस वर्ष के लिए अकाल के लिए राज्य सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने बड़े स्टेप लिये। और यह घोषणा की कि अब हम अकाल के लिए ऐसे काम लें जिससे हमेशा के लिए अकाल को नहीं देखना

(श्री जीथिंग)

पड़े। जो उत्पादन के कार्य हैं। जो ठोस काय हैं, वह लिये जायें। इस आधार पर जिला अकाल राहत कमेटियों का गठन किया।गया जिला अकाल राहत कमेटियों का गठन किया गया है। सभी लोगों से अपने अपने क्षेत्रों से प्रपोजल मांगे गये। अकाल राहत कार्य चलाने के लिए हमने कहा, हमारे क्षेत्र की समानता की दृष्टि से ध्यान रखें ताकि हमारें क्षेत्र के लोगों को राहत कार्य मिल सकें। वह काम पूरे हो सकें और आने वाले समय के लिए हमें अकाल का मुंह न देखना पड़े। इस दृष्टिकोण को रखते हुये मैंने प्रपोजल पेश किये। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज दिनतक हमारे सारे प्रपोजल रद्दी की टोकरी में चले गये। यह कौन करता है ? इस अकाल के टाइम पर राजनैतिक भेदभाव किसके द्वारा होते हैं ? यह भी मैं आप को बता दूंगा। लेकिन इसके पहले मैं माननीय अकाल राहत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बांसवाड़ा जिले का और हमारे क्षत्र का आपने सारा कार्य बांसवाड़ा जिले के माननीय उपनेता हरिदेव जोशी के भरोसे पर ही छोड़ रखा है जो कि वर्षों से हमारे साथ राजनैतिक भेदभाव से काम करते आ रहे हैं। आज भी भेदभाव की दृष्टि से हमारे क्षत्र में काम किया है। वह आंकड़े और प्रमाण आपके सामने हैं। मैं ने जिन छोटे छोट तालाबों का प्रपोजल पेश किया वह नहीं चार कराया गया। वह न चलाकर जैसे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा कुत्तों को डालते हैं, उसी प्रकार से फोरेस्ट के, भू-संरक्षण का, 10-10 हजार का, 20-20 हजार का, हमारा मुंह बन्द करने के लिए इतने लोगों को काम दिया है। इतनी जगह काम चल रहा है यह बताने के लिए मेरे क्षत्र में काम किये हैं।

एक माननीय सदस्य : काम तो खोले हैं।

श्री जीथिंग: वह मैं बता रहा हूं। जो चल रहे हैं, उनमें कितने लेबर को काम दिया जा रहा है, वह सुन लीजिये। पहले जहां बांसवाड़ा जिले के एक लाख मजदूर ने काम किया था, आज की तारीख में बांसवाड़ा जिले के 35 हजार मजदूर काम कर रहे हैं। जहां इतना भयंकर, दुष्काल होते हुये भी, पिछले अकाल से पीड़ित लोगों को इस वर्ष के अकाल में इस प्रकार से परेशान करना चाहते हैं। यह बहुत ही विचारणीय बात है। मैं आप से निवेदन करूंगा कि हमारा संवेधानिक अधिकार है। और, सरकार का फर्ज है कि जनतन्त्र के जमाने में, जनतन्त्र के युग में सरकार का फर्ज है। आपकी घोषणा है कि हम एक भी इन्सान को भूख से मरने नहीं देंगे। लोग भूख से मर गये हैं। चूरू जिले में मरे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने सदन के अन्दर बताया है, सदन के बाहर बताया है। आप कह रहे हैं कि एक भी भूख से नहीं मरा है। मेरे क्षेत्र में एक गांव 'बागोर' है। उसके अन्दर रतना नाम की स्त्री के मरने की बात बताई गई थी सदन में। माननीय अकाल राहत मंत्री ने नाम नोट किया था। वहां जाकर मैंने मालूम किया तो बताया गया कि कोई जांच करने के लिए नहीं आया। जांच के लिए कोई सरकारी ऑफिसर आया हो, एसी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। भूख से नहीं मरने देंगे यह घोषणा नाम के लिए है। ढोंग के

(श्री जौथिंग)

के लिए है। आपकी कोई व्यवस्था नहीं है। आपकी जो व्यवस्था है, वह सिर्फ जो जब चिल्लाये, उसको थोड़ा टुकड़ा दे दें, उससे उसका मुंह बन्द हो जाय और चुप हो जाय। इस तरह की आपकी घोषणा है।

मैं दूसरे यह भी बताऊंगा कि आप एक तरफ यह कहते हैं कि हमारी राजस्थान सरकार पर आर्थिक संकट है जिसकी वजह से अकाल का मुकाबला नहीं कर पाये हैं। यह बात कहना बहुत ही अशोभनीय है क्योंकि यह हवा विदेशों में भी जाती है, विदेशों में भी फैलती है और विदेशों में जाकर हमारी सरकार की आर्थिक कंगाली का पर्दाफाश होता है कि यहां की सरकार का दीवाला निकल गया है, कंगाल बन गई है, भिखमंगी बन गई है। यह मैं बिल्कुल साफ कहूंगा कि आपको अकाल का मुकाबला करना है तो युद्ध स्तर पर अकाल का मुकाबला करें, जो भी अकाल से पीड़ित हैं, जो भी अकाल सहायता के लिए इच्छुक लोग हैं, उनको, एक को भी काम पर से वापिस नहीं लौटाया जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आज दिन तक जो परिचय-पत्र बांटे गये हैं, वह परिचय-पत्र बिलकुल गलत बांटे गये हैं। बहुत से लोगों का उनमें नाम छोड़ दिया गया है। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से अकाल मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि इसकी भी जांच करने के लिए जिला प्रशासन अधिकारी को लिखेंगे ताकि लोगों को इस अकाल के समय वंचित रखा जा रहा है, वह उससे वंचित नहीं रहे।

दूसरी बात मैं आपको यह बताऊं कि अभी तक इधर मजदूरी कहीं छोटी मोटी मिलती है तो पमेंट महीनों तक नहीं होता है और जब पेमेंट मिलता है तो उस टाइम पर अनाज नहीं मिलता है। यह स्थिति आज दिन तक चल रही है। पिछले दो तीन महीनों से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। इस पर आप कंट्रोल करें। इसका कारण है, आपने पन्द्रह दिन का मस्टररोल रखा है, वह बिलकुल गलत है हमारे पड़ौसी प्रदेश मध्य प्रदेश में जो फेमिन के कार्य चल रहे हैं, वहां हो कर हम आते, हम देखते हैं उनमें साप्ताहिक पेमेंट होता है और हमारी सरकार पन्द्रह दिन में पेमेंट करती है। लेकिन निरन्तर पन्द्रह दिन में मिलता हो तो भी ठीक है, लेकिन क्या होता है कि पन्द्रह दिन तक मजदूर काम पर रहेंगे पन्द्रह दिन के बाद मस्टररोल जायेंगे, ओवरसियर के दफ्तर में, उसके पास सौ पचास मस्टररोल इकट्ठे होंगे, तीन चार दिन उनके चैकिंग में लगेंगे। तीन चार दिन के बाद इंजिनियर के पास पहुंचेंगे, जिले के सारे मस्टररोल, उसके पास जायेंगे, सौ दो सौ मस्टररोल जायेंगे, वह उनका दस दिनों तक चैकिंग करता रहेगा। उसके बाद कलेक्टर को भेजेंगे और तब जाकर कलेक्टर चैक काटेगा। तो कम से कम दो महीने डेढ़ महीने उनके चेकिंग में लग जाते हैं। आज दिन तक बताऊं, दो महीने के मस्टररोल उनके पास स्पेअर में पड़े हैं और पांच मस्टररोल का पैमेंट हो रहा है। यह स्थिति बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ में है। यदि आपको जानकारी लेनी हो, अकाल मंत्री महोदय, तो मैं निमंत्रण दूंगा, आप हमारे क्षेत्र का प्रोग्राम बनायें। अकाल की स्थिति में मजदूरों की जो वास्तविक मांग है उनको आपके सामने मैं रखवा सकता हूं। आपको बता सकता हूं। उसमें किसी प्रकार

(श्री जोशिंग)
का डर नहीं रहना चाहिए कि वहां तक नहीं पहुंच पायेंगे, और पहुंचने पर क्या स्थिति होगी। आपको कोई अंगुली नहीं बता सकता है, हमारी जिम्मेदारी है। हम आपका स्वागत करेंगे, आपका आदर करेंगे, और आपके सामने हमारी मांग प्रस्तुत करेंगे।

दूसरी मेरी मांग यह है कि एक तो साप्ताहिक पेमेंट होना बहुत जरूरी है। पन्द्रह दिन का मस्टररोल करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि महीने दो महीने में जाकर पेमेंट होता है।

दूसरी बात यह है आज दिन तक जिन मजदूरों को लगाया गया है, आपकी घोषणा थी, तीन रुपये, ढाई रुपये, दो रुपये के हिसाब से मजदूरी देने की। यह न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से देने की आपने घोषणा कर दी, लेकिन यह घोषणा केवल कागजों में ही रही है। इस क्षेत्र में स्थानीय लोग काम करते हैं, वहां पर आज दिन तक फेमिन में जो लोग लगे हैं, उनको आज दिन तक तीन रुपये, ढाई रुपये, दो रुपये के हिसाब से मजदूरी नहीं मिली है। आपकी घोषणा बिल्कुल गलत है और झूठी है।

दूसरी अनाज वाली बात पर आपसे अर्ज कर रहा था कि महीने भर बाद में पेमेंट होगा तो दो महीने तक अनाज नहीं मिलेगा। हम आपसे यह मांग करेंगे कि आप पेमेंट तो टाइम पर करें और मजदूरी का जो पेमेंट होता है उसी टाइम पर अनाज मजदूरों को उपलब्ध कराये तो लोगों को आसानी होगी और अपनी सहूलियत से अनाज खरीद सकेंगे वरना अनाज की दुकानों पर अनाज नहीं होगा। बाजार भाव आसमान में चढ़े हुए हैं। वहां अभी तक जो मजदूरी मिली है, वह 85 पर्सेन्ट, साठ पर्सेन्ट, पचास पर्सेन्ट मिल रही है, उस हिसाब से मजदूरी लेने जायेंगे क्योंकि एक आदमी का परिचय पत्र है, उस एक आदमी को लगा रहे हैं, वह भी पूरों को नहीं लगा रहे हैं, उनमें से 25 पर्सेन्ट को लगाया जा रहा है और 75 पर्सेन्ट आज भी भटक रहे हैं। एक आदमी जब दो रुपये, चार रुपये लेकर जायगा, पांच रुपये लेकर जायगा। तो उससे पूरे परिवार के पेट को नहीं भर सकता है। इस स्थिति में आपको चाहिए कि अकाल की स्थिति का आपको युद्ध स्तर पर मुकाबला करना है और उचित व्यवस्था करनी है तो अनाज और मजदूरी की व्यवस्था आपको पर्याप्त मात्रा में करनी चाहिए (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा समय और लूंगा। तो मैं यह कह रहा था कि आज दिन तक अनाज उपलब्ध नहीं हुआ। एक बात यह है अनाज के बारे में कि एक्साइज गोदाम बांसवाड़ा में है, आज वहां मौजूद है लेकिन फिर भी उस गोदाम में अनाज नहीं रख कर बांसवाड़ा को कोटा से अनाज डिलीवर होता है। तो यहां से वहां तक पहुंचाने के लिए उनको ट्रक नहीं मिलते हैं, साधन नहीं मिलते हैं। इस कारण महीने पन्द्रह दिन लेट होता है। इस कारण अनाज लेट पहुंचता है, इसलिए आप इस बारे में थोड़ा सोचें। आपका ध्यान इस ओर विशेष दिलाना चाहता हूं अनाज की व्यवस्था के लिए कि एक्साइज गोदाम बांसवाड़ा में बना हुआ है, उस गोदाम में अनाज स्टाक किया जाय।

दूसरी बात मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि आज दिन तक परिचय पत्रों के आधार पर दो या तीन को मजदूरी पर लगाने की बात आपने कही, लेकिन मैं अपने क्षेत्र को

(श्री जीवेंग)

बात बताऊं, आज दिन तक परिचय पत्रों के हिसाब से आप मानेंगे तो भी पच्चीस पर्सेन्ट लोगों को काम पर नहीं लगाया गया है और 75 पर्सेन्ट लोग काम से लौट कर रो कर घर वापिस जाते हैं। एक तरफ परिचय-पत्र बांटे गये, लोगों को आशा बंध गई कि एक परिवार में से तीन आदमियों को काम पर लगाया जायेगा, लेकिन काम पर जाते हैं तो कह देते हैं कि हमारे पास पांच सौ का आर्डर है, पांच सौ से ज्यादा नहीं लगा सकते है। और कहते हैं कि हमारे पास 200 का आँर्डर है उससे ज्यादा नहीं लगायेंगे तो यह स्थिति क्यों ? अब तक सरकार ने कोई निर्णय लिया या नहीं ? मैं एक घटना आपको बताता हूं। मैं यहां से कुशलगढ अपने क्षेत्र में गया। वहां पर पहुंचते ही एसिस्टेंट इंजीनियर मुझसे मिल गया पी० डब्ल्यू० डी० का। उन्होंने कहा आज हमारे पर बहुत बुरी घटना हुई कि लोगों ने काफी झगड़ा किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात हुई, कैसे हुई तब उन्होंने कहा 26 तारीख से हमारे यहां मस्टर रोल्स चलने वाले थे। और लोगों को पता था कि 26 तारीख से लेबर और बढा देंगे। उस आधार पर कम से कम 3-4 हजार मजदूर वहां पर आए। हम इतने आदमियों को नहीं लगा पायेंगे, हमने कह दिया कि सिर्फ 1,100 लगायेंगे। सबको नहीं लगा सकते तब लोगों ने झगड़ा किया और कहने लगे कि हम सब को लगाओ, हम परिचय-पत्र के हिसाब से आए हैं उसी हिसाब से लगाओ। जब हमने कहा नहीं लगा सकते तो लोगों ने झगड़ा किया, तब सारा काम बंद करके अपने इंजीनियर और कलेक्टर को जानकारी दी कि हम मौके पर नहीं जायेंगे, काम बंद कर दो। 3-4 दिन से उस जगह डूंगा से बूंदी रोड पर काम चल रहा था जो बंद हुआ। मैं दूसरे दिन जिला राहत कार्य कमेटी में गया, वहां एसिस्टेंट इंजीनियर की रिपोर्ट आई। हमने जो उसके मुंह से बात सुनी थी वह भी उनके सामने ले जाकर पेश की और कलेक्टर ने उसके लिए उनसे कहा तब इंजीनियर ने अपनी समस्या बताई कि हमारे वहां पर दो सड़कों का काम चल रहा है। कम से कम 1,500 मजदूर काम कर रहे हैं वहां एक भी ओवरसीयर नहीं, सिर्फ एसिस्टेंट इंजीनियर है। 4 दिन में या 8 दिन में एक बार चेकिंग कर लेते हैं, इस तरह राम भरोसे आपकी खेती चल रही है। बिना टेक्नीकल आदमी के काम चल रहा है वह भी अगर चलता है तो ठीक है लेकिन चलते चलते खड्डे में गिर जाता है। ऐसी लंगड़ी लूली व्यवस्था रही तो आप निश्चित रूप से मानकर चलें कि आने वाले समय में न मालूम क्या घटनायें होने वाली हैं और इन घटनाओं से बचने के लिये हमारी सरकार को बिल्कुल सतर्क रहना चाहिये और अकाल की स्थिति पर काबू पाने के लिये चाहे हमें टक्नीकल लोगों की आवश्यकता हो चाहे किसी प्रकार ईमरजेन्सी के हिसाब से स्टॉफ को लगाकर काम को चालू करना चाहिये।

शुरू में मैंने निवेदन किया था कि हमारे क्षेत्र में राजनैतिक भेदभाव के आधार पर काम चलाए जा रहे हैं और जैसे हमने बांसवाड़ा राहत कमेटी में प्रोपोजल पेश किया था उन प्रोपोजल्स में से एक भी आज के दिन तक कोई तालाब या बांध नहीं लिया गया जिनकी सूची मैं आपको पेश करूंगा और उस पर आपके जिले के अधिकारी और आपके स्टॉफ में आपके माध्यम से आप विचार करें और प्रोपोजल्स को स्वीकार करके राहत कार्य को चालू करने में प्राथमिकता दें।

श्री सभापति : श्री रामसिंह।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : बजट के समय जिनको अवसर नहीं मिला, उनको मौका मिलना चाहिये।

श्री सभापति: हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको मौका मिले। बाकी आपको मौका, थोड़ी तसल्ली रखें।

श्री नाथूराम : तसल्ली करते करते कल शाम तक भी बैठे रहे।

श्री देवीलाल : ये तो जोर लगाकर भी समय ले लेंगे, हमको कैसे मौका मिलेगा ?

श्री चतुर्भुज : दो दो तीन तीन मिनट सबको दिए जायं।

श्री सभापति : order please.

श्री गौरीशंकर : मेरा नाम आ गया होगा।

श्री सभापति : नंबर की जानकारी करनी है तो मुख्य सचेतक से आप बात करें।

श्री रामसिंह (सादुलपुर) : सभापति महोदय, सरकार ने 25 साल में भी अकाल का निराकरण तो नहीं किया, मगर एक चीज जरूर कर दी कि अकाल के नाम को बदल दिया और उसकी जगह अभावग्रस्त नाम रख दिया गया। पिछले 10 सालों से राजस्थान में अभाव चल रहा है और इन दस सालों में एक दो साल को छोड़कर कोई ऐसा साल नहीं गया है जिसमें किसान को अच्छी पैदावार मिली हो। इसलिये इन सालों में अभाव ही अभाव रहा है और यह अकाल बहुत ही भयंकर है। यह अकाल भयंकर इस रूप में भी हो गया कि मंहगाई ने और थोड़ा सा सहयोग करके और भी इसको विकराल बना लिया। तीसरा कारण मदद न मिलना है जिसने अकाल में चार चांद लगा दिए और अकाल की हालत और सालों के बजाए बहुत भयंकर है। सरकार ने इसके लिए राहत कार्यों की तरफ ध्यान दिया है और बड़ी कोशिश ऊपर की लेविल पर की जा रही है परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी मशीनरी इस अकाल में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। उसका कारण मेरी समझ में यही आया कि और सालों में तो कुछ पैसा अकाल के नाम बटोरता रहा, अब सरकार ने उस रास्ते को रोकने की काफी कोशिश की है। इस कारण से काम की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसको पूरे ढंग से आगे चलाने के लिए कोशिश करनी चाहिये और मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा मजदूरी देनी चाहिये। मैं तो यही देख रहा हूं कि बार बार इन लोगों के पीछे फिरने से हालात ऐसी क्रीएट की जा रही है मशीनरी की ओर से कि इस टाइम भी ज्यादा नहीं बटोर सकते तो भी बटोरने में उनका ध्यान है, हरकत से अब भी बाज नहीं आते।

उदाहरण के लिये सरकार की तरफ से कलक्टर और तहसीलदारों को आदेश दिए गए हैं कि जो मजदूर एक बार काम पर लग जाए उसको अलग नहीं करना चाहिये, लगातार वह काम करे। मेरे इलाके में एक एक काम शुरू किया। 5 दिन तक चालू रखा और एक हजार मजदूर थे, अकाल राहत मंत्री को नाम लिखा सकता हूं जहां 900 मजदूर थे उन मजदूरों को 10 दिन लगाकर तहसीलदार सो गए उनको यह पता नहीं कि ये मजदूर क्या खायेंगे और क्या पीयेंगे। उसके बाद मैंने साफ साफ बता दिया था कि एक ही जोड़ नहीं है, 10 हैं, उन जोड़ों पर 5-5-दिन तक भी लगायें तो एक महीने तक लग जायेंगे।

(श्री रामसिंह)

मैंने उनसे मोहल्लत मांगी कि मंत्री महोदय से मिलकर सड़क खुलवाने का काम करूंगा, आप कष्ट करें लेकिन उसके बावजूद क्या मिला? 900 मजदूरों को बराबर 20-25 दिन के लिये कोई काम नहीं दिया गया और जो आंकड़े दे रहे हैं उनमें इन 900 मजदूरों को भी शामिल किया गया है, इसलिये आंकड़े ज्यादा हैं। मैं पूरी कान्स्टटीट्यूएनसी में फिरकर आया और कलेक्टर का दौरा था तो मैंने उनसे पूछा कि कितने मजदूर काम पर हैं मेरे इलाके में तो उन्होंने कहा 9 हजार। मैंने उनसे कहा कि मैं सब जगह फिर कर आया 2-4 जोड़ों पर मुश्किल से मिला है उनको तहसीलदार के आकर पूरी तरह से लिया गया तब मुश्किल से 3,000 ही बताए। तो सभापति महोदय, यह जो आंकड़े दिये जाते हैं। वह सभी झूठे हैं आप इनकी तह में जायेंगे तो पता लगेगा कि यह बेकार है। आप इन आंकड़ों पर तसल्ली मत कीजिये। मैं आपको निश्चित तौर से बता सकता हूं कि हमारे उधर थाली गांव हैं और इस तरह से कई ऐसे गांव जिनके बारे में बता दूंगा कि वहां पर लोगों को पूरा काम नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि कौनसे गांव में काम शुरू कराना है और कौनसे गांव में काम शुरू नहीं कराना उसके लिये लोग रिश्वत मांगते हैं। आज यह हरकत इस सरकारी मशीनरी की है। एक तरफ मजदूर भूख से मर रहे हैं दूसरी तरफ पटवारी लोग गड़बड़ियां पैदा कर रहे हैं। अगर आप पटवारी को पर हैड दो रुपये देवें तो वह आपकी पूरी मजदूरी लगा देगा चाहे वह मजदूर काम करे या नहीं करे जहां उनको पैसा नहीं मिलता है वहां पर पटवारी उन लोगों की मजदूरी कम करवा देता है और बता देता है कि टास्क बैसिस के अनुसार उनका काम 50 पर्सेंट कर देता है जिससे उन्हें जो पैसा मिलना चाहिये वह पूरा नहीं मिलता है। और जहां पैसा मिलता है वहां पर उस जगह के लोगों की मजदूरी का सौ पर्सेंट तो क्या सवा सौ पर्सेंट तक कर देते हैं। अच्छा अब दूसरी बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं, वह पी.डब्ल्यू.डी. के बारे में। यह बहुत ही ऊंचा महकमा है। अपने आपको टेक्नीशियन डिपार्टमेंट का कहते हैं, यह तो अपने आपको ऊपर से भेजा हुआ कहते हैं। वह कहते हैं कि उनको ऑर्डर ऊपर से लाकर दो। उनका काम करने का तरीका ही दूसरा और बहुत ही ऊंचा है। आज कलेक्टर कहीं पर काम चलाने के आदेश दे देता है लेकिन पी० डब्ल्यू० डी० के लोग वहां के ऑफिसर, वहां पर केम्प लगाने के आदेशों की पालना नहीं करता है। राज्य सरकार के आदेश मानने को तैयार नहीं है। आज सभापति महोदय, कलेक्टर साहब के आदेश एक परटीक्यूलर जगह पर केम्प खोलने, के हो गये लेकिन डेढ महीना गुजर गया है आज दिन तक इन पी.डब्ल्यू.डी. वालों ने काम नहीं शुरू किया है। यह अपनी मन मरजी चाहे जैसे काम करते हैं। यह तो अच्छा है कि पहले अकाल के वक्त तो इन्होंने खूब रूपया बटोरा था और अब की बार जो राज्य सरकार ने मस्टरोल के पेमेंट पंचायत समिति के मारफत कराये हैं जिससे उन्हें उतनी गड़बड़ करने का मौका नहीं मिलता लेकिन फिर भी पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारी कुछ न कुछ रुपया बटोरने की कोशिश करते ही रहते हैं और यही कारण है कि जहां पर इन्हें पैसा नहीं मिलता है वहां पर यह कोई काम आसानी से नहीं खोलते हैं। सभापति महोदय, आज जहां जहां पर बार बार केम्प खोलने की मांग होती है कलेक्टर उसे सेक्शन करता है लेकिन पी० डब्ल्यू० डी० का कोर्डीनेशन नहीं होने की वजह से वहां पर काम नहीं हो रहा है। सभापति महोदय

(श्री रामसिंह)

अब जोड़ों का काम खतम होने वाला है और बाद फिर वहीं काम सड़कों का शुरू हो जायेगा तो फिर वहीं पी० डब्ल्यू० डी० वालों के हाथों में काम चला जायगा तो फिर मैं समझता हूं कि लोगों को पैसा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि वहां पर कोई सुनने वाला नहीं होता। अच्छा फिर मैं आपको पी० डब्ल्यू० डी० की जो गेंगस काम करती हैं उन्हें पानी पिलाने वाले भी रख जाते है, उनके लिये ऊंट पर पानी ढोकर लाया जाता है उसमें जो गेंग मांग करती है कि अमुक लोगों से पानी जो ऊंट लाते हैं वह सप्लाई किया जाय तो उसके लिये वे पैसा मांगते हैं और वहां पर ऊंट लगाने के लिये उनसे बीस बीस रुपये तक ले लेते हैं और सात दिन चलाने के बाद में अगर कोई और उन्हें तीस रुपया देने वाला आजाय तो उसे बन्द कर के वह दूसरे ऊंट वाले को यह काम दे देते हैं इस प्रकार की अनियमिततायें हैं वहां पर हो रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें [सुधार किया जाय। एक बात और कि जो गेंग बनायी जाती है वह 25 आदमियों की गेंग बना दी है हम चाहते हैं कि दस आदमियों की गेंग होनी चाहिये और जो काम करते हैं लोग उनको अलग अलग हिसाब से काम देख कर बाद में उनकी मजदूरी तय की जानी चाहिये। होता यह है कि जो ओवरशियरों के आदमी होते है उन्हें मुफ्त में पैसा मिलता है वह काम नहीं करते हैं, और निठल्ले बैठे रहते हैं। इसलिये इसमें जो नहीं काम करने वाले होते हैं उन्हें एलीमिनेट किया जाना चाहिये ताकि जो काम करने वाले हैं उन्हें उनकी मजदूरी का पूरा पैसा मिल सके और जनता में आराम पहुंचे। सभापति महोदय, अब गरमी की मौसम आने वाली है बहुत ही भयंकर गरमी पड़ेगी······

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : अब तो गर्मी नहीं सर्दी ज्यादा पड़ेगी। ऐसा नजर आ रहा है।

श्री शंकरलाल : आज तो अभी हाउस में ठन्डक ज्यादा है। सर्दी लग रही है।

श्री रामसिंह : वो तो है। सभापति महोदय, गर्मी में मजदूरों को प्यास ज्यादा लगेगी इधर वो बेचारे चार पांच मील से आते हैं काम करने क्योंकि आपने यह कह दिया है कि हम दस मील के रेडियस में काम नहीं देंगे। तो ऐसी हालत में कैसे काम चलेगा। आपके केम्पों में अच्छी तरह इन्तजाम नहीं रेगिस्तानी इलाका है वहां पर कोई दरखत भी नहीं है और एक दो दरखत हैं भी उसके लिये बैठने के वास्ते लोगों में झगड़ा होगा इसलिये उनके लिये व्यवस्था की जाय। इधर सरकार ने मजदूरों के लिये यह रखा है कि 25 मन पत्थर निकाले तो पूरी मजदूरी मिले अब यह टारगेट भूखे पेट आदमी कैसे पूरा कर सकता है जो व्यक्ति 25 मन पत्थर निकालता है उसे तीन रुपया रोज देते है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें वढोतरी किया जाना चाहिये। उनको तीन रुपये ज्यादा बढ़ा कर 6 या सात रुपये रोज मिलने चाहिये। इसके अलावा जो यह 25 मन पत्थर की जो रेट रखी है वह आज से पन्द्रह या बीस साल पहले की है अब उस रेट को रिवाइज करना बहुत ही आवश्यक है। आज जो केम्पों में काम हो रहा है······

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पत्थर के साथ साथ पसे भी बढने चाहिये।

श्री रामसिंह : बढ़ा है। सामने ही

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सामने ही डाक्टर साहब बैठे इलाज कर देंगे इस बीमारी का ।

श्री रामसिंह : सभापति महोदय, जो टास्क बैसिस पर आपने काम कराने की बात की है उसके हिसाब से पेमेन्ट होने की बात कही वह बहुत ही गलत है । धर गरमी पड़ रही है, लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है । वहां पर लोगों को पीने के पानी की समस्या बनी हुई है उसका इन्तजाम किया जाना चाहिये । और जो इन्तजाम हुआ है वह कम हुआ है ।

एक माननीय सदस्य : कम हुआ है ।

श्री रामसिंह : कम ही हुआ है । इसको इस तरह से किया जाना चाहिये जिस प्रकार की राज्य सरकार ने होली पर सात दिन में पेमेन्ट करवाया था उसी प्रकार आदेश देकर यह काम तुरन्त करवाया जाना चाहिये । वहां के लोग जो पानी के बारे में मांग करते हैं वह उस मांग को तुरन्त पूरी की जानी चाहिये ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अब जल्दी समाप्त करें ।

श्री रामसिंह : कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता था । पर अब थोड़े में जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात होगी उसको ही कहूंगा । और बाद में समाप्त कर देता हूं । सभापति महोदय, आज महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकार के मंत्री श्री शिन्दे साहब ने कहा कि उत्पादक कार्यों पर व्यय किया जाना चाहिये। उन्होंने वहां पर चार रेलवे लाईन का निर्माण कार्य शुरू कराया है । वह ठीक है। तो हमारे राजस्थान सरकार को भी चाहिये कि सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यहां पर भी सादुलपुर से नोहर सागर और पूंगल से सरदार शहर तथा पोकरण और जैसलमेर को रेलवे लाईन से जोडा जाय तो काफी ठीक रहेगा और इसी प्रकार उन इलाकों में सड़क भी बननी चाहिये ताकि लोगों को मजदूरी भी मिले और इस कार्य में आप काफी लोगों को मजदूरी भी दे सकेंगे । तथा इसके साथ में यह एक परमानेन्ट नेचर का काम भी हो जायेगा जो कि सुरक्षा के लिये काफी ठीक होगा । आज राजस्थान के लोग अकाल से झूझ रहे हैं उन्हें काम भी मिल जायेगा । दूसरा यह है कि एक एक किलो जो अनाज दिया जा रहा है, पहली बात तो वह है कि फूड कार्पोरेशन के बारे में बहुत कुछ लोग कह चुके हैं और भी भाई कह देंगे मेरे पीछे । 6-6 दिन वहां रखते हैं, एक एक किलो अनाज देते हैं यह तो उन लोगों के साथ मजाक है । जो गरीब लोग खानों पर काम करते हैं उनको भी अनाज मिलना चाहिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : बाकी के सुझाव मंत्री महोदय को लिख कर भेज दीजिये ।

श्री रामसिंह : फैमीन कोड के बारे में कुछ निवेदन कर दूं । यह राजाओं के टाइम का है । नौकरशाही हावी है बहुत ।

श्री केदारनाथ : रतनगढ़ और सरदार-शहर की बात सुना दो ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कृपया सरदार शहर के बारे में कुछ कहें ।

श्री सभापति : श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल : सभापति महोदय ...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सभापति महोदय, सरदार शहर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : आपको भी टाइम मिलेगा।

श्री देवीलाल (सराड़ा) : मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान उदयपुर जिले के आदिवासी क्षेत्रों की ओर दिलाना चाहता हूं। उदयपुर जिले में काफी भारी मात्रा में पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासी लोग रहते है। एक फसली जिनके पास भूमि है तथा पहाड़ी भूमि है। इस वर्ष वर्षा की कमी की वजह से फसल नहीं होने की वजह से बड़ी भारी मात्रा में अकाल की स्थिति पैदा हुई है जिसमें राज्य सरकार की ओर से काम की व्यवस्था की गयी है लेकिन कई अड़चनें पैदा हो रही हैं। कई जगह मजदूरों को उनके पास परिचय पत्र नहीं होने की वजह से वापिस लौटा दिया जाता है। दूसरी स्थिति औजारों की समस्या सामने आती है। औजार उनके पास नहीं हैं। यदि औजार नहीं लायें तो उनको लौटा दिया जाता है काम पर रखते नहीं हैं। वे लोग मांग कर इधर उधर से औजार लाते हैं तो काम पर रखते नहीं हैं। गये हफ्ते मैं उधर गया था तो मेरे सामने यह स्थिति आयी कि कई जगह लोगों को एक रुपया, कई जगह 80 पैसे और कई जगह 40 पैसे मजदूरी देते हैं। पहले गैंग पर मेट रखा जाता था। उनके वहां नहीं होने से उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है नाप करवाने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं रहा। यह तो ओवरसीयर की गलती है कि वे बराबर नाप नहीं करते हैं। न ही देखते हैं। ऐसी स्थिति में भूखे पेट जो लोग काम करते हैं उनका गला कटता है उनका पेट कटता है। उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार और रिलीफ मंत्रीजी इस मामले को देखें और जहां पर ये लोग भूखे पेट काम करते हैं, उनको मजदूरी पूरी मिलनी चाहिये। राज्य सरकार ने सुविधा दी है और घोषणा की है। जो बेलदार काम करते हैं उसको तीन रुपये के हिसाब से मजदूरी देंगे, 2।। रुपये एक कुली को काम करने के देंगे। लेकिन जो लोग दिन भर काम करते हैं, सारे दिन मजदूरी करते हैं वह लोग एक रुपया या 1।। रुपये का ही तो काम नहीं करता होगा, 80 पैसे और 40 पैसे का ही तो काम नहीं करता होगा? औजार उनको मिलते नहीं। राज्य सरकार की ओर से औजार न देने का प्रावधान नहीं है। बड़ी संख्या में बिना औजारों के लोग मजदूरी पर नहीं लग सकते हैं इसलिये इस समस्या की ओर सरकार को देखना चाहिये और इसको हल करना चाहिये तथा औजार दिलाये जावें।

राज्य सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं कि पंचायत समितियों के अन्दर गये वक्त के रिलीफ कार्य, अधूरे सिंचायी के कार्य पड़े हुए हैं जहां पर वे पांच पच्चीस हजार रुपये से कम्प्लीट हो सकते हैं। सिंचायी विभाग और कलेक्टर को हमने इसकी सूचना फेमीन रिलीफ कमेटी में दी। लेकिन आज तक इस ओर राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। फेमीन कमेटी में

(श्री देवीलाल)

छोटे तालाबों को लेने के लिये रखा लेकिन ऐसे कामों को आज तक हाथ में नहीं लिया। जब कि वहां उन तालाबों पर पचास मजदूरों को लगा कर उन कामों को पूरा कराया जा सकता है। ज्यादा संख्या में कामों की मजदूरी तो दी परन्तु अधूरे काम जो पड़े हुए हैं वे पूरे हो सकते हैं और आदिवासियों के इस पहाड़ी क्षेत्र में अधिक से अधिक फायदा हो सकता है। ऐसे कामों को लेने के लिये हमने प्रयास किया लेकिन उनकी मंजूरी नहीं हुई। ऐसी भी सिंचायी योजनायें हैं जो बड़ी योजनायें हैं, एक लाख दो लाख और तीन लाख की हैं। वहां पहाड़ी क्षेत्र में इनका परसेन्टेज नहीं बैठता है लेकिन ऐसी योजनाओं को भी फेमीन में लिया जाकर उनको पूरा कराया जा सकता है। फेमीन मिनिस्टर साहब को इसकी किसी ने जानकारी नहीं दी होगी। मैं निवेदन करूंगा कि इन सिंचायी योजनाओं को आप अपने हाथ में लेकर इसको फेमीन में पूरा करायें चाहे इनका परसेन्टेज सिंचायी की योजना के सर्वेक्षण के आधार पर बैठे या नहीं बैठे। गरीब आदिवासियों को काम मिलेगा। अन्न भी उत्पादित होगा। इसी प्रकार से एक डाया योजना है। पांच साल पहले इसका सर्वे कराया गया था। मैंने यह निवेदन किया कि इसको इस फेमीन में लिया जाय ताकि इस पर चार पांच हजार मजदूर लगा सकते हैं। लेकिन सरकार ऐसी योजनाओं को नहीं लेती है। सड़कों पर काम दिया जाता है लेकिन वहां अधिक न लगा कर आप इन पर सबको लगायें जिससे अन्न उत्पादन की योजनाओं पर काम हो सकेगा। जहां पर सिंचायी योजनायें नहीं हैं वहां पर सड़कों पर लोगों को काम दें लेकिन जहां सिंचायी योजनायें हैं वहां पर पहले इन पर लोगों को काम दें। पंचायत समितियों के अन्तर्गत और भी सिंचायी योजनाओं के काम हैं वहां काम दे सकते हैं। सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। इसलिये आने वाले महीने दो महीने में लोगों को इन्हीं योजनाओं पर काम दिया जाय।

मेरे क्षेत्र में कई लोग काम पर नहीं लग पाये हैं। जहां उनको काम दूर पड़ते हैं वहां पर वे लोग नहीं जाते हैं ऐसे काम उनको दें जो नजदीक भी हों और उसके लिये हमने प्रपोजल रखे हैं। ऐसे कामों को भी राज्य सरकार ले और काम दिलाये उन लोगों को। यही निवेदन करता हुआ, मैंने मेरे क्षेत्र की समस्याओं को आपके समक्ष रखा है। उदयपुर जिले के और आदिवासी क्षेत्रों की ओर सरकार ध्यान दे। इसलिये लोग भूखे बैठे हैं उनको मजदूरी नहीं मिली तो वे लोग भूखों मर जावेंगे। यही निवेदन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रामचन्द्र रौत (चौरासी) : श्रीमान सभापति महोदय, दो दिनों से अकाल के बारे में बहस चल रही है। मैं भी डूंगरपुर जिले की समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वहां जो राहत काम चल रहे हैं वे वहां की आदिवासियों की जनसंख्या के अनुपात से बहुत कम हैं।

डूंगरपुर जिले में 806 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। 36 गांव ऐसे हैं जो अभावग्रस्त घोषित नहीं किये गये हैं। इन

(श्री रामचन्द्र रौत)
36 गांवों में भी 90 प्रतिशत आदिवासी लोग हैं जिनके पास आज भी खाने को अन्न नहीं है। मैंने स्वयं उन गांवों में जाकर घर-घर देखा है। सरकार जरूर कहती है कि वह किसी को भूख से मरने नहीं देगी। मैं अकाल राहत मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे स्वयं इन गांवों में जाकर देखें कि क्या वहां यही हालत है जैसा कि मैं निवेदन कर रहा हूं।

इस समय जो काम वहां चल रहा है उसमें 39 हजार लोग लगे हैं। पिछले समय डूंगरपुर जिले म चौरासी जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है, वहां डूंगरपुर गामडी सड़क पर काम कर रहे मजदूरों से मैंने पूछा तो पता लगा कि दो-दो दिन से अन्न नहीं खाया है। पेट पर पट्टी बान्ध कर मजदूरी पर आते हैं। इस समय जो मजदूरी उनको दी जा रही है वह भी बहुत कम है। तो मजदूर भी बढ़ाने चाहियें और तुरन्त पेमेन्ट की व्यवस्था भी की जानी चाहिये। फिर एक बात और है कि जिला राहत कमेटी द्वारा जो काम प्रस्तावित किये गये थे और राज्य सरकार द्वारा भी जो स्वीकृत कर लिये गये थे उनमें से अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं किया गया है। जैसे उदाहरण के लिये निवेदन करूं कि गोडल करावड़ा रोड, करावड़ा से पांडली और आथां से सुरातां ये तीन सड़कें स्वीकृत हुई थीं। पी० डब्लू० डी० विभाग के इन्जीनियर से बात की कि इन कामों को जल्दी शुरू किया जाय, नहीं तो भख से लोग मरने लग जावेंगे पर कोई जवाब नहीं मिला। तो सरकार से निवेदन करूंगा कि अकाल के दिनों में इस तरह की लापरवाही घातक है। यह सुस्ती नहीं बरतनी चाहिये। कहीं पर मृत्यु की घटनाएं हो सकती हैं।

डूंगरपुर जिले में अन्न की समस्या है। पिछले समय एक प्रश्न भी मैंने पूछा था। जिलाधीश महोदय ने 8 किलो अन्न देने का उत्तर दिया। वहां अभी तक दो और चार किलो देने की बात हो रही है। जहां मजदूरी करते हैं लोग और सारे दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको इस दो चार किलो अन्न से क्या होगा। अगर पर्याप्त मात्रा में अन्न उनको नहीं देंगे तो भूख से मर जावेंगे। कई परिवारों में पांच से दस तक आदमी हैं। आज उनकी हालत यह है कि थोड़ा सा काम करते हैं और चक्कर खाकर गिर जाते हैं। पूरे अन्न के अभाव में वे निर्बल और कमजोर होते जा रहे हैं।

दूसरी बात अन्न की व्यवस्था के बारे में है। निगम के द्वारा व्यवस्था की जा रही है। उन लोगों का व्यवहार ठीक नहीं है। व्यापारी सप्ताह भर चक्कर काटते रहते हैं। उनको अन्न नहीं दे रहे हैं। शायद ऐसा भी सुना है कि पैसा भी उनसे लिया जा रहा है। रिश्वतखोरी चल रही है। अकाल के समय यह हालत है। केन्द्रीय सरकार के ये आदमी हैं। इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिये। अन्न की व्यवस्था को सुधारा जाये। अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिये। ठीक ढंग से इसको नहीं चलावेंगे तो आपकी अच्छी से अच्छी व्यवस्था भी फेल हो जावेगी ऐसे दुर्व्यवहार करने वाले कर्मचारियों को और रिश्वतखोर कर्मचारियों को शीघ्र हटा देना चाहिये।

Page No. 124

(श्री रामचन्द्र रौत)

डूंगरपुर जिले में पशुधन दिन पर दिन कमजोर होकर मरने जा रहा है। यहां डिपो में जो घास है उसको बंटवाने का आदेश दे देना चाहिये। राहत कमेटी में भी तै हुआ था। पर न डिपो कायम हुआ है अभी और न वितरित किया गया है घास। घास की व्यवस्था की ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये।

जो कार्य नहीं खुले हैं अभी तक और जिनके लिये सेंक्शन हो गई है उनको भी चालू कर देना चाहिये ताकि कोई आदमी भूख से नहीं मरने पावे।

अधिक उपज बढ़ाने हेतु बहुत से तालाबों का सर्वे हुआ पड़ा है। जसे कांकरी सेल का तालाव, भाइयों की नाका, कोडिया गढ़ का बन्ध है। इनको हाथ में लिया जावे तो मजदूरों को मजदूरी भी मिलेगी और अधिक उत्पादन की दृष्टि से भी यह फायदेमन्द होगा। इसके लिये डूंगरपुर से बांसवाड़ा और बांसवाड़ा से रतलाम रेलवे निकालने का काम भी इन दिनों चालू कर दिया जावे तो अधिक मात्रा में मजदूर कार्य में लग सकते हैं। एक तरफ मजदूरी मिलने से लोगों को राहत भी मिल सकेगी और रेलवे के जल्दी बनने से इस पिछड़े इलाके की समृद्धि भी होगी।

जहां काम चल रहे हैं वहां मैंने देखा कि गरमी काफी है। छाया की व्यवस्था नहीं है उनके विश्राम के लिये और पानी की भी ठीक व्यवस्था नहीं है। एक मील से दो मजदूर पानी लाते हैं। यह व्यवस्था ठीक नहीं है। दवाइयों की व्यवस्था भी नहीं है।

यह समस्त व्यवस्था ठीक ढंग से होनी चाहिये। समय पर उनको पूरी मजदूरी और अन्न नहीं दिया गया तो आने वाले महीने भयंकर साबित होंगे। इसलिये थोड़े में निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल के इन दिनों में वहां अधिक से अधिक काम चालू करें। अधिक से अधिक लोगों को काम पर लगाया जाय। 36 गांवों को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। वहां की हालत अच्छी नहीं है। काम वहां भी खोले जायं ताकि उनकी मदद हो सके। उन को मजदूरी पूरी दी जाय। एक तरफ तो काम नहीं मिलता, दूसरी तरफ काम मिलता है तो दूर जाना पड़ता है और फिर उस में से भी सत्तर अस्सी पसे या डेड रुपया तक की कटौती हो जाय तो फिर हालत और बिगड़ जावेगी। अक्सर पी० डब्लू० डी० के ओवरसीयर लोग समय पर जाकर नाप जोख नहीं करते। एक सप्ताह, दो चार दिन देर लगा देते हैं। तब तक वे ठीक नहीं रह पाते हैं न ठीक नाप हो सकती है और इस तरह गरीब लोगों को इस हालत में भी पूरा पैसा नहीं मिलता है। इसलिये मैं अकाल राहत मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि एक बार वे स्वयं वहां का दौरा करें और सारी हालत अपनी आंखों से देखें। दूसरे जो 36 गांव अभावग्रस्त नहीं हैं वहां की हालत भी देखें और उनके खाने और अन्न की व्यवस्था ठीक करें, नहीं तो आने वाले महीने बड़े भयंकर साबित हो सकते हैं।

जो काम स्वीकृत हैं वे तुरन्त शुरू करावें। अधिक से अधिक काम चालू करावें। सड़कों के काम भी करावें। घास जो पड़ा है उसका वितरण भी कराया जावे।

(श्री रामचन्द्र रौत)

इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माननीय सभापति महोदय, अकाल के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र के सुझाव दिये हैं। मैं भी आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं। वैसे हमारी भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को पैसा कम दिया। फिर भी राजस्थान सरकार ने हिम्मत करके काम सब जगह शुरू कर दिये लेकिन गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उनकी सुस्ती से काम कई जगह प्रारम्भ नहीं हुये हैं। सभापति महोदय, हमारी सरकार को चाहिये कि राजस्थान में भयंकर अकाल की स्थिति को देखते हुये भारत सरकार को कड़े शब्दों के साथ निवेदन करके अधिक पैसा लेकर सब जगह काम प्रारम्भ कर देने चाहिये। मैं आपके द्वारा सरकार के निवेदन करता हूं राजस्थान में हर जगह ऐसी स्थिति है—एक तरफ रेगिस्तानी एरिया, उधर दक्षिण और पूर्व में पहाड़ी इलाका है। वहां पर भी भयंकर स्थिति है। जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर में अधिक जंगल थे वह खतम हो गये। बल्कि में सरकार से निवेदन करता हूं, सरकार स्थायी समस्या का हल नहीं करेगी तो उधर भी रेगिस्तान आगे बढ़ेगा।

सभापति महोदय, हमारी राजस्थान सरकार ने एक तरफ वैसे बांसवाड़ा जिले में अकाल राहत कार्य कुछ मंजूर किये हैं लेकिन मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र गढ़ी और बागीपुरा में एक लिफ्ट योजना शुरू की। 1–1½ महीना हो गया, उस पर मजदूर नहीं लगाये गये। जो गुजरात ने केसरपुर योजना स्वीकृत की है लेकिन उस काम को प्रारम्भ नहीं किया है। पी०डब्ल्यू० डी० विभाग वाले, सिंचाई विभाग वाले और भू-संरक्षण वाले कहते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है। मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं हमारी राजस्थान सरकार और भारत सरकार का नारा है, एक भी आदमी भूख से मरने नहीं देंगे। मैं निवेदन करता हूं, एक नहीं मरेगा, हजारों मरेंगे और आपका नारा झूंठा साबित होगा।

आपने एक तरह के परिचय-पत्र निकाले हैं। मैं उदाहरण बताऊं गढ़ी और बागीपुरा तहसील में ये परिचय-पत्र मास्टर लोगों से तैयार करवाये गये हैं। जो पहले की वोटर लिस्ट थी उसमें जो उम्र लिखी है, वही इन परिचय-पत्रों में लिख दी गई है। परसों का किस्सा है गढ़ी तहसील पर डेढ़ हजार मजदूरों को पेमेन्ट करने के लिये बुलाया। उनमें से कम से कम सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनका नाम बच्चों में लिखा हुआ है। क्या आप आदिवासियों के साथ सरासर अन्याय नहीं कर रहे हैं? जिसने गलती की है, तहसीलदार ने गलती की है और तहसीलदार झूठा है तो उसको सजा दी जाय और अगर मैं झूठा हुआ तो हाऊस से स्तीफा दे दूंगा। आप कहते हैं किसी तरफ का पक्षपात नहीं करेंगे। कई आदिवासियों के नाम छोड़ दिये गये हैं। कई आदिवासी मजदूरी पर जाते हैं तो परिचय-पत्रों में उनके नाम नहीं हैं। एक

(श्री नाथूराम)

तरह का तमाशा हो गया है। मैं आपके द्वारा अकाल सहायता मंत्रीजी से स्पेशल निवेदन करता हूं—आप जिलाधीश महोदय को वायरलेस से आदेश दीजिये जिन तहसीलदारों ने परिचय-पत्र बांटे हैं उनका संशोधन किया जाय, नहीं तो लोग भूखे मरेंगे और आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।

आज जो समाजवादी भाई बोल रहे थे वहां आदमी भूख से मरा है, उधर मवेशियों को घास मिल रहा है और मवेशियों को अन्न भी मिला है। गढ़ी और बागीपुरा में गाडोल के कुछ हिस्से के लोग गुजरात में काम करने को गये हैं। कई आदिवासी वापिस लौट रहे हैं। बांसवाड़ा में 6 लाख 54 हजार की जनसंख्या है, आपने 35 हजार को काम दिया है। जिले के सारे लोगों को आप अप्रेल तक काम पर नहीं रख सकते हैं। एक आदिवासी परिवार में 10–12 व्यक्ति रहते हैं, बड़े बच्चों को शुमार किया है। कइयों के नाम परिचय-पत्र में नहीं आये हैं और जो आये उनको मजदूरी पर नहीं लगाया है। मैं निवेदन करता हूं कमिश्नर साहब भी बैठे हैं, गढ़ी के पास गांव में काम एक सप्ताह में खत्म हो गया, आज मजदूर भटक रहे हैं। आप कहते हैं मजदूरी दी है। आज 7 लाख में से 35 हजार को काम दे पाये हैं जिसमें आपकी डी०पी०ए०पी० स्कीम चल रही है। हमारे कुछ रीलीफ काम गढ़ी, बागीडोरा, भूखर और कुशलगढ़ में ज्यादा काम नहीं है। एक तरफ लोगों को मजदूरी नहीं मिले, एक तरफ लोगों को अन्न नहीं मिले, फिर आप कहते हैं भूख से नहीं मरने देंगे, मरेंगे, बिल्कुल मरेंगे। इसमें आपका नारा झूंठा साबित होगा।

तहसीलदार के पास ओवरसियर है या काम करने वाला भू-संरक्षण का कर्मचारी है या सिंचाई विभाग या पी० डब्ल्यू० डी० का है उसको आथोरिटी नहीं दी है। तहसीलदार सब जगह काम करेगा। एक तहसील में लगभग 1–1½ लाख जनसंख्या है, सब जगह तहसीलदार काम करेगा? ओवरसियर का कोई अधिकार नहीं है? इसलिये मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा अकाल राहत मंत्रीजी को निवेदन करता हूं जो जिलाधीश महोदय को आदेश दिये हैं कि यह जो परिचय-पत्र गलत बांटे हैं उसके अन्दर कम उम्र लिखी है उनकी स्वीकृति एक सप्ताह में कर देनी चाहिये, नहीं तो लोग भूख से मरेंगे और जिन लोगों के नाम नहीं आये हैं उनका भी सर्वे हो जाना चाहिये।

मैं मानता हूं, सभापति महोदय, हमारे अकाल राहत मंत्रीजी अच्छे पावरफुल हैं।

श्री खेत सिंह : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा सदन का समय 8–00 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय 8–00 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय 8·00 बजे तक के लिये बढ़ाया जाता है।

Page No. 127

श्री नाथू राम : मैं आपके द्वारा अकाल राहत मंत्री जी से निवेदन करता हूं 26 में से 24 जिलों में जहां अकाल है, वहां अकाल राहत मंत्रीजी का दौरा हो जाना चाहिये ......

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : 8-00 बजे तक क्यों छोड़ दिया ? 12-00 बजे तक चलने दिया जाय।

श्री नाथूराम : इसी तरह वहां अन्न की कमी है। हमारे यहां न मक्का है और न गेहूं पहुंचा है। आज सस्ते अनाज की दुकानें खोल दी हैं लेकिन कई दुकानों पर अनाज नहीं पहुंच रहा है। न मालूम माईलो भी नहीं पहुंच रही है, बीच में माईलों में धतूरे के बीज आ गये थे इसलिये वह भी नहीं पहुंच रही है। न माईलो मिल रही है न किसी प्रकार का अनाज मिल रहा है। इसलिये अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं, आप सस्ती दुकानों पर अनाज पहुंचायें और लोगों को मजदूरी भी दिलायें।

इसी तरह से मैं गढी तहसीलदार का उदाहरण देता हूं। 1 फरवरी से 14 फरवरी तक का मस्टर रोल 15 तारीख को चैक किया और 15 तारीख से 28 तारीख का दूसरा चैक किया और 17 तारीख को डेढ हजार मजदूरों को होली के दिन वहां तहसील हैड क्वार्टर पर बुला कर पेमेंट किया। दो रोज तक लोगों की वहां तबाही हुई। दस दस पन्द्रह 2 मील से लोग पेमेंट लेने के लिए आए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि साइट पर पैसा बाटेंगे। आज भूखे लोगों को पैसा लेने के लिए एक व्यक्ति वहां तहसील हैड-क्वार्टर पर बुला कर हैरान करे, यह कहां तक उचित है। इसी तरह से मैं परसों गढी तहसील में था उसने डेढ हजार मजदूरों को बुला कर मार्च का पेमेंट किया है। एक एक महीने में तो पेमेंट करें और वह भी तहसील हैड क्वार्टर पर बुला कर, यह तमाशा नहीं तो क्या है ? मैं सभापति महोदय, मानता हूं कि पंचायत समिति के द्वारा पेमेंट होता है वह रुपया साइट पर जाकर पेमेंट करते हैं लेकिन पी० डब्ल्यू० डी० और तहसीलदार के द्वारा जो फैमिन का पेमेंट होगा वह तहसील हैड क्वार्टर पर बुला कर किया जाता है और वहां पर लोगों को रात को 12-12 बजे तक पेमेंट होता है। इसके अलावा वहां पर चिल्लर की कमी है। उनको एक साथ दे दिया जाता है कि तुम पांच सात मिल कर बांट लेना। इस तरह से पेमेंट में भी गडबड होती है। इसलिए गवर्नमेंट को जितनी चिल्लर की आवश्यकता हो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जितने अलग 2 नोट चाहिए खुल्ले वे मिलने चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों को मिला कर पैसा दे दिया सरीक में। उसमें जो बदमाश होंगे वे गरीब लोगों को देंगे नहीं। इस तरह से पेमेंट में भी घोटाला हो रहा है।

और मैं आपके द्वारा सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मेट सुपरवाईजर तो बन्द कर दिए लेकिन आज मौके पर मेट सुपरवाईजर काम कर रहे हैं बैलदार के रूप में। एक दिन में पचास मजदूर लगाए तो उनमें से दस आदमी काम नहीं करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं थोड़ा सा टाईम लूंगा सभापति महोदय।

श्री सभापति : अभी भी बहुत सारे माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, आप दो मिनिट में समाप्त करें।

Page No. 128

श्री नाथूराम : सभापति महोदय, बजट के जनरल डिस्कशन पर भी मुझे मौका नहीं मिला था। अब तो टाईम भी बढ़ा दिया है।

श्री सभापति : टाईम बढ़ा दिया है तो और भी बहुत से बोलने वाले हैं। आप दो मिनिट में समाप्त करें।

श्री नाथूराम : आज इस तरह से पचास मजदूर होते हैं तो उनमें से दस मजदूर अफसरों की मेहरबानी से काम नहीं करते हैं। कई इधर उधर भटकते रहते हैं मजे में और मौके पर हाजरी कर लेते हैं। एक मेट रहता है लेकिन उसको नाम वैलदार कर रखा है लेकिन मेट का काम करता है। इस तरह से दस पंद्रह लोग ऐसे हैं जो काम नहीं करते हैं लेकिन उनके काम को दूसरों से करवाया जाता है। इस तरह से वहां सब जगह घोटाले हो रहे हैं। मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मिस्त्री रखिए, कर्मचारी बढ़ाना है अकाल के कामों पर तो उनको बढ़ाइये लेकिन जो व्यक्ति खड्डे खोदते हैं, दो तीन व्यक्ति मिलकर जो खड्डा खोदते हैं, उनकी माप उसी दिन शाम को मौके पर हो जानी चाहिए। अलग अलग हो जानी चाहिए। जो आराम करते हैं और अफसरों की मेहरबानी से काम नहीं करके भी पैसा लेते हैं वे काम करने वालों का पेट काटते हैं और अपना पेट भरते हैं।

इसी तरह से, सभापति महोदय, जो खन्दक खोदते हैं 12 वाई 12 और 2 फुट गहरी, यानि 12 फुट लम्बी और 12 फुट चौडी और 2 फुट गहरी होती है। आज भयंकर दुष्काल है, गर्मी पड़ रही है इसमें तीन व्यक्ति मिल कर इस खन्दन को कैसे खोद सकते हैं। इसमें आपके अफसर ज्यादती भी करते हैं। जब कि दस दस फुट का काम देना चाहिए उसकी जगह 12 फुट का काम देते हैं। जिन पर मेहरबानी है उनका पूरा काम लिख देते हैं। यह सब झूठ साबित हो जाय तो मैं आपको कहता हूं कि आप स्पेशल इन्क्वायरी करायें, दस जगह ऐसी बात बता दूंगा। मैं आज ही जाकर आया हूं। इसलिये सभापति महोदय, मैं अकाल मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि कम से कम एक बार आप दौरा कर लीजिए, मैं विश्वास करता हूं कि वहां लोग धूजने लग जायेंगे और उनको शिक्षा मिलेगी। इतनी मेहरबानी करिये कि वहां का दौरा लगा लीजिए तो आपको भी मालूम हो जाएगा कि वहां क्या घोटाले हो रहे हैं।

इस तरह से, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जिला-राहत कार्य कमेटी को पच्चीस हजार का अधिकार दिया है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप पचास हजार का अधिकार दीजिए। कारण यह है कि पिछले दुष्काल में जो तालाब लिए थे वे अधूरे पड़े हुए हैं। एक तालाब पर बीस हजार रुपया मंजूर कर दिया जयपुर से और वहां पर काम पूरा हुआ नहीं कि कह दिया मजदूरों से कि घर जाओ, अब जिला राहत कमेटी क्या करे। इसलिए जिला राहत कमेटी को आप पचास हजार का अधिकार दीजिए ताकि जो तालाबों के काम अधूरे पड़े हुए हैं उनको पूरा करवाया जा सके।

मैं थोड़ा सा पानी के बारे में भी निवेदन कर देता हूं। हमारे यहां कुछ पिछले अकाल में कुए वगैरह खोदे गए थे और एक ब्लास्टिंग मशीन भी आयी थी।

(श्री नाथूराम)
कलेक्टर ने वह ब्लास्टिंग मशीन वापिस मंगाली और कहीं भेज दिया भीलवाड़ा में या और कहीं। हमारे वहां का पहाड़ी इलाका है, वहां पर कुओं में पानी खत्म हो गया है, लोगों को पानी की बड़ी तकलीफ है और मवेशियों के लिए भी पानी की बड़ी तकलीफ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम दो ब्लास्टिंग मशीन की वहां पर व्यवस्था करावें।

इसी तरह से आप अकाल की स्थायी समस्या को हल करने के लिए मैं आपके द्वारा सरकार से और वित मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि राहत योजनाओं को ज्यादा मंजूर कीजिए। जो योजनाएं मंजूर करें उनमें ज्यादा से ज्यादा पक्का काम होना चाहिए। उसके अन्दर पचास पर्सेन्ट, 60 पर्सेंट भी लगे तो भी वह लगा कर पक्के काम कराने चाहिए ताकि अकाल की समस्या का स्थायी हल हो सके।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो घास की समस्या है और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने निर्णय लिया था कि फॉरेस्ट की जो घास रखी है वह तहसील हैड क्वार्टर पर पहुंचायी जावे ताकि कुछ लोगों को तो घास मिल सके। एक गरीब किसान के दो बैल रहते हैं वे इतने कमजोर हो गए हैं कि मरने लग गए हैं और उनको महुवे की पत्तियां खिलाकर जिन्दा रख रहे हैं। लेकिन आपके महुवे भी अब तो खत्म होने को आ गए हैं और मवेशी कमजोर हो रहे हैं, मवेशी मर रहे हैं, लेकिन दो महीनों पहले डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने निर्णय लिया था लेकिन तहसीलदार ने घास नहीं मंगाई और यही हालत वहां तहसील में गढ़ी और बागीडोरा में हालत हो रही है। तहसीलदार कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो आप रिलीफ मद से, कलेक्टर से कह कर रिलीफ मद से पैसा लेकर घास मंगाने की व्यवस्था करावें और आपको वहां पर घास का वितरण करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कमेटी निर्णय लेती है लेकिन तहसीलदार उसका पालन नहीं करता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मजाक हो गया है। सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा पानी के बारे में और निवेदन कर देता हूं। हमारे यहां पर पहाड़ी इलाका है। अभी यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर साहब नहीं हैं उन्होंने फरमाया था कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में नल योजना के लिए लाखों रुपया दिया है। लेकिन नल योजना बड़े 2 गांवों में, कस्बों में हैं, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में कोई खास पैसा नहीं गया है। तो वहां पर लोगों की मांग है कि जहां तीन चार हजार की जन-संख्या है उन गांवों के लिए भी कम से कम अकाल में पैसा मंजूर करिये, और वहां पर नल-योजना आरम्भ कर देनी चाहिए, और जहां आदिवासी क्षेत्र हैं और जहां अलग अलग आबादी है वहां कम से कम ब्लास्टिंग मशीन भेजकर जिन कुओं में पानी नहीं है वह ब्लास्टिंग करा कर पानी की व्यवस्था करनी चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के काम करने वाले इतने तेज निकले कि उन्होंने रेल्वे लाइन शुरू

(श्री नाथूराम)
कर दी। हमारे राजस्थान सरकार की तरफ से, आज हम वर्षों से यह मांग कर रहे हैं, आजादी के 25 साल के बाद भी बांसवाड़ा के हजारों गरीब लोगों ने रेल नहीं देखी है। मैंने गवर्नर साहब को भी निवेदन किया था और आपके द्वारा, सभापति महोदय, सरकार से भी निवेदन करता हूं कि आप भारत सरकार से स्पेशल मंजूरी मंगा कर रतलाम से बांसवाड़ा और रतलाम से डूंगरपुर रेल का काम शुरू करवा दें जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और वहां यातायात का ऐसा साधन बन जाएगा कि जिससे भविष्य में भी यातायात वगैरह में हर तरह से सुविधा रहेगी।

श्री सभापति : अब माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री नाथूराम : मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूं। सिंचाई विभाग में एक मिस्टर बी० एन० गोपलानी और एक श्री उपाध्याय हैं ए० ई० एन० उनकी आदत क्या है कि वे लोगों को काम पर नहीं लेते हैं और सौ-सौ आदमी वापिस जाते हैं। मैंने चौधरी साहब, सिंचाई मंत्रीजी से भी निवेदन किया था कि इस भयंकर दुष्काल के समय जब मजदूर काम पर आते हैं और उनको काम पर नहीं लगाया जाता है तो कितनी परेशानी होती है ? मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि जो अकाल के काम में गड़बड़ करते हैं, जो गलती करते हैं उनके लिए अकाल समिति को अधिकार देना चाहिए कि उनको फौरन हटा सकें। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज इसको एक मजाक बना दिया गया है। गरीबों को मजदूरी नहीं दी जा रही है। बी. एन. गोपलानी, ए. ई. एन. सब-डिवीजन नम्बर एक और श्री उपाध्याय सब-डिवीजन नम्बर 3, ये दोनों सिंचाई विभाग के हैं। मैंने इनके सम्बन्ध में सिंचाई मंत्री महोदय को निवेदन किया है परन्तु अभी तक इनका ट्रान्सफर नहीं हो पाया है। इनको फौरन हटा दिया जाना चाहिए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) बांसवाड़ा जिले में भयंकर दुष्काल है। ज्यादा से ज्यादा अकाल राहत कार्य मन्जूर करके लोगों को मजदूरी पर लगाना चाहिए। गर्मी के दो महीने बाकी हैं इसलिए सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था, अन्न की व्यवस्था और घास की व्यवस्था सरकार की ओर से समुचित रूप से की जानी चाहिए।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (पाली) : सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर केवल एक जिला भरतपुर को छोड़कर के पूरे 25 जिलों में अकाल की स्थिति है और एक सौ पैंतीस लाख जनसंख्या इससे प्रभावित है। अगर हम यहां की प्रगति रिपोर्ट देखें और श्रमिकों की संख्या को देखें – 24 तारीख तक की जो संख्या दी गई है, उसमें यह बताया गया है कि 7 लाख आदमी काम पर लगे हुए हैं। सभापति महोदय, 1 करोड़ 35 लाख लोगों में से 7 लाख व्यक्तियों को काम मिल पाया है और उसमें से जहां तक पाली जिले का सवाल है, पाली जिले की जनसंख्या 10 लाख के लगभग है और उसके अन्दर 38 हजार लोग काम पर लगे हुए हैं। 7 लाख का

(श्री शंकरलाल)

अनुपात भी लें तो वहां पर कम से कम 70 हजार लोग काम पर लगने चाहिए थे, लेकिन, सभापति महोदय, इस समय जब कि अकाल की स्थिति गंभीरता को पहुंच गयी है तो हमारे सामने केवल घोषणाएं ही रह गई हैं। मजदूरों की संख्या को देखें। कितने मजदूरों को हम मजदूरी दे रहे हैं ? आपको अकाल राहत के कार्य और अधिक खोलने होंगे । आपको और मजदूरों को मजदूरी देना पड़ेगी और उनको अधिक राहत पहुंचानी पड़ेगी अन्यथा जो मौजूदा काय चल रहे हैं वे पर्याप्त नहीं हैं ।

दूसरी बात सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अकाल राहत कार्यों के लिए पैसा चाहिए । हालांकि हमारे माननीय नेता ने कहा है कि भारत सरकार से हमको पैसा मिले या न मिले, लेकिन यह स्थिति रहेगी तो अकाल राहत कार्यों में कमी नहीं आने दी जाएगी । यह बात जरूर है । परन्तु, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने इस मामले में हमारे राज्य के प्रति उपेक्षा बरती है । भारत सरकार की ओर से पहली दफा जो मनचंदा कमेटी आयी और उसने जो रिपोर्ट दी है वह रिपोर्ट वास्तव में पक्षपातपूर्ण थी, अन्याय पूर्ण थी, उससे राजस्थान के साथ न्याय नहीं हो पाया है। इस बात को राजस्थान सरकार ने भी कहा है । यह दुर्भाग्य की बात है कि दुबारा जो स्टडी टीम हमने इन्वाइट की, दूसरा जो केन्द्रीय अध्ययन दल आया उसने भी उसी मनचांदा कमेटी की रिपोर्ट को माना क्योंकि वह प्रेजुडिस था । मुझे समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार ने इस दल को क्यों स्वीकार किया ? इस अध्ययन दल में वही लोग थे जो पहले मनचांदा कमेटी में थे । उसने जो रिपोर्ट पहले दी थी उसके लिए वे कैसे कह सकते थे कि वह गलत है । यह जरूर है उसमें उन्होंने थोड़ासा डिफरेन्स किया है, परन्तु इस दल से भी हमें कोई उम्मीद नहीं थी । दुबारा यह टीम आयी और जिसको आपने स्वीकार किया, वह हमारी गलती थी । सभापति महोदय, यह दल पाली जिले में भी आया था । यह दल गांव बोठू में गया था । वहां उन्होंने किस प्रकार से पता लगाया । घर-घर गये और देखा कहा यह तो गेहूं की रोटी है । यह आटा हो सकता है । यह यह हो सकता है । उनके कहने में मानवीय दृष्टिकोण नहीं था । पास के तालाब में गए कहा इसमें तो पानी है । हमने उनको बताया कि यह पानी तालाब का नहीं है, जवाई से लाया हुआ है । कहने का तात्पर्य यह है कि वे प्रिजूडिस थे । पहले जो रिपोर्ट दी थी उसको जस्टिफाई करना चाहते थे हालांकि उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी है । 5/6 फरवरी को वे आए और आज तक उनकी रिपोर्ट नहीं है । हमें उनकी रिपोर्ट से कोई उम्मीद भी नहीं है । भारत सरकार को राज्य सरकार स्पष्ट कह दे कि मनचंदा कमेटी की रिपोर्ट पर आंख उठाने की भी आवश्यकता नहीं है । यह आशा करना व्यर्थ है कि वह राजस्थान के लिए ठीक रिपोर्ट देगी, निष्पक्ष रिपोर्ट देगी । सभापति महोदय, साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इतना ही नहीं कमेटी ने हमारे साथ पक्षपात किया है । साथ ही हमें भी उम्मीद नहीं है कि भारत सरकार के कोई मंत्री इस प्रकार के वक्तव्य

(श्री शंकरलाल)

दे कि राजस्थान के अन्दर प्रोडक्टिव नेचर के काम नहीं हो रहे हैं। यह बात ठीक है और हम भी यही चाहते हैं कि इरिगेशन के काम हों। परन्तु जब हमें मालूम है कि राजस्थान के अन्दर मोतीराम कमेटी ने इस प्रकार की रिपोर्ट दी है कि लूनी नदी और उसकी जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरी नदियां हैं उन पर एनीकट का काम नहीं ले सकते हैं, इरिगेशन के काम की बहुत कम सम्भावनाएं हो गई हैं। अकाल राहत कमेटी के अन्दर जो कार्य मंजूर किए गए थे उनके लिए भी एक दफा सिंचाई विभाग से यह सूचना आई थी कि ये सारे कार्य बन्द कर दिए जाएं। यह ठीक है। आप जांच करें। लेकिन यह बात स्वीकार करना पड़ेगी कि जहां सिंचाई की सम्भावनाएं कम हो गई हैं तो वहां पर हमें निश्चित रूप से दूसरे काम लेने पड़ेंगे जिससे लोगों को राहत मिल सके। इसलिए यह कहना कि प्रोडक्टिव नेचर के काम न हों तो काम न खोले जाएं, मैं समझता हूं कि यह एक भयंकर भूल होगी। इसलिए राज्य सरकार को यह पक्ष भी भारत सरकार के समक्ष रखना होगा कि सिंचाई के कार्य संभव न हों, मेड़बन्दी के कार्य सम्भव न हों तो दूसरे कार्य, सड़क के काम को लेना पड़ेगा। तो, सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा कि आपकी रिपोर्ट है उसके पेज 8 पर यह कहा गया है कि पर्सेन्टेज कम किया गया है। 30 पर्सेन्ट पी० डब्ल्यू० डी० में और इरिगेशन में कम किया गया है। 20 पर्सेन्ट मेटीरियल कम्पोनेन्ट के लिए। पी० डब्ल्यू० डी० के कार्य जो मेटीरियल कम्पोनेन्ट के बिना नहीं बन सकते हैं, लेकिन आपने पाली जिले के साथ पक्षपात किया है। आप अलग-अलग यह बता रहे हैं पाली जिले में एक तरफ इरिगेशन का काम नहीं होगा दूसरे जिलों में इरिगेशन के काम हो रहे हैं, और पी० डब्ल्यू० डी० के कार्य भी इसलिए प्रारम्भ नहीं होंगे वहां पर मेटीरियल कम्पोनेन्ट के लिए जो छूट दी गई है उस छूट से भी काम होने की सम्भावना नहीं है। आपने जिस प्रकार से 50 प्रतिशत की छूट जोधपुर जिले के लिए दी है, मैं निवेदन करूंगा कि अकाल राहत कार्यों के लिए यह छूट पाली जिले को भी मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पर आपको पाली जिले में श्रमिकों की संख्या को बढ़ाना होगा। राहत कार्यों को खोलना होगा और जो अधूरी सड़कें बनी हैं, जिनके अन्दर लाखों रुपया खर्च हो गया है, वे अधूरी पड़ी हुई हैं। हमें इन सड़कों का काम पूरा कराना चाहते हैं ताकि उनकी उपयोगिता हो सके। इसके लिए आपको 50 प्रतिशत मेटीरियल कम्पोनेन्ट की छूट देने का निर्णय पाली जिले के लिए लेना होगा।

साथ ही सभापति महोदय, यह भी निवेदन करूंगा कि सॉइल कन्जरवेशन के काम के लिए मनचन्दा कमेटी ने भी सिफारिश की है। ऐसे इलाके पाली जिले में हैं जहां कि सॉइल कन्जरवेशन के काम को हाथ में लिया जा सकता है। सॉइल कन्जरवेशन के लिए जो 25 प्रतिशत लोन और 75 प्रतिशत अनुदान की राशी रखी है उसके लिए भी काफी लोग तैयार हो गए हैं। लोग काम करवाना चाहते हैं। लोगों ने मांग की है और काफी काम मन्जूर हुए है लेकिन इस सम्बन्ध में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी पाली जिले के अन्दर जाकर देख लीजिए

(श्री शंकरलाल)

सोइल कन्जर्वेशन के काम आज तक चालू नहीं किए गए हैं। मैं आपको गांवों के नाम बताऊं जहां कि काम चालू नहीं किए गए हैं। इसकी वजह यह बतायी गयी है कि हमारे पास में स्टाफ नहीं है। सभापति महोदय, सॉइल कन्जर्वेशन के काम मंजूर शुदा हैं, गांव वाले तैयार हैं फिर आप वहां पर स्टाफ क्यों नहीं भेजते हैं। स्टाफ को डेपूट किया जाए ताकि पाली जिले के अन्दर सॉइल कन्जर्वेशन के काम की जहां पर सम्भावनाएं हैं, चालू किए जाए, जो काम मंजूर हो गए हैं उनको चालू किया जाए और आगे के लिए मन्जूरी ली जाए।

सभापति महोदय, म इस संबंध में और निवेदन करना चाहूंगा की डी० पी० ए० पी० प्रोग्राम के संबंध में यह कहा गया मंत्रीजी के द्वारा कि भारत सरकार ने अब 4,000 लाख रुपये थे उसके बजाय 2,300 लाख कर दिये हैं। यह सम्भव है कि राजस्थान में भी कुछ कमी हो, लेकिन मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को और भारत सरकार के समक्ष इस पक्ष को रखने के लिए निवेदन करूंगा कि एक तरफ तो हमको भारत सरकार से अध्ययन दल की रिपोर्ट के कारण और दूसरे कारणों से जितना पैसा मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ डी०पी०ए०पी० का पैसा कम हो गया तो राजस्थान के साथ बहुत ज्यादती होगी। जो काम डी०पी०ए० पी० म कर रहे हैं उसमें कमी आयेगी, इसलिए राज्य सरकार को यह पक्ष रखना चाहिए। एक तरफ तो फेमीन में आपको सा नहीं मिला और जो 4,000 लाख के बजाय 2,300 लाख रुपया कायम कर रहे हैं पूरे देश के लिए तो वहां पर कम से कम डी०पी०ए०पी० का पैसा कम नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को पुरजोर शब्दों में कहना पड़ेगा और आपके द्वारा रखना पड़ेगा और यह सदन एक स्वर से इस बात को उठायेगा कि हमारा डी० पी०ए०पी० का पैसा वह किसी कारण से भी कम नहीं हो और दूसरा जो भारत सरकार से पैसा मिल रहा है उसके अन्दर बढ़ोत्तरी हो और वह पैसा हमको मिले।

सभापति महोदय, मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी कार्य चल रहे मजदूरों के और वास्तव में जो मजदूरी मिल रही है उसके अन्दर लोगों के अन्दर सन्तोष नहीं है। तब तो कहते हैं कि राहत कार्य नहीं खुले और जब काम खुल जाते हैं तो भी असन्तोष की बात रहती है क्योंकि मजदूरों को मजदूरी पूरी नहीं मिलती है। मेरे पूर्व वक्ता ने एक बात कही थी उसी प्रकार का उदाहरण पाली जिले का है। एक सिचाई का काम बयाला में चल रहा है वहां पर, अध्यक्ष महोदय, कम से कम 8 आदमी बयाला बांध में ऐसे थे कि जो बिलकुल काम नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको मजदूरी दी जाती थी और उनकी मजदूरी उन लोगों से दी जाती थी जो कि वहां पर काम कर रहे हैं। मैंने इस बात को वहां के एक्स० ई० एन० साहब को कहा। हो सकता है कि उन्होंने एन्क्वायरी की हो, और क्या रिजल्ट आया हो, लेकिन इस प्रकार के उदाहरण हैं। आपने टास्क की बात कही तो टास्क के लिए कि एक जगह पर इस तरह से कहा गया है। पेज 6 पर आपने पी०डब्ल्यू०डी० वर्क्स के अन्दर

(श्री शंकरलाल)

दूसरे एक्सपेन्डीचर को अलग रखा है। छाया और ओजारों को अलग रखा है, ड्रिंकिग वाटर को अलग रखा है। तो मैं समझता हूं आपने केवल पी०डब्ल्यू०डी० के लिए रखा है तो इरिंगेशन के काम के लिए क्यों नहीं। चाहे इरिंगेशन का काम हो या साॅइल कन्जर्वेशन का काम हो वहां पर दूसरे यह जो प्रोवीजन है ड्रिंकिग वाटर, शेड्स और इम्लीमेंट्स का यह प्रोवीजन रखा जाता है और सुपरवाइजरी स्टॉफ जहां कि जरूरत समझते हों वहां उनको उनके लिए अलग से खर्चा देने की व्यवस्था करना चाहिए अन्यथा जो मजदूरी करते हैं उनमें से मजदूरी काटी जाती है तो स्वभाविकतया उनके साथ न्याय नहीं मिल रहा है। वह आवाज उठाते है। उनको सन्तोष नहीं है। मैं समझता हूं यह बात उनकी बिल्कुल ठीक है।

इतना ही नहीं, मेजरमेन्ट का काम चाहे इरिंगेशन का हो, चाहे पी० डब्ल्यू० डी० का हो इस बात की शिकायत रहती है कि मेजरमेन्ट का काम पूरा नहीं हो पाता है। सभापति महोदय, कई जगह 6–6 आने को मजदूरी आती है तो यह बात आपके सोचने की है। अगर इस प्रकार का मेजरमेन्ट अगर करें तो मेजरमेंट भी आपका वह 15 दिन के बाद करते हैं। सभापति महोदय, और वह करते हैं पूरे गेंग का, और गेंग के अन्दर 70-80 आदमी होते हैं। तो कई आदमी जो काम करने वाले हैं उनको भी उतना ही पैसा पड़ जाता है और जो काम नहीं करने वाले हैं उनको भी उतना ही पैसा मिलता है जितना कि काम करने वाले को मिलता है। मैं यह समझता हूं कि मेजरमेन्ट की शिकायत है तो कम से कम मेजरमेंट आप अगर हो सके तो डेली मेजरमेन्ट हो, अगर डेली मेजरमेन्ट नहीं हो तो कम से कम 2–3 दिन में मेजरमेंट हो। कम से कम 6–7 आदमियों का परिवार है तो परिवार के लोग हों तो उसमें से कोई कम काम करे परिवार के दूसरे सदस्य की सहानुभूति हो सकती है कि एक आदमी ने कम काम किया तो दूसरे ने ज्यादा किया, लेकिन बड़े गेंग में जब वह चला गया तो निश्चित् रूप से लोगों की भावना बिल्कुल ठीक है।

(5.24 म० प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आपको मेजरमेंट के कार्य के अन्दर नपती करने के वक्त उन लोगों को सन्तोष दिलाना चाहिये, उन लोगों में विद्रोह नहीं हो तो स्थानीय नेताओं को, वहां के सरपंच को, वहां के लेबर रिप्रेजेन्टेटिव को रखकर उसमें मेजरमेंट करना पड़ेगा जिससे वहां के लोग यह न कहें कि मेजरमेंट ठीक नहीं हुआ। फिर दुबारा कहना चाहता हूं कि अच्छा होगा कि मेजरमेंट करते वक्त वहां के स्थानीय सरपंच, जिसमें पंच भी हो सकता है या लेबर के रिप्रेजेन्टेटिव जो हों उन लोगों को साथ में रखकर मेजरमेंट करें तो उनको इस प्रकार की शिकायत नहीं होगी।

इसलिए यह तो जो है मजदूरी के मेजरमट की बात और दूसरी जो काम नहीं मिलने की बात है यह जो आम शिकायत आपको है उसको दूर करना पड़ेगा।

(श्री शंकरलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा तो मैं अकाल राहत मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने गत पिछले दिनों के अन्दर पेमेन्ट का जो कुछ किया है। पाली जिले में बहुत से लोगों को महीने दो महीने तक मजदूरी नहीं मिल रही थी वहां पर जिलाधीश ने आपके आदेश से तीन तीन पार्टीज लगाकर लोगों को पेमेण्ट किया है। मुझे पता लगा है कि कलेक्टर ने किस प्रकार से पेमेण्ट का काम वहां पर जो है उसमें किया था। मुझे इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक घास डिपो का प्रश्न है जैसा कि पेज 12 पर घास डिपोज के खोलने की बात कही गई है वहां पर हम देखते हैं कि पाली जिले में एक भी जगह घास को स्टोर करने के लिए डिपोज नहीं खोले। पाली जैसे शहर के आसपास लोग रहते हैं और गांव भी उससे लगे हुए हैं और ऐसे लगे हुए हैं कि वह उसके साथ ही मालूम पड़ते हैं और वह लोग पशु पालते हैं लेकिन वहां पर घास नहीं मिलता है। कम से कम पंचायत समिति केन्द्र, सब-डिविजनल हैड क्वार्टर हैं और जहां पर भी ऐसी स्थिति हो वहां पर घास की जरूरत होती है और लोगों को पैसे से घास मिले तो घास के लिए डिपोज खोलने की जरूरत है।

साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से पाली के लिए कहना चाहता हूं कि पाली की राजस्थान में एक विशेष परिस्थिति है। 60 हजार की जनसंख्या वाला पाली शहर है और आसपास के अन्दर 1-1, 2-2 मील के अन्दर बहुत से गांव हैं और वह गांव ऐसे हैं कि पता नहीं चलता है कि गांव हैं और शहर के अन्दर भी काफी ग्रामीण जनता पाली में रहती है। मैं जानता हूं कि कुछ इस प्रकार का राज्य सरकार का मंत्री-मण्डल निर्णय लेने वाला है कि 50 हजार की जनसंख्या के जितने शहर हैं वहां अकाल राहत कार्य खोले जा सकते हैं। पाली के अन्दर जिस प्रकार का तालाब है उसका पाली शहर के लोग और काफी ग्रामीण आते जाते उसका उपयोग करते हैं। वहां पर ग्रामीण जनता रहती है तो इस प्रकार का यहां पर बड़ा कार्य लिया जाय तो वह कार्य उपयोगी हो, और इसके बारे के अन्दर (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी) राज्य सरकार को शीघ्र ही निर्णय लेना चाहिए। म्युनिसिपल एरिया है, लेकिन अकाल राहत कार्य खोलने से अगर कुछ फायदा हो सकता है तो वहां पर अकाल राहत कार्य खोले जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा और वह यह है कि कुछेक जो यह वसूली के कार्य हैं तो वसूली दूसरी तो बन्द की हुई है लेकिन ट्रेक्टर और पम्पिंग सेट की जो वसूली है वह अभी तक चालू है। यह बात ठीक है कि जिन कारणों से यह हो रही है वह अकाल राहत मंत्रीजी कहेंगे, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक कोआपरेटिव की वसूली का मामला है वह तो समझ में आता है। उसके लिए रिजर्व बैंक से कह सकते हैं। जब दूसरी वसूली नहीं दे सकते तो ट्रेक्टर और

(श्री शंकरलाल)

पम्पिंग सेट का पैसा कैसे दे सकते हैं ? इस प्रकार की गम्भीर समस्या है तो मैं समझता हूं कि किसानों से हर प्रकार की वसूली बन्द हो जब तक कि उनकी आर्थिक स्थिति न सुधरे। वह वसूली पोस्टपोन होना चाहिए और लोगों को राहत दी जानी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि अच्छी तरह से राज्य सरकार राजस्थान का पक्ष भारत सरकार के समक्ष जो है पूरी तरह से अभी तक मैं समझता हूं या तो नहीं रख पाई है या रख पाये हैं तो उनको कन्वीन्स नहीं कर पाये हैं। दूसरी यह बात है कि समाचार-पत्रों ने यहां पर प्रकाशन किया है, लेकिन हमारा जन सम्पर्क कार्यालय है तो राजस्थान के जन सम्पर्क कार्यालय द्वारा कोई इस प्रकार का प्रकाशन नहीं मिला जिससे वह दूसरी जनता को और भारत सरकार को कन्वीन्स करा सके कि हमारे यहां पर क्या स्थिति है। हमारा जन-सम्पर्क कार्यालय इस बारे के अन्दर वास्तव में सावधान नहीं रहा है। इस बात की खुशी है कि यहां के जो मेम्बर हैं पार्लियामेन्ट के उनको ब्रीफ करने के लिए फेमिन रिलीफ मिनिस्टर ने प्रयत्न किया है और पार्लियामेन्ट के मेम्बर आवाज उठाने लगे हैं और इसकी आवाज उठने लगी है, लेकिन सब मेम्बर्स मिलकर और यह सदन मिलकर और पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट मिलकर भारत सरकार के समक्ष इस प्रकार का जोरदार पक्ष रखना चाहिए (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) जिससे कि हम उनको कन्वीन्स करा सकें कि वह जितनी मदद दे रहे हैं वह नाकाफी है और इससे ज्यादा मदद लेना चाहिए ।

केवल उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आसन की ओर से एक अपील निकली है, अध्यक्ष महोदय की ओर से, कि प्रत्येक सदस्य को अपना एक दिन का वेतन अकाल राहत कार्य में देना चाहिए । मैं यह समझता हूं कि यह तो सराहनीय है। वेतन 500 रुपया मिलता है। हमें जो डी० ए० मिलता है वह 31 रुपये मिलता है एक दिन का। तो एक दिन का वेतन और एक दिन का भत्ता वह अकाल राहत कार्य के लिए प्रत्येक माननीय सदस्य को देना चाहिए। इस प्रकार की अपील है। मैं तो कम से कम एक दिन का भत्ता और एक दिन का वेतन दूंगा ही ।

साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, हमारे राजस्थान के जो प्रवासी लोग राजस्थान से बाहर रहते हैं, जो कि अकाल के लिए कुछ करना चाहते हैं। जो राजस्थानी हैं, जिनके पास पैसा है, जैसे पाली के बांगड़जी हैं। इस तरह से इन लोगों की भी ड्यूटी है कि वह अकाल के लिए पैसा खर्च करें वह चाहते हैं कि राज्य सरकार मनुहार करे। मैं भी इस सदन के माध्यम से इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपका कर्तव्य है। जैसा कि राजस्थान सरकार कर रही है तो उनको दिल खोलकर राजस्थान के अकाल की भयंकर परिस्थिति में राजस्थान की मदद करना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रणजीतसिंह ।

श्री रणजीत सिंह (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के बारे में चर्चा चल रही है। काफी माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है।

(श्री रणजीत सिंह)

अकाल राजस्थान में छाया हुआ है। गत वर्ष 11 जिलों में अकाल था। इस वर्ष 26 जिलों में से 25 में अकाल है। 1 करोड़ 35 लाख जनसंख्या प्रभावित है। राज्य सरकार ने अकाल राहत कार्य खोले हैं ताकि उन लोगों का निर्वाह हो सके क्योंकि अकाल एक समस्या लेकर नहीं आता है, कई समस्याएं लेकर आता है। धान की समस्या है, मवेशी की समस्या है पीने के पानी की समस्या है। अकाल होते ही ये समस्याएं हो जाती हैं। अकाल की समस्या होती है तो राज्य सरकार पूर्णतया सक्षम नहीं है कि वह अकेले अकाल की समस्या का समाधान कर सके बहुत कठिनता होती है। क्योंकि ऐसा अपना प्रान्त नहीं है। क्योंकि यह देखते आये हैं कि राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार के सामने झुकना पड़ता है। उसका कारण यह है कि धन केन्द्र में एक जगह ही सीमित है। यह आवश्यक हो जाता है कि अकाल के समय में कृषकों का जो पशुपालन का धन्धा है, उनके पशु बचा सकें। प्रान्त में यह देखते आये हैं कि राजस्थान में पिछले 10 साल से लगातार अकाल पड़ते आये हैं। जैसलमेर का ऐसा जिला है, जहां 13 साल से अकाल है वहां जन्मे बच्चे जो 13–13 साल के हो गये हैं। उन्होंने पुस्तकों में ही वर्षा का वर्णन पढ़ा है। देखा नहीं है। 10-10 साल हो गये हैं। पानी की किल्लत होती है। राजस्थान सरकार हमेशा इन्सानों को बचाने की घोषणा करती है। हम एक भी आदमी को मरने नहीं देंगे। हमेशा ही राजस्थान में अकाल रहा है। लेकिन इस बार कई जगह अकाल है। इसलिए पानी की भी समस्या हो गई है। राज्य सरकार ने अकाल कार्य खोले हैं। पिछले साल में अकाल कार्यों में अनियमितताएं हुई हैं। यह बाद में पता चला है। क्योंकि कई श्रमिक कुछ करते हैं तो बाद में पता चलता है। राज्य सरकार या दूसरे ढंग शामिल होकर कुछ होता है तो वह भी बाद में पता चलता है। उसका परिणाम राजस्थान के 25-26 जिलों में हुआ है। जहां एक रुपया सवा रुपया मजदूरों को मिला और उससे दुगना खर्चा हो गया है। कान्ट्रेक्टरों को कान्ट्रैक्ट मिला तो उन्होंने पी० डब्ल्यू० डी० के साथ मिलकर किया है। केन्द्र ने भी माना है कि यह गलत है। यह सही है कि गांव के आदमियों ने सोचा कि पैसा हमारी जेब से नहीं जा रहा है। कान्ट्रेक्टर का ध्यान रखा नहीं। कान्ट्रेक्टर डिपार्टमेन्ट से सम्बन्ध रखते हैं। उनका डिपार्टमेन्ट से कुछ पर्सेन्ट में अमाउन्ट फिक्स होता है। कोई जन-प्रतिनिधि कितनी ही कोशिश करे, कान्ट्रेक्टर और डिपार्टमेण्ट के बीच में जो फिक्स बंधा हुआ है, उसके कारण राजस्थान का काफी नुकसान हुआ है। राजस्थान को कर्जे का रुपया भुगतना पड़ेगा। जब मौका आया तो राजस्थान सरकार ने सख्ती से मुकाबला करने की कोशिश की है। उस वक्त शिकायत जितनी थी, अब नहीं है। उसका परिणाम यह है कि काम तेजी से चल रहे हैं। एक महीने बाद किसी भी महीने में यह नहीं हो सकेगा कि अब क्या काम लावें? क्योंकि केन्द्रीय सरकार का यह निर्णय था कि जितने भी कार्य लिये जावें, वह प्रोडेक्टिव होवें। राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, वहां पर क्या काम लिये जायें? बांध बन नहीं सकते हैं। सोइल कंजर्वेशन का काम नहीं, बांधों का काम नहीं। प्लानिंग कमीशन

(श्री रणजीत सिंह)

के मेम्बर रामचन्द्रन आये। वह यह स्टडी के लिए आये थे कि प्लानिंग के तरीके क्या यहां पर काम कर सकते हैं? मैंने उनको कहा कि आप डेजर्ट का प्लानिंग चाहते हैं या कागज चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि कागज के बजाय वास्तविकता चाहते हैं तो मैं उनको ले गया, एक ऐसी जगह ले गया, जहां इन्सान 500 फीट गहरे कुए में, जिसमें पानी नहीं था, उस कुए के अन्दर आदमी बैठा हुआ था। जैसे जैसे कुए में पानी आता है, वैसे वैसे वह नापकर पानी ऊपर भेजता है। जब रामचन्द्रन जी ने यह हाल देखा तो कहा कि यहां सारे प्लान फेल हो जाते हैं। मनचन्दा कमेटी की मारफत हम यह कहें कि यहां कोई काम लगाया नहीं जा सकता है तो मैं यह कहूंगा कि यह भौगोलिक स्थिति से बंटा हुआ प्रदेश है। यहां की स्थिति को देखकर ही यहां पर कार्य खोल सकते हैं दूसरा जरिया नहीं है। जोधपुर बाड़मेर जिले में जो 12 रुपये दिये थे। उसमें यह कहते थे 6 रुपये वसूल हो जायेंगे और 6 रुपये माफ हो जायेंगे। अनुदान के रूप में थे। लेकिन वसूली में वह वसूल नहीं हो सके। राजस्थान गवर्नमेन्ट यह समझती थी कि सेण्ट्रल गवर्नमेन्ट देगी। लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने मना कर दिया। जो कुछ आपको पैसा दिया है, वह सारे का सारा कर्ज है। इतना बड़ा भार राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के अन्दर रहने वालों के ऊपर है जिनकी आमदनी बिल्कुल नहीं है और वह उस कर्ज को चुकाने में असमर्थ हैं। इस वक्त कोई दूसरी योजना नहीं है और वहां योजना लागू भी की जायगी तो क्या होगा? कुछ होने का नहीं है। एक तरफ भाव आसमान में चढ़ गये हैं, दूसरी तरफ इसमें यह भी कहा गया है, जो राजस्थान सरकार ने रिपोर्ट दी है, उसमें कहा है कि मजदूरी बढा दी है, तीन रुपये, ढाई रुपये और दो रुपये कर दी है। मजदूरी देखें और उसके घर की हालत को देखें, उसके घर में अनाज कितना आता है। खास तौर से आदमी मजदूरी इसलिए करता है वह अपने परिवार का पेट भरना चाहता है। अगर अनाज नहीं पहुंचता है तो आप मजदूरी कुछ भी दे दीजिये, उससे उसे राहत नहीं मिलेगी। छप्पनिया अकाल पड़ा था, उस वक्त कहावत थी, आदमी पैसा होते हुए भी बिना अनाज के भूखा मरे। घर में पैसा था लेकिन फिर भी भूखा मरना पड़ा क्योंकि घर में अनाज नहीं था। वह युग दूसरा था, अब आज वैज्ञानिक युग है। इस युग में यह स्थिति नहीं है कि अनाज नहीं मिले। अनाज यहां नहीं है तो अनाज अमेरिका से आना शुरू हो जायगा। उस समय की हालत से आज के समय की हालत की तुलना करते हैं तो जो मजदूर होते हैं उन मजदूरों की तीन रुपये मजदूरी है लेकिन जो टास्क लगाया है, वह बहुत ज्यादा है। टास्क पर जितने श्रमिकों को लगाना चाहिए, वह नहीं लगाया है। 1 करोड़ 35 लाख में से केवल 7 लाख को आप रोजगार दे सके हैं, यह छ: पर्सेन्ट होता है। आप छ: पर्सेन्ट को मजदूरी दे सके हैं, जब कि आपने नाम तय किया है, पांच में से दो आदमियों को लिया जायगा और आठ में से तीन आदमियों को लिया जायगा। इस हिसाब से कितने हो गये? 1 करोड़ 35 लाख में से कम से कम 40 लाख आदमी लगे तब नार्म पूरा होता है

(श्री रणजीत सिंह)

मजदूरी करने कोई स्वाभिमानी आदमी नहीं आता है, तगारी और फावड़ा लेकर मजदूरी करने नहीं जाता है। लेकिन जब आदमी दुःखी होता है, भूखा होता है तो अपने स्वाभिमान को घर पर रख कर मजदूरी करने आता है। वहां भी आराम से नहीं बठने देते हैं। अगर राज्य कर्मचारी उनको गलत अल्फाज कहें तो भी उन्ह सहन करना पड़ता है। वह अपने बच्चों को खिलाये इसलिए मजदूरी करता है। फिर भी श्रमिकों को पूरा नहीं लगाते हैं, पूरे श्रमिक लग पाये हैं वह कुछ जिलों में लगे हैं। अधिकांश जिलों में मजदूरी पूरी नहीं मिल रही है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि चार आना, छः आना मजदूरी मिली है। मेरा निवेदन है कि मजदूरी चार आना, : आना भी नहीं मिली है। जोधपुर जिले में एक जगह मजदूरी 18 पैसे मिली है। 18 पैसे का मतलब है तीन आने। तीन आने के लिए श्रमिक चार मील से चल कर आता था और शाम को साढे छः बजे फिर वापस घर जाता था। उसको यह पता तब लगा जब डेढ़ महीने के बाद मजदूरी के चुकारे का समय आया। श्रमिक ने उसको नहीं लिया ....

एक माननीय सदस्य : पिछली बार की आदत थी।

श्री रणजीत सिंह : पिछली बार की आदत नहीं। सबसे मेहनती लेबर है, वह शिडयूल्ड कास्ट्स की लेबर है, वह प्रोफेशनल लेबर है। उसको 18 पैसे मिले तो ताज्जुब होता है। इस मामले में इन्क्वायरी करायें, लेकिन वह खाये क्या, उसने कहा कि दो रुपये मिल जायेंगे तो बच्चों को वह कुछ खिला सकेगा। गत फेमीन में पच्चीसवें में छब्बीसवें देखा, जिस जगह राज्य कर्मचारियों को पकड़ा, इंजीनियर को पकड़ा तो वह कम से कम 80 गेंग का पैसा एक इंजीनियर फर्जी अगूंठा लगा कर खागया। ऐसे मामले को पकड़ कर पेश किया, उस पर मुकदमा चलाया, लेकिन उससे मजदूरों को क्या लाभ मिला? आठ हजार मजदूरों का पैसा आज दिन तक नहीं मिल सका है। अगर शिकायत करे तो भी पैसा नहीं मिले। इसलिए श्रमिक 18 पैसे में भी मजदूरी करते हैं। इसके आलावा डेजर्ट में पड़े हुए हैं, उनको आने जाने के साधन नहीं मिलते हैं। अगर शिकायत करने आयें तो भी पांच छः रुपये चाहिए। हमें पता लगा। हमने इन्क्वायरी कराई, एस० ई० को ले गये, सबको ले गये और कहा कि 18 पैसे कैसे मिले तो वहां के मेट को पता लगा, उसने सोचा, साबित होगया तो नौकरी जायेगी इसलिए उसने नाप को ट्रांसफर कर दिया। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार का दृष्टीकोण तो ठीक है, लेकिन जितने श्रमिक लगाये हैं उनसे ज्यादा लगाना चाहिये।

इसके आलावा मैं यह निवेदन करूं कि जो पैसे का भुगतान हुआ है, उसमें बहुत से लोग मौके पर नहीं मिल सके, क्योंकि उस रोज हाजिर नहीं थे इसलिए अनपेड पेमेन्ट में चला गया। अनपेड पेमेन्ट संवत् 1970 का बकाया है पच्चीसवें का बकाया पड़ा है, छब्बीसवें का बकाया पड़ा है। यह दिक्कत तब आती है जब जन-प्रतिनिधि गांवों में जाते हैं तब उनके सामने यह मसले आते हैं। जब तक मसले ऐसे चलते

(श्री रणजीत सिंह)

रहेंगे तब तक राज्य कर्मचारी ऐसे ही पल्ले रहेंगे। वह छः महीने कहीं रहें, साल भर कहीं रहें—उनको दिक्कत नहीं आयेगी। इसलिए मेरा निवेदन करना था कि जितना अनपेड पेमेन्ट है, जब दुबारा पेमेन्ट करने के लिए जायें तो पहले का भी उस समय पेमेन्ट दे देना चाहिए।

मस्टर रॉल का सवाल आया, सौ सौ की दस दस की टोली बनी हुई है। दस दस की टोली काम करे, उनको पन्द्रह दिन में पता लग जाये कि कितना काम है तब तो ठीक है, लेकिन डेढ-दो महीने में भी पता नहीं लगता है कि पेमेन्ट क्या होगा ? इससे उसके सामने कठिनाई आ सकती है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए। अगर पांच सात दिन के बाद हो जाता है तब तो बहुत संतोषजनक बात हो सकती है, वरना पन्द्रह दिन का जिक्र है वह न करके महीने में तीन बार में कर देना चाहिए, ताकि श्रमिक अपना काम चला सके। डेजर्ट का इलाका है, वहां श्रमिकों की हालत ठीक नहीं है। मैंने मेरी आंखों से उनकी हालत देखी है और छप्पनिया में भी देखी थी, उस वक्त आदमी ने खजड़ी की छाल खायी थी। उस वक्त यह नौबत आ गई थी। आज इन्सान को थोड़ा बहुत अनाज मिल जाता है तो उसके साथ खेजड़ी की नाल को कूट कर मिला कर खाता है। यह राज्य सरकार को शोभा नहीं देता है कि वह उनको अनाज भी नहीं दे पाती है। राज्य सरकार ने अनाज का व्यापार अपने हाथ में ले लिया है, इसके लिए राज्य सरकार धन्यवाद की पात्र है। राजस्थान सरकार ने इस मामले में पहले की है। यह भी सोचना चाहिए कि सरकार की डिस्ट्रिब्यूटरी एजेंसी ऐसी हो जिससे गांवों में धान पहुंचा सके। इसमें सरकार को सतर्क रहना है क्योंकि सरकार के खिलाफ बहुत से प्रतिक्रियावादी तत्व काम कर रहे हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं दो मिनट में खत्म करूंगा। आपने पहले भी मुझे कम दिया था।

मेरा निवेदन है कि जितनी सहकारी समितियां गांवों में काम कर रही हैं वह सहकारी समितियां शोषण का काम कर रही हैं। काफी सहकारी समितियां हैं वह चाहे जितनी फर्जी सहकारी समितियां हों राज्य सरकार ने चीनी के वितरण के लिए उनको लगाया हुआ है। वह चीनी खा जाती है। उसका गांव के आदमी पर असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर उनके मार्फत गांव के आदमी के पास धान नहीं पहुंचा तो गांव के आदमी पर असर पड़ेगा। इसके अलावा आपने पांच किलो और दो किलो का रखा है अनाज देने के लिए, यह बहुत कम है। पहले धान मिलता था उससे काम चल जाता था क्यों कि कुछ धान और मिल जाता था। अब डेजर्ट एरिया में बिलकुल धान नहीं है। इसलिए सरकार की जो नीति है और जो डिस्ट्रिब्यूशन की व्यवस्था है, वह प्रोपर नहीं हुई तो हालत खराब हो जायेगी।

पानी की व्यवस्था है, हमारे यहां कुए ढाई सौ तीन सौ फीट गहरे हैं। उनमें से पानी निकालना मुश्किल हो जाता है। मेरा निवेदन है जिन जिलों के अन्दर डेजर्ट है, बाड़मेर, नागौर, चूरू जिले–यह अधिकांश जिले सीमा के रक्षक हैं। जो पाकिस्तान के साथ वार हुई, उस वक्त

(श्री रणजीत सिंह)

हमने धैर्य नहीं खोया। जोधपुर में, आपने सुना होगा, कितना बम्बार्डमेंट हुआ, लेकिन फिर भी धैर्य नहीं खोया। लेकिन आज अकाल के कारण आदमी का धैर्य डगमगाया है। उन्हें अनाज नहीं मिल पायेगा अगर मजदूरी पूरी नहीं मिलेगी। क्योंकि आदमी के पास पैसा होता है तो उसका जीवन ठीक चलता है। पैसा होता है तो नाज आता है, उससे काम चलता जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार मजदूरी नकद न देकर उसको धान में परिवर्तित कर दे, चाहे तो आधा दे दीजिये। जितना पैसा उसे मिले, उसके आध का धान दे दें और आधा पैसा दे दें। यह राज्य सरकार ने जब संवत् 2020 में अकाल पड़ा था, उस वक्त व्यवस्था की थी और काफी ठीक चली थी। मैं निवेदन करूंगा कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जाय क्योंकि दस साल से वहां अकाल पड़ रहा है। दूसरे मजदूरी का चुकारा पन्द्रह दिन में न करके दस दिन में कर दिया जाय। अंत में मेरा निवेदन है कि श्रमिकों के पास पैसा और धान नहीं होगा तो गांवों की हालत खराब हो जायगी। इस ओर ध्यान दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानसिंह।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लिए अकाल नया नहीं है, लेकिन जब हम देखते हैं, कि पिछले पच्चीस वर्षों में भी हम अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के लिए कोई स्थाई हल नहीं निकाल पाये हैं तो दुख होता है। इस साल काफी गम्भीर अकाल है। इससे पहले 1968 में सबसे गम्भीर अकाल पड़ा था, लेकिन आज स्थितियां इतनी गम्भीर हो गई हैं क्योंकि आज पूरे देश के अधिकांश भाग में अकाल स्थिति बनी हुई है, इससे खाद्यान्न की समस्या भी गम्भीर हो गई है और अन्य प्रदेशों में अकाल पड़ने से केन्द्र की सहायता जो पहले मिलती रही है उसमें भी कमी हुई है।

लेकिन हम देखते हैं कि आज इन 25 वर्षों में भी राजस्थान में अकाल की समस्या के स्थाई हल निकालने के लिए जो प्रयास किए गए हैं वे बहुत कम हैं और जो विकास की योजनायें बनाई गई थीं। वे दोषपूर्ण रही हैं क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि अकाल का सामना करने के लिए जो 50 साल पहले साधन थे वही आज साधन हैं। हम इन 25 सालों में भी अकाल समस्या के समाधान के लिए साधन नहीं जुटा पाये। इस साल बजट भाषण में बताया गया कि हम सूखे जिलों के लिए एक विकास कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं और जून तक यह योजना बनकर तैयार हो जायगी। इसके लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि 25 साल के बाद सरकार ने इस समस्या को गंभीर रूप दिया है। इसके बाद हम देखते हैं पांचवीं पंचवर्षीय योजना के एप्रोच पेपर में अकाल समस्या के स्थाई हल के लिए सिंचाई बिजली, उद्योग, इत्यादि पर जोर दिया गया है लेकिन हम देखते हैं कि ये जो समस्यायें हैं आज गंभीर रूप धारण कर चुकी हैं तो हम आगे के लिए राजस्थान का विकास नहीं कर सकते। पांचवीं योजना में जो विकास का टार्गेट तय किया है इसके लिए जरूरी है कि इस टार्गेट को पूरा किया जाए। अगर टार्गेट

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

पूरा नहीं किया गया और अगले 25 वर्षों में भी अकाल की समस्या का स्थाई हल नहीं कर पाए तो आने वाली पीढ़ी का जनतन्त्र पर से विश्वास उठ जाएगा।

आज जो अकाल की गम्भीर स्थिति देखते हैं उसमें मजदूरी जिस संख्या में मिलनी चाहिए थी वह नहीं दे पाए। 1.35 करोड़ लोग अकाल ग्रस्त हैं। 19 आदमियों पर एक आदमी को रोजगार दे पाए हैं जो अपर्याप्त है। कम से कम एक परिवार में एक आदमी को 5 के हिसाब से काम मिलना चाहिए था दूसरी बात हमारे गंगानगर जिले में नोहर भादरा, सूरतगढ़ तहसीलों का इलाका ऐसा है जो चूरू और बीकानेर से लगता हुआ इलाका है। वहां चूरू जिले से ज्यादा गंभीर स्थिति है। वहां दो तीन साल से लगातार अकाल है। लेकिन जब गांवों की तरफ देखते हैं तो पूरी तीन तहसीलों में सिर्फ 18-19 मील के दो सड़कों के काम चल रहे हैं। कुछ अकालग्रस्त 249 गांव हैं। अकाल ग्रस्त के एक तिहाई गांवों के लोगों को ही हम मजदूरी दे पाए हैं और दो-तिहाई गांवों को आज तक मजदूरी नहीं दे पाए हैं। उनके लिए जो काम स्वीकृत किए गए हैं वहां मजदूरी दी जाए। आज देखते हैं कि नोहर भादरा में जो रबी की फसल बोई गई थी ओलों और आंधी की वजह से खतम हो गई और हारी की कटाई थी वह लोगों ने काटकर पूरी कर दी है। हमारे इलाके के नोहर भादरा, सूरतगढ़ में 60 गांव ऐसे हैं जहां 5-5, 7-7 मील के पीने का पानी नहीं मिलता। पिछले साल आदेश हुए थे कि जनवरी, फरवरी के माह में टैंकर्स की व्यवस्था की जाए। लेकिन राज्य सरकार के बार-बार लिखने के बावजूद जिलाधीश द्वारा और हम लोगों के द्वारा अकाल राहत कमेटी में इस बात पर जोर देने के बाद भी आज तक किसी गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। सूरतगढ़ तहसील म टैंकर की व्यवस्था की गई थी लेकिन आज एक महीने से उसके टायर बर्स्ट होने की वजह से एक महीने से बेकार पड़ा है। तो हम देखते हैं कि गंगानगर जिले की नोहर भादरा चूरू से लगती हुई तहसीलें ह, इनकी हालत काफी खराब है और लोगों को कम संख्या में काम मिला है। इसलिए हम देखते हैं कि गंगानगर जिले की वजह से नोहर, भादरा, सूरतगढ़ तहसीलों को डी० पी० ए० पी० में नहीं ले सकते और जब गंगानगर जिले के लिए सचिवालय में आई० ए० एस० अधिकारियों से कहते हैं कि अकाल है तो उनको अचम्भा होता है इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उस इलाके की समस्या का स्थाई हल निकालने के लिए कोई न कोई योजना बनायें। मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार नोहर, भादरा के अन्दर हरियाणा के किनारे से लगती हुई एरिया है जिसमें करीब 30-35 गांवों में सिंचाई होती है। उस रिपोर्ट में कहा था कि जो नोहर भादरा तहसीलों की जो जमीनें पहले कमांड में थीं माइनर्स बनाई गई थीं उनको अनकमांड किया गया था उनको दुबारा कमांड करें। इसलिए सरकार मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी लागू करे जिससे अकाल ग्रस्त लोगों को गांवों में पीने का पानी मिल सके और कुछ एरिया सिंचित हो सके।

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

इसके अलावा हमारे यहां सिद्ध मुख नहर योजना की काफी सालों से चर्चा है। मैंने सिचाई मंत्री से जो उस इलाके के हैं आज भी बात की थी। उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि जैसे कुछ साल पहले भारत सरकार ने कहा था 700 क्यूसेक देने में हमें कोई एतराज नहीं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि पांचवीं योजना में इसको दिया जाएगा। मेरा निवेदन है कि इस इलाके की समस्या के स्थाई समाधान के लिए अगली पांचवीं योजना में सिद्ध मुख नहर को लिया जाए और कार्य शुरू किया जाए।

उसके बाद उस इलाके के पीने के पानी का सवाल है, उसके लिए इस साल जरूर हमारे क्षेत्र में कुछ जल प्रदाय योजना खारा पानी पहुंचाने के लिए स्वीकृत की गई है उसके लिए तो मैं मंत्री महोदय, को धन्यवाद देता हूं उसके बाद......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री परसराम मदेरणा : बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं लेकिन ज्यादा संबंध इनका सिंचाई मंत्री से है।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : अत: जो इस साल कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं उनको शीघ्र लिया जाए। यह सही है कि हमारे सादुलपुर भादरा एरिया में लाखों रुपया का घोटाला हुआ था वे तो अब बन्द हैं लेकिन मुझे एक ही बात इसमें कहनी है कि जो काम मजदूरों को जितनी संख्या में मिलने चाहिए थे वे नहीं मिल पाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार आने वाले महीनों म जो लोग मजदूरी पर लगना चाहें उनको पूरी संख्या में मजदूरी दिलावें और जिन गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है वहां जब तक टेंकर की व्यवस्था न हो तब तक ट्रेक्टरों से या ऊंटों से पीने के पानी की व्यवस्था करें।

श्री झाबरमल सूंडा (फतेहपुर) : सभापति महोदय, अकाल पर चर्चा इसी सेशन में काफी हो चुकी है। मैं एक दो बातें जो मुद्दे की हैं कहूंगा। अकाल के स्थाई हल की चर्चा हम करते आए हैं और उधर सरकार का कुछ ध्यान भी है। धीरे धीरे उधर जब सदस्य गंभीरता से विचार कर रहे हैं तो सरकार ने भी गंभीरता से लिया है, मुझे इसका एहसास हुआ लेकिन पटवारी कहे तो काम मिले मनचन्दा कहे तो सहायता मिले, इस प्रवृत्ति को दूर करना पड़ेगा। वास्तविक बात जो है उसको महसूस करके उसका निराकरण हम कैसे करें आवश्यक रूप से इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस समय जब दूसरे देश स्टार्स तक जा रहे हैं तब हम इन्द्र भगवान पर निर्भर करते हैं, थोड़ा बहुत प्रयास नहीं किया, हमारे जो रेसोर्सेज हैं उनको काम में नहीं लिया इसलिए यह अकाल जो है यह मानव कृत है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहूंगा आज जो अकाल हमारे राजस्थान में है वह मानव कृत है। और यह अकाल हमारे मन का बनाया हुआ है। आज हम चाहे, राज्य सरकार चाहे, तो इसको समाप्त करने के लिये चेष्टा करे तो कर सकती है। आज हमारे यहां पर अहम घातक जो है वह है पानी की। पानी के बारे में भी यह है कि एक तो सरफेस वाटर और दूसरा अन्डर ग्राउन्ड वाटर। आज आपने एक पॉलिसी बनाली है कि सभी लोग

(श्री झाबरमल मूंडा)

खेती करें और जब आप पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो फिर पानी के बिना खेती कैसे होगी। आज सरफेस पर वाटर नहीं है तो आपने कितना अण्डर ग्राउन्ड वाटर को निकालने की कोशिश की है। आज वह है नहीं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार कोई इन्डस्ट्रियलाईजेशन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। आज, उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रजेन्ट क्राईसस है वह है अकाल का। उसके बारे में भी मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। राज्य सरकार को अकाल कार्य ओर खोलने पड़ेंगे, लोगों को अनाज खाने को देना पड़ेगा। आपको लोगों को मजदूरी देनी पड़ेगी। आज कई जगहों पर पीने का पानी नहीं है तो आपको पीने के पानी की व्यवस्था करनी होगी। आज जहां पर खारा पानी है वहां आपको मीठा पानी प्राप्त करके लोगों की पानी की समस्या को मिटाना होगा। इसमें भी दो बात का ध्यान रखना पड़ेगा एक बात तो है अनुभव, दूसरा है साधन। अनुभव के लिहाज से हमारे मंत्री महोदय काफी अनुभवी हैं वे इसके चैम्पीयन है। और उपाध्यक्ष महोदय मैं तो इतना तक कहूंगा कि हमारे राजस्थान के अकाल राहत मंत्री इस अकाल के बारे में इतने चैम्पीयन है कि मेरे ख्याल से इस हिन्दुस्तान म किसी भी प्रदेश के मन्त्री इनसे ज्यादा होश्यार नहीं होंगे। उनका इसका कटु अनुभव है और उन्होंने अकाल का काम भी किया है। वह इस मामले में परिपक्व है। अब दूसरा रहा सवाल साधन का तो इस बारे में हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह कहा है कि चाहे मनचन्दा कुछ रिपोर्ट करे मैं भारत के प्रधान मंत्री से मिल चुका हूं और उन्होंने मुझे एश्योरेन्स दी है कि राजस्थान की जनता को भूख से मरने नहीं दिया जायेगा तथा साथ में जितनी मदद चाहिये केन्द्र देगा। ऐसा हमने अखबारों में भी पढ़ा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि साधनों की कमी नहीं है। अब कमी किस बात की हो गयी। उस वक्त हमें हमारी केबीनेट की तरफ देखना पड़ता है जो कि इन सारी चीजों पर अपना निर्णय लेगी और इस पर कार्यवाही करेगी। जो कि केन्द्र से अधिक धन लाने के प्रयास करेगी। आज दूसरे प्रान्तों में राजस्थान से बहुत कम अकाल होते हुए भी केन्द्र उनको ज्यादा धनराशि दे रहा है। इसका कारण है वहां के मुख्य मंत्री पावरफुल है जो कि केन्द्र को बाध्य कर सकते हैं ज्यादा पैसा लाने के लिये। लेकिन यह तो गम्भीरता से सोचने का विषय है। आज महाराष्ट्र और गुजरात के कैबीनेट ने अपने यहां के अकाल के पाइन्ट को इस प्रकार से रिप्रेजेन्ट किया कि जिससे उनको हमारे से ज्यादा पैसा मिला। अगर मुख्य मन्त्री जी या हमारे मन्त्री महोदय ऐसा वातावरण नहीं बना सके तो आज यहां ही नहीं बल्कि राजस्थान के बाहर भी एक वातावरण बनेगा पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान का अलग बनने की मांग का। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि राजस्थान में इतना अकाल पड़ा और आप केन्द्र से अधिक धन राशि नहीं ला सके। इसका मतलब मैं यह लेता हूं कि सभी जगह पर आप की सरकार अकाल-अकाल की बात करती है लेकिन उसका प्रोपर तरीके से समाधान कैसे करना चाहिये वह नहीं कर सकी है। आज जितना भयंकर अकाल है उसको देखते हुए हमारे यहां पर 40 परसेन्ट

(श्री झावरमल सुंडा)

लोगों को काम देना चाहिये था पर मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि यहां पर सिर्फ 5 या 6 परसेन्ट लोगों को काम दिया जा सका है जब कि काम मिलना चाहिये था 40 प्रतिशत लोगों को। इसके अलावा वहां पर आ ा लोगों को टास बैसिस पर पमेन्ट करने हैं और उसके लिये आपने मेग्जिमम रेट रखी है तीन रुपये की वह भी घोषणा की है । मैं आपसे निवे न कर ा चाहता हूं कि राज्था सरकार ने टास्क बसिस पर जो पेमेन्ट किये हैं वह ि ये हैं 85 पैसे और 70 पैसे के करीब आज आपने जो पेमेन्ट किये हैं वह सेन्ट परसेन्ट नहीं किये हैं । आज जो ां पर अधिकारी नियुक्त ि ये हुए हैं वह ी ाको ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं । जो काम की एक्चुअल रिपोर्ट करनी चाहिये वह नहीं करत हैं । गलत रिपोर्ट करते हैं । उपा यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं जो निवेदन करना चाहूंगा वह है पी० डब्ल्यू० डी० के लोगों के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय, यह पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारी बहुत ही जल्लाद होते हैं इनका तो हमेशा से परसेन्ट बन्धा हुआ ही रहता है । ऐसा कोई पेमेन्ट नहीं होता है जिसमे इनकी परसेन्टेज नहीं हो । यह बिना पसे काम करते ही नहीं । जहां जो काम हो रहा है वहां चाहे जैसी गड़बड़ कर देते हैं इनके भावे कोई मरो कोई जीवो इन्हें कोई फिकर नहीं क्यों कि हमारे जैसे कहावत है कि जाके फटी न पर बिवाई, वह क्या जने पीर पराई वाली बात है । आज लगातार इतने अरसे से अकाल पड़ रहा है आप अगर इन्हे किसी काम के लिय कहेंगे तो वह तीन दिन के बाद उस पर जा कर मौका देखेंगे जब कि अकाल की ऐसी भीषणता को देखते हुए वहां पर राउन्ड दी क्लाक काम होना चाहिये । उन्हें राउन्ड दी क्लाक काम करना चाहिये वह नहीं कर रहे हैं। आज कलेक्टर किसी काम की सैंक्शन करता है तो पी० डब्ल्यू० डी० के अधिकारी उस काम को करते नहीं हैं । उपाध्यक्ष महोदय अभी हमारे यहां पर जो कलेक्टर हैं वह बहुत ही होशियार ओर ईमानदार ओर ाम करने वाले व्यक्ति है । उन्होंने कुछ स्कीमस अकाल के स्थायी हल के लिये बनायी है और राज्य सरकार न उन योजनाओं को पूरा करने लिये आदेश भी दे दिये हैं । उस लिये मैं राज्य सरकार क धन्यवाद देता हूं कि राज्य सरकार ने इस पर काम शुरू करने की बात मानली । आज वहां पर पांच हजार लोगों को काम देने की बात थी वहां पर उन्होंने चार हजार लोगों को काम उस योजना के अन्तर्गत दिया है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा यह निवेदन करना चाहुंगा कि ऐसे काम की पहल हमारे देश में यह पहली बार हुआ है । अब पी० डबल्यू० डी० का उसका ऐसेसमेण्ट करके काम शुरू करने में कितना समय लगाता है । उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपसे एक बात जो निवेदन करना चाहूंगा व यह है कि राज्य सरकार ने जो टास्क बैसिस पर पेमेन्ट करने की बात कही है उसके बारे में इतना ही कहूंगा कि चाहे आपने योजना अच्छी बनायी जिससे भ्रष्टाचार रुका है लेकिन यह पी० डबल्यू० डी० के लोग इसमें जरूर गड़बड़ करेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को टास्क बैसिस पर काम करने से सिर्फ 85 पैसे से ज्यादा पैसा नहीं मिला है प्रति व्यक्ति प्रति दिन । अब आप सोचिये कि भूखे पेट आदमी इतना काम कैसे कर सकते हैं । मैं चाहता हूं और आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि इस समाप्त

(श्री झाबरमल सूंडा)

टैस्क बैसिस पर पेमेन्ट की प्रथा को तत्काल समाप्त करनी चाहिये। पहले जो व्यवस्था थी उसी के अनुसार पेमेन्ट होना चाहिये। वैसे पहले जो गलतियां हुई है उसकी पुनरावृति नहीं हो यह ध्यान रखन की बात है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन्हें मजदूरी ज्यादा से ज्यादा दी जाय। जो गेंग काम करती है उन्हें पेमेन्ट समय पर और ज्यादा किया जाय ताकि वे लोग अपना पेट पाल सके। आज मैं आपको ठीक अर्ज कर दूं कि लोगों को 80 पैसे से ज्यादा नहीं मिल रहा है। आज आप उन्हें वहां पर एक या डेढ़ किलो अनाज देते हैं और फिर आप उन भूखे पेट वालों से क्या उम्मीद करते हैं कितना काम लेना चाहते हैं। भूखे पेट व्यक्ति काम नहीं कर सकता है इसलिये टास्क बैसिस को समाप्त किया जाय। और जो तीन रुपये दिया जाता है वह बढ़ा कर और ज्यादा किया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, इसम आपको जरा मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। मैं सरकार को इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि ओ मिनिस्टर मत सता जालिम गरीबों को। वरना गरीबों की आह मिटा देगी तुझको।

श्री योगेंद्र नाथ हांडा : क्या दारूण हालत का वर्णन किया है आपने।

श्री झाबरमल सून्डा : उपाध्यक्ष महोदय वहां पर गरीब की पहले से ही हालत खराब है और मैं इसके लिये जिम्मेदार किसी को नहीं मानता सिवाय राज्य सरकार के। आज सरकार ने अनाज का थोक व्यापार को हाथ में ले लिया है, आज तीन दिन से बाजार से अनाज गायब हो गया है। व्यापारी कहते हैं कि हमारे पास अनाज नहीं, जनता कहती है हमारे पास अनाज नहीं, काश्तकार कहते हैं कि हमारे पास अनाज नहीं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर वह अनाज फिर किसके पास गया। इसका मतलब यह हुआ कि अनाज सरकार के पास है। अब इसका फसला तो सरकार को करना है कि किस प्रकार से जनता को अनाज मिले। आज मुख्य मन्त्रीजी दिल्ली में बैठे हैं और यहां पर जनता को अनाज नहीं मिल रहा है। आप दो चार किलो अनाज देना चाहते हैं इस प्रकार किस प्रकार काम चलेगा। किस प्रकार इतने अनाज से मजदूरों की पेट भरायी हो सकेगी और फिर आप पेमेन्ट भी करना चाहते हैं, मजदूरों को टास्क बैसिस पर यह तो आप उन मजदूरों के सर पर चोट पहुंचा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात सीकर जिले से ताल्लुक रखती है वह निवेदन कर दूं। अधिकारियों के लिये पहले भी कहा और शिन्दे साहब ने भी लोक सभा में कहा और हमारे खाद्य मंत्रीजी ने उसका काट कर दिया लेकिन जो भी बात कहीं वह उन्होंने तथ्यों से दूर कही। चाहे डी० प्री० ए० पी० हो, चाहे सोइल कन्जर्वेशन के काम हों, चाहे नेशनल हाई वे के काम हों, उन सब पर जो पैसा अलॉट किया हुआ था वह पूरा काम में नहीं ले सके। उनका पूरा का पूरा उपयोग नहीं कर सके। इसकी जिम्मेदारी मशीनरी की है। जो अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये, उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिये। इस सरकार से, उपाध्यक्ष जी, आपकी मार्फत यह मेरी रिक्वेस्ट है। अगर यह काम कर दिया जायेगा और

(श्री झाबरमल सूंडा)
अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जावेगा और उन पर एक्शन लिया जावेगा तो इसका जरूर अच्छा परिणाम निकलेगा ।

सीकर जिले में एफ० सी० आई० के दो गोदाम हैं वहां पर । उनमें से फतहपुर में एक है । वहां पर क्वालिटी इन्सपेक्टर हैं । एक लाख रुपया डीलर्स का जमा हो चुका है 28 तारीख से आज तक लेकिन उनको अनाज नहीं दिया । क्वालिटी इन्स्पेक्टर शराब पीकर नशे में घुत रहता है । उसके मुंह से दुर्गन्ध आती रहती है । ऐसे क्वालिटी इन्स्पेक्टर को, खाद्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उसको वहां से हटायें और उसके एवज में अच्छे अधिकारी को लगाया जाय और साथ ही साथ यह भी व्यवस्था करायी जाय कि रुपया जमा कराने के बाद भी डीलर्स को खाद्यान्न नहीं मिला है वह मिल जाय ।

(समय- समाप्ति- सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : और भी माननीय सदस्य बोलने हैं ।

श्री झाबरमल सूंडा : अनाज लेने वाले और हैं और मैं तो एक निमित्र मात्र हूं । हम बिकेंगे, हमारे लड़कों को बेचेंगे, कुछ भी करगे । लेकिन रुपया जमाकर लेते हैं और अन्न नहीं देते हैं जिससे लोग भूखे बैठे नहीं रह सकते । एक बच्चा इस आस में जिन्दा रह गया छः महीने के लिये । उसको कहा गया कि तेरी मां रोटी लेने गयी है । बराबर वह पूछता रहा दादी से । दादी कहती रही मां रोटी लेने गयी है । छः महीने बाद मां लौट कर आयी । लड़के ने पूछा मां आ गयी । दादी ने कहा हां आ गयी । रोटी लायी ? रोटी नहीं लायी । बस, उसके प्राण पखेरू उड़ गये । तीसरे दिन 1½ किलो अनाज और वह भी आप नहीं दे सकते । बड़े शर्म की बात है । सरकार जितनी क्वान्टिटी चाहिये वह नहीं दे रही है लेकिन जो भी देती है वह भी समय पर नहीं दे रही है ।

(समय- समाप्ति- सूचक घंटी)

एक अफसर पर मैं चार्ज लगा रहा हूं । सीकर के लोग भूखे न मरे इसलिये आप व्यवस्था करें । डी० एस० ओ० रामावतार शर्मा हैं । उन्होंने उन्हीं लोगों को दुबारा लाइसेन्स इश्यू कर दिया जिनके ऊपर गम्भीर चार्ज लगे हुए थे । पुराना डीलर बटौर में 60 बोरी का ब्लेक कर रहा था पकड़ा गया, थाने में पकड़ा गया लेकिन आज उस गांव को ही अनाज नहीं दिया जा रहा है । डीलर पकड़ा जाता है और आप सारे गांव को भूखों मारते हैं । एक ने बदमाशी की और सारे गांव के लोगों को भूखों मार रहे हैं । उस डीलर को बचाने की मंशा है । पंचायत खारी के दो हजार लोग भूखे हैं । बिना इन्क्वायरी के सस्पेन्ड कर दिया । उसी आदमी को डीलर मुकर्रर किया । कोई चीनी बांट रहा है । वास्तव में बांट नहीं रहा है । कन्सेन्शश मैथड् से डीलर मकर्र करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी । गांवों में यह बात फैल गयी है कि सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण देती है । अकाल के समय भी इस प्रकार का संरक्षण दे रही है ।

(समय- समाप्ति- सूचक घंटी)

(श्री झाबरमल मूंडा)

मेरे कोन्सिटटूएन्सी में 15 गांवों में खारा पानी है। यहां पर मीठे पानी की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गौरी शंकर।

श्री गौरी शंकर (खानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अकाल के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। लम्बा चौड़ा मुझे भाषण देना नहीं है परन्तु झालावाड़ जिले में अकाल से 2 0 गांव ग्रस्त हैं दरअसल यह रिपोर्ट कलेक्टर के जरिये आयी है वास्तव में वहां पर 400 गांव अकाल से पीड़ित हैं, उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। ठीक है जो कुछ रिपोर्ट आयी है। वहां पर काम तो होना चाहिये। वहां पर लोगों का यह हाल हो रहा है कि उपाध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूं कि पैसा जो कुछ भी दिया केश में दिया या फेमिन में दिया। 12½ लाख रुपया केश में दिया गया। उसमें से 6 लाख रुपया काट लिया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, व माननीय मंत्री ने हो तो 'दूसरे मंत्रीजी बैठे हैं वे जवाब देंगे, कि यह छ: लाख रुपया काटा गया है वह कौनसे क्षेत्र में लगाया गया है। या लेप्स हो गया है ? लेप्स हो गया है तो क्या हो गया ? और काटा गया तो क्या ? इसका जवाब दें। या यह कह दें कि फरवरी म ही यह रकम खर्च करनी थी और रकम खर्च नहीं हुई थी। मैं निवेदन करूं कि जुलाई अगस्त, सितम्बर ओक्टोबर, चार पांच महीने वहां पर काम हो नहीं सकता। पहली बात मंजूरी देरी से हुई। बरसात का टाइम होता है तो काम नहीं हो सकता है। 25 मार्च तक मंजूर शुदा रकम खर्च नहीं हुई होती तब ही छ: लाख पये काटते आपने पहले ही काट दिये। यह तो जिम्मेदारी कलेक्टर की है कि काम समय पर पूरा नहीं हुआ। सरकार की है और उन अधिकारियों की है। मैंने कहा तो कलेक्टर साहब ने कहा कि मजदूर नहीं मिलते। मैंने कहा कि लोगों को खाने का ही नहीं मिल रहा है, लोग मजदूरी के लिए तैयार हैं। चौथे रोज ही पांच सौ मजदूर लगवाये और उस काम को फरवरी के पहले ही खत्म करवा दिया। अधूरे काम पड़े हुए हैं। उनको समय पर पूरा नहीं किया तो जो पैसा लगाया गया है वहां लगा हुआ पैसा भी बेकार जावेगा। मेरा निवेदन यह है कि पसा आप समय पर नहीं देते हैं और खर्च नहीं होना बताकर काट देते हैं यह बिलकुल गलत बात है।

श्री उपाध्यक्ष: विकास मंत्री नहीं हैं।

श्री गौरीशंकर: विकास मंत्रीजी नहीं है तो क्या आपके माध्यम से ही उनको निवेदन कर सकता है, खबर तो उनके पास पहुंच जावेगी।

अकाल में पूरा पैसा नहीं दिया जाता और दिया जाता है तो ऐसे टाईम दिया जाता है जब कि मजदूर न मिले। ऐसे टाईम में देने से क्या फायदा है।

दूसरा मैं अर्ज करूं कि अकालग्रस्त ग्रामों में जो हाल हो रहा है उसके लिए कह नहीं सकता। नये साल में मंजूरी देंगे न जाने कब दगे। माननीया कमला बेनीवाल जी विराज रही है। उनसे ही

(श्री गौरीशंकर)

निवेदन करूंगा कि कम से कम बहुत जल्दी ओर्डर्स भिजवायें ताकि काम शुरू हो सके। फिर कहेंगे कि मजदूर नहीं मिलते इसलिये काम नहीं होता। म अभी मंजूरी दी और जो दोगे उससे दूने खर्च नहीं कर दें ता आगे से मत देना, जंगल में आग लगेगी और छ: महीने के बाद बुझाने के ऑडर्स देंगे। आखिरकार यह मजाक नहीं तो और क्या है? तो मेरा निवेदन यह है कि कृपा करके आप हमें अभी मन्जूरी दिलवाइये। मैं छ: तारीख को जा रहा हूं तो उस वक्त मेरे हाथ में वह मंजूरी होनी चाहिये।

आप सोचें तो सही। आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम भूखों का इन्तजाम करेंगे, भूख से किसी को मरने नहीं देंगे और अनाज का सारा धन्धा सरकार अपने हाथ में ले रही है और उस पर यह हाल हो रहा है तो आप कृपा करके मन्जूरी दिलवाइये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दस पन्द्रह मिनट आपने सबको दिये हैं और मझे आप कह रहे हैं कि मत बोलो। यह तो तरीका नहीं है। 15 मिनट का ऑर्डर आपने दिया है। पन्द्रह मिनिट तो बोलूंगा, पन्द्रह से सोलह हों जावेंगे तो मैं स्वयं बैठ जाऊंगा। 15 के 16 नहीं होने दूंगा।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : गौरी पर्वत पर शिखर विराजे हैं।

श्री **गौरीशंकर** : बूढा समझ कर बोलने का समय न दें तो यह तो नहीं होना चाहिये। तो मेरा निवेदन यह है कि आप पहले तो मन्जूरी दिलवाइये। अगर मंजूरी देर से आवेगी तो वहां लोग भूख से तड़पेंगे। वह जिम्मेदारी सरकार की होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तड़पेंगे पर मरेंगे नहीं इस राज में।

श्री गौरीशंकर : मरने तो हम भी नहीं देंगे, पर तड़पेंगे जरूर।

श्री भानुकुमार शास्त्री : तड़प तड़प कर मरेंगे आप लोगों को।

श्री **गौरीशंकर** : मौत आवेगी तो मरेंगे।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : 56 काल का जन्म है आपका। कैसे मरने दोगे। मरते तो कहीं हैं ही नहीं। अमर हैं।

श्री **गौरीशंकर** : तो मंजूरी दिलवायेंगे तो काम होगा।

दूसरी बात यह है कि मजदूरों को सुबह आठ बजे के स्थान पर 7 बजे ही काम पर लगावें। काफी धूप बढती है इसलिये दो घन्टे दोपहर में छुट्टी देदेंगे तो लोग थोडा आराम पावेंगे और काम भी अच्छा करेंगे।

मजदूरी लोगों को क रुपया दो रुपया और आठ आना मिलता है। यह ठीक नहीं है। आप कुछ तो मुकर्र कर दो कि इतनी मजदूरी तो कम से कम मिलेगी ही, बाकी जो जिस तरह ज्यादा काम करेगा उसको वैसे ही अधिक मिलेगा। मुकर्रर कर दो कि डेड तो मिलेगा ही। तो यह रियायत आप जरूर करें। इससे

(श्री गौरीशंकर)

लोग आसानी से पेट भर सकेंगे और यह संकट की घड़ी निकाल ले जावेंगे ।

25 हजार रुपया कलक्टर को खर्च करने की मन्जूरी आपने दी है । यह थोड़ी है । मेरे ख्याल में कम से कम भी पचास हजार तो होनी चाहिए ताकि वहां कुछ काम हो सके ।

अब एक अर्ज और करूं । खानपुर एक ऐसा क्षेत्र है झालावाड़ में ही नहीं राजस्थान में वैसा कहीं नहीं होगा, अगर आप उस तरफ ध्यान दें तो, मेरी बात पर हंसेंगे लोग, मगर मैं यह कहूं कि वह खानपुर क्षेत्र अकेला सारे राजस्थान को धपा सकता है, बशर्ते बिजली आप उन गांवों को दें ।

श्री उपाध्यक्ष : बिजली पर कल चर्चा होगी ।

श्री गौरीशंकर : आज तो आपने शाम को जाकर समय दिया, कल टाइम दें तो मैं आज नहीं बोलूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो आज ही बोल लो ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप तो आज ही बट निकाल लो । कल तो आधा घण्टा की चर्चा होगी ।

श्री गौरीशंकर : वहां 1817 कुएं हैं । जहां काफी पानी है, अथाह पानी है । जमीन अच्छी है । देह भरे हैं । झालावाड जिले से मन्त्री महोदय, बने हैं । वहां अपनी मर्जी के माफिक काम कराते हैं । अगर आप वहां कुओं पर बिजली दे दें तो सरकार को लाखों रुपये का लाभ होगा । यह हमारे यहां के मन्त्री महोदय, बिराजे हैं । कोशिश करते नहीं हैं बिजली की । ये हमारे भाग्य से ऐसे आये हैं कि हमारी कुछ नहीं सुनते हैं । हमारे साथ पक्षपात बरता जाता है नहीं तो क्या वजह है कि हमें बिजली नहीं मिले और दूसरों को लगातार मिलती जाय । समाज कल्याण मंत्री हैं, बीस बार कह दिया बिजली नहीं लगाई जाती इनसे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बिजली विभाग इनके पास नहीं है ।

श्री गौरीशंकर : फिर मिनिस्टर किस काम का वहां का । मैं पूछता हूं । बिजली दे दी जावे तो बहुत ज्यादा अनाज पैदा होगा ।

इसके बिना वहां अकाल मिटेगा नहीं । खानपुर क्षेत्र में इस बार अस्सी गांव अकाल की चपेट में हैं । अगर ये काम खोल दिये जावेंगे तो वहां आराम हो सकेगा । बहुत से काम ऐसे हैं जिनमें सरकारी अफसर लोग हर बात में अड़चन लगाते हैं । यहां फेमीन का गांव नहीं है, यहां काम नहीं होगा । गांवों में आज सभी जगह बहुत बुरा हाल है । दस परसेन्ट आदमी कुछ आराम में होंगे, बाकी तो 90 परसेन्ट आदमी बहुत दुखी हैं, बिना रोजगार के ।

मैं अपनी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उसने गेहूं और चावल का राष्ट्रीयकरण किया है । मैं इस पक्ष में हूं कि वाकई यह अच्छा काम किया है ।

(श्री गौरीशंकर)

पर आपने यह जो तरीका परमिट का रखा है तो फिर राष्ट्रीयकरण कैसा हुआ ? यह परमिट का सवाल क्यों ? एक ही जगह चीज मिलेगी दूसरा कोई बेच ही नहीं सकेगा तब फिर यह परमिट का क्या सवाल है। पहले कन्ट्रोल किया तेल और शक्कर का। पर यह बाजार में भी मिलता है इसलिये परमिट किया ताकि इसमें सस्ता मिले। पर इसमें जब सरकार ही बेचेगी तब परमिट का क्या हिसाब ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : मुनीम होकर सरकार के और राष्ट्रीयकरण का विरोध कर रहे हैं यह तो ?

श्री गौरीशंकर : विरोध कहां कर रहा हूं। इस तरह से इन्तजाम किया जावे कि लोगों को क्यू में खड़ा नहीं होना पड़े और आसानी से गेहूं मिल जावें। अब दो किलो चार किलो का भी हिसाब मत रखो। नहीं तो इतना लेने के लिये लाइन में लगगे तो आप समझते हैं किसको इतनी फुरसत मिलेगी। लोग मजदूरी करने जायेंगे या लाइन में खड़े होंगे। तो आसानी से मिले इसका इन्तजाम करिये वरना ऐसा काम आपने यह हाथ में लिया है कि अगर इसमें थोड़ीसी भी लीनियेन्सी बरती और दो चार किलो की बात रखी तो लोग हैरान जायेंगे [illegible]र फिर ये आपके काबू की बात नहं[illegible] जावेगी। किसान भी देने वाला नहं[illegible] फिर। मरजी आवेगी उसको बे[illegible] आपने दुकानदारों को बान्ध दि[illegible] इसेन्स लेगा वही रख सकेगा [illegible]।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो कृपा करके समाप्त करियेगा।

श्री गौरीशंकर : तो गल्ले के बारे में सोचें आप। गल्ला आसानी से मिले और कम से कम आठ किलो तो मिले। बस यह कहकर मैं बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उषा प्रकाश।

श्रीमती उषा प्रकाश (वैर) : बड़ी लम्बी इन्तजारी के बाद आपने मौका दिया है, उसके लिये धन्यवाद देकर के इस सूखे अकाल में जो सदन आज घूम रहा है उसमें गीला अकाल कैसा होता है, इसका भी ज्ञान कर लें तो I think it is a good change.

आज जो अकाल की स्थिति का चित्रण अकाल विभाग ने हमारे सामने रखा है, उसमें एक जिला बाकी रहा है जहां अकाल नहीं है। पूरे हिन्दुस्तान में जब अकाल की छाया छा रही है तब मन में एक शान्ति का अहसास होता है कि कम से कम इतने बड़े राजस्थान में एक जिला बचा है पर जब स्थिति की वास्तविकता को हम देखेंगे तो जो स्थिति किसानों की वहां पिछले साल की भीषण बर्षा ने की और जिसका जिक्र इस अकाल विभाग की रिपोर्ट में भी मिलता है कि कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था और कितने रिलीफ किस किस मद मे कैसे कैसे बांटी गई थी तो उसमें भी अहसास होता है कि बाढ़ में किस प्रकार का नुकसान होता है। कुदरत की लीला है, अति वृष्टि के बाद में कुछ गांव ओलों की चपेट में आ गये। जिस जगह पर दो दिन पहले लहलहाते खेत खड़े थे, उसमें पिछले महिने की एक

(श्री गौरीशंकर)

तारीख को खड़े हुये खेत बिखर गये उसको किसने देखा है जो खेतो की मेढ़ पर किसान का परिवार खड़ा खड़ा रो रहा था। औरतें हिम्मत करके खेतों को झाड़ रही थी कि कुछ अनाज पल्ले पड़ जाय। मेरे पास उस ओला वृष्टि ने कैसा भयंकर नुकसान किया था उसका वर्णन करने के लिये शब्द नहीं है। परन्तु मैं जरूर जानती हूं कि उन किसानों के लिये जिन्होंने बीज, खाद और पानी के लिये करजा लिया, जिन्होंने तीन तीन, चार चार महिने तक सर्दी में पानी में खड़े होकर खेत को सींचा, उस किसान पर जब कुदरत की विपदा आ पड़ी तो उसके लिये रिलिफ डिपार्टमेंट में कोई सहानुभूति नहीं है।

आज हम एक तरफ यह कहते हैं कि अकाल ग्रस्त हम उस इलाके को घोषित करते हैं जहां वर्षा की कमी हुई हो और खरीफ की फसल का नुकसान हुआ हो, रिलीफ वर्क वहां शुरू करेंगे जहां वर्षा कम हुई हो और दूसरी तरफ उसी रिलीफ डिपार्टमेंट के आंकड़े बता रही हूं जहां एवरेज से अधिक वर्षा हुई है। सदन की भावनाओं को ध्यान में रखकर उस जिले का नाम नहीं लूंगी जहां कम वर्षा हुई है वहां लेवी लगाई है और जहां ज्यदा वर्षा हुई है वहां लेवी भी नहीं लगाई है। बाई नेम मैं नहीं कहूंगी मगर माननीय सदस्य देखेंगे तो देखने को मिलेगा। जहां एवरेज से अधिक वर्षा हुई है वहां भी अकाल घोषित किया। आज अकाल घोषित करवाने की होड़ लगती है, आज रिलीफ वर्क खुलवाने की होड़ लगती है। पर कहीं कहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह देखकर हमें दुख होता है कि शायद वास्तविक स्थिति यह नहीं हो और उसको रंग दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मानवता के नाते आप और हम सभी इस बात पर एग्री करेंगे जो वाकई में देखी है, उसको सहायता मिले पर मैं आज यह पूछना चाहती हूं जैसा मने आज कहा किसान ने अपना खून-पसीना बहा कर, कर्जा लेकर बीज, खाद डाला अगर उस किसान की बरबादी हो जाती तो क्या हमें दुख नहीं होगा। उसके घर पर मांगने वाले बोहरे कुर्की डालते हैं तो क्या आप को उससे हमदर्दी नहीं होगी। कितनी हीं बातें करें लेकिन आज गांव में किसान जब फसल पैदा करता है तो एक एक हजार दो दो हजार की उम्मीद लगाता है और वह उसकी उम्मीद एक रात में औला वृष्टि की चपेट में आकर खतम हो गई और वह भूखा नंगा हो गया मैं यह नहीं कहती कि आप उसको खाना दें, मैं यह भी नहीं कहती कि ऐसे किसानों को घर बिठाकर कुछ उसको बन्धी हुई पगार दे। हम यह कहते हैं और मैंने गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखी थी। एक बड़ा मजाक का किस्सा है अगर आप सुनेंगे, थोड़ी सी देर तो जरूर लगेगी लेकिन मैं उसको रोक भी नहीं पा रही हूं। मैंने जो चिट्ठी लिखी है उसमें लिखा है हमारे यहां बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है, इसके बावजूद हमारे यहां की धरती काफी फलस्वरूप है, अच्छी पैदावार वहां का किसान ले सकता है पर तत्काल जो रबी का स्पेशल प्रोविजन आया है, रबी की फसल उगाने के लिये बिजली, वाटर पाइप आदि दे

(श्रीमती उषा प्रकाश)

थे उस फन्ड में से मैंने सरकार को कहा था आप चाहे जो टुकड़े फक रहे हैं 10-20 वह न फेंके परन्त इन गांवों को जहां किसान मेहनत करने को तैयार है जहां जमीन अच्छी है, किसान जानता है उस किसान को प्रायोरिटी दीजिये और कुछ तकावी आदि दीजिये, यह उस चिटठी में लिखा और उसका जवाब मेरे पास आ रहा है निगेटिव में दिया। जवाब में मांग रही थी सेप्टेम्बर में। रबी का जो प्रोग्राम है उसमें इन विलेजेज को लें, उसका उत्तर आ रहा है मार्च में। क्या इस प्रकार की उनकी भावना है, इस उत्तर की। यह तो हमारे यहां के सेक्रेटेरियेट की कछुवा चाल है। किस तरह इस पत्र को लिया है।

इसी तरह भरतपुर के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र को अभाव ग्रस्त घोषित करने में अकाल राहत मंत्रीजी ने यह फरमाया था कि करीब 250 गांव भरतपुर के ऐसे हैं जो अभाव में हैं। हमें अभाव में घोषित करवाने का शौक नहीं है। सरकार से भीख मांगने इरादा नहीं है लेकिन जो किसान वास्तव में पीड़ित है उसकी जो तकावी है, उसमें माफी मिल जाती है रिलीफ डिपार्टमेंट से तो रिलीफ डिपार्टमेन्ट को क्या आपत्ति है? रीलिफ डिपार्टमेन्ट से फाइनेन्स डिपार्टमेंट में और फाइनेन्स डिपार्टमेंट से कलक्टर के यहां घूम रहो है परन्तु सरकार निर्णय नहीं कर पा रही है। सरकार के अधिकारियों ने, सरकार के मंत्रियों ने उस जिले को देखा है लेकिन आज यह नहीं किया कि भरतपुर के जिले में अकाल है या नहीं।

दोहरी मार है उपाध्यक्ष महोदय, एक ओर तो फसल जो उनकी थी वह खत्म हो गई और दूसरी ओर अबकी बार गंभीरी और बाण गंगा ने इस प्रकार का कहर ढाया है कि इन गांवों में बरसों तक कुछ भी पैदा होने की आशा नहीं है। आज मैं बड़े अफसोस के साथ आपको बताती हूं कि जो सेंट्रल स्टडी टीम आई थी उसने सिफारिश की थी कि उस जमीन की उपजाऊ बनाने के लिए टेक्निकल असिस्टेंस भेजेंगे और उसके लिए हमें कुछ तकावी का पैसा भी देंगे किसानों को। उपाध्यक्ष महोदय, इन गांव वालों की और इन किसानों को कहा गया था कि, पता नहीं क्या नाम है उस तरह की सरसों डालने को वहां आयी और किसानों ने कर्जा लेकर वह बीज धरती में डाला लेकिन वह उगा नहीं और अन्दर ही अन्दर रेत में समा गया। इससे किसानों का कितना नुकसान हुआ, इसका अन्दाजा है, इसका अहसास सदन कर सकता है। उस किसान पर कर्जे का भार चढ गया अब सरकार तकावी कैसे वसूल करेगी। करेगी भी या नहीं, इसके बारे में भी सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट नहीं है।

मैं आशा करती हूं कि भले ही आप गजट में नोटिफिकेशन नहीं निकालना चाहते हैं तो भले ही न निकालें लेकिन जहां कुछ गांवों में अकाल है और अकाल होते हुए भी आप हमें एक अलग जिला रहने देना चाहते हैं तो रहने दें। हमें उसमें आपत्ति नहीं है परन्तु जो वाकई में दिक्कत है किसानों को उसको तो मेहरबानी करके दूर कीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं फिर कहती हूं सरकार से कि इन दो गांवों में ओलावृस्टि से नुकसान हुआ है लेकिन फिर भी वहां के किसानों में हिम्मत है। वे कहते हैं कि आप हमें बिजली दीजिये

(श्रीमती उषा प्रकाश)

ताकि हम हमारे खेतों में कुछ पैदा कर सकें। हमें आप बैसाखी मूंग दीजिये हम उसको ही बोकर और बिजली से उसमें पानी देकर कुछ पैदा कर सकें। बाकी के दो महीनों के लिए कुछ पैदा करके कम से कम

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अपने बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था करा सकें। वे अनाज नहीं मांग रहे हैं, मुफ्त का अनाज नहीं मांग रहे हैं, कोई सहायता नहीं मांग रहे हैं लेकिन कर्जा मांग रहे हैं। कुछ कर्जा अगर आप अकाल के भाग से मंजूर कर देते हैं तो आपकी मेहरबानी है, क्योंकि ताल्लुक नहीं है राज्य सरकार का अकाल घोषित जब तक नहीं करदें तब तक राज्य सरकार अपना ताल्लुक नहीं समझती है। अगर आप अकाल घोषित नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिये आप घोषित, किसान अपने आप से लड़ लेंगे परन्तु यह अकाल विभाग अकाल में अकाल विभाग ही रहना चाहता है या कुछ वाकई में रिलीफ डिपार्टमेन्ट बनना चाहते हैं, प्रश्न यह है हमारे सामने। जैसे एक तरफ तो जहां रबी की लहलाती हुई फसल है उधर तो रिलीफ वर्क शुरू हो सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ जो किसान बाढ़ के कारण और ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान के कारण रो रहे हैं उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिये हमें कम से कम आप और कुछ नहीं कर सकते हैं तो क्या लोन भी नहीं दे सकते हैं, तकावी भी नहीं दे सकते हैं। लोगों के पास काम नहीं है और अगर मैं यह कहूं कि वहां पर लोगों को काम दीजिये तो जवाब में मंत्रीजी मुझे कहेंगे कि भरतपुर में तो पहले से ही बहुत काम चल रहे हैं वहां पर हमें लेबर नहीं मिलेगी, एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि मनचन्दा साहब की जो स्टडी टीम आई थी उसने भी यह कहा था कि ज्यादातर डिपार्टमेंटल वर्क चालू किए जाने चाहिए ताकि लेबर को ज्यादा फायदा हो। ठेकेदारों और इंजीनियरों के बीच में किस प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं और किस प्रकार की बातें होती है यह तो सदन अच्छी तरह से समझ सकता है। इसमें अगर डिपार्टमेंटल वर्क होता है तो लेबर को ज्यादा काम मिल सकता है और अच्छा पेमेन्ट मिल सकता है। परन्तु यह भी नहीं कर पाये और आज ठेकेदारों की मर्जी पर काम चल रहे हैं। ठेके भी काफी देर से दिए हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट और। मेरे दिल का दर्द सुन लीजिये।

हमारे सामने जो सवाल है वह अभी मैंने अकाल के बारे में है, बाढ़ के बारे में है और बाढ़ के समय किस प्रकार की व्यवस्था रही है इस ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहती हूं। बाढ़ की विषमता से सदन को पहले भी कई बार परिचित किया जा चुका है। उस समय जो लोग प्रभावित हुए उन्होंने मांग की कि हमारे घरों में अनाज नहीं है, हमें अनाज चाहिए और स्टडी टीम ने भी पैसा रिलीज किया एडहाक तौर पर मुफत में अनाज बांटने के लिए। उसमें भारत सरकार ने 16 लाख रुपया दिया और राज्य सरकार ने कितना दिया? मैं इसमें किसी अधिकारी का इतना नहीं निकालूंगी दोष, जितना कि

(श्रीमती उषा प्रकाश)

इस सेक्रेटेरियेट लेवल का। मुझे मालूम है कि यह बाढ़ के लिए जो सहायता रिलीज की गई है वह टुकड़ों टुकड़ों में की गई है, तरसा तरसा कर पैसा दिया गया है। आज जब ये आंकड़े देखते हैं तो पता चलता है कि जहां स्टडी टीम ने 16 लाख रुपया मंजूर किया था कहां राजस्थान गवर्नमेंट ने 7 लाख 48 हजार रुपया रिलीज किया है। यह फण्ड वहां जाएगा। इसको क्या बोलते हैं गीविंग या और कुछ, वह वापस आ गया है क्या? इसका कारण यह है कि तरसा 2 करके और एक एक बाल की खाल खींच कर फाईनेंस डिपार्टमेंट ने इस तरह से खींच कर रिलीफ के दिनों में पैसा निकाला कि सबसे पहले जिसके मकान बिल्कुल गिर गए, उनको उपाध्यक्ष महोदय, पहली किस्त में 50 रुपये दिए गए। फण्ड इतना ही रिलीज किया कि जिससे पचास रुपये से ज्यादा मिल ही नहीं सकते थे और जिनके मकान क्षति ग्रस्त हुए थे उनको पहली इंस्टालमेंट 20 रुपये की दी गई थी। अब बीस रुपये में कोई अपने मकान पर क्या काम करवा सकता है यह आप ही सोचें। अगर एक कच्ची झोंपड़ी की भी कीमत ले लें तो वह भी सौ पचास से ऊपर ही होगी। तो इस प्रकार जो स्ट्रेंजेंसी से, इस प्रकार की कंजूसी से जो रुपया दिया गया है उससे लोगों को क्या रिलीफ पहुंच सकती थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह किस प्रकार की रिलीफ पहुंचाना चाहते थे। जो बाढ़ के लिए फण्ड आया है उसमें से कोटा, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, इन जिलों में भी खर्च किया गया है। हो सकता है कि वहां पर भी इरिगेशन के कुछ काम रुके पड़े हों और उनमें खर्च किया गया हो लेकिन यह जो अकाल विभाग की रिपोर्ट है इस रिपोर्ट का विश्लेषण करूं तो मैं सोचती हूं कि इसमें काफी समय लग जाएगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसमें एक दो बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करके मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी।

एक तो यह है कि जो सीकर में अकाल रिलीफ के नाम पर जो डीपनिंग ऑफ वेल्स का प्रोग्राम बनाया गया है उसके लिए मैं गवर्नमेंट को बधाई दूंगी। यह नया वर्क है डीपनिंग या डीगिंग, इसके लिए मैं सरकार को बधाई दूंगी। इसके साथ साथ जो सदन में यह भावना बार बार व्यक्त की गई है कि अकाल राहत के नाम पर हम जो भी खर्च करें, आज करोड़ो रुपये अकाल के नाम पर खर्च कर रहे हैं, इसमें काफी कुछ कंस्ट्रक्टिव काम भी हुए हैं इसमें शक नहीं है, परन्तु इस पर खर्चे को जिस अनुपात में हम कर रहे हैं उस अनुपात में जो प्रतिफल मिलना चाहिए हमको, वह नहीं मिल पा रहा है, यह आप और हम सब मानने को तैयार हैं। जिस अनुपात में हमें इस ड्राट से लड़ने की ताकत हमको मिलनी चाहिए उतनी ताकत, उपाध्यक्ष महोदय, आज इतना करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी हम पैदा नहीं कर पाये हैं। आपने डी० पी० ए० पी० का प्रोग्राम बनाया और वह सलिए बनाया कि बार बार में जो फेमिन आता है और आए दिन जो करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है, उससे एक्सचेकर पर जो भार पड़ता है, दिनों दिन खर्चा बढ़ रहा है उससे बचने के लिए प्लान वे में ड्राट से लड़ने की योजना बनावें।

Page No. 156

(श्रीमती उषा प्रकाश)

परन्तु अफसोस की बात है और मुझे कहते हुए खेद है कि इस डी० पी० ए० पी० के प्रोग्राम को कामयाब करने में भी हमारी मशीनरी फेल हुई है। इसमें सबसे बड़ा एक कोन्ट्राडिक्शन जो सामने आता है, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें एक तरफ फोरेस्ट डिपार्टमेंट कह रहा है कि 36.26 लाख रुपया गवनमेंट ने सेंक्शन किया था और अब फेमिन वाले रिपोर्ट दे रहे हैं कि 21.65 लाख स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। तो यह सारा जो गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से फण्ड आता है और स्टेट गवर्नमेंट अलग 2 इसको रिलीज करती है उसके बीच में क्या कोआर्डीनेशन है और क्यों उसमें देरी लगती है। जो देरी लगती है यह बहुत शोचनीय सवाल है और हमें इसकी गहराई में जाना चाहिए।

फ्लड वर्क पर जो व्यय किए गए हैं आज तक वह भी मेरे खयाल में सेटिस्फेक्ट्री नहीं है। हमने जब ईरिगेशन और पी०डब्ल्यू०डी० कि डिमाण्ड पर बहस हुई थी तब भी हम स्टेट गवर्नमेन्ट का ध्यान खींचा था और आज फिर मैं कहना चाहती हूं कि अगर समय पर काम पूरे नहीं किए गए तो फिर आगे आने वाली बरसात में फिर तबाही मचेगी और उस ओर फिर भारी समस्यायें उठ खड़ी होंगी। इस ओर भी ध्यान देने की अवश्यकता है। इसमें जो सबसे मुख्य चीज है वह सीमेंट की व्यवस्था है और अगर सीमेंट की व्यवस्था नहीं की गई तो ये सारे वर्क फिर फैल होंगे और अपने किए कराए पर पानी फिर जाएगा और उसको कोई रोक नहीं सकेंगे।

(समय–समाप्ति–सूचक–निरन्तर घण्टी)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चतुर्भुज।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय........

श्री उपाध्यक्ष : 7 बजे सरकार की तरफ से उत्तर होगा।

कई माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो कई बोलने वाले हैं।

श्री माणकचन्द सोगानी : दो दो मिनट का समय तो दे दें सरकार। सुबह से यहां बैठने का फायदा क्या है?

श्री भगराज चौधरी : हमें भी मौका दिया जाय।

श्री चतुर्भुज : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अकाल के सम्बन्ध में यहां पर विचार हो रहा है उस बारे में मैं भी अपनी बात कहना चाहता हूं। और मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूं। आज का अकाल ऐसा अकाल है कि 67 के अन्दर राजस्थान में जो अकाल पड़ा था और उसको काफी भयंकर अकाल माना गया था लेकिन यह अकाल ऐसा नहीं है। सन् 67 में जो अकाल पड़ा था उसमें केन्द्रीय सरकार ने फण्ड दिया था राज्य सरकार को और 69 के अकाल में भी राज्य सरकार को पैसा मिला था लेकिन इस बार जो संकट है वह ऐसा अकाल है कि जिसमें अगर आगे आने वाले दो तीन महीनों के लिए समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो हालत गंभीर हो जायेगी। मैं यह निवेदन करता हूं कि आने वाले दो

(श्री चतुर्भुज)

महीनों के बाद अगर चारे और बीज की, समय पर, बरसात के समय से पहले बीज का इन्तजाम नहीं किया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कम से कम 75 प्रतिशत से ज्यादा जमीन बिना बोये रह जायेगी। यह सरकार की कमजोरी होगी, इतनी भयंकर स्थिति आएगी कि कोई गांव अकेला नहीं रहेगा। घर घर में अकाल है। एक गांव छोटा मोटा रह सकता है। परन्तु हालत खराब है। मजदूर मारे-मारे फिरते हैं लेकिन वहां कोई व्यवस्था नहीं है। कलेक्टर से निवेदन किया कि कम से कम इनके लिए कोई प्रबन्ध करें।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे टौंक जिले में एक हजार पच्चीस गांवों में अकाल है और उनके अन्दर आज करीब बीस हजार मजदूर काम कर रहे हैं। यह संख्या बहुत ही कम है जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। इसलिए यह निवेदन करता हूं कि इतने गांवों में अकाल है तो और राहत कार्य खोला जाए। कई गांव तो ऐसे हैं जहां कि अकाल घोषित नहीं किया गया है। मैंने इन गांवों की रिपोर्ट की है। बीजवाड़ा, देवली गांवों में अकाल है। वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। 30/40 घर भीलों के हैं, और 150 घर रेगरों के हैं। इसलिए वहां पर अकाल राहत कार्य खोलने चाहिएं। जिलाधीश महोदय और पटवारी ने जान बूझ कर इन गांवों को टाला है। जिलाधीश महोदय से लोग मिलते हैं तो कहते हैं एम० एल० ए० साहब न काम नहीं करवाया है। मैं तो क्या करूं? आज वहां पर गांवों के लोग भूखे मर रहे हैं। मैंने जिलाधीश महोदय को रिपोर्ट दे दी और आपको भी दे दी। आज हालत यह है कि दूसरे गांवों म जाकर मवेशी को पानी पिलाते हैं। यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिलाधीश ने पूरी और सही रिपोर्ट नहीं भेजी है। गांवों के अन्दर अकाल है और भयंकर स्थिति है। तो अब आप वहां पर राहत कार्य खुलवा दें। इन गांवों में रेगर लोग हैं। देवली के दौरे पर गया तो यह बात मालूम हुई मजदूरों से कि जो मिस्त्री लोग होते हैं वे बदमाश होते हैं। 25 आदमियों के कोटे पर दो-चार आदमियों को नीचे बिठा रखते हैं। उनकी गिनती 25 में से 15 की गिनती है। इस तरह से नपती कम करते हैं। इसके लिए तो मिस्त्री की तनख्वाह कटनी चाहिए। मजदूरी ली है तो पूरी मजदूरी देनी चाहिए। जो आदमी मजदूरी करता है तो उनके काम का पैसा मिलना चाहिए। 50 माईल लम्बी रोड़ है, पंच-सरपंच पीछे पड़ जाएं तब भी उनको मजदूरी नहीं दी जा रही है। लोगों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है।

इसके साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल पर अकाल आते हैं। और इनके अन्दर रोड़, बांध सरकार बनवाती है। तो इसके लिए सरकार का यह आदेश होना चाहिए कि जहां पर आप एक लाख रुपया खर्च करते हैं वहां पर एक मोरी के लिए, एक रपट के लिए भी पैसा खर्च करें। राज्य सरकार की जो रकम लगती है वह लाखों की तादाद में होती है और बांध, मोरी नहीं बन्धने से वह सारा काम बकार हो जाता है। इसके लिए मैंने पहले भी निवेदन किया था। मोरी नहीं बनन से क्या होता है कि गांव में पानी भर जाता है। इसलिए इस पर

(श्री चतुर्भुज चौधरी)

भी कन्ट्रोल किया जाए । पचास मील की रोड़ आप बनवा देते हैं और उस पर कोई नाली आ जावे तो नहीं बनाते हैं । तो वह रोड़ सारी बेकार हो जाती है । राज्य सरकार रोड़ पर पूरा पैसा लगाती है उसका भी पूरा पूरा उपयोग होना चाहिए ।

दूसरा निवेदन, उपाध्यक्ष महोदय, गल्ले के बारे में करना चाहता हूं । इसका आपने राष्ट्रीयकरण कर दिया है यह अच्छी बात है । परन्तु यह निवेदन करना चाहता हूं कि 25 क्वीन्टल तो काश्तकार को बीज के लिए चाहिए । इस तरह तो आगे जाकर धान की पैदावार नहीं होगी ।

(समय–समाप्ति-सूचक घण्टी)

......दुनियाँ भर का खर्चा वह लगाता है । अब क्या वह ज्वार, बाजरा बोएगा । जितना भी आप टारगेट रखें वह आजादी के साथ रखें वरना संकट पैदा हो जाएगा । कोई गांव उधार नहीं देगा । भीषण अकाल हो जाएगा । इसलिए इसकी पूरी व्यवस्था की जाए । नियन्त्रण किया जाय । इसलिए निवेदन करता हूं कि हर गांव में इसकी पूरी व्यवस्था हो ।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, हमें समय दिया जाना चाहिए । The matter is very important.

श्री उपाध्यक्ष : आधे घंटे से काम चलने वाला नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : चल जाएगा ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : 9 बजे के बजाय 10 बजे तक चल सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : दस बजे तक गवर्नमेंट रिप्लाई देना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । अगर आप दस बजे तक बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं । दस बजे मंत्री महोदय को जवाब देना होगा । ऐसी बात नहीं है कि मौका नहीं दिया गया है । 40 सदस्यों को मौका दिया गया है । अब यह सम्भव नहीं है कि जितने भी माननीय सदस्य हैं वे सब इसमें भाग लें । सरकार की ओर से दस बजे तक जवाब देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री माणकचन्द सोगानी : दो, दो मिनिट दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो प्रत्येक सदस्य को आधा घण्टा देन को तैयार हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, एक घण्टे में कोई फर्क नहीं पड़ता है । दो मिनिट की बात तो गलत है ।

श्री परसराम मदेरणा : इस सदन में तीन माननीय सदस्य..........

श्री उपाध्यक्ष : हैं तो ज्यादा ।

श्री भगराज चौधरी : तीन ही हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : तीन माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं तो मुझे एतराज नहीं है । उनको 5-5, 7-7 मिनिट दे दिये जायं ।

श्री भगराज चौधरी : 10 मिनिट का समय दे दें । I may Start sir ?

श्री उपाध्यक्ष :कोई भी शुरू कर दें ।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो काफी माननीय सदस्यों ने इस वर्ष जो राजस्थान में अकाल की भीषण समस्या है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं.......

श्री उपाध्यक्ष : 10 मिनिट का फैसला आप ही कर लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : 15 मिनिट। इस पवित्र सदन में झूठ नहीं बुलायें, 15 मिनिट दे दें।

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : आज तो आपने यथार्थ बात कही है।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : इस वर्ष राजस्थान के अन्दर भीषण अकाल है, और आज से दो साल पहले भी लगातार अकाल पड़ा था। कुल मिलाकर दोनों अकाल एक के बाद दूसरा पड़ गया था इसलिए उनका असर वैसे तो ज्यादा था, मगर इस वर्ष अनाज की बढ़ी हुई कीमतें होने के कारण अकाल राहत कार्य काफी देर से चालू होने के कारण, और उचित मात्रा में, काफी संख्या में अकाल राहत कार्य सरकार के द्वारा समय पर नहीं खोले जाने के कारण इस वर्ष भी स्थिति पिछले अकाल के मुकाबले में कम गम्भीर नहीं है। वैसे जब कि पूरे प्रान्त में अकाल है और लाखों आदमी जब इससे प्रभावित है तो यह नहीं मान सकते हैं कि प्रकृति का जो घाटा है वह सरकार के लिए सम्भव हो कि 100 प्रतिशत उसकी क्षतिपूर्ति कर दे, लेकिन फिर भी जो राज्य सरकार ने स्टेप्स इस संबंध में लिए हैं वे सराहनीय हैं। मगर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन अवश्य करना चाहूंगा कि सरकार ने जो स्टेप्स लिये हैं वह सन्तोषजनक नहीं हैं

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

(7 03 म. प.)

आज कई समस्याऐं ऐसी हैं जिनसे किसान वर्ग, पिछड़ा वर्ग जो गांवों में है वह यह महसूस कर सकता है कि उनकी छोटी मोटी समस्याओं के बारे में सरकार उदासीन है। राजस्थान में अनावृष्टि होने के कारण अन्न का उत्पादन कम होने के कारण, अन्य प्रान्तों से अन्न नहीं आने के कारण हमारे प्रान्त में अनाज बहुत ही कम है। कुछ बड़े बड़े व्यपारियों ने इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए गोदाम भर लिये थे। हमें खुशी है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष पहली अप्रेल से खाद्यानों का, गेहूं का व्यापार अपने हाथ में लिया है। इस बात से कुछ अनाज बाहर आया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ महीनों अन्दर अनाज की कुछ कीमतें घटेगी। केन्द्रीय सरकार ने जो राज्य सरकार को अनाज दिया वह बहुत ही कम था। राजस्थान में ढाई करोड़ से ज्यादा की आबादी है उसको देखते हुए ज्यादा नाज मिलना चाहिए था। पिछले वर्ष के आंकड़े जो खाद्य के महकमे के मारफत सदन में हमें उपलब्ध कराये गये हैं उससे ऐसा आभास होता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उसको देखते हुए 20 पर्सेन्ट ही हमें नाज दिया गया है। केन्द्रीय सरकार ने कम नाज दिया तो मुमकिन था कि जिलों को कम नाज मिलता। मगर कुछ जिले ऐसे हैं जिसमें राज्य सरकार की ओर से नाज का वितरण किया गया है। जालोर जिले के बारे में मैंने पहले भी कहा कि जालोर जिले की 7 लाख की आबादी है और उसमें से करीब 6 लाख आबादी अकाल से प्रभावित है, और इस वर्ष बिल्कुल ही वहां पर नाज नहीं हुआ। खरीफ की

(श्री भगराज चौधरी)

फसल बिल्कुल ही बरबाद हो गई और रबी की फसल में कुछ नहीं हुआ । रबी की फसल किस कारण से कम हुई वह कारण यह रहा कि लोगों ने खाद्य पदार्थ कम बोये और उसके बजाय आइल सीड्स को लेने का प्रयत्न किया । इसलिए इस कमी को देखते हुए कुछ प्राइसेज बढ़ी हैं । जालौर जिले म जो खाद्यान्न दिया गया है वह बहुत कम था । 7 लाख की आबादी पर अगर प्रत्येक व्यक्ति पर 8 किलो अगर खर्चा लगायें तो उसके मुकाबले में हमें प्रति माह कम से कम 60 हजार क्विन्टल नाज मिलना चाहिये था । उसके बजाय बिल्कुल ही कम 1,500 बोरी अथवा 2,000 बोरी खाद्यान दिया गया है । सभापति महोदय, आप स्वयं और माननीय सदस्य इस बात से अन्दाजा लगा सकते हैं कि दो हजार बोरी प्रति माह अगर मिले तो उसका वितरण किस हिसाब से किया जा सकता है, और इतनी मात्रा से विशेष कर खेतिहर मजदूर जिनके स्वयं के पास में धान नहीं है, शिल्पकार और दूसरे बस्ती के लोग हैं जिनके पास कुछ होल्डिंग नहीं है, जो मजदूरी पर निर्भर करते हैं और जो कुछ भी थोड़ा बहुत होल्डिंग था उस पर खरीफ क्राप कुछ भी पैदा नहीं कर पाये, न पहले के साल में कर पाये थे, तो जो इस प्रकार के लोग है और जो जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र म रहते हैं उन में 50 पर्सेन्ट लोग ऐसे हैं जिनको नाज नहीं देंगे जो कि उनको मिलना चाहिए महीने भर के खान के लिए तो उनकी क्या हालत होगी । नाज का भाव इस समय 140, 150 रुपये क्विन्टल गेहूं का है और बाजरा भी यही भाव है और दूसरे सीरियल्स फूड हैं उनका भी यही हाल है । इतना मंहगा नाज है उसके विपरीत सरकार द्वारा मजदूरी की रेट बढ़ा दी गई है । मगर टास्क बेसिस पर मजदूरी लेने के कारण टास्क इतना भारी कर दिया है कि काश्तकार लोग उस टास्क को पूरा नहीं कर पाते हैं । मेजरमेंट ढंग से नहीं होता है । टास्क दिखने में अच्छा लगता है लेकिन मजदूरी में 25 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति दिन मिलते हैं । सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के अन्दर 3-4 बार ऐसे मौके आये हैं जैसे रानीवाड़ा से दूसरे स्थान पर सड़क जा रही है वहां पर 400-500 मजदूर काम कर रहे हैं उनको 25 पैसे और 30 पैसे मजदूरी दी गई है । आखिर में जब पैसे चुकाने का सवाल आया था तो इस प्रकार से पेमेन्ट किया गया तो इतने से पैसों को देखकर वे घबराये । इससे अच्छा तो यह होता कि सरकार यह कह देती कि पूरा पैसा नहीं देंगे तो पंजाब जाते, हरियाणा में जाते, और गुजरात जाते और किसी भी हालत में ढाई, तीन रुपया रोज कमाते । मान लें कि मजदूरी देंगे लेकिन मजदूरी में कटौती कर देंगे तो किसी परिवार में 10 सदस्य हैं और 10 सदस्यों में से केवल दो को मजदूरी पर लगाया तो कुल मिलाकर महीने भर के अन्दर एक फेमिली को क्या पैदा होने वाला है ? कुल मिलाकर 8, 10 या 12 रुपया, तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि 8-10 व 12 रुपये में वह 10 सदस्यों की फेमिली कैसे महीना भर तक गुजारा करें । यह आपके सोचने की बात है । टास्क जो निर्धारित किया गया है वह काफी भारी है । टास्क जो रेत में है वह भी बराबर, टास्क पहाड़ पर है वह भी बराबर, टास्क मैदान में है वह भी बराबर रखा गया है । यह बराबर पैसा देना

(श्री भगराज चौधरी)

इररैशनल है। अकाल हो गया तो अकाल में मिट्टी के हिसाब से टास्क बेसिस में परिवर्तन आना चाहिए।

जो भी एजेन्सी है उसका किस प्रकार का मूड बन गया है उसके बारे में माननीय सदस्यों ने निराशा प्रकट की है कि टास्क भी जान बूझकर कम कर रहे हैं या इस आशा से करते हैं कि ज्यों ही काश्तकार परेशान होगा और लोग परेशान होंगे तो दूसरे रूप में उनको फायदा हो जायेगा। मैं समझता हूं कि डेलिबेरेट उनका यह मूड हो सकता है, और सरकार को इसको रोकना चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन यह करना चाहूंगा कि सरकार ने जिन इलाकों में पानी नहीं है वहां पर पानी पहुंचाने की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं की है। टैंकर्स की हमारे पास कमी है, लेकिन जो लोकल तरीके हो सकते हैं, ऊंट के जरिये से, और तरीकों से, गांवों में पानी के जो बेरे हैं उनको किसी न किसी तरीके से चालू करें और ऐसे स्थानों पर पानी का इन्तजाम करना चाहिए जिससे लोग पीने के पानी से महरुम न रहें।

इसके अलावा जिन इलाकों के अन्दर जिन जिलों के अन्दर नाज की कमी है और जो मात्रा नाज की मिलना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया है कि जालोर जिले की आबादी 7 लाख की है उसके लिए केवल 2 हजार बोरी प्रति माह मिलेगी तो कैसे काम चलेगा? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को आने वाले महीनों के अन्दर इसकी मात्रा को बढ़ाना चाहिए।

साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने जो अकाल राहत कार्य खोले हैं वह मोटे रूप से प्रोडक्टिव वर्क हैं यानी सही तरीके हैं। दो-तीन काम बाकी रह गये हैं जिनके बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए और सरकार को खयाल करना चाहिए। अभी कुछ महीनों पहले हमारी कमेटी ने गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा किया था और वहां पर अकाल की जानकारी प्राप्त की तो मालूम पड़ा कि कुओं की खुदाई को सरकार महत्व दे रही है। मैंने कुछ दिन पहले निवेदन किया था कि जो इस तरह के क्षेत्र हैं, कुछ भाग ऐसे हैं जहां कुओं के जरिये सिंचाई की जा सकती है, जहां पर सिंचाई का जो साधन है वह कुए हैं। ऐसी स्थिति है कि वहां पर सिंचाई का कुल 53 प्रतिशत भाग की क्षति पूर्ति कुओं से करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिन-जिन इलाकों में, जिन-जिन जिलों में मीठा पानी मिलने वाला है और हमारा सर्वेक्षण हो चुका है। जिनके पास बड़ी-बड़ी होल्डिंग हैं, उनको कुएं गहरे कराने चाहिए। जिन में बोरिंग करने की जरूरत है उन कुओं का कार्य हमें हाथ में लेना चाहिए। जिस से आगे होकर हम इतने सक्षम हो जायें कि अकाल आ जाये तो खुद की होल्डिंग पर जमीन में अनाज पैदा कर सकें।

(7.02 सायं)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वैसे अकाल की समस्या हमारे लिए नयी नहीं है। मरुस्थल की समस्या है।

(श्री भगराज चौधरी)

न वनस्पति है, न पेड़ पौधे है। बालू रेत आने से जमीन अनप्रोडेक्टिव हो गई है। तो किसी न किसी तरीके से, साइण्टिफिक तरीके से हमें ऐसा करना चाहिए कि वहां कोई चीज पनप सके। पेड़ पौधे उगायें, जिससे जलवायु पर असर पड़ता है। जलवायु में उष्णता आ गई है, वह दूर हो, जिससे मजदूर खाली न बैठ रहें। इस देश की बहुत बड़ी जनसंख्या खाली बैठी रहे, यह उचित नहीं है। देश वही बड़ा है, जिसके पास हुनर है, जॉब है। काम है। हमारे राजस्थान में लोग खेती पर निर्भर है। और खेती प्रकृति पर निर्भर करती है। तो हमें सिंचाई के साधनों को और बढ़ाना चाहिए। खेती को और बढ़ाना चाहिए। कुटीर उद्योगों को बढ़ाना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं, देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की। जिस देश में लोग खेती करते हों, वहां अकाल आ जाये तो उनके पास कोई काम नहीं रहता है। कोई अन्न पैदा नहीं करता है। धान पैदा नहीं करता है। आखिर में उनकी पैदावार बढ़ाने का कौनसा जरिया है। 5 से 10 साल तक कोई पैदावार नहीं बढ़ेगी। उत्पादन नहीं होगा। लोगों की आय नहीं बढ़ेगी। देश की आय भी गिरेगी। खेती की आय गिरी तो हमारी आय गिरी। खेती की आय बढ़ी तो हमारी आय बढ़ी। तो सभापति महोदय, इस प्रकार से सरकार को तैयार रहना चाहिए। इसके लिए केवल अकाल सहायता कार्य ही काफी नहीं हैं। अकाल सहायता कार्य खोलने से किसी न किसी प्रकार से गुजारा हो जायेगा। मक्की या बाजरे की रोटी तो मिल जायेगी। लेकिन आखिरकार जीवन स्तर ऊंचा कैसे होगा। दूसरी तरफ हमारी सरकार ऐसे लोगों को मदद करने को, ऐसे लोगों को मदद देने को जो 500-700 विधान सभा के सामने खड़े हो गये, नारा लगा दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, कुछ समय और दे दें।

श्री सभापति : 15 मिनट आप को दे दिये हैं।

श्री भगराज चौधरी : वह आकर विधान सभा पर नारा लगाते हैं। मेडिकल फेसिलिटी के लिए। वेतन बढ़ाने के लिए··

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की जनता की कोई मदद करने वाला नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सभापति जी भी नाराज।

श्री भगराज चौधरी : इस समय हमें चाहिए कि जो आय होती है, उसको हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर हम अकाल में नहीं दे पाते हैं तो कम से कम जिस साल अकाल पड़ेगा, उस साल हम लैण्ड रेवेन्यू माफ करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री भगराज चौधरी : एक भी साल ऐसा नहीं आया है। सरकार ने लैण्ड रेवेन्यू माफ नहीं किया है। इस प्रकार

(श्री भगराज चौधरी)
से मने जो दूसरे मुद्दे बताये है, सरकार उन पर विचार करे ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य । मैं आप से निवेदन करूंगा, दूसरे माननीय सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखें ।

श्री माणकचन्द सौगानी ।

श्री माणकचन्द सौगानी (अजमेर-पूर्व) : सभापति महोदय, 1 अप्रेल से सरकार ने गेहूं का व्यापार अपने हाथ में लिया है। यह खुशी की बात है कि भाव कुछ गिरे हैं

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बड़ी खूब सूरती से फर्स्ट अप्रेल फूल बना रही है ।

श्री माणकचन्द सौगानी : लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक किसानों से सम्पर्क की बात है, माल गांव से रवाना होकर शहरों में आये, तो परचेजिंग के सेण्टर्स 4, 6 मील की दूरी पर ही बना दिये गये तो उन लोगों को ज्यादा सुविधा होगी । वरना आढ़तियों को किसान माल बेच देते थे, दूसरे, किसान माल बेचने लिए आते थे तो माल लेने पर आढ़तिये किसानों को नकद रुपये देते थे । हमारे यहां सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ? अगर नकद दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं आयेगी । अगर चैक दिया जायेगा तो उनके किसी काम में नहीं आयेगा । मुझे ऐसा सुनने में आया है कि 1 हजार नकद दे देंगे । मान लें कि एक गाड़ी वाला 2 हजार का माल लाया तो एक हजार तो नकद देंगे और एक हजार का क्या चैक देंगे । इस ओर हमारी सरकार ध्यान दे। बेचने की बाबत अभी से दिक्कत हो रही है । राशन की दूकानें सरकार खोलना चाहती है । अभी तो भाव गिरे हुये हैं । अगर देर से दूकानें खोली गईं तो भाव एकदम बढ़ सकते हैं । इसलिए सरकार को जल्दी ही दूकानें खोलनी चाहिए । बिजली भी कम मिल रही है । इण्डस्ट्री पर इसका काफी असर पड़ा है। सभापति महोदय, मैं अजमेर क्षेत्र से आ रहा हूं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं तो अभी 5 मिनट पहले ही अजमेर से आया हूं ।

श्री माणकचन्द सौगानी : वहां आप को पानी पीने के लिए मिला है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं मिला है। बड़ी भयंकर हालत है ।

श्री माणकचन्द सौगानी : किशनगढ़ में यार्न के पावरलूम लगे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा। वहां जो यार्न सप्लाई होता रहा है, वह इतना कम कर दिया है कि चौबीस घंटे चलने वाला करघा या पावर लूम कुल तीन घण्टे चलेगा तो वहां जो दस हजार मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी क्या हालत होगी। खास तौर से किशनगढ़ में आदित्य मिल है, वह इतना प्रॉडक्शन करती है कि पूरा माल किशनगढ़ को दें दे तो वहां के तमाम पावर लूम चल सकते हैं । मैं वहां की लिस्ट लेकर आया हूं, इसमें आंकड़े मौजूद हैं, 476 सज्जन हैं और 2199 पावर लूम हैं । आज इनमें से एक हजार पावरलूम बन्द हो गये हैं क्योंकि जिस मात्रा में वहां पर सप्लाई की जाने वाली थी, वहां पर 2,24,814 किलोग्राम यार्न से ज्यादा की खपत है, वहां 20,550 किलो-

Page No. 164

(श्री माणक चन्द सोगानी)
ग्राम यानि दस पर्सेन्ट कुल यार्न सप्लाई होगा। यदि इस माल को बाहर से मंगाना होता तो कोई आदमी समझ सकता था कि यह उपलब्ध नहीं है, लेकिन किशनगढ़ खास से ही अन्दर जितना माल चाहिए उतना माल बनता है। लेकिन उसे बाहर भेजा जायेगा। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए घर का पूत क्वांरा डोले, पड़ोसी के फेरे। इतना ही मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा।

रहा अजमेर का सवाल, आपको सभापति महोदय, वाकफियत है कि वहां कन्ज्यूमिंग सेन्टर है वेस्टर्न रेलवे का कारखाना, है वहां ट्रेड यूनियन है, उस ट्रेड यूनियन में जागृति है। उन्होंने एक मांग रखवायी है, वह यह है कि जिस रोज उन्हें तनख्वाह मिलती है उस रोज उन्हें अनाज दिया जाय। यह बहुत जरूरी है क्योंकि तनख्वाह उन्हें मिले पहली से दस तारीख तक और नाज का वितरण दस से तीस तक हो तो वह अनाज को खरीद नहीं सकते हैं क्योंकि उन्हें आर्थिक कठिनाई है। यह जो कठिनाई पड़ेगी इसको हटा देना चाहिए।

दूसरा उनका यह कहना है कि वह लोग काम करने वाले हैं, उनकी खुराक अच्छी होती है। इसलिए आप कम से कम उन्हें आठ किलो अनाज दें। इसके लिए मेरा खयाल है सरकार निगाह करके बराबर उन्हें आठ किलो अनाज देगी। वह बार-बार अपना यह सवाल उठाते हैं कि हम इतने बहुत बड़े कारखाने में काम करने वाले हैं, सरकार के खैरख्वाह हैं, कभी हड़ताल नहीं करना चाहते। मगर फिर भी खाने को पूरा नहीं मिलता है तो हमें विवश होकर हड़ताल करनी पड़ेगी। और सभापति महोदय, आप अन्दाज लगा सकते हैं कि आज के दिन कोई भी हड़ताल कितनी मंहगी पड़ती है······

श्री निरंजननाथ आचार्य : आज कल बड़ी सस्ती हो रही है।

श्री माणकचन्द सोगानी : इसलिए मेरा निवेदन करना है, उनको जो सप्लाई हो वह आठ किलोग्राम बराबर की जाय ताकि जैसा वह कहते हैं कि हम सीटी का बजना बन्द कर देंगे यह स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

मेरा निवेदन करना है कि यह दोनों बातें सही हैं कि राजस्थान सरकार ने बहुत कुछ अच्छा कदम उठाया है, पानी नहीं पड़ने से, देवी प्रकोप के होने से जो दिक्कत पड़ी है उसका मुकाबला साहसपूर्ण ढंग से करना हमारा फर्ज है। अकाल राहत मंत्री ने जो कुछ काम किया है, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। मैं इतना ही कह कर समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री अजीत सिंह। (श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा से) इनके बाद आपको मौका दूंगा।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : सभापति महोदय, वैसे तो यह भ्रष्ट डिपार्टमेंट है क्योंकि······

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मुझे और मंत्री जी को अकेला छोड़ देंगे बाद में।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमें छुट्टी दे दीजिये।

श्री अजीत सिंह : व्यवस्था किस प्रकार की रही है। फिर भी अकाल राहत का जो काम इस डिपार्टमेंट ने किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। खास तौर से डिस्ट्रिक्ट टौंक में जो कमियां रह गई हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। टौंक में 65 गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है, फिर भी कुछ गांव रह गये हैं। एक तहसील निवाई तहसील है, उसकी पांच हजार की बस्ती है। उसके लिए पहले निवेदन किया और फिर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पांच हजार में बहुत सारे शिड्यूल्ड कास्ट्स के आदमी रहते हैं, उनको बड़ी भारी परेशानी है। इसलिए इसको कम से कम शामिल करके आप वहां के लोगों को राहत पहुंचाने की कृपा करें। इसके साथ ही पांच हजार के करीब राशन कार्ड बांटे गये हैं। मंत्री महोदय, पहली दफा में पांच हजार मजदूरों को दिया था, जहां पर ज्यादा सीरिअस कन्डीशन्स हैं, गांवों के अन्दर वहां फिर पांच हजार को डिस्ट्रीब्यूट हुआ, दस हजार मजदूर और बढ़ाये और पापूलेशन के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। पांच हजार अभी आपने केवल एक तहसील में लेबर बढ़ा दिये हैं। मेरी समझ में नहीं आता, बाकी के लोगों ने क्या अन्याय किया है, एक तहसील में पांच हजार बढ़ा दिये, और बाकी की तहसीलों को महरूम कर दिया। लेबर की जटिल समस्या है, इसलिए एक तहसील में पांच हजार बढ़ाना किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। मैं चाहूंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर है, वह अलग अलग है, इसमें एक तहसील के लिए मजदूर बढ़ाना न्यायोचित नहीं है। मुझे आपसे इस तरह की उम्मीद है कि सही डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से लेबर बढ़ाने की कृपा करेंगे।

इसके साथ ही मंत्री महोदय में वहां की पेयजल समस्या के लिए कहना चाहूंगा। हमारे वहां पर जो ब्लास्टिंग मशीन थीं, उनको एकदम हटा दिया। वहां कुए गहरा होना आवश्यक है, उनसे लोग महरूम रह जायेंगे। इस कारण से गांवों में पानी की विकट समस्या हो गई है। मैं चाहूंगा, छः की जगह आप दो मशीन उपलब्ध करायें, जिससे जिन कुए में पानी मिट गया है, उनमें वापिस बोरिंग करके गांवों को पानी उपलब्ध कराया जा सके। इसके साथ ही कुओं की मरम्मत के लिए पंचायत समितियों को पैसा उपलब्ध कराया है। मंत्री महोदय, 1,500 रुपये के हिसाब से ही एक ओवरसियर एस्टीमेट बना सकता है, इससे ज्यादा नहीं बना सकता है। जो यह सहायता मिलती है यह तीन डिस्ट्रिक्ट में है–अजमेर, टौंक और सवाई माधोपुर। इसके लिए उसको समय नहीं मिलता है। या तो ओवरसियर को मदद देने के लिए दूसरा हो, वह बढ़ायें या एक और अभियन्ता लगायें तो कुओं की हालत ठीक हो। पानी के अभाव में वहां तालाब सूख गये हैं और कुए वगैरह को पानी के लिए ठीक बनाना आवश्यक है। अभी एस्टीमेंट रुके हुए हैं, इसलिए सहायक अभियन्ता इस डिस्ट्रिक्ट में और लगाया जाय।

मैं निवेदन करूंगा कि जो लेबर वहां पर लगी हुई है, उसमें बड़ा भारी असंतोष है। एक बांध है मैरूसागर, उत्तरसागर ग्राम कड़ील में, वहां एक बालक को एक पैसा मिल रहा है मजदूरी का। यह बड़ी भारी गलती है। मैं आपको गांव सहित नोट करा रहा हूं। सुविधा से आप जांच कर सकते हैं।

(श्री अजीतसिंह)

इसके साथ ही मेरा निवेदन है, लोड एण्ड लिफ्ट का पैसा था, वह निवेदन कर चुका हूं, वह नहीं मिला है। तीन चार तालाबों में यह स्थिति 1 से 15 मार्च तक रही है। इसके बाद स्थिति ठीक है। अब शिकायत नहीं हैं। पन्द्रह दिन का 13 हजार रुपया का नुकसान मजदूरों को हुआ है, उसको रिपेमेन्ट करवायें। एक एक पैसे के हिसाब से आप मजदूरी देते हैं। लेबर देख लिया, लेबर की गिनती कर ली, कम गिनती कर ली और डिस्ट्रिब्यूट कर दिया। जिन्होंने हराम का खाया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने ऐसा काम किया है, उनको क्या सजा मिली है। मैंने देखा है, तमाम मजदूरों से ओवरसियर नोट बना रहे हैं, कोई मेट वहां काम नहीं करता है। काम करने वाले मजदूर बचे ह, उनको एक एक पैसा दिया है······

श्री निरंजननाथ आचार्य : किसी ने ईनाम तो नहीं दिया है। यह मजदूरी नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : नजरे बद्दर की है।

श्री अजीत सिंह : यह बहुत ही ऐसा है।

दूसरा निवेदन करना चाहता हूं, अकाल की स्थिति के अन्दर मेरे जिले में विकट समस्या खड़ी हुई है। 68.65 रुपये ज्वार की चार्ज की है, सप्लाई 65.65 के हिसाब से कर रहे हैं, 11 रुपये 55 पैसे अन्य कारणों से और परिवहन व्यय से है, यह पहले जमा करा देते हैं, सप्लाई 65.65 में करते हैं एफ० सी० आई० 68 मांगता है। मजबूरन देना पड़ता है। ढाई रुपये का कन्ज्यूमर पर भार पड़ा है। यह आप सैटल करवायें क्योंकि मजबूरी सामने आ जाती है. नहीं लेते हैं तो लेप्स हो जाता है। एफ० सी० आई० और सप्लाई से आपका ताल्लुक है। इसकी रेट तय करें और रिपेमेन्ट करायें जो कन्ज्यूमर को पे करना पड़ा।

इसके साथ मंगलवार को छुट्टी होती है। जो कार्ड मिलते हैं लेने के लिए, परमिट्स, वह मंगलवार के रोज क्यों नहीं इश्यू हो जाते हैं। दुकानदार है, वह मंगलवार को पैसा जमा करा दे और उठा कर ले जाय। आखिर के दिनों म परमिट इश्यू होते हैं तो तीन दिन रह जाते हैं, उसमें ड्राफ्ट जमा कराना पड़ता है। तीन दिन रह जाते हैं इससे कन्ज्यूमर को दिक्कत होती है और परमिट लेने वाले को परेशानी होती है। इसलिए सरलीकरण करने की व्यवस्था करेंगे, यह मैं चाहूंगा। धन्यवाद!

श्री सभापति : श्री चेतराम। (श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा से) आपका मंत्री महोदय से मुकाबला होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बीच में किसी को रहने दीजिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बीच में कोई नहीं है।

श्री चेतराम (टोडा भीम) **:** सभापति महोदय, अकाल के बारे में जो कल से बहस चल रही है उसमें काफी प्रकाश डाला जा चुका है। मैं सवाई माधोपुर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सवाई माधोपुर जिले में 149 गांव अकालग्रस्त घोषित किए

(श्री चेतराम)
गए हैं। वैसे स्थिति का सही तरीके से मूल्यांकन किया जाता तो लगभग 250 गांव घोषित कर पाते लेकिन जिला प्रशासन की लापरवाही समझी जाए या एक खाता यह भी बनाया जाए कि पटवारियों की रिपोर्ट के आधार पर सब कुछ घोषित किया जाए। जो भी स्थिति है आज 149 गांवों के बारे में विचार करें तो निराशा होती है। वैसे जिला प्रशासन जो कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है उसके लिए कहूंगा कि उसकी पूरी लापरवाही है। जिलाधीश ने जनवरी के लास्ट वीक में एक मीटिंग बुलाई और उसके पश्चात् आज तक यह नहीं बताया कि सवाई माधोपुर में अकाल राहत कार्यों के बारे में क्या हो रहा है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस मीटिंग में जिसमें विधायक और प्रधान सभी उपस्थित थे, जिलाधीश से जब पूछा गया कि हमारे लिए कितना रुपया स्वीकृत हुआ है तो उन्होंने बताने से इन्कार कर दिया। मैं इस बारे में पहले ही मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर खींच चुका हूं लेकिन आज तक उस बारे में कोई निराकरण नहीं हुआ।

वैसे अकाल राहत कार्यों के लिए सवाई माधोपुर में 24 कार्य खोल रखे हैं जिनमें से 5 सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए, 13 सिंचाई विभाग के लिए और 6 भू-संरक्षण विभाग के, जिन पर 5.40 लाख रुपए खर्च होना है। यदि अकाल की वास्तविकता को देखें तो एक मात्र कारण यह है कि वर्षा समय पर नहीं हुई और जहां हुई तो अधिक हुई। एक तरफ जहां भयंकर बाढ़ आई, दूसरी तरफ पानी के अभाव में अकाल पड़ा है। यदि हम अकाल को मिटाना चाहते हैं तो जो अकाल राहत कार्य हैं वे सिंचाई विभाग के अन्तर्गत होने चाहिए। 5.40 लाख में से 2.55 लाख सार्वजनिक निर्माण विभाग पर खर्च किए गए हैं। वैसे सड़कों का आवागमन के साधनों पर, अकाल राहत कार्यों पर, बहुत बड़ा असर है। खाद्यान्न पहुंचाने में और दूसरे कार्यों में सड़कों का योगदान है। वास्तव में अकाल को दूर करना है तो सिंचाई पर ध्यान देना चाहिए। इस साल बहुत ही भयंकर बाढ़ आई और उस बाढ़ से सवाई माधोपुर जिले के 265 तालाब टूट गए। हमने राज्य सरकार का ध्यान कई बार दिलाया लेकिन आज तक उन तालाबों पर कार्य नहीं हो रहा है। जहां एक तरफ हम नारा लगाते हैं कि दैवी प्रकोप है वहां किसान पर मानवीय प्रकोप भी है। 24 कार्यों में से एक भी कार्य शुरू नहीं हुआ है जहां दूसरे जिलों में अक्टूबर से कार्य शुरू हुए हैं। आज अप्रेल शुरू हो जाने पर भी एक कार्य भी शुरू नहीं हुआ। हमने जिलाधीश का ध्यान दिलाया लेकिन उनका रवैया इस तरफ एक तरह से उपेक्षा पूर्ण रहा है। उन्होंने तहसील लेविल पर सलाहकार समितियां बना दी हैं वहां राज्य सरकार के आदेशानुसार विधायकों को नहीं रखा गया है। एक तरफ हम जिलाधीश से संपर्क करते हैं तो वह तहसीलों की तरफ इशारा करते हैं। वह कहते हैं कि विधायकों का हस्तक्षेप नहीं हो। हम हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं लेकिन अपने क्षेत्र में जरूर चाहते हैं कि जल्दी कार्य हो और उन जगहों पर होने चाहिए जहां वास्तव में अकाल है। तहसील लेविल की जो सलाहकार समितियां हैं उनमें विधायकों का साथ होना चाहिए। इसके साथ ही वहां के जिला प्रशासन को

(श्री चेतराम)

बहुत बड़ी लापरवाही की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । बाढ़ के समय जितना भी नुकसान हुआ उस समय जो सहायता मिली उसको सही तरीके से नहीं बांटा गया, चाहे जो निःशुल्क खाद्यान्न मिला था उस बारे में हो, या वितरण कार्य हो, या रिलीफ हो या तकावी हो, उसका सही उपयोग नहीं हुआ । मैंने पहले भी इस सदन में निवेदन किया था वहां के तहसील-दारों ने और जिला प्रशासन जो उत्तरदायी हैं, रातों रात वास्तव में जिनको नुकसान हुआ था, लिस्टें चेंज कीं । जिला प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है । अगस्त महीने में जब बाढ़ आई उस समय शायद 17–18 अगस्त को ही प्रधान मंत्री ने अपने रिलीफ फण्ड से 50 हजार रुपये सहायता के लिए दिया लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उस रकम का सदुपयोग नहीं हुआ है जो होना चाहिए था ।

आज अकाल की विभीषिका भयंकर है । सवाई माधोपुर में 149 गांवों की वैसी स्थिति है जो राजस्थान के अकाल ग्रस्त गांवों में है । उनमें से 35 गांव ऐसे हैं जहां पर पेय जल की समस्या विकट है । 35 में से 17 गांवों में तीन तीन, चार चार छः छः मील दूर से पानी लाना पड़ता है । मैंने जिलाधीश से पेय जल की समस्या के समाधान के लिए निवेदन किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 मार्च तक लगभग निश्चित रूप से पानी की सुविधा हो जाएगी लेकिन आज तक पानी की सुविधा नहीं हो पाई । इसके लिए फण्ड्स का प्रोवीजन हो चुका है लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ । इसलिए जो सवाई माधोपुर में अकाल राहत कार्य हैं शीघ्र ही उनको शुरू कराया जाए वरना यदि कार्य समय पर शुरू नहीं हुए तो उनसे बहुत बड़ा नुकसान होगा ।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा सीधा ही आपने मंत्री महोदय से सम्पर्क करा दिया ।

श्री सभापति : और भी हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इसके लिए भी बहुत धन्यवाद कि आपने सीधी टक्कर टाल दी सभापति महोदय । राजस्थान का 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल अकाल की भयंकर छाया में हमेशा रहा है । अनकों ऐतिहासिक अकाल पड़े हैं लेकिन 1959 और यह 1972 का अकाल सबसे भयंकर अकाल रहे हैं । जहां 1968-69 के अकाल में 22,000 गांव अकाल की चपेट में आए थे, 1972 के अकाल की चपेट में 18,500 गांव हैं । अगर आबादी को देखा जाए तो मौजूदा अकाल और उस समय के अकाल को देखें तो आज अधिक आबादी अकाल की चपेट में है । आज 1.33 करोड़ इन्सान अकाल की चपेट में हैं और यह फीचर लगातार चला आ रहा है । राजस्थान के 26 जिलों में से 25 जिले अकाल की चपेट में हैं और 26वां जिला अकाल की चपेट में नहीं है लेकिन उसकी हालत 25 जिलों से भी ज्यादा बदतर है । भरतपुर का जिला जिसमें आज बा० के बाद आना जाना बंद है जिसके 115 एरकेण्स टूट गए ।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

सभापति महोदय, इससे सारा उस बान्ध का इरिगेशन सिस्टम ही बिगड़ गया। और वहां पर पानी ही पानी एक छोर से दूसरे छोर पर हो गया सारा का सारा शेटल हो गया जो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र सिंचाई करने वाला था वह सभी समाप्त हो गया। सभापति महोदय, जो सन् 67-68 में डेढ करोड़ रुपये की सहायता भरतपुर के इन बान्धों को दी गयी थी और वहां पर जो आसपास के बान्ध थे वह सभी टूट गये और आपके यह भरतपुर, बयाना और आसपास के सभी गांवों में यह पानी बहकर गया वहां मिट्टी मिट्टी हो गयी और वह मिट्टी लोगों के घरों में प्रवेश कर गयी। सभापति महोदय दस-दस फीट की मिट्टी प्रवेश कर गयी। लोगों के घर के पानी ही पानी हो गया। सभापति महोदय, वहां पर अगर आप लोगों में से सदन के सदस्यों में से कोई वहां पर जाकर देखे तो पता लगे। मैं खुद उस इलाके में गया और वहां के राजनैतिक नेताओं से भी मिला। वहां पर हमारे सैंट्रल के मिनिस्टर श्री राजबहादुर और पहाड़िया साहब वगैरहा आये थे, लोगों ने वहां पर यह रूप दिया कि यह सब प्रकृति का प्रकोप है। लेकिन सभापति महोदय मैं इस प्रकृति का प्रकोप मानने को बिलकुल तैयार नहीं, मैं इसे अपने वहां के टेक्नीकल आफिसर्स की लापरवाही मानता हूं वह इस सारे नुकसान के लिये रेस्पान्सिबल है। सभापति महोदय, जिस प्रकार बाड़मेर और जैसलमेर में अकाल का पड़ना एक रेग्यलर फीचर है उसी प्रकार भरतपुर में बाढ़ का आना एक प्रकार का रेग्यूलर फीचर है इसलिये वहां पर जो भी सिंचाई विभाग के टेक्नीकल ऑफिसर्स थे उनकी यह प्राइम ड्यूटी होती थी कि वह इस बात का ध्यान रखें कि वर्षा में यहां कभी भी बाढ़ आ सकती है और उससे अगर एक भी बान्ध टूट गया तो उसके पीछे काफी बान्ध जो कि नये नये और छोटे छोटे टूट जायेंगे। और यही कारण है कि अजाना बान्ध टूटने से वह पानी बहता हुआ गया और रास्ते में जो भी छोटे मोटे बान्ध थे उन्हें तोड़ता गया और सारा का सारा मामला शेटर हो गया। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं यह कहूंगा कि इसके लिये राज्य सरकार के जो टेक्नीकल ऑफिसर है उनके खिलाफ में कार्यवाही होनी चाहिये। सभापति महोदय यह राज्य सरकार का रेड टेपिज्म था जिसकी वजह से यह सारा का सारा नुकसान हुआ। सभापति महोदय, सबसे पहले जो बान्ध टूटा था वह करोली का बान्ध टूटा था वह बान्ध जो बनाया हुआ था वह नोन टेक्नीकल आदमियों के हाथ से बनाया हुआ था। वह पंचायत समिति द्वारा बनाया गया था उसके लिये स्वाभाविक है कि वह टूट सकता था। सभापति महोदय, करोली में 48 घन्टे में लागातार बारिश होकर 23 इन्च पानी बरसा जिससे कि करौली के बान्ध टूट गये और उसका पानी बहता हुआ गम्भीरी नदी से मिल गया। और फिर गम्भीरी नदी का पानी सारा का सारा जाकर रास्ते में लोगों के घरों को उजाड़ता हुआ लोअर अजाना बान्ध से जाकर मिल गया। लेकिन जब वहां के टेकनीकल अधिकारियों को यह पता लग गया कि करोली में भयंकर वर्षा हुई है तो उन्हें अपने बान्ध की तरफ तो ध्यान देना चाहिये उसको चाहिये था कि वह उनके रास्ते खोल देते। लेकिन आपके टेक्नीकल अधिकारियों की लापरवाही, केअरलेसनेस की वजह से वह पानी बहता हुआ सेवाल हैड को पहुंच गया जो कि चिकसाना कैना

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

होता हुआ पहुंचा। और वहां से जो रास्ते में बान्ध आते गये वह सभी टूट गये। इधर अजाना बान्ध टूट गया, रास्ते की सड़कें टूट गयी मैं इसके लिये आपके सुपरन्टेन्डिंग इन्जीनियर श्री ए० पी० सिंगल और उनके नीचे जो दो एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर थे व जो सारा का सारा टेक्नीकल स्टॉफ था वह इसके लिये दोषी था। सभापति महोदय, इससे अजाना बान्ध के टूटने से अपेक्स बान्ध की धज्जियां उड़ गयी और कि चिकसाना नहर को वह ओवर टोप करता हुआ रास्ते के सभी बान्धों को बरबाद करता हुआ आगे बढ गया। सभापति महोदय, अजाना बान्ध के 115 मोरे हैं सभी बेकार हो गये। यह ऐसा बान्ध है कि जो कि भारतवर्ष में यूनिक है। उसका एस्टीमेटेड एकाउन्ट करीब साढे तीन करोड़ था। उसका स्टोर और रिलीफ सारे विश्व में यूनिक है। उस सबको समाप्त कर दिया। सभापति महोदय, वहां के एस० डी० ओ० ने कलेक्टर को बताया और इतने करने के बाद में वहां पर कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई सारी जगह मिट्टी ही मिटटी गयी और अजाना बान्ध का पानी जाकर बाणगंगा के पानी से मिल गया और इससे वहां पर जितने भी छोटे छोटे बान्ध थे जिनके हैड फाटक बन्द थे वह टूटे और इस प्रकार पानी बहता हुआ मेघपुर के फाटक, कुन्द नदी और खानवा बान्ध को तोड़कर जमुना के पानी में जाकर मिल गया। आज सवाई माधोपुर और भरतपुर जिले के जितने भी बान्ध थे वह सभी टूट गये और इस सारे के सारे सिस्टम के इन्चार्ज थे श्री ए० पी० सिंगल। और उनके नीचे काम करने वाले जो दो एक्स. ई. एन. थे उन्होंने लापरवाही जिससे कि यह सारा का सारा नुकसान हुआ है और यह सिस्टम सब बरबाद हो गया। मैं सदन के अन्दर साफ साफ कहूंगा कि इस सबके लिये श्री ए० पी० सिंगल की जिम्मेदारी है उसके खिलाफ में जुडिशियल इन्क्वारी होनी चाहिये और सभापति महोदय, उसकी इन्क्वायरी कराकर उन्हें सजा दी जानी चाहिये। सभापति महोदय, जहां तक अकाल का प्रश्न है उसके लिये केलेमिटी फण्ड होना चाहिये। नेशनल केलेमिटी फण्ड इसके लिये क्रियेट किया जाय। इसके लिये हमारी राज्य सरकार ने प्रस्ताव किया था सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन के सामने। मैं समझता हूं कि यह अकाल की स्थिति सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि, हमारे देश के दूसरे राज्यों में जैसे गुजरात महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, पंजाब में भी है। उससे सब चौपट हो जाता है। विहार में भी अकाल पड़ा था वह भी, सभापति महोदय, एक ऐतिहासिक अकाल था उसका भी मुकाबला आपको इतिहास में नहीं मिलेगा। मैं उसमें तो ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा लेकिन इतना बताना चाहता हूं कि इन सभी के लिये एक नेशनल केलेमिटी फण्ड जरूर होना चाहिये ताकि जहां पर अकाल रेग्यूलर फीचर है उसको उस फण्ड से कवर किया जा सके। इसलिये हमारी राज्य सरकार ने सिक्स्थ फाईनेन्स कमीशन के सामने नेशनल केलेमिटी फण्ड क्रियेट करने की बात रखी थी। मैं उसका स्वागत करता हूं। और उसके लिये एक कौमन पूल बनाया जाना चाहिये। हमारे यहां पर 28 हजार 900 करोड़ रुपया भारत सरकार को प्राप्त होता है जिसमें से टैक्स रेवेन्यू 23 हजार 500 करोड़ रुपया है। और इधर हमारी पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्दर इससे अगर दो पर्सेन्ट भी नेशनल केलेमिटी फण्ड के पूल में देवें तो मैं समझता हूं एक हजार करोड़ रुपये इसमें हो

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जाते हैं। फिर उस कौमन पूल में से सभापति महोदय, ऐसा होना चाहिये कि इसमें जहां जहां पर फेमिन पड़ता है वहां पर काफी खर्चा किया जा सकता है। आज हमारे यहां की रेवेन्यू जो हमने फेमिन की वजह से सस्पेंड की थी वह थी 13 करोड़ रुपये। और इसके अलावा हमने काफी ग्रान्ट इन एड वगैरह दी थी, कई प्रकार की लोगों को सबसिडी दी थी। इस प्रकार आज हमारे ऊपर इन अकालों की वजह से और कुछ हमारी योजनाओं को पूरा करने में हमारे ऊपर करीब 800 करोड़ रुपया का कर्जा हो गया। यह तो खुशकिस्मती थी कि हमने हमारे ओवर ड्राफट को खतम करा दिया। आज हम इस कर्जे से भारत सरकार के सागड़ी हो गये हैं। हम बुरी तरह से कर्जदार हैं और उस कर्जे को हमारे लिये चुकाना इसलिये मुशकिल है कि हर साल हमें अकाल से जूझना पड़ता है। इसलिये यह बात बहुत ही अच्छी होगी कि भारत सरकार हमारे इस नेशनल केलेमिटी फण्ड की बात को मान ले।

सभापति महोदय, अब मैं अकाल की कुछ समस्याओं के बारे में राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज अकाल के अन्दर जहां पर काम चल रहे हैं, हालांकि हमने काफी काम करने की कोशिश की है लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वह प्रापर्ली नहीं हुआ है। आज आपने अकाल में काम करने वालों की मजदूरी पहले जो अकाल में मिलती थी उससे दूनी करदी है। जिनको हम $1\frac{1}{2}$ रुपया देते थे उनको अब 3 रुपया देने लग गये। जिस औरत को, दो रुपया देते थे अब $2\frac{1}{2}$ रुपया देते हैं जिस चाइल्ड को 75 पैसे देते थे उसको 1 रुपया देते हैं। उसके साथ-साथ जो हमारा स्लेब है पांच आदमियों के पीछे दो आदमियों को वर्क देते हैं। वहां चाइल्ड के वर्क करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। पांच आदमियों वाले परिवार में 2 एडल्ट होंगे। आठ आदमियों के परिवार में 3 आदमियों को काम देते हैं। यह प्रश्न भी नहीं होता उसमें कि उसमें भी बच्चे को एंगेज करते हैं। आठ आदमियों में तीन का एडल्ट होना अस्वाभाविक नहीं है। 12 में चार को देते हैं। 80 पर्सेन्ट स्वाभाविक बात है। इससे बड़े परिवार होंगे तो $\frac{1}{3}$ को देंगे इसको वर्क लोड के साथ जोड़ दिया है 70 पर्सेन्ट वर्क लोड जरूरी है। क्या वर्क लोड का क्वान्टम है। कहीं मकराना का पत्थर तोड़ना पड़ता है, कहीं काले पत्थर का काम करना पड़ेगा और कहीं बीकानेर में रेत ढोने का, उठाने का काम करना पड़ेगा। कोई स्टेन्डर्ड नहीं है।

मेरे क्षेत्र में 240 गांव अभावग्रस्त हैं, 80 पर्सेन्ट ने लिख कर कलेक्टर को दे दिया है। उसको नये वर्क के साथ जोड़ दिया उससे हमें फायदा नहीं होने वाला है मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए मेरे जिले की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा।

श्री सभापति : 15 मिनिट हो गये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बस दो मिनिट में ही समाप्त करता हूं और समाप्त होता हूं। 247 गांव में से कुल 234 में काम चल रहा है। मैंने प्रोपोर्शन निकाला है लेकिन सारा समय नहीं लेना चाहूंगा। जैसलमेर में 512 के 522 अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। पाली में 593 अभाव ग्रस्त हैं और 591 को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। गंगानगर में 2 हजार गांवों में से

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

केवल 247 गांवों को ही अभावग्रस्त घोषित किया है। सारे प्रपोर्शन को ले लीजिये। आपने जो वर्क खोले हैं उनके आंकड़े लिये हैं, समयाभाव से उनको रख नहीं सकूंगा लेकिन इतना ही कह देना आवश्यक समझूंगा कि हमारे यहां पर सबसे कम काम खोले हैं। 32 रेवेन्यू के काम को वर्क लोड के साथ जोड़ा है। अधिक से अधिक लोगों ने लिख कर दे दिया है। 300-400 मन मिट्टी हो जाती है। इस भयंकर अकाल में वह नहीं हटा सकते। दादरा की सड़क का काम है। पक्की सड़क तो है नहीं। 1 लाख 97 हजार की जनता अकाल की चपेट में है। सदन में बार बार कहते हैं कि मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना जरूरी है। किस प्रकार कर रहे हैं। राजस्थान केनाल में 14 हजार एकड़ भाखरा से जमीन सिंचित होती थी वहां पानी बन्द कर दिया। गंग कैनाल से 15 हजार एकड़ सिंचित होती थी वहां उनको रोक दिया। उन्हीं ने यह प्रश्न के उत्तर में बताया था। इन क्षेत्रों में भयंकर अकाल पैदा कर दिया। मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सारे गांवों में पानी पहुंचना चाहिये था क्योंकि वह लिखित में मंजूर कर लिया। तीन करोड़ की स्कीम है भाखरा और गंग कैनाल की। 1 लाख 75 हजार लेबर युटिलाइज कर भाखरा की नहर को खाली कराना, राजस्थान केनाल की डिस्ट्रीब्युटरी और सब चैनल्स बना कर सैन्ड्यूज को फर्स्ट प्रायोरिटी वर्क मान कर करना है। 50 हजार मजदूर जो बीकानेर से और जैसलमेर से और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से आये हैं 180 और 122 मील के बीच राजस्थान कैनाल पर काम करने पहुंचे, आज उनकी नारकीय स्थिति है। चालीस मील से उनको अनाज लाना पड़ता है। सोयाबीन्स वगैरा प्राप्त नहीं होता है, सारा का सारा ब्लेक में चला जाता है, आज उनको एक एक महीने से अनाज नहीं मिला है। यह डाइरेक्ट अकाल मंत्रीजी से ताल्लुक रखने वाला है। उनके रहने और उनके लिये मेडीकल की व्यवस्था नहीं है। 50 हजार मजदूर नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। माल व्यवस्था के कारण कहीं मिला और कहीं नहीं मिला। उन पचास हजार मजदूरों की बड़ी दयनीय स्थिति है श्रम मंत्रीजी विराजमान हैं। अकाल मंत्रीजी भी मौजूद हैं, सिंचायी मंत्रीजी भी विराजमान हैं और जो मेरे इलाके के अकाल इन्चार्ज मंत्री हैं, इन सब के मौजूद होने से यह फिर निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र के भयंकर अकाल की समस्या का समाधान करिये नहीं तो निश्चित रूप से बता दूं आन्दोलन की भाषा म बात करने वाले लोग हैं और उसी भाषा में बात करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों के मुकाबले अकाल राहत के कामों पर अब की बार कम भ्रष्टाचार हुआ है। उसके लिये अकाल राहत मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ साथ यह भी बताना चाहूंगा कि टास्क बेसिस पर काम का जो तरीका चलाया है उससे सबसे ज्यादा सुधार हुआ है। सदन के अधिकतर माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि टास्क बेसिस को हटा देना चाहिये। अगर इसको हटा दिया तो सारा काम खराब हो जावेगा और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जावेगा। मेरे यहां पर 15 जगह से शिकायतें आयी हैं कि गलत तरीके से काम नापा गया है। पन्द्रह ही कामों पर मैं गया और मैंने अपने

(श्री मोहरसिंह)
हाथ से पैमाइश की। आठ आठ घंटे तक तक पैमाइश की।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

क्या सदन की सम्मति है कि माननीय मंत्रीजी का उत्तर होने तक के लिये सदन का समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृति)

सदन का समय सरकारी पक्ष से उत्तर पूरा होने तक के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री मोहरसिंह : मैं सब जगह गया। अधिकारी लोग मौजूद थे। 15 जगह पैमाइश की और कहीं पैमाइश गलत नहीं हो रही है। हमने गांव वालों को समझाया कि पहले के तरीके की तरह से अब काम नहीं चल सकता। उस कैम्प में सेन्ट पर्सेन्ट पेमेंट किया। कुछ ने ने बताया कि इस तरह से काम करते हैं। हमने उनको समझाया कि उसी प्रकार से काम करेंगे तो फेमीन के काम से आपको छुट्टी मिल जायगी। इस तरह से जो बात करते हैं वे मौके पर जांय और लोगों को बतायें। कौनसी जगह पर पैमायश कम हुई और सही नहीं हुई है तो मौके पर जाकर बतायें ताकि अधिकारी को उसके लिये दंडित किया जाय।

(8.00 रात्रि)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इस प्रकार के वेग और अस्पष्ट चार्ज लगाने से सुधार होने वाला नहीं है।

इसके अलावा मैं चुरू जिले के बारे में सुझाव प्रस्तुत करूंगा। पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि पीने का पानी की वहां भयंकर समस्या है। 350 गांव ऐसे हैं जहां न पानी है न आसपास में है। इन गांवों में पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं किया गया तो भयन्कर परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है गांव के गांव खाली करने पड़े। आज तक पहुंचाई गई सहायता बेकार हो जावेगी। अभी सरकार ने एक आदेश दिया है सरक्यूलर निकाल कर कि मई, जून में यहां तीन फुट पानी का प्रबन्ध किया जावेगा। मैं निवेदन करूं कि इसमें संशोधन किया जावे क्यों कि जहां अच्छे दिन हैं अच्छी वर्षा होती है उस समय भी पीने के पानी की कमी है वहां जो इन्तजाम आप करते आये हैं उसके खिलाफ यह नया सरक्यूलर निकालने से बड़ी असंगति होती है। इससे लोगों को दिक्कत होगी।

मजदूरों को पेमेन्ट हमारे जिले में मुस्तेदी से हुआ है। 25 मार्च तक का पेमेन्ट हो रहा है। पर एरियर रह जाते हैं तो उसका भी चक्कर साथ ही साथ निपटा दिया जाना चाहिये। वरना आगे चल कर दिक्कत आ जावेगी। काम चालू है। कम हैं। इसके कई कारण हैं। इस वर्ष बहुत कम काम किया है इससे अर्थ वर्क हो गया है सड़कों का। मैटिरियल चाहिये था वह तोड़ दिया गया है। पर उसकी ढुलाई नहीं हो सकी। इसके अभाव में काम नहीं होने से डिफिकल्टी होती है लोगों को। इसी प्रकार बीच बीच में काम नहीं मिलता है लोगों को। तो इसका कोई अच्छा इन्तजाम किया जाना चाहिये। जहां काफी काम हो वहां काफी पैसा जाना चाहिये। 27 जनवरी का प्रस्ताव स्वीकार होकर नहीं आया है। इससे भी दिक्कत हो रही है। उम्मीद है सरकार इनके बारे में एक्शन लेगी।

दूसरी दिक्कत है स्टॉफ की कमी की। पी० डब्ल्यू० डी० स्टॉफ का बहुत अभाव है

(श्री मनोहर सिंह)

इतने अधिक मजदूर होने के बाद भी दो एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर हैं। एसिस्टेन्ट इन्जीनियर और ओवरसीयरों की कमी है इसके कारण काम के पैमाइश में देर होती है और इस के कारण पेमेन्ट में भी देरी होती है वाहनों का भी बहुत अभाव है। इसके कारण काम को चेक करने में और चुकारा करने में भी देर होती है। इस बारे में कोई न कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि यह कमी दूर हो सके।

पहले का पैसा पूरा हो गया है। नये साल का पैसा शीघ्रातिशीघ्र मन्जूर करें ताकि काम की कमी न रहे।

अब कुछ काम हमारे जिले में सोइल कन्जर्वेशन का हो सकता है। टीबे स्थिरीकरण का हो सकता है बणाबन्दी और कहीं कुछ तालाब खोदे हैं उनको पक्का करने का हो सकता है। इस सिलसिले में भी स्वीकृति दी जावे तो ज्यादा काम हो सकता है।

इसके अलावा पशुओं की दिक्कतों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। हमारे जिले में बहुत पशु हैं और चारे के अभाव में उनकी काफी बड़ी संख्या में मृत्यु होने का डर है। पीने के पानी के अभाव में मौतें होने का डर है। चारे का भाव दस से पन्द्रह रुपये मण का हो गया है। ऐसी स्थिति में चारे के काफी संख्या में डिपो खोले जावें और जो पशुओं के कैम्प लगाने की स्वीकृति दी गई है वह भी बहुत कम है। वालन्टरी एजेन्सियां इसके लिये तैयार हैं, अगर सरकार यह प्रबन्ध नहीं कर सकती तो, पर उन पर भी आपने पाबन्दी लगा दी है कि तीन कैम्प से ज्यादा नहीं खोले जा सकते। यह पाबन्दी गलत है। इसे हटाया जाय। छोटे छोटे एजेन्सियों होने के कारण पशुओं पर उनकी संख्या पर पाबन्दी नहीं है, कैम्पों पर पाबन्दी है। इसलिये कैम्पों पर पाबन्दी लगाना खतरनाक है। इसे हटाया जाय। पशुओं की अधिकतम संख्या एक कैम्प के लिये तै कर दी जाय तो ठीक रहेगा। कैम्पों की संख्या तो बढ़नी ही चाहिये। पशुओं की संख्या बीस हजार कर दें या तीस हजार तै कर दें।

इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकिशन।

श्री जयकिशन तोषावड़ा (फागी) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, दो दिनों से अकाल के सम्बन्ध में सदन में विचार विमर्ष चल रहा है। मैं भी इस सम्बन्ध में अपने कुछ विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

राजस्थान के अन्दर लगातार इसके पश्चिमी हिस्से में कई वर्षों से अकाल पड़ रहा है और इसकी समस्या हमारे सामने भयंकर रूप लेकर सपस्थित है।

कुछ दिनों पहले मैंने सरकार से निवेदन किया था कि इस अकाल की समस्या को स्थायी रूप से दूर किया जा सके ऐसा समाधान खोजना चाहिये। अगर इसका समाधान कोई स्थायी योजना बनाकर किया जावेगा तो राजस्थान की जनता को राहत मिल सकती है।

दूसरी बात जिन क्षेत्रों में अकाल की भयंकर समस्या है आज वहां आपने राहत के काम चालू किये हैं। यह ठीक है। पर आज उनकी मजदूरी में कई प्रकार की कटौतियां हो जाती हैं। वे विचारे कड़कड़ाती धूप में अपना पेट पालने के लिये काम कर रहे हैं लेकिन

(श्री जयकिशन तोसावड़ा)

ओवरसियरों के कारण या अन्य अधिकारियों के कारण उनकी मजदूरी काट ली जाती है। इसके लिये मेरा सुझाव है कि समय समय पर अचानक इन स्थलों का निरीक्षण कराया जाता रहे ताकि ये अधिकारी लोग जो स्पाट पर होते हैं धांधलीबाजी और इस तरह की गड़बड़ियां न कर सकें। इनका आकस्मिक चैकिंग किया जाता रहना चाहिये और जहां गड़बडी पाई जावें वहां पूरी सख्ती बरती जावे और ऐसा सबक दिया जावे इन अधिकारी लोगों को कि आगे से वे ही नहीं दूसरे भी इस तरह के काम करने का साहस न कर सकें।

दूसरा निवेदन यह भी कर दूं कि हमारे राजस्थान के गांवों की संख्या 34573 है। इसमें से 18647 अभावग्रस्त हैं जिनकी संख्या लगभग एक करोड़ 35 लाख है। यह एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें 85 प्रतिशत लोग गांवों में निवास करते हैं और इनमें भी 90 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है। इस तरह से ज्यादा संख्या किसानों की है। आज उनको सरकार पेट भरने के लिये पूरा अन्न नहीं उपलब्ध करा रही हैं आज दो किलो और चार किलो की बात आप करते हैं। इतने से उनका भरण पोषण नहीं हो सकता। इसलिये अगर उनकी इस अनाज की मात्रा में वृद्धि कर दी जावे तो जनता जीवत रह सकती है और यह भयंकर समय भी अभी तीन महीने की लम्बी अवधि का है और अधिक कष्टमय है। अब तक तो मामूली जो फसल की आशा थी उस आशा और उम्मीद में दिन काटते जा रहे थे। लेकिन अब तीन महीने-अप्रेल, मई और जून जबकि पूर्ण रूप से वर्षा नहीं हो जायगी तब तक हमारी जनता के समक्ष बड़ी भयंकरता का प्रश्न है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन कर दूं कि इस भयंकर परिस्थिति के अन्दर यदि हमारी जनता को बचा लिया जाय तो बहुत ज्यादा और अति उत्तम हमारे लिये लाभदायक होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय दूसरा निवेदन हमारी सरकार को यह भी कर दूं, हमारे मजदूर जो कि 8-00 बजे से सांयकाल 5-00 बजे तक कार्य करते हैं, मैं निवेदन कर दूं उस समय को सुबह 7-00 बजे से बढ़ा दिया जाय और 12-00 बजे के समय जब कि कड़कड़ाती धूप पड़ती है, कई जगह तो उनको छाया भी नहीं मिलती है, यदि दो घण्ट आराम दे दिया जायं तो मजदूरों को लाभ हो सकता है। साथ ही यह निवेदन कर दूं जहां जहां मजदूर वर्ग कार्य कर रहा है वहां चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। कड़कड़ाती धूप में किसी को क्या बीमारी होती है, किसी को क्या बीमारी होती है- सर्दी जुखाम वगैरह लग जाती है और अन्त में यहां तक स्थिति आ जाती है कि मजदूर उस भयंकर बीमारी के कारण मौत ग्रस्त हो जाता है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं यदि ऐसे स्थानों पर चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था कर दी जाय तो हमारी जनता आसानी से काम कर सकती है।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन मैं यह भी कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने रुपया, सवा रुपया और 75 पैसे मजदूरों की तनख्वाह बढाकर तीन, ढाई और दो कर दिये हैं लेकिन मेरा सुझाव है वे औरतें जो घरों में भी काम करती हैं, और खेतों में काम करती हैं, हर क्षेत्र में मजदूरों से अधिक काम करती हैं। यदि उनकी तनख्वाह भी बढ़ा कर ढाई रुपयों से तीन रुपये बढ़ा दी जाय व मजदूरी समान करदी जाय तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है जिससे परिवार का पालन

(श्री जयकिशन तोसावडा)

हो सकता है। दूसरा निवेदन यह भी कर देना चाहता हूं यदि एक परिवार के पांच सदस्य होते हैं तो दो मजदूरों को काम पर लगाया जाता है, जिस परिवार में 6 से 8 आदमी होते हैं उनमें से तीन मजदूरों को काम पर लगाया जाता है और जहां 9 से 12 परिवार के सदस्य हैं उनमें 4 व्यक्तियों को काम पर लगाया जाता है और 12 परिवार के जहां सदस्य है उसमें एक तिहाई आदमियों को मजदूरी पर लगाया जाता है तो मैं निवेदन कर दूं और शायद मेरा निवेदन पूर्ण भी होगा, ऐसे परिवारों की संख्या जो गरीब हैं, अनाथ हैं उनको पूर्ण रूप से जो जी भी परिवार के सदस्य काम करने वाले हैं यदि पूर्णरूप से काम दे दिया जाय तो तीन महीने का जो भीषण समय है वह भयंकर उपस्थित न होकर बड़ा सरल बन सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा निवेदन यह कर दूं कि ये तीन महीने या चार महीने हमारी इस जनता के लिये बड़े भयंकर है और इस समय यदि जहां जहां भी कार्य चल रहे हैं उन्हें छोड़कर हर गांव के अन्दर एक न एक कार्य खोल दिये जायं तो हमारी जनता पूर्ण रूप से अपना पेट पालन करके इस भीषण समय को दूर कर सकती है। यह मेरा सुझाव है। दूसरा निवेदन एक और कर देना चाहता हूं अकाल के कारणवश और बाढ़ के कारणवश मेरे क्षेत्र की स्थिति बता दूं जितने तालाब हैं, सब टूट गये। जिन जिन तालाबों में पानी एकत्रित हो जाता था और उनके अन्दर पानी उपलब्ध रहता था लेकिन बाढ के कारण सब कुये टूट गये, सब तालाब टूट गये। अब पानी की बड़ी भारी समस्या उपस्थित है। अनाज तो उपलब्ध न होने के कारण मनुष्य दो टाइम निकाल सकता है, एक दिन पूरा निकाल सकता है लेकिन पानी के बिना एक घण्टा नहीं निकाल सकता है। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन कर दूं कि ऐसे क्षेत्रों में जहां कुये का पानी पीने लायक है उनमें राज्य सरकार की ओर से पूर्ण रूप से व्यवस्था कर दी जाय तो जनता प्यासी होने से बच सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दे सकता हूं, मेरे क्षेत्र के अन्दर पशुओं को बचा लिया है, क्योंकि मैंने निवेदन किया था कि हमारी सरकार से पांच हजार मवेशी के घास की व्यवस्था हुई थी लेकिन मैंने निवेदन किया 10 हजार की कर दीजिये। हमारे क्षेत्र से मवेशी बाहर जा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय ने कहा 10 हजार की नहीं, 20 हजार की कर देता हूं और ऐसा ही हुआ है। इसलिये मैं आभारी हूं और पूर्ण रूप से धन्यवाद दे सकता हूं। जिस ढंग से पशुओं की जान बचा ली उसी प्रकार थोड़े दिनों के लिये आपको परेशानी अवश्य होगी। हमारी राज्य सरकार के अन्दर व्यवस्था करने की दिक्कतें भी आयेंगी लेकिन मेरा बार बार यही निवेदन है कि भूखी और प्यासी जनता को किसी प्रकार से भी चाहे हमारे ऊपर कितनी ही विपदा और आपत्ति आये यदि भी फिर यदि इस समय जनता को बचा लेंगे तो आने वाले समय में····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पूर्ण रूप से लाभान्वित होगी। यही कहकर मैं अपने विचारों को यहीं तक रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द जैन।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे अकाल के सम्बन्ध में काफी चर्चा हो चुकी है। मैं बहुत संक्षेप में दो तीन बातों की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक तो मैं यह कहना चाहता हूं राज्य सरकार ने अकाल की स्थिति से निपटने के लिये जो कुछ कदम उठाया है या निर्णय लिया है उनको एक्जीक्यूट करने का सारा दायित्व जिला स्तर पर कलेक्टर पर आ जाता है और कलेक्टर के पास में वास्तव में देखा जाय तो हम बार बार इस बात को महसूस करते रहे हैं कि कलेक्टर के पास काम का बहुत बड़ा भार रहता है और अकाल की जो भीषण स्थिति है उसका भी बहुत कुछ दायित्व उन पर डाल दिया है। इससे मैं समझता हूं जितनी गंभीरता से और जिस तरीके से अकाल की स्थिति को ले रहे हैं, उसी रूप में उसका वहां एक्जीक्यूशन है या अमल है, इसमें काफी कठिनाई आ सकती है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज वहां पर चूरू जिले का जहां तक सवाल है, चूरू जिले में काम हुआ है और काम हो रहा है परन्तु किस तरह से काम होता है और किस तरीके से लोगों को राहत मिल रही है, उस युटिलिटि के हिसाब से क्या स्थिति है? इस बारे में जब सोचते हैं तो काफी दिमाग के अन्दर एक दूसरे तरीके की परेशानी हो जाती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे अकाल राहत कमेटी के अन्दर एक छोटी सी सड़क, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं बीदासर-डंगरसर तय हुई, वह तय कर दी और तय करने के बाद ए० ई० एन० ने ऐसा किया कि उस सड़क के जितने गांव पड़ते हैं या जो मार्ग उस डूंगर से आते हैं उसको छोड़ दिया और एक विशेष दृष्टिकोण से कहिये, मैं अभी अधिकृत रूप से नहीं कहना चाहता हूं परन्तु उस सड़क को बोदासर-डूंगरास न पहुंचा कर डूंगरास से एक मील दूर डूंगरी तक उसको पहुंचा दिया। जितने गांव बीच में पड़ते हैं उससे उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। डूंगरास से एक मील दूर रह जायेगी। कलेक्टर साहब जाते हैं तो कहते हैं गड़बड़ हो गई और यह गड़बड़ ए०ई०एन० ने कर दी। यह उनके कहने की बात है। जो जिला स्तर पर बैठे हुये अधिकारी हैं, चाहे पी० डबल्यू० डी० के चाहे दूसरे विभाग के अधिकारी हों, अपनी इच्छा से सड़क पास करदी, चाहे जिस तरीके से निकाल दिया। खेतों में से निकाला है, गांवों में से नहीं निकाले। इससे जो कुछ काम करते हैं। ऐसे लोगों में असन्तोष पैदा होता है यह मिसाल दी है।

इसी तरह से कहना चाहता हूं अकाल राहत कमेटी में भी मैंने कहा था, मेरा कहना यह है कि आज जो कुछ सड़क का काम मंजूर हुआ है वह चार करोड़ से ऊपर का है। बहुत अच्छा है चार करोड़ से ऊपर का खर्च करें। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं यह राज्य सरकार सोचे, पर कर नहीं सकती है। एक जिले में चार करोड़ खर्च कर दिये जांय तो उसके आधार पर काम शुरू कर दिया गया है। उनके कम्पलीशन की क्या स्थिति रहेगी। और वे अधूरे छोड़ दिए जायेंगे और उसके बाद में उनका नामो निशान नहीं मिलेगा। इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि आज वहां

(श्री फूलचन्द जैन)

पर गांवों के अन्दर जो पीने के पानी की समस्या है, जिसका पहले भी जिक्र किया गया है, मैं समझता हूं कि इसकी गम्भीरता को ध्यान में रख कर आने वाले समय के अन्दर जो जितनी परेशानी दिखाई देती है, अभी से इस पर कारगर कदम उठाना चाहिए। कहीं पर आपने यह मान लिया कि पानी के टैंकर्स की व्यवस्था कर दी, कहीं पर यह कह दिया कि फेमिन रिलीफ वर्क चल रहे हैं वहां गाड़ी की व्यवस्था कर दी उससे काम चल जाएगा तो वह इलाका ऐसा नहीं है कि जहां पर आसानी से यह समस्या हल हो सके और इस तरह से काम चल सके। यह समस्या वहां पर रहेगी क्योंकि मीलों तक वहां पर मीठा पानी उपलब्ध नहीं होता है। और अभी इस स्थिति में तो और भी विकट स्थिति है। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि वहां पर हालत खराब है, भयंकर अकाल है। और वहां पर इस समय के अन्दर आपने दो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर डेपूट किए हैं सारे काम काज को देखने के लिए। दोनों का हैडक्वार्टर आपने चूरू में रखा है। इसके बजाय मैं कहना चाहता हूं कि जैसी आज चूरू जिले की स्थिति है इसके अन्दर एक का हैडक्वार्टर चूरू में रहे और दूसरे का हैडक्वार्टर रतनगढ़ में रहे तो डूंगरगढ़, रतनगढ़, सुजानगढ़, सरदारशहर को कवर कर सकता है। मेरा मतलब है कि वहां पर रहने से वह पूरी तरह से चैकिंग कर सकता है और इस तरह की सारी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे वहां पर वह सारा काम काज ठीक तरह से चल सके।

मजदूरी के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे से पूर्व भी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमने टास्क बेसिस पर किया है, मजदूरी बढ़ाई है, सब कुछ ठीक है परन्तु हमको जो जो कुछ परिस्थितियां हैं और जो व्यवहारिक रूप में हमारे सामने आई है और जो हमको दिखाई देती है इसके आधार पर हमको एक बात निश्चित तौर से मान लेना चाहिए कि मिनिमम वेजेज इतना पर हैड जो कि काम रहे हैं उसको देंगे ही और जहां तक काम का सवाल है वहां पर हमारे ओवरसियर बैठे हैं, दूसरे लोग भी वहां पर बैठे रहेंगे और यह भी बात नहीं है कि कोई काम तो करेंगे नहीं और ऐसे ही पैसा ले लेंगे, परन्तु जो उनकी जीर्ण शीर्ण अवस्था है, भूखी हालत में भूखे प्यासे वे कितना काम कर सकते हैं, इसलिए जो टास्क में काम करने की व्यवस्था की है उससे यह हकीकत है कि आज लोगों को मजदूरी पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। तो हमको यह निर्णय लेना होगा कि मिनिमम वेज हम उनको कितना दे ही देना चाहते हैं जिससे लोगों को समय पर मजदूरी मिल सके और पूरी मजदूरी मिल सके।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिला स्तर के ऊपर जिन समितियों को बनाने का जो निर्णय किया है और इसके अन्दर आपने नोट के अन्दर दिया है कि तीन गैर सरकारी सदस्यों को लेने का रखा है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में अब मैं अकाल राहत मंत्रीजी से क्या कहूं, जैसा प्रोसेस बनाया गया है उसके अनुसार अकाल मंत्रीजी बीच में आते ही नहीं है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अगर मान लीजिए कि कुछ साल से जिस तरह की व्यवस्था चल रही है, दो साल से अकाल जहां पड़ रहे हैं वहां पर भी लगातार व्यवस्था कर रहे हैं और पहले भी राजस्थान में फेमिन की स्थिति हमारे सामने आई है और हमने

(श्री फूलचन्द जैन)
उनका मुकाबला करने के लिए व्यवस्था की है, परन्तु इस बार मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही है उसके अन्दर जिम्मेदारी सीधे तौर पर अकाल राहत मंत्रीजी की है और मुझे आशंका है कि अकाल राहत मंत्रीजी के जूरिसडिक्शन के अलावा भी इस तरह की जिम्मेदारी बांटी गई है लेकिन उनका कोआर्डीनेशन नहीं है, उससे कितनी गड़बड़ पैदा हो जायेगी और इससे बड़ी परेशानी पैदा होगी । इस बारे में काफी वक्ताओं ने प्रकाश डाला है कि बिना एस्टीमेट बनाए, बिना सेंक्शन के काम शुरू कर दिए जिनका कोई महत्व नहीं है और इस बारे में जब अकाल राहत मंत्रीजी से कहते हैं तो वे कहते हैं कि कलेक्टर ने कर दिया होगा । अब कैसे कर दिया, कैसे नहीं कर दिया, क्या कोम्प्लीकेसी हो गई। कलेक्टर को छूट देने से मनमानी भी कर सकते हैं और मनमानी करने में काफी गड़बड़ होने का अंदेशा भी हो सकता है जो गलत है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं अकाल राहत मंत्रीजी को कि जो कुछ व्यवस्था की जा रही है उसके अन्दर प्रोपर कोआर्डीनेशन रख कर सीमित दृष्टिकोण के अन्दर कार्यवाही न हो ऐसा हमें काम करने का ढंग बनाना चाहिए । क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर बहुत सी बातें आती हैं और आज यह स्थिति है उपाध्यक्ष महोदय कि मेरे पास भी खबर आई है और बहुत से माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि उनके यहां पर, उनके गांव के अन्दर भूख से मरे तो नहीं है लेकिन भूख से मर भी सकते हैं। ऐसी स्थितियां भी पैदा होती है कि उस गांव के अन्दर किसी ने यह कह दिया कि अमुक 2 आदमियों की हालत खराब है और यह भी कह दिया कि भूख से मरने की आशंका है तो वहां पर आज तहसीलदार पहुंच जाते हैं, दूसरे अधिकारी पहुंच जाते हैं और पहुंच कर हरेश करते हैं कि कोई भी इस तरह की बात जिसके अन्दर हमारी कोई शिकायत होती हो, कोई कमजोरी की बात करेंगे तो खबरदार है, उनको डराते हैं, धमकाते हैं और यह सारा सिलसिला चलता है। हम खुद भी चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर कोई भी व्यक्ति भूख से न मरने पाये, यह हमारी जिम्मेदारी है और इसमें सक्रिय होकर काम करना चाहिए लेकिन हकीकत को छुपाने की अगर हमने कोशिश की तो स्थिति गम्भीर हो सकती है और एक विकट स्थिति में फंस सकते हैं। इस बारे में हमको प्रोपर्ली पूरी तरह से हमारे अधिकारियों को सतर्क कर देना चाहिए कि वे वास्तविकता को छुपाने की कोशिश न करें। मैं इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय कि जैसा यहां पर अभी कहा गया है कि चूरू जिले के अंदर इतनी धन राशि खर्च हो रही है, दूसरे जिले में भी कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जो एरियाज बरसों से लगातार फेमिन में इफेक्टेड रहे हैं उन एरियाज की स्थिति इस बार बहुत ही विकट है, इसलिये इस विकट स्थति के अंदर हमको जिस जगह जैसी स्थिति है उसके मुताबिक धनराशि देना चाहिए । भले ही कोई रीजनल इम्बेलेंस की बात करते हों परन्तु जहां जैसी स्थिति है उसके मुताबिक रिलीफ हमको पहुंचाना होगा। अगर नहीं पहुंचा पाते हैं तो उससे हमारे सामने और कई प्रकार की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं और इसके साथ ही मैं यह सोचता हूं कि हमारे वहां पर जैसा म सोचता हूं कि भारत सरकार ने भी कई ऐसे प्रपोजल्स यूटिलिटि के हिसाब से हमारे सामने रखे हैं। हमने भी सीकर जिले

(श्री फूलचन्द जैन)
की स्थिति को देखा है वहां पर कुओं के लिये एक निश्चित राशि तय करके और हजारों कुओं को पूरे जिले के अंदर गहरा कराने के लिये, उनको ठीक करने के लिये धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि कुछ और काम भी जो हैं वह ऐसे जिलों के अंदर जहां पर पीने के पानी की प्राब्लम है उसके अंदर नए कूपों की व्यवस्था करने का प्रश्न भी साथ में जोड़ा जाता है तो इसके बारे में गम्भीरता से सोचा जाय और जैसा कि मैंने कहा कि यह जो वहां पर सारी कार्यवाही की जा रही है उसके ऊपर माननीय मंत्रीजी का कितना नियंत्रण है। नियंत्रण नहीं है यह बात मैं नहीं कहता लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि राजस्थान की दृष्टि से जो भी अकाल राहत मंत्रीजी हैं उनके ऊपर सारा उत्तरदायित्व आता है। कल को कोई गड़बड़ हो जाय, कोई बदनामी हो जाय उसके अन्दर कामयाब हों न हों तो उसका सारा उत्तरदायित्व अकाल राहत मंत्रीजी का है। मैं यह बात विशेष तौर पर निवेदन करना चाहूंगा कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था बनती है कि जिससे जिम्मेदारी बंट जाती है, कोआर्डीनेशन नहीं रहता है और उससे अलग 2 प्रकार से काम होता है जो किसी प्रकार से सही नहीं हो तो कौन जिम्मेदार बनेगा। माननीय मंत्रीजी कह देंगे कि आपके सारे जिले के इंचार्ज मिनिस्टर अलग हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता, उनके कहने से काम चलेगा। चूरू जिले के लिए पहले भी इंचार्ज बनाया गया था, उस ढंग से व्यवस्था थी, उसके अंदर पहले ऐसी स्थिति सामने नहीं आई, तो आज जैसा हमने चाहा है कि तीन गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत करेंगे तो उसका क्या क्राइटरिया होगा। माननीय मंत्री जो जिले के इंचार्ज हैं वे मनोनीत करेंगे? आप से सलाह तो लेंगे? अगर सलाह नहीं लेते हैं और वे ही अपोइन्ट करते हैं तो क्या हम यह मान कर चलें कि हमारे जिले के अकाल राहत मंत्री वे हैं, आप नहीं हैं। तो ऐसी हालत में क्या स्थिति होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि 8 किलो, बारह किलो, 10 किलो, छः किलो की बात यहां पर कही गई कि हमारे यहां पर पर हैड पर व्यक्ति यह मिलना चाहिए। मैं तो यहां यह कहना चाहूंगा कि हमारे जिले की जो कुछ भी स्थिति है वह हम पहले ही निवेदन कर चुके हैं। फेमिन की स्थिति से लोगों की स्थिति खराब है। आज वहां पर जो धान की व्यवस्था की गई है उसको सजगता के साथ बार बार देखा जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य।

श्री सज्जनसिंह।

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं यह मान कर चलता था कि मुझे समय मिलने वाला नहीं है परन्तु आपने जो कृपा की है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद तो पहले दे दूं।

राज्य सरकार ने अकाल के विषय में कुछ कदम उठाए हैं उसके लिये मंत्री महोदय को धन्यवाद देना मैं उचित नहीं समझता हूं। मंत्री महोदय को धन्यवाद देने का यह सीधा अर्थ होता है कि मैं उस तंत्र को धन्यवाद दे रहा हूं जो कि इस धन्यवाद का पात्र नहीं है। हमारी सरकार के पास ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जो कि इस राजस्थान की धरती पर

Page No. 181

(श्री सज्जनसिंह)

जन्मे लेकिन जिनकी विचारधारा अंग्रेजों के जाने के पश्चात् भी अंग्रेजियत से भरी हुई है। वे गांवों में जाना पसन्द नहीं करते। गांवों के गरीब लोगों से बात करना पसन्द नहीं करते। गांवों के गरीब लोगों के घरों में अन्न और आटा है कि नहीं यह देखना भी वे पसन्द नहीं करते हैं। अगर उनको यह बतला दिया जाता है तो शायद वे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर चिढते भी हैं, झुझलाते भी हैं और उल्टा सीधा उत्तर भी देते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि मंत्री महोदय को जाकर कोई बात कहते हैं तो वे बात सुनते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं और समस्या का हल भी करते हैं। मैं अपने क्षेत्र के विषय में केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि टास्क बेसिस के आधार पर जिन ओवरसीयरस को नपाई के लिये नियुक्त किया है वे समय पर नपाई नहीं लेते हैं। 15 दिन की मजदूरी के बाद वे जो खुदाई करते हैं वह उसी समय नहीं नापी जाती है। जब उसकी नपाई देते हैं तो ए. की बी. करा देता है और बी. की नपाई जेड करा देता है। वहां पर इसका कोई सबूत नहीं होता है कि यह इसी ने ही खोदा है और इस प्रकार जिन लोगों ने मक्कारी की है वे तो पूरी मजदूरी उठा लेते हैं और जो शरीफ है, भोले है, सीधे हैं और मक्कार नहीं है उन लोगों को पूरी मजदूरी नहीं मिल पाती है। अकाल सहायता मंत्रीजी चाहे तो इस बात की जांच करवा सकते हैं और मैं इसके प्रमाण भी प्रस्तुत कर सकता हूं। तालाब के अंदर खुदाई की गई है उसके अंदर भी खंडी देकर खुदाई की गई है। यह टास्क बेसिस बड़ा विचित्र प्रतीत होता है। तालाब को साफ किया जा रहा है या उसके अंदर कब्रिस्तान को तैयार किया जा रहा है। वहां पर गड्डे बना दिए गए हैं। मवेशी के पानी पीने के लिये वह ठीक नहीं है। इन्सान के लिये भी वह ठीक नहीं है फिर यह टास्क बेसिस की क्या टेकनीक अपनाई गई है। यह क्या साइन्स है समझ में नहीं आती। जब पूछा जाता है तो यह जवाब मिलता है कि साहब इसकी नपाई करने का यही एक तरीका है। हमारे क्षेत्र में सख्त जमीन है। खुदाई करने में कितना कष्ट होता है शायद यह एक्स०ई०एन० और चीफ इन्जीनियर अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं। सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर और चीफ इन्जीनियर भी इसका अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं। मेरी सहज बुद्धि के अनुसार तो ओवरसीयर भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता है कि इस जमीन की खुदाई के लिये कहीं गेंती से भी काम हो पाता है या नहीं। जहां एक दफा पूरी ताकत लगाकर, जोर देने पर सिर्फ एक आध किलो पाव भर मिट्टी उखड़ती हो उसको भी सरकार उसी तरह से नापती है और मजदूरी देती है जैसी कि सेन्डी मिटटी के लिये नापती है और मजदूरी देती है। यह टास्क बेसिस सभी जगह एक सा लागू किया जा रहा है। राजस्थान में आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार की भूमि है, कहीं सख्त है तो कहीं नर्म है और कहीं गीली। इन अधिकारियों ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से यह टास्क बेसिस निकाला है। यह तरीका भिन्न करना होगा। अगर मंत्री महोदय इस बात की परीक्षा करना चाहें तो उदाहरण दे सकता हूं। ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने के लिये तैयार हूं जहां पर बहुत ही सख्त जमीन है, बड़े परिश्रम से लोगों ने खोदी है और उनको उनके परिश्रम की मजदूरी नहीं मिली। इसलिये कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि मिनीमम वेजेज डिसाइड होने चाहिये लेकिन मैं तो यह कहूंगा और निवेदन करूंगा कि लेजिटिमेंट वेजेज डिसाइड किए जाएं।

(श्री सज्जनसिंह)

इसका आधार कायम किया जाए। जिस आदमी ने बहुत परिश्रम किया है, सख्त जमीन को खोदा है, चाहे फिर टास्क बेसिस ही हो, उसको ठीक ढंग से डिसाइड करना चाहिये। यह क्या टास्क बेसिस है कि जिसने सख्त जमीन को खोदा है उसको भी वही मजदूरी मिले और जिसने नरम जमीन को खोदा है उसको भी वही मजदूरी मिले। यह कोई वैज्ञानिक आधार, नैतिक आधार प्रतीत नहीं होता।

मैं तो यह निवेदन करूंगा कि जिसने जितना परिश्रम किया है उसको उतना पारिश्रमिक मिलना चाहिये, लेजीटीमेंट वेज मिलना चाहिये। इस पर मंत्री महोदय सोचें और निर्णय दें।

हमारे क्षेत्र में कलेक्टर्स ही निर्णय करते हैं और पंचायत समिति वाइज फन्ड्स का अलाटमेंट करते हैं। अब पंचायत समितियां ऐसी भी हैं जिसमें केवल 17 पंचायतें ही हों और दूसरी पंचायत समितियां ऐसी हैं जिसमें 47 पंचायतें हों। पंचायत समिति नौहर, मंत्री महोदय जानते हैं, कि पंचायत समिति खारची आधी ही है, और पंचायत समिति देसूरी, खारचीकी आधी भी नहीं है। उनके लिये फन्ड्स बराबर अलॉट किये जाते हैं और उनके लिये प्रोपोजल्स मांगे जाते हैं कि आप कौनसी सड़क बनाना चाहते हैं या आप कौनसा तालाब खुदवाना चाहते हैं। तो राजस्थान में बार बार अकाल पड़ने के पश्चात् भी कोई निश्चित विचारधारा नहीं, कोई निश्चित प्लान नहीं, अकाल से छूटने का कोई तरीका नहीं, और आज अकाल है तो एक सड़क की मांग करेंगे, कल और अकाल पड़ा तो उस सड़क को डेवलप करने की मांग करेंगे। माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में ऐसे कई तालाब हैं जो तीन बार खुदे हैं और कई ऐसे हैं जो एक बार टूटे, फिर बन गये, फिर टूटे और फिर बन गये, तीसरी बार फिर टूटे और फिर तीसरी बार बनाये गये।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम उस काम की उपयोगिता की जांच होनी चाहिये, बराबर एस्टीमेंट होना चाहिये। एक सड़क पाली से लेकर सादड़ी तक जाती है उसके लिये एक लाख स्वीकृत हुआ वह सड़क आगे पालेरी तक जाती है तो मैंने अपनी मांग में निवेदन किया कि यह सड़क आगे पालेरी तक जाती है तो उस पूरी सड़क की मंजूरी देनी चाहिये थी। यह मैंने एक मिसाल देकर बताया। बहुत हैपहैज़र्ड वे में सक्शन्स होती हैं, प्लान्ड वे में नहीं होती हैं। सड़क की मंजूरी दी है आपने एक स्टार्टिंग पाइन्ट से। उस पाइन्ट से स्टार्ट किया, बीच में कई गांव आते हैं, वहां के लोग मजदूरी के लिये तरसते हैं कि हमारे यहां काम प्रारम्भ हो और मजदूरी मिले, लेकिन वह नहीं मिलती। जवाब देते हैं कि जिस दिन मस्टर रोल डिस्ट्रीब्यूट किये गये उस दिन आपके यहां से कोई आया नहीं, और कभी कहते हैं कि अब की बार जब मास्टर रोल डिस्ट्रीब्यूट किये जायेंगे तो आप के यहां भी किये जायेंगे।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी अगर असन्तोष बना रहता है तो उसके लिये अधिकारी वर्ग ही जिम्मेदार है। मंत्री महोदय कितना भी परिश्रम करें, लेकिन अगर अधिकारी उनको सफल करना नहीं चाहते तो मंत्री महोदय की नेक नियत होते हुए भी काम असफल रह जायेगा।

एक बात मैं और निवेदन करूंगा। अभी

(श्री सज्जनसिंह)

मैं अपने छोटे से गांव में गया था तो लोगों ने मुझ से कहा कि राजस्थान में कानून एक ही है या दो कानून हैं। मैंने जवाब दिया कानून तो एक ही है, गरीब और अमीर के लिये एक ही कानून है। तब उन्होंने कहा कि अगर एक ही कानून है तो यह कैसे है कि पाली के लोग तो गेहूं खायें और हमें गांव में केवल मक्का ही मिले, यह एक ही कानून कहां हुआ। मैंने कहा कि विधान सभा में जाकर मंत्री महोदय को निवेदन कर सकता हूं, निर्णय तो वह ही करेंगे कि आप लोगों को मक्का ही खिलाना है और गेहूं केवल शहरों के लोगों के लिये ही है, उनके ही भाग्य में है हालांकि मैं तो भाग्य को मानता नहीं हूं लेकिन हमारी सरकार के अधिकारी उस भाग्य को मानते हैं कि छोटे गांवों में लोगों को मक्का ही मिले और शहरों में लोगों को गेहूं मिले।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अधिकारी लोग तो लक्ष्मी नारायण को मानते हैं।

श्री सज्जनसिंह : आप कौनसे नारायण को मानते हैं, मुझे पता नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं तो अलख निरन्जन को मानता हूं।

श्री सज्जनसिंह : यह खुशी की बात है कि आप किसी को तो मानते हैं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह अन्न के वितरण की जो कठिनाई है वह सरकार से छिपी हुई नहीं है। उसको हल करने में सरकार को कोई न कोई निश्चित तरीका अख्त्यार करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मेरे साथ में बड़ा अन्याय हुआ। आपने पहले तो समय दिया फिर पूरे विचार व्यक्त करने का समय नहीं दे पा रहे हैं और मंत्री महोदय से आशा करूं कि वे स्वयं सुनना चाहते हैं, उसका जवाब देना चाहते हैं और आप मुझे इजाजत दें तो मैं बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये।

श्री सज्जनसिंह : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि छोटे गांवों को तो माइलो मिले और माइलो में धतूरे के बीज हों, उससे कुछ बड़ा गांव है तो उसको मक्का मिले जो कि सड़ी गली हो, और उससे बड़े गांव को मक्का मिले जो साफ सुथरी हो, और उससे बड़े गांव को जो कि अपने आपको टाउन कहलाता है उसको गेहूं मिले, यह तो न्याय-संगत प्रतीत नहीं होता है, और मैं समझता हूं कि यह उन लोगों के बारे में अन्याय है जो कि 8-8 घंटे धूप में परिश्रम करते हैं, तो यह सड़ा धान खाकर सारा दिन परिश्रम करके पूरी वेजेज जो आपने घोषित किये हैं वह प्राप्त करने के हकदार कैसे हो सकते हैं? इसलिये म निवेदन करूंगा कि अन्न के डिस्ट्रीब्यूशन का एक समान तरीका अख्त्यार करना चाहिये और उन लोगों को वेज बराबर दिलवाने का प्रबन्ध हो जाना चाहिये।

अब रह जाती है पेय जल की समस्या। उसमें एक डिपार्टमेंट और इन्वाल्व्ड है उस डिपार्टमेंट की एफिशियेन्सी के लिए कमेन्ट करना बेकार है, क्योंकि वह कहता है कि आज आम बोया और आज का आज खा लिया जाय यह संभव नहीं है। पाली जिले के गांवों को अकाल में जवाई बन्धे की नहर से पानी दिया जाता है। उसका एक नया तरीका मैंने देखा है कि उसमें केवल पाली तहसील के गांवों में तो पानी दिया जायगा और सुमेरपुर की पंचायत समिति

(श्री सज्जनसिंह)
के उन गांवों को जो हमेशा पानी लिया करते थे उनको पानी नहीं दिया जायगा। अगर सरकार का वह निर्णय हो तो मुझे इससे अधिक दुःख नहीं हो सकता है। पीने का पानी मुहैया करना सरकार का कर्तव्य है, और उस सरकार के कर्तव्य को मंत्री महोदय के चाहते हुए भी अधिकारीगण ऐसा निर्णय करें तो मैं क्या समझूं? इसलिये मैं तो आपको यही निवेदन करूंगा कि वहां पर जिन गांवों को हमेशा पानी दिया जाता है उन गांवों को पानी जवाई नहर से जल्दी से दिलवायें ताकि वहां के मवेशी प्यासे नहीं मरे इन्सान प्यासे नहीं मरें।

चारे का प्रबन्ध किया जाय। चारे का प्रबन्ध कहीं पर किया गया है और कहीं पर नहीं किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खाखला सड़ा गला 8, 9 रुपये क्विन्टल के हिसाब से बिकता है तो वह भी उचित प्रतीत नहीं होता है। उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पाली जिले में कई ऐसे बीड़ हैं जिसका चारा दूसरी जगह भेजा जाता है, और हमारे मवेशियों को सड़ा गला और रद्दी खाखला खिलायें तो यह भी हमें उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप सारी जगहों पर न्याय कर रहे हैं तो हम लोगों ने ऐसा कौनसा पाप किया? अकाल राजस्थान में जहां कहीं भी हो हमने अपना शयर बराबर रखा है, प्रकृति ने दे दिया और उसमें आपकी तरफ से जो न्याय मिलता है उसमें दुभांत नहीं होना चाहिए, उसमें दो स्टेन्डर्ड नहीं होना चाहिए। मुझे केवल यही निवेदन करना था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी.

श्री परसराम मदेरणा : (अकाल राहत मंत्री): उपाध्यक्षजी, आज और कल इस सदन में 48 माननीय सदस्यों ने अपने विचार अकाल की स्थिति पर रखे। जो बड़ी बड़ी बातें और जो मुद्दे विचार में आये उनके डिटेल बाद में जाकर करूंगा, लेकिन माननीय सदस्यों ने कई ठोस सुझाव रखे हैं तो मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि अकाल की भीषण समस्या में जो आने वाला समय है वह राज्य सरकार जानती है और इस सदन के माननीय स्दस्यों ने इस संबंध में काफी कुछ कहा कि आने वाला समय काफी कठिन है और समस्याओं और जटिलताओं से भरा हुआ है। और मैं उस इलाके से आता हूं, माननीय उपाध्यक्ष, जहां 10 साल में 7 साल अकाल पड़ता रहता है। मुझे स्वयं इस बात की जानकारी है कि जब कभी सूखे की स्थिति होती है तो अप्रेल, मई, जून और जुलाई जब तक वर्षा नहीं होती तब तक जो यह अवधि है, पीरियड है, सबसे क्रिटिकल पीरियड होता है और लोगों को राहत मिलनी चाहिए। मैं यह जानता हूं कि आने वाले समय में जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि राजस्थान में 2210 टास्क चल रहे हैं जिसमें लेबर की संख्या जो है 7,47.000 के आसपास है। उन्होंने यह बात कही थी कि मजदूरों की संख्या बढाना चाहिए। राज्य सरकार इस बात को मानती है और हम इस बात का निर्णय भी ले चुके हैं कि अप्रेल के महीने में करीब करीब श्रमिकों की संख्या 11-12 लाख के आसपास करनी होगी-तभी हम राहत पहुंचा सकेंगे नहीं तो राजस्थान में 1 करोड़ 35 लाख की जन संख्या अकाल से प्रभावित है उससे बहुत कम लोगों को राहत अभी तक मिली है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं प्रारम्भ में ही माननीय सदस्यों को आश्वासन देना

(श्री परसराम मदेरणा)

चाहता हूं कि जिन इलाकों के अन्दर अभी कुछ कम काम है या जिन जिलों के अन्दर श्रमिकों की संख्या कम है तो निश्चित तौर वह बढाई जायेगी लेकिन उस बढाने में आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी अकाल का काम जो बिना आइडेन्टिटी कार्ड के ले लिया गया तो मैं समझता हूं कि निश्ति तौर से अनियमितता, इर्रेग्युलेरिटीज की गुन्जाइश बढ जाती है। राज्य सरकार ने भरसक प्रयत्न किया है। बहुत से माननीय सदस्यों ने यहां पर एतराज भी किया है कि आपने आइडेन्टिटी कार्ड बनाये हैं वह ठीक नहीं बनाये हैं। मैं नहीं कहता कि राजस्थान में 1 करोड़ 35 लाख की जनता जो अकाल से प्रभावित है उन सबको आइडेन्टिटी कार्ड राइट कर दिये गये हैं या वहां पर कोई अनियमितता नहीं हो सकती, जवान का नाम बच्चे में नहीं लिख दिया गया हो, इस बात की गारन्टी मैं नहीं ले सकता। आइडेन्टिटी कार्ड मतलब परिचय-पत्र इसलिए लागू किये गये हैं कि आइडेन्टिटी कार्ड अगर आज नहीं होते तो 1969 में मार्च में 7 लाख लेबर था और जून में जाकर वह 20 लाख के आसपास लेबर हो गया, लेकिन कई लोगों से इस बात की शिकायत मिली कि कई परिवारों में से एक भी व्यक्ति को नहीं लगाया गया है। आइडेन्टिटी कार्ड इसलिए बनाये गये हैं कि समाज का जो वंलनरेबल सेक्शन है, जो कम से कम बैकवर्ड सेक्शन है, उनको अकाल राहत कार्यों में प्राथमिकता के तौर पर काम मिल जाय। इसलिए आइडेन्टिटी कार्ड आवश्यक हैं।

आइडेन्टिटी कार्ड के साथ साथ जैसा कि सदन के माननीय सदस्य जानते हैं टास्क का मसला लागू किया गया, और बहुत से माननीय सदस्यों ने इस टास्क को लागू करने के बाद 2210 के आसपास कार्य चल रहे हैं उनमें से 2010 कार्य ऐसे हैं जिसके बारे में सदन को सूचित करता हूं कि सिंचाई के काम 1300, भू-संरक्षण के कार्य 327 चल रहे हैं, वन के 219 कार्य चल रहे हैं, सड़क के 554 चल रहे हैं और राजस्व के 500 कार्य चल रहे हैं। यह कार्य जल्दी ही पूर्ण हो जाते हैं इसलिए जो प्रोग्रेस में हैं उनकी संख्या 600 के आसपास है। यह हो सकता है कि मिट्टी की खुदाई में टास्क लागू करने की वजह से, टास्क को एन्डोर्स करने की वजह से जिस तरह से तालाब की खुदाई का काम पहले होता था वह शायद न हो कर उसकी शक्ल कब्रिस्तान की बन गई हो। टास्क के बारे में सदन के 30 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। कुछ माननीय सदस्यों का यह निवेदन है कि टास्क के संबंध में मिनिमम वेज जो है वह निर्धारित करनी चाहिए, कुछ माननीय सदस्यों की यह राय थी कि मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्दर जो मिनिमम वेजेज हैं वह लेना चाहिए। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य और मावली से आनेवाले माननीय सदस्य पहले सुझाव दे चुके थे। कोई श्रमिक ज्यादा काम करता है तो उसको ज्यादा वेजेज मिलना चाहिए। कई माननीय सदस्य यह कहते हैं कि 12 पैसा और 18 नया पैसा भी मिला है। टोंक से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा है कि एक नया पैसा वेज का मिला है। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टास्क को हटा दिया जाये तो यह उचित नहीं होगा तीन, चार नये पैसे मिल रहे हैं, ये जेनुइन केसेज हैं। चूरू में 3, 4 नये पैसे मिले थे। इसकी जानकारी की तो उन्होंने कहा कि काम ही नहीं किया है। तो जो काम ही नहीं करना चाहते हैं

(श्री परसराम मदेरणा)

मिनिमम 1 रु० कर दिया जाये । तो टास्क के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है, आगे आने वाला समय कठिन आ रहा है । अगर हम इसे हटा देंगे तो कैसे कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार विचार करने को तैयार है लेकिन टास्क नहीं रहना चाहिए तो आने वाले समय में हमें यह सोचना चाहिए कि यह सदन 6 तारीख को एडजोर्न हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हमने स्वीकार नहीं किया है। लेकिन हमको निभानी पड़ेगी। मैं मानता हूं अगर हाउस एडजोर्न हो जाता है तो माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में जायेंगे तो ज्यादा सुपरविजन कर सकेंगे । क्योंकि विधान सभा सेशन में रहती है तो पूरा ध्यान विधान सभा में होता है। अनडिवाइडेड अटेंशन रिलीफ कार्यों को नहीं दे पाते हैं। उसमें कमी हो जाती है। इसलिए माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि आनेवाला समय है, जो पानी की किल्लत है, लोगों को काम पर लगाना है इन सभी बातों की ओर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा। पिछले कुछ अरसे में पेमेंट ऑफ वेजेज में थोड़ी देरी हुई है। इसका कारण कुछ तो जीपों की कमी थी। दो जीपें परसों आ गई हैं । कुछ नयी जीपें आगई हैं। इसके साथ साथ मैंने कुछ जीपें किराये पर लेने की बात कही थी जिससे कि देरी न हो । कल एक माननीय सदस्य ने कहा था कि पेमेन्ट नहीं हुआ । मुझे कलेक्टर से जानकारी मिली है कि 15 मार्च को भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सभी को पेमेन्ट हो गया है । 31 मार्च तक पूरा पेमेन्ट हो जाये, इसका प्रयत्न किया गया है। इसके लिए बताया गया 200 काम करने थे । 30-40 स्थानों का पेमेन्ट नहीं हो सका है। बाकी पूरे जिले में पेमेन्ट हो गया है। मैं यह नहीं कहता हूं कि सभी हो गया है लेकिन 15 तारीख से 25 तारीख तक 80% वेजेज का पेमेन्ट राजस्थान में सभी जगह हो गया है। इसी मार्च के अन्दर पेमेन्ट हुआ है। मजदूरों की मजदूरी दुगनी हुई है । वह राशि 5 करोड़ के आसपास है। इसमें कुछ देरी हुई है, राज्य सरकार इसे मानती है। जिस आदमी को रिलीफ देना है, जो काम कर रहा है, उसको समय पर पैसा नहीं पहुंचे तो वह बेकार हो जाता है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि वेजेज का प्रति सप्ताह पेमेन्ट होना चाहिए । कुछ माननीय सदस्यों ने मेजरमेंट के बारे में कहा है कि 32 की गेंग में न होकर 10 की गेंग में होना चाहिए । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि वेजेज में कटौती होती है तो उनको मेजरमेन्ट करना चाहिए । अगर 50% से ऊपर कटौती हो रही है किसी काम में तो मैं इस बात के आदेश दे रहा हूं, राजस्थान में जहां कहीं 50% से ऊपर कटौती की जा रही है तो वहां पर सीनियर आफिसर जाकर जांच करें । ताकि लोगों को राहत मिल सके ।

यहां पर फतेहपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो मेरे अनुभव की तारीफ की उसके लिये तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं । यह मेरे अनुभव का ही परिणाम है कि हमने 4000 कुओं से सिंचाई की स्कीम सीकर जिले के लिये पाइलट प्रोजेक्ट की तरह ली है । उन्होंने भारत सरकार के खाद्य राज्य मंत्री की स्टेटमेंट के सम्बन्ध में भी एक बात कही, जोधपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने भी कहा और दौसा से आनेवाले माननीय सदस्य ने भी कहा । मावली से आनेवाले माननीय सदस्य ने भी डी०पी०ए०पी० का क्या प्रोग्राम है, उस पर क्या ऐक्सपैंडीचर हुआ और श्री सिंदे की स्पीच को जोड़ते हुए उन्होंने

(श्री परसराम मदेरणा)

भी इस मुद्दे को उठाया था । मैंने सिंदे साहब ने जो लोक सभा में स्पीच दी, वह पूरी स्पीच है। जो कुछ अखबारों में आया है वह भी पढ़ा है। मैंने उसको एक लम्बी चिट्ठी लिखी है कि जो कुछ आपके फैक्ट्स थे वह सही नहीं हैं । डी० पी० ए० पी० पर हमने 113,60,0000 खर्च किया है और मैंने यह भी जानकारी दी है कि सी० एच० आर० ई. पर उन्होंने हमारा केवल दो करोड़ का खर्चा बताया है वह भी सही नहीं है । मैंने यह भी जानकारी दी है कि प्रोडक्टिव और नॉन प्राडक्टिव कामों के बारे में जो आपने कहा है वह भी भी गलत है। राजस्थान के अन्दर जहां हमने केवल कुल मिलाकर 534 सड़कों को अपने हाथ में लिया है और वह केवल 15,000 किलोमीटर्स के आसपास हैं, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में 51,000 किलोमीटर्स लम्बी सडकें ली हैं जहां अर्थ वर्क हुआ है । मैंने चीफ इंजीनियर को भी भेजा था महाराष्ट्र में इस बात के लिये। तो 51 हजार किलोमीटर सड़कें महाराष्ट्र में ली जाती हैं, वह तो प्रोडक्टिव हो जाती हैं और राजस्थान में यदि 15 हजार किलोमीटर सड़कें ही ली जाती हैं तो वह अनप्रोडक्टिव हो जाती हैं। जबकि राजस्थान की जीओफिजीकल कन्डीशन्स महाराष्ट्र से भिन्न हैं । राजस्थान में ऐसे इलाके हैं जहां सिंचाई का कोई काम नहीं हो सकता, और आप जिसको प्रोडक्टिव काम कहते हैं वह हम नहीं ले सकते । उनके दिमाग में एक बात चल रही है कि राजस्थान में जो कुछ सड़कें बनी हैं, वह रेती पर बनी हैं और जो सड़कें बनती हैं वह उड़ जाती हैं। इस बात की गलतफहमी उनके दिमाग में न हो इसलिये मैंने उनको लिखा है कि आप किसी एक्सपर्ट को, चाहे वह ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री से हो चाहे और कहीं से हो, उसको भेजकर पहले की सड़कें और जो सड़कें आज बनी हैं, वह दिखा लें । सड़कें हमको लेनी पड़ेंगी । और नहीं लेते हैं तो उन जिलों के अन्दर डी. ए. पी.ए. के प्रोग्राम चल रहे हैं, बीकानेर में चल रहे हैं, डी. पी. ए. पी. के प्रोग्राम चूरू में चल रहे हैं – चूरू और बीकानेर के अन्दर डी.पी.ए.पी. के अन्दर सिंचाई के और भी काम नहीं हैं जो ले सकें । हमने कहा है, इस डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई की कोई पोटेंशियलिटी नहीं है तो कैसे सिंचाई के काम हाथ में ले सकते हैं । सिन्दे साहब ने जिस वक्त स्पीच दी थी, शायद, उनको जो कुछ आंकड़े वहां पर दिये गये, उनकी शायद उनको जानकारी नहीं थी । उन्होंने यह बात कही है कि इस साल डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत राजस्थान में केवल साढे तीन करोड़ का खर्चा हुआ है जब कि 7 करोड़ 14 लाख रुपये का प्रावधान था । 31 मार्च तक डी. ए. पी. ए. के अन्तर्गत, खर्चा हुआ है वह 6 करोड़ 58 लाख 13 हजार रुपये का कुल मिला कर खर्चा राजस्थान में हुआ है । तीन साल हुए हैं डी. पी. ए. पीड. के काम लेते हुए और 11 करोड़ 37 लाख 23 हजार का खर्चा हुआ है, जब कि 20 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे दस जिलों के लिए । 11 करोड़ 37 लाख के निकालने के बाद 8 करोड़ 68 लाख का प्रावधान रहता है। डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पूरा होना चाहिए था । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का एक साल बाकी है, अभी तीन रोज निकले हैं, 362 दिन का समय है और जो मशीनरी डी. ए. पी. ए. के लिए निर्धारित की है, माननीय सदस्यों को यह बात समझनी चाहिए कि इस 8 करोड़ 68 लाख के अन्दर से 2 करोड़ 40 लाख केवल रीजनल पाइप लाइन के लिए है, जो पाइप लाइन नहीं मिली है,

(श्री परसराम मदेरणा)

जिसमें लेबर कतई नहीं है। जो रीजनल पाइप लाइन की योजना चल रही हैं उस योजना में पांच सौ से ज्यादा लेबर नहीं है। आप सोचते हैं, रीजनल पाइप लाइन में लेबर लगा दिया जाय, दूसरी और कहते हैं पैसा खर्च नहीं कर सके, तो राजस्थान में जो योजना बनी हैं डी० ए० पी० ए० के जो सिंचाई के काम चल रहे हैं वह 362 काम कराये हैं, उनमें से कुछ पूर्ण हो चुके हैं, ज्यादातर आखिरी स्टेज पर हैं। डी. ए. पी. ए. के जो काम लिये थे 362, उनमें से 70 पर्सेन्ट कम्प्लीट हो गये हैं। 70 पर्सेन्ट एग्रीकल्चर के काम कराये, वह कम्प्लीट हो जाते हैं, तो उनमें ज्यादा खर्चा मैटिरियल कम्पोनेन्ट पर है, लेबर ओरिडेन्टिड वर्क नहीं है। 96 हमने नये काम लिये हैं। इसलिए यह कहना कि जो खर्चा हुआ है, इसमें कमी रही है तो इस साल जो आउट ले था उसे इसलिए खर्च नहीं कर सके क्योंकि हमारे सामने सीमेन्ट की दिक्कत आयी। इरिगेशन और फेमिन के अन्दर जो काम लिये गये हैं, उन कामों मैटिरियल कम्पोनेन्ट ज्यादा है। इसलिए सिंचाई के कामों पर कम खर्च हुआ है, इसका कारण यह है कि सीमेंट की बहुत कमी है इसलिए पक्के काम पूरे नहीं कराये जा सके। मैं निवेदन कर रहा था कि डी. पी. ए. पी. के लिए एक धारणा बनी हुई है उसको भारत सरकार के सामने कन्ट्रोवर्ट किया था एक लैटर के जरिये। उनको सदन को कान्फीडेंस में लेना चाहिए था। 8 करोड़ कुछ लाख की राशि बची है। सिन्दे साहब ने अपने भाषण में यह भी कहा है कि राजस्थान सरकार 20 करोड़ में से और अभी खर्च करना चाहे तो और दे सकते हैं। मैं समझता हूं, उन्होंने फाइनेन्स मिनिस्ट्री से बात नहीं की है, फाइनेन्स मिनिस्ट्री ने जो फैसला किया है और भारत सरकार ने जो बजट रखा है, उसमें राजस्थान के लिए 40 करोड़ का प्रावधान कहना चाहिए था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इन योजनाओं के लिए, लेकिन उन्होंने काटते काटते 23 करोड़ कर दिया है। मैंने इसका उल्लेख अपने नोट में किया है, 23 करोड़ 40 करोड़ के स्थान पर रखे हैं, इसका मतलब यह है कि राजस्थान को 17 करोड़ और मिलने चाहिए, वह नहीं मिल सके हैं। शिन्दे साहब को जानकारी नहीं है, लेकिन उनको जानकारी होनी चाहिएं, वह इसलिए होनी चाहिए थी कि जो कुछ मीटिंग हुई फरवरी के महीने में, उसमें डाइरेक्टर, डी. ए. पी. ए. ने यह हमारे रिप्रेजेंटेटिव और स्टेट के दूसरे रिप्रेजेन्टेटिव के सामने निश्चित तौर से कह दिया था कि भारत सरकार न 40 करोड़ के वजाय 23 करोड़ रखे हैं, फाइनेंसियल स्ट्रेन की वजह से पूरा अमाउन्ट नहीं मिला है। डी. पी. ए. पी. के डाइरेक्टर इस बात को राजस्थान के प्रतिनिधियों के सामने रख देते हैं, और इसकी जानकारी वहां के मंत्री को नहीं हो – यह बात मेरी समझ के बाहर है। उन्होंने एक बात कहीं, अपनी स्पीच में, जो कि कल जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने लोक सभा की प्रोसीडिंग पढी थी, उसमें कहा है कि सिंचाई के काम के ऊपर बहुत थोड़े मजदूर लगा रखे हैं, उनकी संख्या भी उन्होंने बतायी। उन्होंने कहा, माइनर इरिगेशन वर्क में डेढ लाख के आस पास मजदूर लगने चाहिए, वहां राजस्थान में केवल 28,518 लोग लगे हुए हैं। यह सूचना तथ्यों से बिल्कुल भिन्न है। 17-3-73 को वहां पर एग्रीकल्चर सेक्रेट्री जो कि सचिव ह भारत सरकार के उनको हमारे कमिश्नर आंकड़े देकर आये थे और यूनियन सेक्रेटरी

(श्री परसराम मदेरणा)

ने जो चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग बुलाई, उसमें जिक्र किया गया था कि सिंचाई के कार्यों में 17-3-73 को 87 हजार लेबर सिंचाई और फेमिन के बांधों में लगी हुई है, 87546 है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, 17-3 के बाद दिया है, 22-3 को दिया है, 22-3 को कहा था कि 28518 लेबर लगी हुई है। जब कि वास्तव में लेबर राजस्थान में 22 तारीख को 87 हजार के आस पास लगी हुई है। यह बात सही नहीं होते हुए दूसरी बात उन्होंने सोइल कन्जर्वेशन के सम्बन्ध में कही, सोइल कन्जर्वेशन के सम्बन्ध में 16 हजार लेबर लगी हुई है। राजस्थान में जबकि ज्यादा होनी चाहिए। सोइल कन्जर्वेशन में 17 तारीख को जो इन्फार्मेशन भारत सरकार को दी थी उस वक्त सोइल कन्जर्वेशन में 61442 लोग लग हुए थे, 61512 लगे हुए थे। इसलिए यह कहना कि लेबर कम है सोइल कन्जर्वेशन कार्यों में, मैं समझता हूं, यह तथ्यात्मक बात नहीं है। उन्होंने अफारेस्टेशन के सम्बन्ध में कहा, अफारेस्टेशन में ज्यादा लगने चाहिए, सेन्ट्रल स्टडी टीम चाहती है, 50 हजार के आस पास अफारेस्टेशन, जंगलात के काम थे, उनमें लगने चाहिए, जंगलात के काम चल रहे हैं उनमें 56221 हैं, जब कि सेन्ट्रल टीम चाहती है कि 50 हजार लगने चाहिए। उसके बाद हमारे जो लेबर लगे हुए हैं वह 56 हजार के आस पास हैं। सी. एस. आर. ई. के सम्बन्ध में उन्होंने कहा, झालावाड़ से आने वाले पूछ रहे थे, आखिर मैं इसका जवाब दूं, यह सम्बन्धित डिपार्टमेंट नहीं है तो छः लाख रुपये और कहां चले गये। एक दूसरे माननीय सदस्य ने कहा था कि हमारे साढे छः लाख कहां काट लिये गये, गये कहां पर? राजस्थान में सी. एस. आर. ई. का टोटल आउट ले था, वह 3 करोड़ 32 लाख का था, इसके अगेन्स्ट में आज जो काम हुए हैं वह 3 करोड़ 55 लाख से ज्यादा के हैं। कुछ लाइबिलिटी हैं, जिनके बारे में शायद मालूम भी हो, सी. एस. आर. ई. के काम माननीय सदस्य जानते हैं, मार्च के महीने में बन्द कर दिये गये। रिलीफ डिपार्टमेंट ने यह जिम्मेदारी ली थी, सी. एस. आर. ई. के काम बन्द हो गये हैं मार्च तक, उन कामों को चालू रखा जायगा और जो वैजेज हैं उनका पेमेन्ट 64 फेमिन के हैड से किया जाय ताकि लोगों को डिस्बेण्ड न करना पड़े और दूसरे काम प्रारम्भ करने के लिए इमीजियेटली उपयोगी और प्रोडक्टिव काम नहीं ले सकते थे, इसलिए उस खर्च को करने की जिम्मेदारी ली। सी.एस.आर. ई. का 3 करोड़ 32 लाख था, उसके अगेन्स्ट 1 करोड़ की और मांग थी, उसके अगेन्स्ट 30 लाख और मिले। 3 करोड़ 32 लाख खर्च पूरे राजस्थान में हो चुके हैं, यह सात जिलों में गये। इसके आंकड़े आज के आंकड़े नहीं हैं। मैं इसका सदन में पहले जवाब दे चुका हूं, 6 जिलों में दिया, कुछ जिलों में बराबर रहा और 10-11 जिलों में कम रहा। कहीं एक लाख, कहीं दो लाख, कहीं तीन लाख – यह जो कुछ किया गया, यह पिछले महीने का एक्सपेंडिचर था उसको देख कर यह जनवरी के महीने में, डिपार्टमेंट ने लिया था, क्या फेक्ट था, क्या नहीं था, एक एक डिटेल के बारे में, सी. एस. आर. ई. के कामों के बारे में मैं निवेदन नहीं कर सकता लेकिन मैं मुनीमजी को आश्वासन देता हूं कि लैप्स बिल्कुल नहीं हुआ। 3.55 करोड़ से ज्यादा खर्चा हुआ है, लायबिलिटी जो है उनको पेमेंट किया जाएगा। मुझे पूरी जानकारी नहीं है लेकिन कल शायद फिर

(श्री परसराम मदेरणा)
भारत सरकार ने आदेश दिए हैं 3.25 करोड़ रुपए आपको और दे रहे हैं 1973-74 के वित्तीय वर्ष के लिए और जो पैसा मिलता जाएगा उसको खर्च करेंगे। इस साल ध्यान रखना कि जो पैसा मिल रहा है वह पूरे का पूरा आपके जिले में खर्च हो और शुरू से ही काम इस तरह से प्रारंभ किए जाने चाहिए ताकि दूसरे जिलों में डाइवर्ट होने का प्रश्न खड़ा न हो। मैं तो यह नहीं चाहता।

श्री गौरी शंकर मुनीम : 6 लाख तो हमारे जिले को दे दो....

श्रीमती नगेन्द्र बाला : यह विषय बाद में करीब करीब बंद हो जाएगा। आपने जो आंकड़े दिए, आपने कहा 3.55 करोड़ लैप्स नहीं हुए। प्रश्न इस बात का है कि जिला स्तर पर जो 12½ लाख रुपए दिया, विकास विभाग ने दिया, चूंकि आप जवाब दे रहे हैं इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि 12½ लाख जिले के हिसाब से बांटे जो लैप्स हुआ। आपकी बांटने की इमानदारी में हमारा संदेह नहीं है। हम कहते हैं कि जिला अधिकारी जिन्होंने काम नहीं करवाया उसके कारण उस जिले को न लेकर दूसरे जिले में हुआ तो जो नुकसान हुआ उसका देनदार कौन होगा? आप लैप्स नहीं होने देंगे लेकिन जिले का जो काम था उसके लिए जिम्मेदार कौन है?

हमारे जिले में मीटिंग हुई उन्होंने कहा पहले अपनी योजना दीजिए....

श्री राजेन्द्र भारतीय : यह तो भाषण हो गया।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : जिले की योजना थी, सड़कें हुई, कुए या स्कूल भवन हुए उस हिसाब से योजना दे दी, पैसा देरी से आया, प्रधान व विकास अधिकारी चिल्लाते रहे। मैं कहना चाहती हूं कि जून तक आधे काम समाप्त होने चाहिए जब आप पैसा देंगे तब काम होगा।

श्री राजेन्द्र भारतीय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री परसराम मदेरणा : विषय तो बंद हो गया। माननीय सदस्या चाहती थीं कि बीच में क्वेरी की जाए लेकिन जबान मेरी बंद नहीं होती, बाद में भी मैं उत्तर दे सकता था। मैं निवेदन कर रहा था सी० एस० आर० ई० के संबंध में अधिकारी की किसकी गलती रही किसकी नहीं, यह जानकारी मेरे पास में नहीं है। मैं यह जानकारी इसलिये दे रहा हूं कि जहां भारत सरकार के राज्य मंत्री यह बात कहते हैं कि सी० एस० आर० ई० में राजस्थान को 3.25 करोड़ आंवटित किए हैं वह खर्च नहीं कर सकते, डी० पी० ए० पी० पर 6½ करोड़ के आसपास खर्च किया है तो जो कुछ सेंट्रली स्पान्सर्ड स्कीम्स हैं चाहे डी० पी० ए० पी० हो चाहे सी० एस० आर० ई० हो, चाहे नेशनल हाईवेज हों, चाहे फलड्स का काम हो, चाहे डेजर्ट डवलपमेंट बाड़मेर जैसलमेर का है, चाहे प्लान के अंदर जैसे आउटले रखा गया है माइनर और मीडियम इर्रीगेशन के लिये यह जो खर्चा पूरा नहीं होता है तो भारत सरकार कहती है कि अकाल के काम के लिये और रिलीफ आपरेशन्स के लिये केन्द्रीय सहायता तुमको हम नहीं देने वाले हैं जब तक यह खर्चा नहीं कर रहे हैं। इसलिये मैं केस टेकअप कर रहा हूं राज्य सरकार अपनी मशीनरी को गीयर अप करेगी। जो गति आई है सी० एस० आर० ई० में वह अक्टूबर से ज्यादा आई है।

बाड़मेर के माननीय सदस्य ने मुझ पर चार्ज

(श्री परसराम मदेरणा)

लगाया कि बाड़मेर अकाल से ग्रस्त है और वहां पर काम प्रारंभ नहीं किए, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय नवम्बर में मैं तीन बार गया था उस समय 12½ लाख में से 49 हजार खर्च किए थे सी० एस० आर० ई० मे, उसके बाद सी० एस० आर० ई० के काम चले थे उसके बाद दूसरे काम प्रारंभ किए गए। मैंने अकाल के कामों के बंद करने के लिये नहीं कहा था लेकिन जिलाधीश ने गलतफहमी में उन कामों को बंद किया। जब दुबारा मैं वहां गया तो मैंने रिलीफ कमेटी में भी बात कहीं थी कि मैंने उन कामों को बंद करने के आदेश नहीं दिए थे और आप 12½ लाख रूपया बाड़मेर में खर्च करो, उसके बाद में अकाल के काम बराबर चलते रहे। यह कौनसा तरीका है कि भारत सरकार नहीं मानने वाली है और मेरी समझ में आने वाली बात नहीं है। शुरू शुरू में काम प्रारंभ नहीं किए गए, उसके बाद में बराबर काम खोले हैं और बाड़मेर कलेक्टर से मैंने दो तीन दिन पहले कहा था। मैंने उनसे कहा था कि बाड़मेर में प्रभावित जनसंख्या को देखते हुए श्रमिकों की संख्या कम है और उन्होंने प्रस्ताव नहीं भेजा है, क्या कारण है। उन्होंने बताया कि रिलीफ एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग रखी है उसमें जो प्रस्ताव आए हैं उनके एस्टीमेट्स बनाने के लिये टेक्नीकल अधिकारियों से कहा है, एस्टीमेटस आयेंगे तो प्रस्ताव एक दो दिन में सरकार की स्वीकृति के लिये भेज रहा हूं।

फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कल सड़कों के बारे में, सिंचाई के कामों के लिए कहा कि वर्क्स की स्वीकृति में काफी देरी होती है। मैंने यह जानकारी ली तो मुझे मालूम हुआ कि जो सिंचाई के, सड़कों के, काम जयपुर जिले के लिए स्वीकृत किए गए हैं उनमें 15 हजार मजदूरों को और लगाने की गुंजाइश है और मैंने आदेश भी दिए हैं [illegible] हजार मजदूरों के आसपास उस जिले में हैं। हमने नार्म निर्धारित किया था वह 20 हजार के आस पास है। 20 हजार के ऊपर भी लेबर चला जाता तो उसके बाद में भी कहीं न कहीं काम में थोड़ा बहुत स्ट्रीमलाइनिंग होना चाहिए था वह नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि दूसरे जिलों में जो कुछ उन्होंने आंकड़े दिए हैं, कई जिलों में 81 पर एक आदमी, कई जिलों में 17 पर एक है, जयपुर में, और कई जिलों में 6 पर एक है। कई जिलों में 6 पर एक है, कई जिलों में 32 पर, कई जिलों में 33 पर एक है और हमने जोधपुर, बाड़मेर, चूरू, जयपुर, उदयपुर का तुलनात्मक विवरण सदन में उपस्थित किया। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि 1969 में जयपुर में 12,95,300 की पापुलेशन एफेक्टेड, इस साल 9.25 लाख हैं। उस समय 100 और कुछ काम प्रारंभ किए गए थे। मार्च में श्रमिकों की संख्या 10 हजार से कम थी। मुझे जानकारी है कि 1969 के अकाल में फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य मुझसे मिले थे और जब मैंने कलेक्टर से पूरा ब्यौरा मंगाया तो मुश्किल से 113 काम थे। कई कामों पर 5-5 मजदूर थे वह इसलिये कि यह जो 2 लाख और कुछ हजार हैक्टर्स में सिंचित एरिया है, दूसरे जिलों में भी सिंचित एरिया है। जयपुर जिले के 12 लाख हैक्टर्स में से दो लाख तीन हजार हेक्टर्स कुओं से सिंचित एरिया है। जयपुर के कुओं में पानी में थोड़ा बहुत शिंकेज हो गया तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन दो लाख हेक्टर्स

(श्री परसराम मदेरणा)

में यहां पर खेती हुई है और माननीय सदस्य जब बाहर निकलते हैं, चाहे फुलेरा रोड पर, चाहे गोविंदगढ, चाहे दौसा, चाहे शाहपुरा रोड। इसलिये काम खोलने में राज्य सरकार ने किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया है। मैं फिर विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक राज्य सरकार का प्रश्न है, हमेशा हमने मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया है। अगर यह बात होती तो डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य कैसे कहते कि उधर पिछले अकाल में 75 हजार लेबर थी इस साल 20 हजार लेबर है। इस समय जैसलमेर का एक विधायक है वह कांग्रेस के हैं उस समय विरोधी पार्टी के थे तो 75 हजार लेबर वहां था अब 20 हजार है, तो यह दृष्टिकोण हमारा नहीं रहा है। तो आप जो यह बात कह रहे हैं वह सही नहीं हैं। जहां तक सवाल लेबर का है वह तो मैं आप चाहे तो 48 घन्टे में पूरी कर सकता हूं। लेकिन उनसे काम लेने के लिये हमें टेक्नीकल स्टाफ का नार्म भी तो बनाना पड़ेगा। आज हमने 1700 के करीब इन्जीनियर्स और ओवरसियर्स टेक्नीकल के इन क्षेत्रों में लगाये हैं। अब टेक्नीकल स्टाफ उनसे किस प्रकार से काम ले यह देखना है। हमको इन सभी का क्यूमूलेटिव इफेक्ट भी तो देखना पड़ेगा। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि इस ओर अब की बार जनता में कोई शिकायत नहीं आयी दूसरी ओर आप यह कह रहे ह कि पैसा कम दिया जा रहा है या यह कह रहे हैं कि लोग काम अधिक करते हैं और उन्हें कम लिखा जारहा है। मैं मेरी जानकारी के आधार पर और मेरे अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, काफी काम सन्तोषजनक हो रहा है। हमने वहां पर जो स्टाफ लगाया है उसमें आईडेन्टीटी कार्ड देखे हैं लेबर के तथा साथ में टास्क बेसिस पर काम के अनुसार पेमेन्ट कर रहे हैं ताकि लोग मुफ्त की नहीं खा सकें। आज हजारों लोग वहां पर काम कर रहे हैं तो हमें यह तो देखना पड़ेगा कि जो पेमेन्ट हम कर रहे हैं वह पेमेन्ट लेजीटिमट कर रहे हैं या नहीं। यह भी शिकायत मेरे पास कुछ माननीय सदस्यों ने की कि लोग 50 परसेंट काम करते हैं उसका 30 परसेंट कर देते हैं फुल टाइम करते हैं उसका 50 परसेंट कर देते हैं। तो इसके लिये मैं अभी तक कुछ नहीं कह सकता जब शिकायत आयेगी तो पता लगेगा। इधर कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां काम करने वाले लोगों को कुछ रिलेक्सेशन दिया जाना चाहिये। तो यह राज्य सरकार के केबीनेट लेवल पर होगा। इधर कुछ माननीय सदस्यों ने आंकड़े मांगे हैं तो मेरे पास पाली के आंकड़े हैं और सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा तो उनको अभी मैं यही कह सकता हूं कि मेरे पास अभी सिंचाई के बारे में उस एरिया में काम हो रहा है उनके आंकड़े जो कि 1-3-73 से 15-3-73 तक के मेरे पास हैं वह मैं आपको बता सकता हूं। वहां पर 12987 श्रमिक काम कर रहे हैं उसमें 90 परसेंट से 99 परसेंट तक पैसा लेने वाले लोगों की संख्या 983 है और 80 से लेकर 89 परसेंट तक काम करने वाले टास्क बेसिस के हिसाब से 1526 श्रमिक हैं। 70 से 79 परसेंट तक काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 1219 है तथा 60 से 70 परसेंट तक टास्क बेसिस पर काम करने वाले लोगों की संख्या 3096 श्रमिक है और 50 से लेकर 59 परसेंट तक काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 5346 है, 40 से लेकर 49 परसेंट तक काम करने वाले लोग जिनको पेमेन्ट हुआ है 751 और तीस से चालीस परसेंट काम करने वाले 66 श्रमिक हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

इसी तरह और एक जगह काम करने वाले लोगों की संख्या करीब 4540 मजदूर जिनको कि सेन्ट परसेंट पेमेन्ट हुआ है। और 3034 श्रमिक ऐसे है, जिन्होंने 90 परसेंट से लेकर 100 परसेंट तक काम किया। 1735 श्रमिक ऐसे हैं जिन्होंने 80 से लेकर 90 परसेंट तक काम किया है। 1210 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 60 से लेकर 70 परसेंट तक काम किया और 50 से लेकर 60 परसेंट काम करने वाले 370 श्रमिक हैं और 612 श्रमिक ऐसे हैं जिन्होंने इनसे भी नीचे काम किया। अब अगर आप कहते हैं कि पेमेन्ट ज्यादा किया जाय या टास्क बेसिस को नहीं रखा जाय वह तो कह नहीं सकता। सब कुछ केबीनेट करेगी। अगर आप यह कहें कि टास्क बेसिस पर नहीं होना चाहिये वह तो होगा नहीं क्योंकि टास्क बेसिस तो होना चाहिये। अब इसमे जो कम ज्यादा करना है पेमेन्ट के बारे में वह कितना हो, कितना काम होना चाहिये यह समय समय पर जैसी भी स्थिति होगी उसी के अनुसार कार्यवाही होगी। टास्क तो रखना पड़ेगा। अब यहां पर कुछ माननीय सदस्यों के मन में रीजनल इम्बैलेन्स का भूत सवार है। खास तौर से मैं जालोर से आने वाले माननीय सदस्य के बारे में कहूंगा, उनकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। हमें तो सब कुछ देखकर काम करना पड़ेगा। टोटल इनवेस्टमेंट जो हम वहां पर करते है उसको भी देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से क्या काम होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वह सभी देखना पड़ता है। इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अकाल राहत कार्य बहुत ही देर बाद चला जिससे काफी नुकसान हो गया। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसे कहा वहां पर 50 परसेंट से लेकर 100 परसेंट तक नुकसान हो गया है। जब वह यह कहते हैं तो मुझे हंसी आती है क्योंकि उन्हें यह पता होगा कि पिछली दीवाली पर जब मैं बाड़मेर गया था तो मैंने वहां पर 40 रुपये क्विन्टल मतीरे देखे थे और दूसरी चीजें भी देखी थी जैसे तूम्बे देखे जो कि वहां पर 45 रुपये क्विन्टल बिक रहे थे। तो एसी कोई विशेष खराब हालत नहीं थी। आज राजस्थान में करीब 18 हजार गांव ऐसे हैं जो कि बराबर अकाल से पीड़ित हो रहे हैं जिसमें झालावाड़ जिला, सवाई माधोपुर जिला वगैरह वहां पर काम स्वीकृत हो गये। सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य और सुजानगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा एक्स ऐजेन्सी के बारे में और कलेक्टर के बीच में काफी कोरडीनेशन रहा जिससे काफी काम किया और कुछ हद तक कामयाबी भी मिली। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि सभी जगह पर जहां जहां पर अकाल है राज्य सरकार वहां पर अकाल राहत कार्य खोल रही है और इस बारे में काफी सतर्क है। दूसरे कुछ माननीय सदस्यों ने मवेशियों के बारे में कहा है कि कई जिलों में मवेशियां एक जिले से दूसरे जिले में जाती हुई मर गयीं। मैं माननीय सदस्यों को इसके लिये भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस ओर भी ढिलाई नहीं बरत रही है। उनके लिये भी पूरा इन्तजाम कर रही है। राज्य सरकार कितना इनसानों के लिये अपना उत्तरदायित्व मानती है उसी तहर इन्हें बचाना भी अपना उत्तरदायित्व मानती है। लेकिन पहिले इनसानों की रक्षा होती है बाद में इनका नाम आता है। अभी अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझे कुछ बातें बतायीं। मेरे में यह खास बात है कि अगर कोई गलती मेरी हो तो मैं उसे मान लेता हूं और उसे ठीक करने की कोशिश करता हूं। जैसा कि

(श्री परसराम मदेरणा)

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि मवेशी एक जिले से दूसरे जिले में जाती हुई बीच में मर गयी। हो सकता है कुछ मर गयी होंगी। पर मैं उनकी जानकारी के लिये एक बात जरूर निवेदन कर दूंगा कि लोंगेविटी ऑफ लाईफ जो आदमी की है वह हमारे इन्डियन सिटीजन्स की करीब अब 53 साल है और मवेशियों की लोंगेविटी करीब दस साल है। तो उनकी उम्र आदमी से टन टाइम्स कम होती है, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम अनाज जो भारत सरकार से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वह अनाज सकंड प्रॉयोरिटी का हमारे हाथ आया तो उसमें जो अच्छा होगा उसको हम फर्स्ट प्रिफरेन्स लोगों के लिये देंगे और उसमें चारे की प्रॉयोरिटी अगर होगी तो हम उसमें तीसरी प्रॉयोरिटी चारे के लिये देंगे। फर्स्ट प्रॉयारिटी हमारी पहले अनाज लाने के लिये होगी और चारे के लिये लाने की बात होगी तो वह सैकण्ड प्रॉयोरिटी मे आयेगी अनाज पहले लाया जायेगा और चारा बाद में लाया जायेगा। चारा प्रोक्योर करने की हैसियत है। चारे के लिये ऑल इन्डिया टेन्डर्स इन्वाइट करने जा रहे हैं। ताकि गांवों में चारा उपलब्ध हो सके। फीडिंग सेन्टर खोले हैं। उनकी तादाद काफी बढी है। कई वालेन्टियरी ओर्गनाइजेशन्स हमारे सामने आये हैं। हमारी स्कीम के अनुसार फीडिंग सन्टर खोले हैं। और राजस्थान सरकार ने फोडर के पर्चेज डिपो भी स्टार्ट किये हैं।

जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही राज्य की अकाल सलाहकार समिति बनायी उसकी तीन महीने से एक मिटिंग नहीं हुई। यह बात सही है। अब इसका निश्चय हो गया है और 7 तारीख को मीटिंग होने जा रही है। वे तो नहीं है। उनकी पार्टी के सदस्य श्री जगदीश प्रसादजी माथुर हैं। उनको सूचना मिल गयी है।

जिलास्तर और तहसील स्तर की कमेटियां हैं उनके ग्रामीण सदस्यों को मनोनीत करने में पक्षपात किया है। उनको जानकारी नहीं है। उनका कोन्स्टियुशन हुआ है दो महीने पहले फूड ओरफेसिन की कमेटी को अमेलगमेट करके यह कमेटी बनायी गयी है। सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि मेम्बर नोमिनेट कैसे होंगे जिस जिले के इंचार्ज मिनिस्टर है वे नोमिनेट करेंगे। सात जिलों को देखा है, एक को भी नोमिनेट नहीं किया तो फिर पक्षपात कैसे है यह मेरी समझ में नहीं आता। माननीय सदस्य को कोई शायद भ्रम है।

यहां पर लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य और भादरा से आने वाले माननीय सदस्य, जो चले गये हैं शायद जल्दी में थे, एक बात कही कि राजस्थान में अकाल बराबर पड़ता रहता है लेकिन आपने स्थायी योजनायें क्यों नहीं हाथ में लीं। और ड्रॉट प्रोन स्कीम्स क्यों नहीं हाथ में लीं? ड्रॉट प्रोन स्कीम्स के बारे में मैं जिक्र कर चुका हूं उसको तो छोड़ दीजिये। लूणकरणसर को ही ले लीजिये। राजस्थान केनाल की योजना है वहां पर। करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है रेगिस्तानी इलाकों को सरसब्ज बनाया जा रहा है। इससे लूणकरणसर क्षेत्र में पीने के पानी की किल्लत मिटेगी। चिलिंग प्लान्ट नहीं लगाया। केटल ब्रीडिंग की बात कर लीजिये। राजस्थान नहर के मुकाबले में कोई योजना अधिक सबूत नहीं दे सकती है। इरिगशन के बड़े बड़े काम लिये गये हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

सब ही माननीय सदस्य जानते होंगे। चम्बल और भाखरा के अलावा भी मीडियम और छोटे बांध लिये गये हैं। कुछ काम करने हैं। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने देवास के संबंध में एक बात कही और डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बांध के बारे में बात कही कि ये काम हाथ में क्यों नहीं ले रहे हैं। देवास की योजना बड़ी योजना है। इतनी बड़ी योजना को हाथ में इसलिये नहीं ले सकते हैं कि टेक्निकली इसकी स्वीकृति नहीं हुई है और जब तक स्वीकृति नहीं देते हैं तो इसको रिलीफ में नहीं ले सकते हैं। ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने फीडर की बात कही। इसकी भी टेक्निकली स्वीकृति नहीं हुई है। जहां जहां पर पचास लाख के काम है, रोक कटिंग के काम ज्यादा है। लेबर पोटेन्शियलिटी 30 परसेंट है। इतनी बड़ी योजना को हाथ में लेकर खर्च करना काम को अस्तव्यस्त करना है। देखने में तो यह ठीक लगती है। इससे राजस्थान केनाल में पचास लाख लगाना चाहिये। कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जाकम पर लगाने चाहिये। तीन लाख के लेबर को लगाने के आदेश दे दिये हैं। फेमिन में साइड पर काम लेने की स्वीकृति दी है। अजमेर डिस्ट्रिक्ट में नेशनल हाई वे के काम चल रहे हैं। भारत सरकार से यह कोशिश की है और लिखा पढी की है कि नेशनल हाई वे है, पंचवर्षीय योजना में उसको हाथ में ले लिया जाय। तीन हजार लेबर लगा भी दिया है।

रेलवे के बारे में मेमोरेन्डम बना कर भेजा है। लेकिन भारत सरकार ने रिकमन्डेशन मानी या नहीं मानी उसकी कोई सूचना नहीं। हमने कहा था कि चार पांच रेलवे के प्रोजेक्ट सर्वे हो चुके हैं उसको ले लीजिये उन पर काफी लेबर लग सकती है। राजस्थान कैनाल में भी पचास लाख लेबर लगाने की बात थी वहां पर भी लेबर नहीं लग रही है।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य और कोलायत से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा मैं। निवेदन करूंगा कि लिफ्ट इरिगेशन पर 25 हजार लोग लगे हुए हैं और 20 हजार फेमिन पर लगे हुए हैं। ज्यादा लेबर जाने की संभावना नहीं है। 45 हजार तो दोनों को मिला कर हो गया। राजस्थान कैनाल के लेबर को एक्सकल्यूड क्यों मान कर चल रहे हैं। 2 लाख रूरल पापुलेशन है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की तो बाकी जिलां में कम होगी। 1/5 पापुलेशन वहां पर लग चुकी है। सरकार इस विचार की नहीं है कि राजस्थान कैनाल पर जबरन भेजा जावेगा। दिल्ली में वातावरण बना हुआ है कि राजस्थान नहर को जल्दी बनाया जाय। ताकि रेगिस्तान में कमी आजाय। इतना बड़ा काम है तो लेबर को ट्रांसपोर्ट करके क्यों नहीं लेजा रहे है। हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हड़ताल हो जाती है 1969 में जैसलमेर से 9 हजार लेबर गया उसके पहले जनसंघ पार्टी ने हड़ताल की।

बीकानेर इलाके के जो ज्यादा ड्रॉट के इलाके हैं उनमें आने वाले समय में कुछ काम खोलेंगे।

यहां पर जोधपुर से, ब्यावर से तथा कोलायत से आने वाले माननीय सदस्यों ने एक बात कही कि अगर काम अधिक नहीं खोलें गये और लोगों को सन्तोष नहीं हुआ और मिनिमम वेज तीन रुपया नहीं रखा गया तो जनता आन्दोलन करेगी और उन्होंने यह भी कहा कि बीकानेर जिला बोर्डर पर आया हुआ है इसलिये वहां आर्मस्मगल हो

(श्री परसराम मदेरणा)

सकता है और देश को खतरा हो सकता है, इसके लिये प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है बोर्डर डिस्ट्रिक्ट के जरिये । बीकानेर का प्रबन्ध तो किया है राजस्थान नहर से । डिफेन्स के पोईन्ट ऑफ व्यू से प्रबन्ध राजस्थान सरकार करेगी और फिर ऐसी स्थिति में आने नहीं दूंगा कि आन्दोलन की नौबत आवे । ऐसी स्थिति इसके बाद भी आती है तो यहां ऐसी बात स्वीकार नहीं की जा सकती कि तीन रुपया मिनिमम वेज रख दीजिये । इतना जरूर करना चाहेंगे कि कम से कम वह अपना गुजारा चला सके और इसलिये हमने जोइन्ट टास्क रखा है ।

सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि अगर टास्क रखा है तो हर्ज नहीं पर इसमें भी हार्ड सोइल, सोफ्ट सोइल, गिट्टी ब्लास्ट सोइल आदि का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा है । मैं निवेदन कर दूं कि टास्क हर सोइल का अलग अलग है । हार्ड का सोफ्टसो का, कंकर ब्लास्ट का, राक कटिंग का, ऊपर से पत्थर निकाल कर तोड़ना, करना आदि कई कैटेगरीज हैं और इन सबके टास्क अलग अलग हैं । हो सकता है कि सोफ्ट और हार्ड में फर्क न रखा हो । इसका मैं नहीं कह सकता, बाकी तो सारे टास्क भिन्न भिन्न हैं और उसी तरह से ये लागू किये गये हैं ।

यहां एक बात और कही गई कि लेबर को पता नहीं है इन टास्क की कैटेगरीज का इस सम्बन्ध में इस प्रकार के आदेश दिये जा रहे हैं कि जो मिनिमम टास्क परफोर्म करते हैं क्यूबिक फीट में अलग अलग कैटेगरीज हैं काम की, इसके बारे में निश्चित तौर से कलेक्टर एक हैंड बिल या पेम्फलेट के जरिये छपवा कर वितरित कर दें । ताकि सभी लोगों को इस बारे में जानकारी मिल जाय । यह आदेश मैं कल ही निकाल रहा हूं पेम्फलेट से पूरी जानकारी सभी को मिल जावेगी ।

दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने और एक अन्य माननीय सदस्य ने, शायद बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने, कहा कि डीपनिंग ऑफ वेल्स के लिये ब्लास्टिंग यूनिट्स नहीं हैं। इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये। आगे पानी की किल्लत आने वाली है। जहां तक कोटा का प्रश्न है कलेक्टर की डिमाण्ड आई थी । ब्लास्टिंग यूनिट्स के लिये अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड, जो इस काम को देखता है, को हमने कहा । उन्होंने जवाब दिया कि अभी उनकी सारी मशीनरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन प्रोग्राम में लगी हुई है। इसलिये असमर्थता जाहिर की। लेकिन कलेक्टर कोटा यह कह रहे थे कि उनको ब्लास्टिंग मशीनरी की आवश्यकता नहीं है कलेक्टर को स्वयं को बुला लिया गया था क्योंकि हम चाहते थे कि किराये पर भी अगर यह मिल सके तो लेकर काम चलाया जाय । हमने यह कह भी दिया उनको । पर उन्होंने कहा कि हमारे वहां पत्थर बहुत हार्ड है, इसलिये ब्लास्टिंग यूनिट काम नहीं देगा । रिग्स मिलनी चाहिये । पी० डब्ल्यू० डी० को इसके लिये कहा गया तो उन्होंने कहा कि वे भी जून तक स्पेअर नहीं कर सकते । यह मजबूरी है, फिर भी प्रयास कर रहे हैं इस बात का कि वहां पर कुछ भी प्रबन्ध किया जाय ।

बांसवाड़ा में ब्लास्टिंग की यूनिट भिजवाने की व्यवस्था कर दी जावेगी ।

फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रोड की बात कही थी कि जो काम लिया गया है उसमें मौके पर वे जब गये तो

(श्री परसराम मदेरणा)
इन्जीनियरों ने कोई और बात बताई। मैंने लिस्ट डिपार्टमेंट से भी मंगाई थी। उसे देखने से मालूम हुआ मालपुरा से टोडा की सड़क है। ग्रिट डालने का प्रस्ताव भेजा था उसकी स्वीकृति हुई है। आगे रोड एक्सटेण्ड करना चाहते थे उसके भी आदेश दे दिये हैं। एस्टीमेट बनाकर कलेक्टर को दे दिया है। एक दो दिन में इसकी भी स्वीकृति हो जावेगी।

इरिगेशन के कामों का सर्वे नहीं हुआ है। अब आपके जिले में कुल जो काम हैं 43 इरिगेशन के हैं। सबके सब सर्वे होने के बाद स्वीकार किये हैं। इनमें से 30 काम प्रोग्रेस में हैं। दस प्रारम्भ किये गये हैं जो अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाले हैं। दो शुरू होने वाले थे पर पता लगा कि अकाल ग्रस्त वह एरिया नहीं है इसलिये काम लिये नहीं जा सकते वहां हाथ में। एक में फसल खड़ी है इसलिये रोकना पड़ा है। इसकी जानकारी लिखित में मैं आपको भेज रहा हूं।

जहां-तक सर्वे का प्रश्न है, 21 सर्वे पहले कराने हैं, 3/4 को कर लिया है। 18 जमवारामगढ के फिजिबल हैं या नहीं यह देख रहे हैं। पर जो काम चल रहे हैं वे सर्वे हो चुके हैं। स्वीकृति उनको अलग अलग तारीखों में हुई है। यहां रिलीफ डिपार्टमेंट में आने के बाद देर नहीं होती। 24 घंटे से ज्यादा कोई कागज मैं नहीं रखता अपने पास। यह सारी जानकारी मैं डिटेल में आपको दे दूंगा।

अन्य माननीय सदस्यों ने बहुतसी बातें कही हैं। मैं उन सबकी डिटल में तो नहीं जाना चाहता। पर कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा।

एक माननीय सदस्य : समय बहुत हो गया है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, मुझे 12 बजे तक बोलना है। अब मैं उन्हीं माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देना चाहूंगा जो सदन में उपस्थित हैं।

श्री पाध्यक्ष : मैंने समय बढाने के वक्त ही कह दिया था कि जब तक अकाल राहत मंत्री जी का उत्तर न हो जावेगा तब तक के लिये सदन की कार्यवाही बढाई जा रही है।

श्री परसराम मदेरणा : एक क्वेश्चन के उत्तर में मांडल से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे स्टेटमेंट को चैलेन्ज किया था। जिसे अन्धा बता रहे हैं उसका बाप अन्धा है और वह काम कर रहा है और उसकी फोटो कापी हिन्दुस्तान टाइम्स पत्र में भी निकली है। यह सूचना सही प्रतीत होती है। पूरी जानकारी करके सदन में सूचित करने की बात मैंने तब कही थी। मैंने उस फोटो का नेगेटिव मंगाया है। हिन्दुस्तान टाइम्स का फोटो भी यहां है। दोनों को देखा। जो 25 साल का है वह व्यक्ति काम में लगा है। उसका मस्टर रोल में कौनसा नम्बर है यह भी जानकारी मैंने कर ली है। बाप अन्धा जरूर है। पर उसे काम में नहीं लगाया गया है। तो इस तरह से सदन में गलत सूचना दी हो ऐसा नहीं है। जो सूचना दी थी वह सत्य है।

आगे यहां पर सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अनाज के सम्बन्ध में कहा कि गांव और शहर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये। और कुछ माननीय सदस्यों ने अनाज के सम्बन्ध में खाद्यान्न जो है पूरा

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं मिल रहा है । यह स्केल 8 किलो का पूरा मिलना चाहिये, यह बहुत से माननीय सदस्यों ने बातें कहीं । अनाज के बारे में मैं पहले भी वक्तव्य दे चुका हूं कि जो कुछ हमारी मांग है भारत सरकार से वह पूरी नहीं हो रही है और जितनी मांग है उससे कम खाद्यान्न की मात्रा मिलती है । परिणाम स्वरूप वह जिलों में भी कम वितरित हो रहा है और कई माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया कुछ जिलों को कम मिला है और कुछ जिलों को ज्यादा मिल रहा है और पूरी क्वान्टिटि नहीं दे रहे हैं। इसलिये यह जिलाधीश पर छोड़ा है वहां की परिस्थिति और फेमिन अफक्टेड है, उसकी इनटेनसिटि को देखकर वितरण करें । इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों में काफी रिएक्शन है, उनकी प्रतिक्रिया है कि शहरों में गेहूं ज्यादा और कस्बों व गांवों में कम दिया जा रहा है । मक्का जरूर खराब आई है, उसमें धतुरा मिला हुआ है, लेकिन वह वितरित नहीं की गई है। न मालूम सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य कहां देख आय है। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा स्क्रिनिंग में ज्यादा समय लग रहा है। वे कहते हैं, हम खुद बीन लेंगे और यह भी कहा कि कोई धतूरा खाने वाला नहीं है । जो दो हजार टन वितरण किया है वह इसलिये नहीं किया है कि उसमें धतूरे का प्रश्न था लेकिन चूंकि बाद में मालूम पड़ गया। अभी हमारे पास 13 हजार टन है । 1 लाख 30 हजार बोरे का वितरण करते हैं तो बहुत कुछ राहत मिलती है लेकिन स्क्रिनिंग नहीं हो सका है ।

मैंने कहा है साफ करने के बाद ही वितरण करेंगे, इससे पहले नहीं । व्हीट के ट्रेड के साथ में खाद्यान्नों के सम्बन्ध में शहरों और गांवों के अन्दर आज वितरण के अन्दर भेदभाव है। इस सम्बन्ध में 6 तारीख को प्रातः स्टेटमेंट दे रहा हूं । अभी सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता । यहां पर फागी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा 6 बजे का टाइम रीलीफ वर्क में मदद करने की बात कही और टोंक से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं 8 का नहीं 9 का होना चाहिये । इसलिये टाइमिंग्स के बारे में निवेदन कर दूं गर्मी के बारे में जल्दी समय नहीं रखेंगे तो आउटपुट कम होगी और वेजेज में रिडक्शन होगा और असन्तोष फैलेगा । इसलिये टाइम 7–8 का होना चाहिये। मैं बातचीत करने के बाद में, अधिकारियों से, इस सम्बन्ध में भी निर्णय लूंगा । यहां पर बाली से आने वाले माननीय सदस्य (विराम) चले गये । यहां पर किशनगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा राज्य सरकार के आदेश के बाद भी कुछ फील्ड्स की नीलामी की गई है । राज्य सरकार के आदेश हैं, नीलामी नहीं की जायेगी । मैं इस सम्बन्ध में तथ्यों की जानकारी कर रहा हूं ।

यहां पर उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ भी श्रमिकों के आंकड़े दिये हैं माहवार और उसमें उस वक्त तक का जो पहले तक का खर्चा बताया गया है उससे मेन्डेट में कनवर्ट करके एक रुपये से ऐवरेज कुछ कम निकला है दो करोड़ की धनराशि के अन्दर । लेकिन जो कुछ पता लगाया है, राजस्थान के अन्दर अभी तक वेजेज का पेमेन्ट हुआ है, वह करीब डेढ–दो हजार के बीच हुआ है । ज्यादातर वेजेज का पेमेन्ट कई जगह 15 दिन का आगे जाकर 16 दिन में होता है। इससे ज्यादा पांच करोड़ का पेमेन्ट मार्च में हुआ है और वह भी 15 मार्च

(श्री परसराम मदेरणा)

के बाद हुआ है। इसलिये कि वह फीगर नहीं मिल सके क्योंकि जो फीगर मिले हैं 31 की रात को या 1 की सुबह आये हैं। मैं नोट में नहीं दे सका हूं...

श्री फूलचन्द जैन : एक को तो फर्स्ट अप्रैल था।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो फर्स्ट अप्रैल को ही इत्तला आई है। आप यह समझते हैं एक तारीख को छूटटी थी इसलिये काम नहीं हुआ है। काम बराबर करते हैं। छुट्टी, नो छुट्टी। बराबर काम कर रहे हैं ताकि जो कुछ इनफारमेशन किसी वक्त आ सकती है उसकी राज्य सरकार को जानकारी रहे।

एक बात यहां कणाबन्दी के सम्बन्ध में कही गई। और दूसरी बात उन्होंने, रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने इरिगेशन के कुए लेने की बात कही, जालोर में कही, वहां ऐसी बात नहीं है। सीकर में राज्य सरकार निश्चिततौर पर स्वीकृत करेगी। लेकिन कणाबन्दी का आईटम सोइल कन्जरवेशन में से हटा दिया गया। अब इम्प्रूव कर लें। कणाबन्दी को ज्यादा प्रोत्साहन इसलिये नहीं दिया था कि सन् 1964–65 और 1966–67 के अन्दर रीलीफ काम के बतौर लिया जाता रहा है। उस समय कई शिकायतें आई थी कि कणाबन्दी के अन्दर जो पाइयां खरीदी थीं उस खरीद में कुछ अनियमितताये मिली थीं इसलिये ज्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया लेकिन अगर आप कणाबन्दी के सम्बन्ध में चूरू में काम लेने चाहते हैं तो मैं अधिकारियों को, सोइल कन्जरवेशन के ऐडीशनल डायरेक्टर को आदेश दे रहा हू कि किसी अधिकारी की जल्दी नियुक्ति कर दी जाय, अगर 48 घंटे में रीलीफ वर्क के बतौर लिया जाय।

अब मैं सदन के माननीय सदस्यों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं बैर से आने वाली माननीय सदस्या ने बाढ़ पीड़ित लोगों का जो चित्रण किया, काफी हृदय भरा था। उन्होंने यह बात कही हमारे गांव को अकाल में डिक्लेयर नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि डिक्लेयर करने के प्रोविजन्स फेमिन कोड में नहीं हैं। और जो भी फेमिन कोड में प्रावधान है राजस्थान सरकार ने, भारत सरकार ने यह सोचा है, कमेटी बनाई है, फाईनेंस कमिश्नर की चैयरमेनशिप में, रिलीफ कमिश्नर की चैयरमेनशिप में, जो डिक्लेरेशन की प्रक्रिया हैं, जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में तब्दीली लाई जावे। आज जो पोजीशन चल रही है फिफ्टी परसेंट क्रोप लोस का जो प्रोसीजर है यह दूसरी स्टेट्स में भी है। जिन विलेजेज में लोस हुआ है उसको खरीफ में दर्ज करें। ओलावृष्टि में भी यही प्रक्रिया है, इसके लिए यह प्रोसीजर बना हुआ है कि रेवेन्यू अधिकारी को आंकड़े देने पड़ते हैं और वहां के स्थानीय अधिकारी को अपनी ओपिनियन देनी पड़ती है। इसके ऊपर भी जानकारी प्राप्त की जा रही है और अगर वह जानकारी प्राप्त होने के बाद अगर वह निश्चित प्रक्रिया में आते हैं तो निश्चित तौर पर उनको अभावग्रस्त डिक्लेयर किया जाएगा।

मैं सदन के माननीय सदस्यों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए अन्त में यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो ठोस सुझाव आपने दिए हैं राज्य सरकार इन सब का जवाब तो नहीं दे पाई है, कुछ का दिया है, कुछ का नहीं दिया है

(श्री परसराम मदेरणा)

लेकिन हम इन सुझावों पर निश्चित तौर पर कदम उठायेंग और उनको अमली जामा देने में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जायगी। आने वाले समय में आप यहां से आश्वस्त होकर अपने क्षेत्र में जाईये कि हम मजदूरों की संख्या हर जिले में बढ़ा रहे हैं और उन क्षेत्रों में दूसरे राहत के कार्य, पानी मुहैया कराने का प्रश्न, चारे को मुहैया कराने का प्रश्न, गौधन को बचाने का प्रश्न है उसको हम पूरी सतर्कता से ले रहे हैं। माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि इसको वार फूटिंग पर लीजिए। वह तो यहां एक दिन भाषण देकर चले कि वार फटिंग पर लिजिये। लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जब से अकाल की स्थिति बनी है, पिछले पांच महीनों से वार फूटिंग पर चल रहे हैं। बिना वार फूटिंग का प्रश्न नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक यह परिस्थिति रहेगी, बराबर राज्य सरकार उसी रफ्तार से, उसी जिम्मेदारी से और उसी सतर्कता के साथ में विजिलेन्स के साथ में काम करेगी ताकि जो उत्तरदायित्व हमारे पर है उस उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए ही हम हैं, यह करके हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। दैवी प्रकोप से अकाल की स्थिति बन जाती है, उनके बाद में यह भाषण दे दें कि अनप्रडयूज्ड वर्क पर मजदूर मत लगाईये और सड़कों पर मजदूर मत लगाईये ताकि कोई गड़बड़ नहीं हो। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि राज्य अधिकारियों ने किसी भी महकमे के हों, आगे कुछ भी अनियमितताएं हुई हों, चाहे पी०डब्ल्यू०डी० हो, चाहे इरिगेशन हो, चाहे सोयल कंजरवेशन या फोरेस्ट डिपार्टमेंट हो, ऊपर से नीचे तक उन्होंने इस बात का पूरा प्रयत्न किया है इस बारे में पहले जो उनकी थोड़ी बहुत बदनामी हुई है, पहले की उस लोस्ट प्रेस्टिज को रीट्रीट किया जाय, और इसके लिए मैं उनको बधाई भी देना चाहूंगा कि राज्य के अधिकारियों ने इस वक्त पर बड़ी सतर्कता के साथ और सजगता के साथ काम किया है और कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में किसी प्रकार की अनियमितता की बात न हो और बाकी बाद में जब यह सदन मिले तो उस वक्त आज की जो राय बनी है कि इस वक्त इन कामों के अन्दर किसी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ नहीं है, थोड़ी बहुत माप तोल की बात हो सकती है लेकिन किसी प्रकार की शिकायत नहीं है और भविष्य में भी लोगों को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस यही मुझे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही कल दिनांक 4 अप्रेल, 1973 बुधवार को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि को 10 बजकर 4 मिनिट पर बुधवार, दिनांक 4 अप्रेल, 1973 तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 933 की सूची)

फोर्स के आदमियों की सूची

1- श्री कादेरा, पिता नायवा, हवलदार की आयु 65 वर्ष हो जाने से तारीख 9-12-70 को सेवा मुक्त किया गया ।

2- श्री मोगा चौकीदार की आयु 65 वर्ष हो जाने से तारीख 16-9-72 को सेवा मुक्त किया गया ।

3- श्री बालुगी चोकीदार को 65 वर्ष आयु पूर्ण हो जाने से तारीख 22-10-72 को सेवा मुक्त किया गया ।

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 935 की सूची)

कमरा सं०	नीचे या ऊपर की मंजिल	पूर्व किराया	वर्तमान किराया
116	ऊपर	7–50	15–00
117	,,	4–00	10–00
118	,,	3–00	4–00
119	,,	3–00	4–00
120	,,	3–00	4–00
121	,,	4–00	10–00
30 कोटड़ियां नीचे			1–00 प्रतिदिन से

राजस्थान सरकार

राजस्व (क) विभाग

प्रति:–आयुक्त,
देवस्थान विभाग,
राजस्थान, उदयपुर।

क्रमांक :– एफ 3(ई) (14) रा०क०।67 दिनांक 3-5-68

विषय:–बढ़ाये जाने किराया दूसरी मंजिल, जसवन्त सराय, जोधपुर।

प्रसंग:–आपका पत्र संख्या (163) (1)सा।देव-66-67/2355, दिनांक 24-3-68

महोदय,

जसवन्त सराय, जोधपुर की दूसरी मंजिल के कमरों के किराये में (नल व बिजली सहित)

निम्न प्रकार से वृद्धि करने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान करने का निर्देश हुआ है।

क्र०संख्या	कमरा नम्बर	वर्तमान किराया	बढ़ा हुआ किराया	प्रति दिन
(1)	116	5-00	7-50	"
(2)	117-121	2-75	4-00	"
(3)	118,119,120	1-75	3-00	"

भवदीय,
ह०
उप-राजस्व सचिव।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु:–

(1) महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।

(2) निरीक्षक, देवस्थान विभाग, जोधपुर।

Page No. 204

परिशिष्ट-

तारांकित प्रश्न संख्या 955 की सूची

सूची भूतपूर्व जागीर कर्मचारी जो वर्तमान में राजस्थान तहसीलदार संवर्ग में नियुक्त हैं :—

नाम	जागीर का नाम	वरिष्ठता सूची क्रम संख्या (1972)	राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति	पद जिस पर नियुक्ति की गई।
1	2	3	4	5
(1) मौलिक तहसीलदार:				
1. श्री गुमानसिंह,	जागीर भिन्डा	17	20-5-56 14-12-57 7-8-59	भू अभिलेखा निरीक्षक ना० तहसीलदार तहसीलदार
2. श्री कानसिंह जसोल	जागीर जसोल	140	1-8-55 15-6-71	नायब तहसीलदार तहसीलदार
3. श्री धर्मवीर सिंह,	खाचरियावास	169	14-5-57 15-1-59 15-6-71	भू०अभिलेख निरीक्षक नायब तहसीलदार तहसीलदार
4. श्री डूंगरसिंह,	रोहूआ	168	11-9-57 15-6-71	नायब तहसीलदार तहसीलदार
5. श्री उम्मेदसिंह,	जागीरदार भूगड़ा	188	28-9-61 28-3-68 15-9-71	भू०अभिलेख निरीक्षक नायब तहसीलदार तहसीलदार
(2) मौलिक नायब तहसीलदार				
1. श्री कानसिंह राठौड़,	भूगड़ा	23	1-8-55	नायब तहसीलदार
2. श्री दलीपसिंह,	हरियाडाणा	42	6-6-57	नायब तहसीलदार
3. श्री विजयसिंह,	हरियाडाणा	124	18-12-56 19-11-63	भू०अ०निरीक्षक नायब तहसीलदार
4. श्री पूर्ण प्रकाश,	मनादर	128	अगस्त, 73 19-3-64	भू०अ०निरीक्षक नायब तहसीलदार

Page No. 205

1	2	3	4	5
5. श्री नरपतकरण,	नागर	87	मार्च, 60 28-10-60	भू०अ०निरीक्षक नायब तहसीलदार
6. श्री दलपतसिंह,	हरसोली	105	16-9-61	नायब तहसीलदार
7. श्री धर्मपालसिंह,	जावला	106	22-4-58 16-9-61	भू०अ०निरीक्षक नायब तहसीलदार
8. श्री भवानीसिंह,	दूदू	75	14-9-57 15-1-59	भू०अ०निरीक्षक नायब तहसीलदार]
9. श्री गोविन्द सिंह,	कोर्ट ऑफ-वार्ड्स	104	1-4-61 18-7-67	भू०अ०निरीक्षक नायब तहसीलदार
10. श्री मेहताबसिंह,	पाली	108	19-3-58 14-3-62	भू०अ०निरीक्षक नायब तहसीलदार
11. श्री नरपतसिंह,	सरवाड़	109	26-11-62	नायब तहसीलदार
12. श्री राव गणपतसिंह,	छीतलवाड़ा	107	18-2-57 27-1-62	भू०अ०निरीक्षक नायब तहसीलदार
13. श्री पदमसिंह,	गुड़ामालानी	84	16-1-58 29-6-60	भू०अ०निरीक्षक नायब तहसीलदार
14. श्री सज्जनसिंह,	जूद	133	1958 अक्टूबर, 68	भू०अ०निरीक्षक नायब तहसीलदार
15. श्री लालसिंह,	सिवार	36	1955 13-11-56	भू०अ०निरीक्षक नायब तहसीलदार

परिशिष्ट 4

(ता० प्र० सं० 953 की सूची)

खसरा नम्बर 403/1 बन्ध बनियावाला जो अलॉटमेन्ट निम्न प्रकार है तहसील गंगापुर जिला सवाईमाधोपुर

क्रम संख्या	नाम एलॉटी	2025 रकबा अलॉटी	2025 रकबा काश्त	2026 रकबा अलॉटी	2026 रकबा काश्त	2027 रकबा अलॉटी	2027 रकबा काश्त	2028 रकबा अलॉटी	2028 रकबा काश्त	2029 रकबा अलॉटी	2029 रकबा काश्त	विशेष विवरण
1.	श्री मन्ना पुत्र दीपा चमार	3)	मुताबिक खसरा परिवर्तनशील सं० 2025 इन 25 अलॉटी के नाम एक जगह ही दर्ज की	3)	—	—	—	—				
2.	श्री सरवन पुत्र मुरली चमार	3)		3)	—	3)	गेहूं 3)	111)				
3.	श्री श्रीया पुत्र नाथ्या चमार	3)		3)	—	3)	,,	111)				
4.	श्री नथुबा पुत्र नारायण चमार	3)		3)	—	3)	,,	111)				
5.	श्री रामसहाय पुत्र देवीचन्द चमार	3)		3)	—	3)	जौ 3)	111)				
6.	श्री पांच्या पुत्र जीवन चमार	3)		3)	जौ 3)	3)	गेहूं 3)	111)				
7.	श्री श्रवण पुत्र पन्ना चमार	3)		3)	,,	3)	जौ 3)	111)				
8.	श्री जगन पुत्र नाथ्या चमार	3)		3)	गेहूं 3)	3)	जौ 3)	111)				
9.	श्री गोरधन पुत्र रामचन्द्र चमार	3)		3)	,,	3)	गेहूं 3)	111)				
10.	श्री धूड़ा पुत्र मांग्या चमार	3)		3)	,,	3)	जौ 3)	111)				
11.	श्री देवीचन्द पुत्र बिरजा चमार	3)		3)	,,	3)	गेहूं 3)	111)				
12.	श्री सुखराम पुत्र सोन्या चमार	3)		3)	,,	3)	,,	111)				
13.	श्री श्रीया पुत्र मोती चमार	3)		3)	,,	3)	,,	111)				
14.	श्री मंगल पुत्र छीतर चमार	3)		3)	,,	3)	,,	111)				

15.	श्री तोता पुत्र घीस्या चमार	3)	जाकर गेहूं चालीस बीघा, जो पैंतीस बीघा दर्ज किया।	3) ”	3)	”	1||)	
16.	श्री घीस्या पुत्र हरचन्दा चमार	3)		3) ”	3)	”	1||)	
17.	श्री दौला पुत्र जीवन चमार	3)		3) गेहूं 1)	3)	”	1||)	
18.	श्री रामनारायण चमार	3)		—	—	—	—	
19.	श्री पितरा पुत्र कलुवा चमार	3)		3) जौ 3)	3)	गेहूं 3)	1||)	
20.	श्री सोन्या पुत्र बिरजा चमार	3)		3) गेहूं 3)	3)	जौ 3)	1||)	
21.	श्री गोरधन पुत्र काना चमार	3)		3) जौ 3)	3)	गेहूं 3)	1||)	
22.	श्री गोपी पुत्र लल्लू चमार	3)		3) गेहूं 3)	2)	जौ 2)	1||)	
23.	श्री झूला पुत्र हरचन्द चमार	3)		3) जौ 3)	3)	गेहूं 3)	1||)	
24.	श्री पून्या पुत्र विरम्या चमार	3)		3) गेहूं 3)	3)	”	1||)	
25.	श्री सुगन्या पुत्र लल्लू चमार	3)		3) ”	3)	जीरा 2) गेहूं 1)	1||)	
26.	श्री हरीचन्द चमार	3)	गेहूं 3)	—	—	—	—	
27.	श्री सुभाषचन्द चमार	3)	”	—	—	—	—	
		81)		72)	67)		32||)	

सं० 2028 में यह जमीन पड़त रही।

सं० 2029 में अलॉटमेन्ट नहीं हुआ।

नोटः—इन अलॉटीज पर सं० 2025 लगायत 2028 का लगान कायम होकर वसूल हो चुका है।

परिशिष्ट-5

तारांकित प्रश्न संख्या 954 की सूची

Statement showing the number of Villages electrified during 1972-73 (upto Feb., 72).

S. No.	District	Number
1.	Ajmer	9
2.	Alwar	49
3.	Banswara	12
4.	Barmer	—
5.	Bharatpur	72
6.	Bhilwara	57
7.	Bikaner	4
8.	Bundi	19
9.	Chittorgarh	55
10.	Churu	19
11.	Dungarpur	5
12.	Jaipur	91
13.	Jaisalmer	—
14.	Jalore	16
15.	Jhunjhunu	14
16.	Jhalawar	2
17.	Jodhpur	18
18.	Kota	31
19.	Nagaur	24
20.	Pali	26
21.	Sawaimadhopur	36
22.	Sikar	27
23.	Sirohi	—
24.	Shri-Ganganagar	25
25.	Tonk	22
26.	Udaipur	83
	TOTAL ..	716

परिशिष्ट-6

(अ० ता० प्र० सं० 581 की सूची)

सूची उन उम्मीदवारों की जिन 2 ने नौकरी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु तहसील पिड़ावा में प्रार्थना-पत्र दिये :—

नं० शु०	नाम प्रार्थी	तारीख देने दर०
1.	श्री रामचन्द्र आत्मज देवीलाल वजीरपुरा	30-10-71
2.	श्री शेख छोटे आत्मज शेख बशीर पिड़ावा	18-12-71
3.	श्री रईस बेग आत्मज शहादत बग पिड़ावा	22-1-72
4.	श्री रामलाल आत्मज पूरीलाल मेहर रामपुर	16-6-72
5.	श्री दूलीचन्द आत्मज कन्हैयालाल पिड़ावा	21-12-72
6.	श्री बालचन्द्र आत्मज किशोरीलाल शर्मा पिड़ावा	2-1-73
7.	श्री मांगीलाल आत्मज जगन्नाथ भाट ,,	2-1-73
8.	श्री भगवतसिंह आत्मज दीपसिंह जैन ,,	32-1-7
9.	श्री उम्मेदसिंह आत्मज मदनसिंह पिड़ावा	21-2-73

परिशिष्ट-7

(अ० ता० प्र० सं० 582 की सूची)

चक 18 एल० जी० डब्लू० में गत पांच वर्षों की सिंचाई की सूची
सी० सी० ए० के प्रतिशत के रूप में

वर्ष	19 एल०जी०डब्लू०		18 लोंग वाला "ए"		18 लोंग वाला "बी"	
	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी
1968–69	24%	24%	मोघे नहीं थे		—	—
1969–70	22%	28%	"	"	"	"
1970–71	12%	14%	"	"	"	"
1971–72	22%			27%		37%
1972–73			50%	23%	42%	42%

Page No. 211

परिशिष्ट-8

(अ० ता० प्र० सं० 584 की सूची)

मि० नम्बर	क्रम सं०	नाम प्रार्थियान जिन्होंने दुरुस्ती इन्द्राज के तहत प्रार्थना-पत्र पेश कर रखे हैं
1	2	3
213131191511156 ता० मर० 1-11-68	1	श्री भंवरसिंह आत्मज करनसिंह राजपूत निवासी खटखड़।
314/4124170119166 मर० 20-12-68	2	श्री मोहम्मद सद्दीक शेख सरवर निवासी, पिड़ावा।
8114143188 मर० 4-7-70	3	श्री चन्द्रसिंह आत्मज चेनसिंह महाजन निवासी, पिवाड़ा।
9116146181 मर० 4-7-70	4	श्रीमती रामबाई पत्नी करनसिंह साकिन पिड़ावा।
10122159/104 मर० 4-7-70	5	श्रीमती रान बाई पत्नी करनसिंह साकिन पिड़ावा।
11123160/105 मर० 4-7-70	6	श्रीमती रान बाई पत्नी करनसिंह साकिन पिड़ावा।
12·24161/106 मर० 4-7-70	7	श्रीमती रान बाई पत्नी करनसिंह साकिन पिड़ावा।
14131186/131 मर० 4-7-70	8	श्री ओंकारसिंह आत्मज निर्भयसिंह नि० बजरंगपुरा।
15133195/141 मर० 1-8-70	9	श्री हरिसिंह आत्मज महताबसिंह राजपूत नि० सरवर। बनाम सरजूदास आत्मज रामदास बरागी निवासी सरवर।
20173 मर० 8-1-72	10	श्री इरफान आत्मज यासीन खां मुसलमान निवासी, कड़ोदिया।

परिशिष्ट-9

(प्र० सा० उ० सं० 589 सी० प्रारोप-पत्र)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Appointment (A. III) Department.

STATEMENT OF CHARGES FRAMED AGAINST SHRI M. L. SETHI, DIRECTOR OF MINES AND GEOLOGY GOVERNMENT OF RAJASTHAN.

CHARGE No. I

That said Shri M. L. Sethi while functioning as Director of Mines and Geology, Udaipur (Rajasthan) during the period 1950 to 1964 did not maintain absolute integrity and devotion to duty and, act in the best interest of the Government, in as such as:—

(A) He knowing and having reasons to believe that M/s Moolchand Nemichand were acting in contravention of the provision of M. C. Rules, 1949 and the Rajasthan Govt. Notification No. 9453, Dated 29-3-1950 and Notification No. 17 (472)/C-1/M.P./49, dated 6-2-1951, in as much as the said party was unauthorisedly exploring and excavating mica outside the area of 916 sq. miles allotted to them condemned their illegal activities and encourged them to submit revised and re-revised plans for the areas of their operati on and that he thereby caused loss of revenue of Rs. 1, 27, 384/- by way of non-recovery of dead-rent and correspon ding gain to the said party by permitting them to explore and excavate mica from much bigger area than 9.16 sq. miles.

(B) He failed to take action against M/s Mool Chand Nemichand when they illegally occupied an area which included Shiv Mine which had been developed by Nathimal Mundra who were legally entitled to the area and later on permitted and or caused to be permitted the said mine to be worked by M/s Moolchand Nemichand when he knew and had reasons to believe that both the occupation and the working of the mine was unauthorised and illegal and that he thereby obtained and or caused to be obtained pecuniary advantage to the firm and further caused loss by way of non-recovery of rent amounting to Rs. 10,208/- and corresponding pecuniary gain to the said firm.

And that he thereby acted in contravention of Rule 3 of Rajasthan C. C. S. (Conduct) Rules.

CHARGE No. II

That during the aforesaid period and while functioning in th aforesaid office the said Shri M. L. Sethi did not maintain absolut integrity and devotion to duty, and, act in the best interest of th Government, in as much as:—

(A) He, by conniving at the private arrangement made between Bansilal Chaudhary and M/s Shiv Rattan Goverdhan Dass Mohta allowed said Shri Bansilal Chaudhary to work the area which was granted to M/s Shiv Rattan Goverdhan Dass Mohta without lawful authority to the detriment of other applicants to whom the area would have in the normal course, in their own turn, he allotted, on being surrendered by M/s Shive Rattan Goverdhan Dass Mohta.

(B) He showed favour to said Bansilal Chaudhary by allowing them or causing to be allowed them to work even outside the area allotted to M/s. Shiv Rattan Goverdhan Dass Mohta and permitted unauthorised excavation of Mica for a period of over 10 years from a mine known as Hanuman Khan and obtained huge pecuniary benefit for said Shri Bansilal Chaudhary and also caused loss to the revenue of the State by not realising the dead-rent over the area.

And that he thereby acted in contravention of rule 3 of Rajasthan C. C. S. (Conduct) Rules.

CHARGE No. III

That during the aforesaid period and while functioning in the aforesaid office the said Shri M. L. Sethi did not maintain absolute integrity and devotion to duty, and, act in the best interest of the Government, in as much as:—

He showed favour to Shri P. P. Singhal Prop. M/s P.P. Singhal and by repeatedly recommending to the State Government their case for grant of Mining lease in Iron Ore near village Nathara-Ki-Pal in Udaipur District, by falsely representing regarding their experience in prospecting, financial soundness and stability/special knowledge of Geology or Mining and the techincal staff employed by the said firm and further made out a case by which the State Government ultimately agreed to grant the said M. L. in favour of the firm and thereafter made all efforts to get the prospecting expenses to be paid by the firm to the State reduced to the minimum viz., from Rs. 1,30,074/- to Rs. 1,08,594/- and finally conniv-

ing at the transfer of the said M. L. by the said firm to M/s Kamani Industrial Corporation Limited for a consideration of fully paid share of Rs. 1,00,000/- of the said corporation in favour of Shri P. P. Singhal.

And that he thereby acted in contravention of rule 3 of Rajasthan C. C. S. (Conduct), Rules.

CHARGE No. IV.

That during the aforesaid period and while functioning in the aforesaid office, the said Shri M. L. Sethi did not maintain absolute integrity and devotion to duty, and, act in the best interest of the Government, in as much as:—

He showed favour to M/s Mool Chand Suganchand in the matter of their unauthorised excavation of Emerald ore from an area outside the P. L. area granted to the firm in village Comgude, and further failed to carry out promptly the directions of the Government regarding confiscation/sale by public auction of the said emerald ore, by delaying the matters on one pretext or the other when ultimately the emerald ore was returned to the firm.

And that he, thereby acted in contravention of Rule 3 of Rajasthan C.C. S. (Conduct) Rules.

CHARGE No. V.

That during the aforesaid period and while functioning in the aforesaid office the said Shri M. L. Sethi did not maintain absolute integrity and devotion to duty and, act in the best interest of the Government, in as much as:—

He showed favours to M/s Shah Kasturmal in the matter of unauthorised excavation of soapstone by the said firm in District Sawaimadhopur (Rajasthan) from an are outside the P. L. area granted to the firm by not taking any action viz., prospecting or imposing double dead-rent penalty on the firm as per terms of agreement or by getting the sale value deposited regarding the soapstone excavated from the unauthorised area by the firm and showed further favour to the firm in the matter of their application for renewal of P. L. for additional areas, by unauthorisedly extending the period of limitation of executing the agreement.

And that he thereby acted in contravention of Rule 3 of Rajasthan C. C. S. (Conduct) Rules.

CHARGE No. VI

That during the aforesaid period and while functioning in the aforesaid office the said Shri M. L. Sethi did not maintain absolute integrity and devotion to duty, and; committted misconduct in as much as:—

He was found in possession of assets disproportionate to his source of income to the extent of Rs. 44,383.80 approximately and for which he could not render any satisfactory explanation.

And that he thereby acted in contravention of Rule 3 of Rajasthan C.C.S. (Conduct) Rules.

Sd/- KARAN SINGH,
Deputy Secretary to Government.

परिशिष्ट-10

(अ० ता० प्र० सं० 602 की सूची)

पंचायत समितिवार किये गये व्यय का विवरण :–

वर्ष 1971-72 में :–

1.	पंचायत समिति,	अराई	1,33,053-00
2.	"	सिलोरा	1,67,793-00
3.	"	श्रीनगर	1,26,310-00
4.	"	केकड़ी	1,06,344-00
5.	"	भिनाय	1,24,157-00
6.	"	मसूदा	1,83,131-00
7.	"	जवाजा	1,83,359-00
8.	"	पिसांगन	2,26,174-00
		योग;	12,55,321-00

वर्ष 1972-33 में :–

1.	पंचायत समिति,	अराई,	2,218,297-70
2.	"	सिलोरा	1,67,0 23-49
3.	"	श्रीनगर	2,32,253-42
4.	"	केकड़ी	94,499-04
5.	"	भिनाय	1,56,800-42
6.	"	मसूदा	3,31,031-50
7.	"	जवाजा	4,16,584-82
8.	"	पिसांगन	7,50,913-59
		योग:	24,17,403-98

परिशिष्ट 11

(अ० ता० प्र० सं० 605 की सूची)

List of the Localities Electrified During

1971-72 and 1972-73 (Upto February, 1973.)

IN DISTIRCT SAWAI MADHOPUR.

1971-72

1. Lakhanpur.
2. Malarna Dungar.
3. Kalarna Char.
4. Bapui.
5. Mahandipur-ka-Balaji.
6. Irniya.
7. Bargarh.
8. Kherli.
9. Lodipura.
10. Doondri.
11. Sherpur.
12. Khilehipur.
13. Phusodiya.
14. Karmoda.
15. Khatupura.
16. Bhundeda.
17. Baroli.
18. Kheala.
19. Kusawa.
20. Raipur.
21. Meena Buroda.

1972-73 (Upto February, 1973).

1. Moran.
2. Mitrapura.
3. Porda.
4. Bushalipura
5. Bhedoli.
6. Peepalda.
7. Bhedola.
8. Bhajora.
9. Karsai.
10. Rajore.
11. Rampur.
12. Kailyani.
13. Mamchari.
14. Barkheda.
15. Dantali.
16. Karanpur.
17. Gharoli.
18. Isharda
19. Raseedpur.
20. Raigarh.
21. Ukdund.
22. Jatwada.
23. Nangal.
24. Hurla.
25. Balahedi.
26. Dadanpur.
27. Sehra Khar.
28. Mandawar.
29. Kayarda.
30. Mandawra.
31. Jhareda.
32. Kudgaon.
33. Gazeepura.
34. Bhopar.
35. Khawad
36. Shilwar

SILVER JUBILEE

S. No.	Name of the locality	Remarks
1.	Dhidhora	
2.	Bargana	†
3.	Rashidpur	†
4.	Jatwara	†
5.	Palna	
6.	Kora	
7.	Deenpura	
8.	Mach	
9.	Shyampura	
10.	Kushtala	
11.	Maidi	
12.	Khandip	
13.	Nadoli	
14.	Shefipura	
15.	Shekhpura	
16.	Baloti	
17.	Gothra	
18.	Mel	
19.	Malarna Char	†
20.	Khimi	†

† NOTE:—Means electrified.

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार दिनांक 3 अप्रेल, 1973)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1	2		3	4
5	ऊपर से	7	ोजन	योजना
7	अन्तिम से	4	फेक्टर	सेक्टर
7	,,	3	माईर	माइनर
	,,	4	वठन	कठिन
17	ऊपर से	7	पंचायत राज मंत्री	पंचायत मंत्री
20	,,	4	——	939
21	,,	16	में	उसमें
23	अन्तिम से	3	रघुनाथ विश्नोई	श्री रघुनाथ विश्नोई
	,,	7	रघुनाई	रघुनाथ
30	ऊपर से	3	कड	एकड़
	,,	8	रोटशन	रोटेशन
	,,	8	कन्सलटटिव	कन्सलटेटिव
38	,,	10	अनुपस्थि	अनुपस्थित
47	अन्तिम से	4	—	(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)
51	,,	16	बावजद	बावजूद
53	ऊपर से	3	चकी	चुकी
54	,,	17	म	में
57	अन्तिम से	1	कायक्रम	कार्यक्रम
59	,,	13	रिपोट	रिपोर्ट
60	,,	4	सैनिक कल्याणा	सैनिक कल्याण
61	ऊपर से	2	निदेश	निर्देश
68	,,	10	ारा	द्वारा
	,,	18	कराण	कारण
	अन्तिम से	7	ि ये	लिये
70	ऊपर से	1	श्री खनिज मत्री	खनिज मंत्री
70	,,	2	विरूद	विरुद्ध

1	2	3	4
89	ऊपर से 6	शिफारिश	सिफारिश
	अन्तिम से 8	म	में
93	ऊपर से 2	ट्रान्सप टेशन	ट्रान्सपोर्टेशन
96	अन्तिम से 4	सूचना	स्वीकृति
112 से 125	शीर्ष	विधायी कार्य	व्यवस्था का प्रश्न
120	अन्तिम से 1	उन	क्यू
125 से 149	शीर्ष	विधाई कार्य	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
140	अन्तिम से 14	दखने	देखने
	,, 18	तल	तेल
148	,, 15	रज्य	राज्य
149	,, 2	यह	—
150 से 201	शीर्ष	विधायी कार्य	राज्य की अकाल स्थिति पर विचार
208	अन्तिम से 16	ग्रहित	ग्रस्त
212	,, 6	मेजकर	भेजकर
	,,	दिखो	दिखावें
213	,, 17	पसंट	पर्सेन्ट
	,, 21	पर्सट	पर्सेन्ट
215	ऊपर से 8	सचक	सूचक
217	,, 8	जाएंग	जाएंगे
218	,, 15	सेना	होना
236	अन्तिम से 10	मौंका	मौका
239	,, 9	ा	था
240	ऊपर से 7	मजूरी	मजदूरी
248	ऊपर से 15	मसे	पैसे
		डेड	डेढ़
255	अन्तिम से 2	खन्दन	खन्दक
265	,, 1	सा	पैसा
	4	म	में
268	,, 4	मेजरमट	मेजरमेंट

1	2		3	4
270	अन्तिम से	1	वसली	वसूली
289	"	4	लिय	लिये
289	"	6	जने	जाने
289	"	20	करत	करता
291	"	15	इसम	इसमें
293	"	10	निमित्त	निमित
294	"	6	मकर्र	मुकर्रर
295	"	1	मंजरी	मंजूरी
	"	3	आकेटोवर	अक्टूबर
296	"	2	दगे	देंगे
289	"	2	डेड	डेढ़
	"	6	मुर्कर	मुकर्रर
	"	8	क	एक
302	"	19	सामन	सामने
310	"	12	हमें	——
312	"	1	किरता हुंक	करता हूं कि
316	"	15	देव	देने
318	"	13	मारफत	मार्फत
325	"	2	मने	मैंने
325	"	6	सुनन	सुनने
326	ऊपर से	1,3, 5	दूकाने	दुकानें
348	अन्तिम से	13	सपास्लित	उपस्थित
350	ऊपर से	12	घण्ट	घण्टे
351	"	17	मयंकर	भयंकर समय
353	"	1	करन	करने
356	ऊपर से	12	लेग	लेंगे
358	अन्तिम से	2	युटिलिटि	युटिलिटी
359	"	1	क्र.इटरिया	क्राईटेरिया
366	"	14	डिस्ट्रीयूशन	डिस्ट्रीब्यूशन
376	"	3	ह	है
377	"	21	इन्फामशन	इन्फार्मेशन
384	"	1,3,5,7,9	परसेंट	पर्सेन्ट
387	ऊपर से	14	सकंड	सेकिंड
394	"	7	श्री पाध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
399	"	3	उठयेंग	उठायेंगे